खण्ड-378, अंक-2
सोमवार, 10 भाद्रपद, शक संवत् 1908
(1 सितम्बर, 1986 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 378 में 2 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1986

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय	पृष्ठ-संख्य
कार्य-सूची की कोई मद भारसाधक मन्त्री के अतिरिक्त किसी अन्य मन्त्री द्वारा प्रस्तुत किए जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न . .	98
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश, 1986 (सदन के पटल पर रखा गया)	100
हरिजन एवं निर्बल वर्ग आवास निगम लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट, 1982-83 (सदन के पटल पर रखी गयी)	100
उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (छत्तीसवां संशोधन) नियमावली, 1986 (सदन के पटल पर रखी गयी)	100
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का वार्षिक लेखा विवरण-पत्र, 1981-82 (सदन के पटल पर रखा गया)	100
लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश की कार्य प्रणाली का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1977–78 के ज्ञापन सहित (सदन के पटल पर रखा गया) . .	100
विधान सभा के वर्ष 1986 के प्रथम सत्र में नियम 301 की सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण (सदन के पटल पर रखा गया) . .	100
उत्तर प्रदेश विधान सभा सदस्य (दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियमावली, 1986 (सदन के पटल पर रखी गयी) . .	101
कुष्ठ रोगी (उत्तर प्रदेश निरसन) विधेयक, 1986 (सदन के पटल पर रखा गया)	101
उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1986 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) . .	101
उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1986 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा) . .	101
श्रीमती कटोरी देवी द्वारा धरना दिए जाने की सूचना	101
उत्तर प्रदेश नवम् विधान सभा की प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति का द्वितीय प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	102
उत्तर प्रदेश नवम् विधान सभा की याचिका समिति का द्वितीय प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	102
उत्तर प्रदेश विधान सभा की लोक लेखा समिति (1985–86) का पंचम प्रतिवेदन—(प्रस्तुत किया गया)	102
जनपद पिथौरागढ़ की तहसील मुनस्यारी के अन्तर्गत बांसबगड़ से मुनस्यारी तक बस परिवहन के लिए सड़क निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में याचिका (प्रस्तुत की गयी)	102
जनपद पिथौरागढ़ की तहसील डीडीहाट के अन्तर्गत थल नामक स्थान में उपकोषागार खोलने के सम्बन्ध में याचिका (प्रस्तुत की गयी) . .	102
कार्य-मन्त्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) . .	102
उत्तर प्रदेश पत्रकार कल्याण और पेंशन निधि विधेयक, 1985 पर नियुक्त प्रवर समिति के कार्य काल में वृद्धि का प्रस्ताव (स्वीकृत) . .	105
उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1986 (पुरःस्थापित किया गया).	105
उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1986 (पुरःस्थापित किया गया)	106

विषय	पृष्ठ संख्या
उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, 1986 (पुर:स्थापित किया गया)	106
कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	106
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1986 (पारित) ..	130
उत्तर प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1986 (पारित)	140
उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा अनुदान आयोग (निरसन) विधेयक, 1986 (पारित)	140
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	149
सम्पूर्ण प्रदेश में माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में भारी संख्या में छात्रों एवं छात्राओं को प्रवेश न मिल पान से उत्पन्न समस्या के सम्बन्ध में नियम 52 के अन्तर्गत चर्चा (जारी)	149
वित्तीय वर्ष 1986–87 के अनुपूरक अनुदान (प्रस्तुत किया गया) ..	155
सम्पूर्ण प्रदेश में माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में भारी संख्या में छात्रों एवं छात्राओं को प्रवेश न मिल पान से उत्पन्न समस्या के सम्बन्ध में नियम 52 के अन्तर्गत चर्चा (जारी)	155
सदन में दर्शक-दीर्घा से पर्चे फेंके जाने की घटना	158
सम्पूर्ण प्रदेश में माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में भारी संख्या में छात्रों एवं छात्राओं को प्रवेश न मिल पान से उत्पन्न समस्या के सम्बन्ध में नियम 52 के अन्तर्गत चर्चा	158
कार्य-मन्त्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	167
नत्थियां	169–190

उत्तर प्रदेश विधान सभा

दिनांक 1 सितम्बर, 1986

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष श्री नियाज हसन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :—

1—अम्बिका सिंह, श्री	बस्ती	14—भोला शंकर मौर्य, श्री	बदायूं
2—कामेश्वर उपाध्याय, श्री	देवरिया	15—मुस्तमन्द अली खां, श्री	मथुरा
3—कृष्ण कुमार, श्री	फैजाबाद	16—रंजनी कान्त, डाक्टर	वाराणसी
4—कृष्णा रावत, कुमारी	लखनऊ	17—राजा मोहम्मद अमीर मोहम्मद खां, श्री	सीतापुर
5—देवेन्द्र कुमार सिंह, श्री	ललितपुर		
6—नरेन्द्र पाल सिंह, श्री	बरेली	18—राम नरेश यादव, श्री	मैनपुरी
7—निर्भय पाल शर्मा, श्री	सहारनपुर	19—राम भजन लाल, श्री	खीरी
8—बल्देव सिंह आर्य, श्री	उत्तरकाशी	20—विजय लक्ष्मी, श्रीमती	बलिया
9—बसन्त सिंह गहलौत, श्री	बिजनौर	21—वीरेन्द्र नाथ दीक्षित, श्री	कानपुर
10—बाबू सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर	22—शैलेन्द्र कुमार, श्री	इलाहाबाद
11—बेनी प्रसाद वर्मा, श्री	बाराबंकी	23—सत्यपाल सिंह, श्री	शाहजहांपुर
12—बेनी बाई, श्रीमती	झांसी	24—सन्तन बड़थ्वाल, श्री	चमोली
13—ब्रजेन्द्र पाल सिंह, श्री	मुरादाबाद	25—सुग्रीव सिंह, श्री	देवरिया

नोट—श्री निसार अहमद अंसारी व कु0 सरस्वती अम्माल

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, दिनांक 1 सितम्बर, 1986

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश में शिक्षण संस्थाओं को नई शिक्षा नीति लागू करने के संबंध में दिए गए निर्देश

***1—श्री रघुवर दयाल वर्मा,
श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त,
श्री अनुग्रह नारायण सिंह,
श्री सरदार सिंह तथा
श्री सूर्य प्रताप शाही—**

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में नई शिक्षा नीति लागू करने के आदेश शिक्षण संस्थाओं को दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि प्रदेश की सम्पूर्ण शिक्षण संस्थाओं को अभी तक नई शिक्षा पद्धति और उसका प्रारूप तथा प्रक्रिया नहीं बताई गई है, जिस कारण वे असमंजस में हैं ? यदि हां, तो नई शिक्षा नीति का कोई स्पष्ट प्रारूप न होने के कारण छात्रों के भारी अहित को देखते हुए शासन ने इस संदर्भ में क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा मंत्री (श्री सिब्ते रजी)—

प्रदेश में नई शिक्षा नीति लागू किये जाने के कोई आदेश शिक्षण संस्थाओं को नहीं दिये गये हैं । राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जो संसद द्वारा मई, 1986 में स्वीकृत की गई है की प्रति प्रदेश के प्रत्येक हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट के प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक को जिला विद्यालय निरीक्षकों के माध्यम से उपलब्ध करा दी गई है । वर्णित स्थिति में अन्य सम्बद्ध प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा—

मान्यवर, मेरा प्रश्न और मंत्री जी के उत्तर को देखें । आपने शुरू में ही मना किया कि कोई आदेश शिक्षण संस्थाओं को नहीं दिये गये लेकिन उत्तर के दूसरे भाग में मंत्री जी स्वीकार करते हैं कि मई 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो संसद द्वारा स्वीकार की गयी है वह हाई स्कूल और इण्टरमीडिएट के प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापकों को जिला विद्यालय निरीक्षकों के माध्यम से उपलब्ध करा दी गयी है । तो जो कार्यवाही इन्होंने भेजा है नई शिक्षा नीति की उसका प्रारूप क्या है, उस पर क्या कार्यवाही हुई और क्या आप अमल करा रहे हैं इसको बता दें ?

दूसरा प्रश्न यह जानना चाहता हूं कि जो प्रारूप जैसा तथाकथित प्रारूप नई शिक्षा नीति का है, जो भेजा है जिसके कारण विद्यालयों में असमंजस की स्थिति पैदा हो गयी है, विद्यार्थियों के दाखिले और पढ़ाई का क्या प्रारूप हो यह स्पष्ट नहीं है जिससे विद्यालयों में रोष व्याप्त है, इसका उत्तर दे दें ?

श्री सिब्ते रजी—

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जैसा कहा है तो ऐसी कोई स्थिति नहीं है जिससे असमंजस कि स्थिति पैदा हो । आप जानना चाहते हैं तो मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि मई, 1986 में नई शिक्षा नीति को लोकसभा और राज्य सभा ने पास किया था । उसके बाद उन्होंने उस पर प्लान आफ एक्शन की, क्या नियोजित योजना होगी उसके ऊपर अभी जो सत्र वर्षाकालीन समाप्त हुआ है उसमें उसको पारित किया है । जहां तक प्रश्न है यह नीति क्यों भेजी

गयी तो जो भी नीति देश के स्तर पर बनी है शिक्षा जगत से संबंधित लोग, क्या नई नीति है, उसके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी हासिल कर लें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं यहां बैठा हूं इसलिये झूठ शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा हूं लेकिन इससे हास्यास्पद और कोई उत्तर नहीं हो सकता है । आप देखें कि प्रधान मंत्री राजीव गांधी से लेकर, कांग्रेस पार्टी से लेकर छोटे कार्यकर्ता तक चारों ओर हल्ला मचाकर नई शिक्षा नीति जुलाई से लागू कर दिया लेकिन उत्तर दे रहे हैं कि प्रदेश में नई शिक्षा नीति में कोई आदेश शिक्षण संस्थाओं को नहीं दिये गये । तो यह स्पष्ट विरोधाभास है । मान्यवर, राजीव गांधी और वीर बहादुर सिंह कुछ कह रहे हैं, मंत्री जी यहां कुछ कह रहे हैं और सड़क पर कुछ कह रहे हैं ।

मंत्री जी ने यह जानकारी दी कि शासन की ओर से कोई आदेश इस आशय के शिक्षा संस्थाओं को नहीं दिये गये, तो मैं जानना चाहता हूं कि जो सेमिनार हुआ वह क्यों हुआ ? नवोदय विद्यालयों के लिए भूमि ली जा रही है, नैतिक शिक्षा को जोड़ा जा रहा है और तृतीय शिफ्ट चालू कर दिया है, तो यह क्यों ? नवोदित विद्यालय खोलकर गरीब और अमीर के बीच खाई को चौड़ा किया जा रहा है विभेद पैदा किया जा रहा है, यह सब उलट-पुलट के आदेश किस आदेश के तहत लागू किये गये हैं, यह जानकारी मंत्री जी देने की कृपा करें ?

श्री सिब्ते रजी–

मान्यवर, नई शिक्षा नीति से उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से अपने को जोड़ेगी और जोड़ रही है । जो नई कार्यविधि या कार्यप्रणाली योजना भारत सरकार की पिछले सत्र में पारित की गई है, उसके ऊपर विचार विमर्श करने के लिए और उत्तर प्रदेश में उसे कार्यान्वित करने के लिए अभी-अभी प्रदेश में एक समिति मंत्री परिषद् स्तर पर बनाई गई है, जो पूरे प्लान आफ एक्शन पर विचार करने के बाद, फिर .....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

उत्तर प्रदेश के लाखों छात्रों के साथ यह सरकार खिलवाड़ कर रही है...(व्यवधान) मैं यह जानना चाहता हूं कि नवोदय विद्यालयों की रचना, द्वितीय शिफ्ट का लागू होना और 10 रुपया प्रति विद्यालय से खींचना–यह सब जो हो रहा है, इसके लिए सरकार ने कौन से आदेश लागू किये हैं ? यह सब नई शिक्षा नीति के नाम पर विभेद पैदा किया जा रहा है, विसंगति पैदा कर दी गई है ? मैंने जानना चाहा है कि यह काम विद्यालयों में सरकार के किस आदेश के तहत हो रहा है, आप यह बताने का कष्ट करें ?

श्री सिब्ते रजी–

मान्यवर, बहुत से ऐसे काम जो उत्तर प्रदेश सरकार में पहले से हो रहे हैं, जो शिक्षा नीति में अभी दिखाये गये हैं, उनके बारे में अभी बहुत से प्रदेश सरकारों ने हामी नहीं भरी है । माध्यमिक स्तर पर यहां टेन प्लस टू पहले से चल रहा था और बहुत से प्रदेशों में यह अभी तक चला नहीं है । यहां पर प्लस टू के बाद प्लस टू ही था । हमने उसके बाद प्लस थ्री करने का प्रयास किया है । जो स्पष्ट रूप से

क्रियान्वयन नीति निर्धारण की जायगी, उसे पूरी तरह से प्रदेश में लागू किया जाएगा, लेकिन किसी कार्यक्रम को चलाने के लिए वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होती है और किस स्तर से हम उसे अपने यहां लागू करें, इस संबंध में ...(व्यवधान) आप जवाब हमारा सुनें ..(व्यवधान)

(एक सदस्य के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

जब मंत्री जी बैठ जाएं तब आप खड़े हों ।

श्री सिब्ते रजी–

18 अगस्त, 86 को सरकार ने एक मंत्रि समिति गठित कर दी है, जो भारत सरकार से पत्रक आया है, उसको यह देखेगी कि इस पर उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की कार्य विधि बनाई जा सकती है । इसमें प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जो मंत्रिगण हो सकते हैं, उनको रखा जा रहा है । मंत्री हरिजन एवं समाज कल्याण, मंत्री, ग्राम्य विकास, राज्य मंत्री वित्त एवं नियोजन (व्यवधान) इसमें रहेंगे और शिक्षा मंत्री इसके अध्यक्ष होंगे । इसके कार्यान्वयन की प्रणाली क्या होगी, इसका प्रारूप बाद में प्रस्तुत किया जाएगा और मई माह के पिछले सत्र के बाद हमारा जो वर्षा कालीन सत्र हुआ है, उसमें केन्द्र का क्रियान्वयन योजना यह आया है । उत्तर प्रदेश सरकार किस तरह से लागू करेगी, उस पर चर्चा करने के बाद अपनी रण नीति की वह उस पर घोषणा करेंगी ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

माननीय मंत्री जी ने जितनी सफाई देने की कोशिश की, उतना उसमें वह फंसते जा रहे हैं । प्रश्न बिल्कुल साफ है । मंत्री जी कहते हैं कि लागू नहीं किया है । मेरी निश्चित जानकारी है कि इस प्रदेश में नयी शिक्षा नीति हर विद्यालय में अलग-अलग तरीके से लागू है । मैं मंत्री जी को यह भी जानकारी देना चाहता हूं कि 16 सितम्बर से लड़कों के टेस्ट हो रहे हैं । अभी नवोदय विद्यालय खुले नहीं है, बिल्डिंग बनी नहीं है और हायर सेकेन्डरी स्कूलों के लड़कों के टेस्ट 16 तारीख से होने जा रहे हैं और उन्हीं लड़कों को इन नवोदय विद्यालयों में प्रवेश दिया जायगा । मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कौन से विद्यालय हैं, कौन लड़के एडमीशन पायेंगे इस तरह की गलत बयानी रोज आदरणीय सदन में हो रही है । गलत बयानी न करके स्पष्ट बतायें । नयी शिक्षा लागू नहीं की, विद्यालयों में रुपयों की वसूली की जा रही है ।

श्री अध्यक्ष–

आप प्रश्न कर लीजिये ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

मान्यवर, अध्यापक के जो शब्द होते हैं वह कड़वे होते हैं । मैं बदकिस्मती से पेशे से मुदर्रिश रहा हूं । मैं जानना चाहता हूं कि 16 तारीख से जो टेस्ट होने जा रहे हैं क्या उसके लिये शासन ने निर्देश दिये हैं या विद्यालयों के प्राचार्य अपने मन से टेस्ट लेने जा रहे हैं ।

श्री सिब्ते रजी–

मान्यवर, जिस प्रकार से माननीय सदस्य अपनी बात कह रहे हैं, यह आशय नहीं लिया जाना चाहिये कि उत्तर प्रदेश में नयी शिक्षा नीति को लागू किया ही नहीं जा रहा है । मान्यवर, नयी-

दय विद्यालय पूर्ण रूप से केन्द्र द्वारा बनायी गयी एक समिति के अधीनस्थ चलने वाले विद्यालय हैं । उत्तर प्रदेश सरकार ने विद्यालय खोलने के लिये अपने प्रस्ताव दिये थे और उसके लिये जमीन उपलब्ध करायी है । नवोदय विद्यालयों से दोहरी शिक्षा नीति को बढ़ावा दिया जा रहा है या शिक्षा का दायरा कम किया जा रहा है ऐसी बात नहीं है । जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के मेधावी छात्र हैं उनके लिये यह विद्यालय दिये जा रहे हैं । गरीब बच्चों के लिये, मेधावी छात्रों के लिये केन्द्र सरकार ने यह विद्यालय दिये हैं । इन्हें बड़ी प्रसन्नता होनी चाहिये कि अच्छे स्कूल ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब, मेधावी छात्रों के लिये भारत सरकार दे रही है । इसमें भ्रम पैदा करने की बात नहीं है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, मैं शिक्षा मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि नयी शिक्षा नीति है क्या ? क्या प्राइमरी स्कूलों में भी इस शिक्षा नीति को लागू किया जायगा? अगर लागू किया जायगा तो कब से?

श्री सिब्ते रजी–

मान्यवर, यह बड़ा व्यापक प्रश्न है कि नयी शिक्षा नीति क्या है ? हमारा प्राथमिक वर्ग है, माध्यमिक वर्ग है, प्रौढ़ शिक्षा है, जो हमारी शिक्षा है उसमें व्यवसायीकरण किस तरह से लाया जाय, उच्च शिक्षा में किस तरह से शोधीकरण किया जाय, सौरभीकरण का लक्ष्य किस प्रकार से प्राप्त किया जाय यह सारे बिन्दु नयी शिक्षा नीति के बिन्दु हैं । इन सब बिन्दुओं के ऊपर स्पष्ट रूप से बातें कह दी गयी हैं । यदि सदन की आज्ञा हो और समय हो तो मैं पूरी नीति में से जो भी व्यापक बिन्दु हैं वह पढ़ दूं ।

श्री अध्यक्ष–

इसकी जरूरत नहीं है, आप बैठें ।

श्री त्रियुगी नारायण मिश्र–

मैं माननीय शिक्षा मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या जिले स्तर पर जो प्रधानाचार्यों का कैम्प लगा कर नई शिक्षा नीति का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, उसका प्रारूप क्या है ?

श्री सिब्ते रजी–

मान्यवर, नई शिक्षा नीति के अन्तर्गत जो हमारे पुराने प्रधानाध्यापक हैं, उन्हें प्रशिक्षित किया जाना है, ताकि वे समय-समय पर शिक्षा के नये आयामों से अवगत हो सकें ।

श्री त्रियुगी नारायण मिश्र–

मान्यवर, मेरा प्रश्न दूसरा है। मैं पूछ रहा हूं कि जो प्रधानाचार्य के लिए कैम्प लगा कर नई शिक्षा नीति की ट्रेनिंग दी जा रही है, वह क्या ट्रेनिंग दी जा रही है और उस ट्रेनिंग का प्रारूप क्या है?

श्री सिब्ते रजी–

मान्यवर, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् से उत्तर प्रदेश के लिए लगभग 72,000 अध्यापकों को प्रशिक्षित किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया । इसमें माध्यमिक स्तर के लगभग 20 हजार प्रधानाचार्य/अध्यापक हैं तथा शेष प्रारम्भिक स्तर के प्रधानाध्याक/अध्यापकों की संख्या है। प्रशिक्षण के प्रथम चरण में माध्यमिक स्तर के प्रशिक्षण महाविद्यालयों से प्राचार्य/प्राचार्यों सहित चार-चार का प्रशिक्षण राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् के रीजनल कालेज आफ एजूकेशन, अजमेर में हुआ। प्रारम्भिक स्तर पर 7 क्षेत्रीय शिक्षा संस्थाओं, राज्य हिन्दी संस्थान, वाराणसी,

राज्य शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद आंग्ल भाषा शिक्षा संस्थान से चार वरिष्ठ अधिकारियों/प्रवक्ताओं को चयनित कर उन्हें रीजनल कालेज आफ एजूकेशन, अजमेर में "की पर्सन" का प्रशिक्षण प्रदान कराया गया । यह अप्रैल, 86 से किया जा रहा है।

श्री राम सरन–

मान्यवर, इनकी कोई नई शिक्षा नीति है ही नहीं, केवल प्रोपोगण्डा है। ये केवल तबला बजाने का काम कर रहे हैं।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर, नई शिक्षा नीति से इस समय प्रदेश के अन्दर एक असमंजस की स्थिति पैदा हो गयी है । जहां पर नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए कहा गया है, वहां पर कोई भी आदेश नहीं दिये गये हैं । इस सदन से या शिक्षा मंत्रालय से नई शिक्षा नीति का कोई भी प्रारूप माननीय सदस्यों को भी नहीं दिया गया है । लेकिन माननीय सदस्यों को उसका प्रारूप किसी अन्य श्रोत से प्राप्त हो गया है। गोरखपुर विश्वविद्यालय आदि को पाठ्यक्रम जो बनाने हैं, वह पहले से ही लागू हो गये हैं। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि एक तरफ नई शिक्षा नीति लागू करने का आदेश दिया नहीं गया है, तो यह जो नई शिक्षा नीति का प्रारूप लागू किया जा रहा है, वह क्या है ?

श्री सिब्ते रजी–

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में निहित विभिन्न विषयों के क्रियान्वयन पर विचार करने हेतु शासन द्वारा एक राज्य स्तरीय स्टेयरिंग कमेटी का गठन किया गया है । इसके अतिरिक्त नीति में निहित विभिन्न विषयों के कार्यान्वयन हेतु "प्लान आफ एक्शन" के प्रस्ताव तैयार करने के लिए 11 नई समितियां और गठित की गयी हैं । 1986 के विभिन्न विषयों के जो प्रस्ताव हैं, उनके संबंध में वह इस पर विचार-विमर्श करेंगी और एक कार्य योजना उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से प्रस्तुत की जायगी, और उसको समय के अनुसार चरणों में लागू किया जायगा ।

श्री सरदार सिंह–

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो नई शिक्षा नीति की प्रतियां जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से प्रधानाचार्यों और अध्यापकों के लिए भेजी गयी हैं, उसके भेजने का उद्देश्य क्या है और उसका प्रारूप क्या है?

श्री सिब्ते रजी–

मान्यवर, ज्ञानवर्धन के लिए भेजी गई हैं।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, मैं एक महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहता हूं ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि मंत्री जी जो जवाब दे रहे हैं उससे क्योंकि माननीय सदस्य संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं इसलिए मैं चाहूंगा कि इस पर आप चर्चा करा दें।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नों पर चर्चा नहीं हो सकती है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैंने इस प्रश्न के लिए बीस मिनट दे दिये हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप नियम-49 में सूचना दे दीजिए।

सहकारी समितियों के चुनाव कराने के सम्बन्ध में घोषणा

**श्री हृदय नरायन दीक्षित–

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि सा0 सहकारी समितियों के चुनाव कराने की घोषणा वे कितनी बार कर चुके हैं और विगत सत्र में आदरणीय सदन में चुनाव कराने का आश्वासन देने के बावजूद सरकार चुनाव क्यों नहीं करवा सकी है?

सहकारिता मंत्री (श्री अरुण कुमार सिंह)–

विगत सत्र में 30 जून, 1986 तक चुनाव कराए जाने की घोषणा की गयी थी, परन्तु गत सरकारी वर्ष के अन्तिम 3 माह में सहकारी ऋण की वसूली के अभियान में विभागीय अधिकारियों तथा कर्मचारियों के व्यस्त रहने के कारण चुनाव उक्त तिथि तक नहीं कराए जा सके।

श्री हृदय नरायन दीक्षित–

मान्यवर, मैंने सवाल दूसरा किया था और माननीय मंत्री जी ने जवाब दूसरा दिया है। मैं जानना चाहता हूं कि चुनाव कितनी बार स्थगित किए गये, मंत्री जी कह रहे हैं 30 जून तक चुनाव कराने की घोषणा की गई थी। मंत्री जी कृपया यह बताने का कष्ट करें कि चुनाव कितनी बार स्थगित किए गये? चुनाव के नाम पर जमानत के रूप में कितनी धनराशि जमा की गई और उसका उपयोग कितनी बार किया गया?

श्री अरुण कुमार सिंह–

मान्यवर, समय-समय पर चुनाव की घोषणायें हुईं और चुनाव कराने का प्रयास किया गया।

(व्यवधान)

श्री शारदा प्रताप–

कितनी बार घोषणायें हुईं ?

श्री अरुण कुमार सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सम्मानित सदस्यों से कहना चाहूंगा कि प्रश्न का मुख्य बिन्दु जो होता है वह प्रश्न की भावना होती है। मान्यवर, इसके प्रश्नकर्ता दीक्षित जी के प्रश्न का जो मूल भाग है उसमें कहा है कि आश्वासन देने के बावजूद सरकार चुनाव क्यों नहीं करा सकी है। यही प्रश्न की मुख्य भावना है, मान्यवर, चुनाव की तीन चार बार घोषणा की गई।

(व्यवधान)

श्री विजय सिंह राणा–

संचय कितनी बार हुआ है?

श्री हृदय नरायन दीक्षित–

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि कितनी तारीखों में कितनी बार चुनाव स्थगित किए गये। जमानतों के रूप में जो धनराशि जमा की गई उसका क्या उपयोग हुआ?

श्री अरुण कुमार सिंह–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो चुनाव की तिथि जाननी चाही है उसकी सूचना मैं दे दूंगा वैसे चुनाव कराने को तीन-चार बार घोषणा की गई है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, इसको स्थगित करा दें?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप सब बैठें।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, सरकार पर मेरा आरोप है कि सदन के समय को बरबाद किया जा रहा है। एक छोटा सा सवाल है कि कितनी बार घोषणायें किन-किन तिथियों में की गयी हैं चुनाव की। इतने सवाल का जवाब आप नहीं दिलवा रहे हैं तो कैसे काम चलेगा? केवल इतना सा सवाल कि कितनी बार किन किन तिथियों में घोषणायें की गयी हैं इतने का उत्तर यहां

देने में क्या मजबूरी है, क्यों नहीं देना चाहते हैं?

श्री अध्यक्ष–

मंत्री जी आपके पास सूचना हो तो दे दीजिए।

श्री अरुण कुमार सिंह–

मान्यवर, जैसा कि माननीय नेता विरोधी दल ने जिज्ञासा व्यक्त की है, हमने निवेदन किया है कि 5-6 मरतबे घोषणाएं हुई हैं। अब तिथि मेरे पास नहीं है। इसके साथ-साथ जो भी धन उसमें एकत्र हुआ है तो 2-3 मरतबे चुनाव प्रक्रिया शुरू की गयी लेकिन किन्हीं अपरिहार्य कारणों की वजह से प्रक्रिया स्थगित करनी पड़ी। इसमें जो धन आया था उसी में वह किया गया।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, 5 या 6 बार में कौन-कौन सी तिथि है पहले इतने सवाल का जवाब दे दें?

श्री अरुण कुमार सिंह–

मुझे जानकारी जो इस समय है मान्यवर, उसी लिहाज से मैंने कहा 5-6 बार।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं समझता हूं कि अबकी माननीय मंत्री जी घोषणा करेंगे तो चुनाव हो ही जायेंगे।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर से एक बात स्पष्ट हो गयी। मान्यवर, आज तक हम इस सदन से इस बात से पीड़ित थे कि किसी सवाल का जवाब किसी विभाग से सही नहीं आता है और वही माननीय मंत्री जी को लिखकर दे दिया जाता है और उसी से यह समझते हैं कि टरक जायेंगे, बैठ जायेंगे। मान्यवर, सीधा सा प्रश्न यह किया गया है कि कितनी बार चुनाव स्थगित किया गया है, कौन-कौन सी तिथियों में घोषणाएं की गयी हैं और कितनी रकम जमा करायी गयी तथा उसका हिसाब क्या है? मान्यवर, यह प्रश्न पूंछा गया और विभाग से जो उत्तर आया है उसमें सारे तथ्यों का जवाब ही नहीं है तो हमारा प्रश्न करना ही बेकार है। इस लिए मान्यवर, मैं आपसे व्यवस्था चाहता हूं कि आप इस पर सुनिश्चित व्यवस्था दें कि प्रश्न का उत्तर क्या होना चाहिए?

श्री अरूण कुमार सिंह–

मान्यवर, मैंने पहले भी निवेदन किया और अब भी कर रहा हूं कि तिथि हमारे पास नहीं है।

(व्यवधान के मध्य)

श्री मैनेजर सिंह–

मान्यवर, इसे आप ही नहीं समझ रहे हैं तो मंत्री जी क्या समझेंगे?

श्री अरूण कुमार सिंह–

मान्यवर, जैसा माननीय नेता विरोधी दल ने पूंछा तो मैंने 5-6 मरतबे बताया। तिथि इस समय उपलब्ध नहीं है तिथि की जानकारी सदन को करा दी जायेगी। जैसा आपने इंगित किया है मान्यवर, अक्तूबर से चुनाव की प्रक्रिया शुरू कराने के लिए आदेश निबन्धक सहकारी समितियों को दे दिये गये हैं।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, मैं व्यवस्था चाहता हूं?

श्री अध्यक्ष–

उन्होंने कहा है कि अक्तूबर से चुनाव प्रक्रिया शुरू करने के आदेश दे दिये हैं।

(व्यवधान)

श्री शारदा प्रताप–

मान्यवर, जो धन जमा कराया गया, उसका क्या हुआ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री हृदय नरायन दीक्षित–

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि चुनाव की प्रक्रिया कई बार शुरू हुई और लोगों ने धनराशि जमा की, तो क्या उस रुपये को समायोजित करा देंगे या वापस करा देंगे?

श्री अरुण कुमार सिंह–

एसा कोई प्राविधान नहीं है।

श्री राम आसरे वर्मा–

माननीय मंत्री ने कहा है कि पैसा वापस नहीं . . .

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप सन्तुष्ट नहीं हैं तो किसी नियम के तहत ले आयें। नियमों के अन्दर चलिये।

श्री राम सरन–

मेरा निवेदन यह है कि कई बार चुनाव की घोषणा की गई और प्रत्याशियों ने पैसा जमा किया। उसके बाद चुनाव स्थगित कर दिया गया। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि कितनी बार यह सरकार डकैती डलवायेगी ? उस पैसे को क्यों नहीं उपयोग में लाया जा रहा है?

श्री अरुण कुमार सिंह–

मान्यवर, मैंने पहले ही कहा कि चुनाव की प्रक्रिया शुरू की गई और अपरिहार्य कारणों से उसे स्थगित करना पड़ा । जो धनराशि जमा हुई थी उसका उपयोग चुनाव की प्रक्रिया में किया गया। एसा कोई प्राविधान नहीं है कि उसे वापस किया जाय।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, यह कोई उत्तर नहीं है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आप इस उत्तर से सन्तुष्ट हैं?

श्री अध्यक्ष–

मैंने आपसे कहा कि इसको दूसरे नियम में ले आयें।

[उत्तर प्रदेश विधान सभी की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

गढ़वाल तथा कुमायूं मण्डलों के हाईस्कूलों/ इन्टर कालेजों में अध्यापकों एवं प्रिंसिपलों के रिक्त पद

*1–डाक्टर शिवानन्द नौटियाल एवं

श्री पूरन सिंह माहरा–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गढ़वाल और कुमायूं मंडलों के प्राय: सभी राजकीय हाईस्कूलों और इण्टर कालेजों में एल0 टी ग्रेड से लेकर प्रिंसिपल ग्रेड तक के अध्यापक नहीं हैं जिनके अभाव में छात्र, छात्राओं की पढ़ाई में व्यवधान पड़ गया है? यदि हां, तो नवम्बर, 85 की समाप्ति तक भी अध्यापकों का चयन क्यों नहीं किया गया है जबकि मार्च में परीक्षाएं आरम्भ हो जायेंगी ?

श्री सिब्ते रजी–

यह सही है कि गढ़वाल तथा कुमायूं मण्डलों के राजकीय हाई स्कूलों/इण्टर कालेजों में अध्यापकों एवं प्रिंसिपलों के पद काफी संख्या में रिक्त हैं।

अध्यापकों के नियमित चयन हेतु लोक सेवा आयोग को अधियाचन भेजे जा चुके हैं। इन पदों पर तदर्थ नियुक्तियों/प्रोन्नतियों के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश हो जाने के कारण कार्यवाही अवरुद्ध रही।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल–

माननीय अध्यक्ष जी, कृपया प्रश्न को देखने की कृपा करें। प्रश्न 23-11-85 का है और यह स्थिति 85 में थी। मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जैसा उन्होंने अपने उत्तर में स्वीकार किया है कि अध्यापकों की, प्रिन्सिपल तथा लेक्चरर्स की

बहुत बड़ी कमी थी और यह भी स्वीकार किया है कि कुछ कोर्ट के कारण व्यवधान हुआ है। तो मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि आज भी पर्वतीय अंचल में सभी विद्यालयों में अध्यापकों की नितान्त कमी है, इस कमी को दूर करने हेतु क्या व्यवस्था की गई है?

श्री सिब्ते रजी–

माननीय सदस्य ने खुद फर्माया की नवम्बर, 85 से उनका प्रश्न सम्बन्धित था। मैं सम्प्रति की स्थिति को प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। मान्यवर, इस समय प्रधानाचार्य, राजकीय इण्टर कालेज (बालक) के कुल स्वीकृत 269 पदों में से 95 रिक्त हैं। प्रधानाचार्य, राजकीय इण्टर कालेज (बालिका) के कुल स्वीकृत 31 पदों में से सब भरे हैं। प्रधानाध्यापक, रा0उ0मा0वि0 (बालक) के कुल स्वीकृत 265 पदों में से 199 रिक्त हैं। प्रधानाध्यापिका, रा0उ0मा0 क0वि0 (बालिका) के कुल स्वीकृत 46 पदों में से 24 रिक्त हैं। प्रवक्ता (पुरुष) के कुल स्वीकृत 2109 पदों में से 405 रिक्त हैं। प्रवक्ता (महिला) के कुल स्वीकृत 312 पदों में से 46 रिक्त हैं और स्नातक (पुरुष) के 3606 स्वीकृत पदों में से 314 रिक्त हैं। स्नातक (महिला) के कुल स्वीकृत 594 पदों में से 125 रिक्त हैं। इस प्रकार पिछले नवम्बर, 85 से अब स्थिति काफी बेहतर हो गयी है। शासन बराबर इस बात का प्रयास कर रहा है कि इसको कैसे और बेहतर बनाया जाय।

श्री पूरन सिंह माहरा–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आपने अपने उत्तर के दूसरे पैरे में लिखा है कि पदों की पूर्ति के लिये लोक सेवा आयोग को अभिदाचन भेजा है। तो पर्वतीय अंचल में कुल ऐसे कितने पद हैं जिनके लिये लोक सेवा आयोग को अभियाचन भेजा जा चुका है, यह बताने का कष्ट करें। दूसरी बात यह बताने का कष्ट करें कि जब लोक सेवा आयोग से पिछले 10 वर्षों से यही स्थिति बनी हुई है तो क्या शिक्षा विभाग अपना कोई आयोग बनाकर शिक्षकों की नियुक्ति करके बाद में उसकी पुष्टि लोक सेवा आयोग से कराएगा, ताकि विद्यार्थियों का नुकसान न हो?

श्री सिब्ते रजी–

मान्यवर, जैसा अभी मा0 सदस्य ने कहा, कुछ कारणोंवश लोक सेवा आयोग से काफी समय बाद लोग चयनित होकर आ पाते हैं, जिसके कारण स्थिति अच्छी नहीं रहती। सम्प्रति यह प्रयास किया जा रहा है कि कुछ लोगों को अंशकालिक स्वयंसेवी के रूप में कार्य करने को रख लिया जाय ताकि फिलहाल स्थिति से निपटा जा सके। जैसे ही लोक सेवा आयोग से चयन हो जायगा, इनके स्थान पर उनको नियुक्त कर दिया जायगा।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल–

मान्यवर, मा0 मंत्री जी ने अपने उत्तर में स्वयं स्वीकार किया है कि बहुत प्रयत्न करने के बाद भी अभी तक पर्वतीय अंचल के विद्यालयों में अध्यापक नहीं पहुंचे हैं। यदि मंत्री जी अंशकालिक अध्यापकों की व्यवस्था कर रहे हैं तो वे बधाई के पात्र हैं, परन्तु मेरा प्रश्न यह है कि जिन अध्यापकों को आपने पर्वतीय अंचल के विद्यालयों में भेजा है, क्या उनकी नियुक्ति केवल कागजों में ही की है, क्योंकि जब वास्तव में अध्यापक यहां पहुंचे ही नहीं तो कागजों में ही की है, क्योंकि जब वास्तव में अध्यापक वहां पहुंचे ही नहीं तो रिक्तियां तो यथावत् ही रह गयी। तो

इस प्रकार की नियुक्ति करने का क्या औचित्य है ? क्या आप इसका परीक्षण करायेंगे कि कितने अध्यापक वहां पहुंचे और कितने नहीं?

श्री सिब्ते रजी–

यह दिखा लिया जायगा कि कहां कहां अध्यापक नहीं पहुंचे और नहीं पहुंचे तो क्यों नहीं पहुंचे ।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जैसा कि मा0 मंत्री जी को ज्ञात होगा कि पिछले साल अगस्त 85 में मामला न्यायालय से से खारिज हो गया था, तबसे एक साल पूरा हो गया, अभी तक पर्वतीय अंचल में तदर्थ नियुक्तियां और पदोन्नतियां भी पूरी नहीं हुई हैं। इसलिये मैं यह जानना चाहता हूं कि एक साल का जो अंतराल मिला, उस एक साल के भीतर आपने कितने पद प्रोन्नति से भरे हैं ? दूसरे, प्रोन्नति से भरने के बाद अभी भी कितने पद रिक्त पड़े हैं ? मान्यवर, मैं यह कह सकता हूं कि सम्प्रति अध्यापकों की नियुक्तियां डेली बेसेज पर हो रही है, यह स्थिति आयी क्यों, इस स्थिति को टाला जा सकता है यदि पूरी तरह से प्रोन्नति के कोटे द्वारा पदों को भर दिया जाय ।

श्री सिब्ते रजी–

मान्यवर, प्रधानाचार्य (पुरुष) की चयन प्रक्रिया शत-प्रतिशत अधीनस्थ अधिकारियों की प्रोन्नति के द्वारा हुआ करती है। पिछली बार सन् 1970 में यह विभागीय चयन हुआ था उसके बाद स्रोत संवर्ग में अर्ह अधिकारी उपलब्ध न होने के कारण नियमित विभागीय चयन नहीं कराया जा सका । नोशनल ज्येष्ठता के आधार पर तदर्थ प्रोन्नतियां की जा रही हैं। जून, 1986 में तदर्थ प्रोन्नतियों से 70 प्रधानाचार्यों के पद भरे गये हैं पर्वतीय क्षेत्र में। जो पद रिक्त हैं, उसमें तदर्थ प्रोन्नतियों के द्वारा भरे जाने की कार्यवाही की जा रही है।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

पर्वतीय क्षेत्र में अध्यापकों की कमी हो जाना स्वाभाविक है। एक साल, दो साल की सेवा के बाद लोग अपना स्थानान्तरण कराकर मैदान में आ जाते हैं। किसी प्रकार की कमी पर्वतीय क्षेत्र में न उत्पन्न हो, इसको ध्यान में रखते हुए क्या पर्वतीय क्षेत्र का अलग कैडर बनाने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा ?

श्री सिब्ते रजी–

मान्यवर, सम्प्रति पर्वतीय और मैदानी संवर्ग पहले से बने हुए हैं किन्तु कुछ मामले न्यायालय में जाने के कारण कुछ विवाद खड़े हो गये ।

जनपद आगरा के विकास क्षेत्र फिरोजाबाद की ग्राम सभाओं में निर्बल वर्ग के लोगों को ऋण वितरण

*2–श्री रघुबर दयाल वर्मा–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद आगरा के विकास क्षेत्र फिरोजाबाद के ग्राम दीदामई, रसूलपुर (नेगला बरी) की ग्राम सभाओं में कालीन बनाने, पान की दुकान, लकड़ी की टाल, चूने की दुकान आदि के नाम निर्बल वर्ग के लोगों का वर्ष 1983 में ऋण दिया गया ? यदि हां, तो क्या जिस यूनिट के लिए अनुदान ऋण दिया गया वे गांव में लगे हैं ? यदि नहीं, तो क्या शासन को शिकायत मिली कि ये लोग इन ग्राम सभाओं के मूल निवासी

नहीं थे और न आज जमीन पर ही इन नामों से जिन्दा हैं ? यदि हां, तो सरकार ने अब तक इन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों?

ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज्य मंत्री (श्री श्याम सूरत उपाध्याय)–

जी हां ।

लाभान्वित 22 परिवारों में से 13 परिवारों के पास परिसम्पत्तियां उपलब्ध हैं, 5 परिवारों ने परिसम्पत्तियां बेच दी हैं और कारोबार बन्द कर दिये हैं 4 लाभार्थियों ने पुरानी परिसम्पत्तियों को बदल कर दूसरी परिसम्पत्ति क्रय कर ली है, अथवा नया कारोबार प्रारम्भ कर दिया है।

नवीन व्यवस्था के अनुसार लाभार्थी से एक बाण्ड भराया जाता है, जिसके माध्यम से अनुदान दुरुपयोग करने पर लाभार्थी से विधिक रूप में वसूली करने का प्राविधान है।

जी हां ।

उप विकास आयुक्त द्वारा की गई जांच में किसी फर्जी व्यक्ति को ऋण दिया जाना नहीं पाया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

मान्यवर, जिन 22 लाभार्थियों के नाम यह अनुदान ऋण आवंटित किया गया है, इसमें से 9 ऐसे हैं, जिनके बारे में आपने स्वीकार किया है कि इन्होंने अपना काम बन्द कर दिया, अनुदान से ली गयी यूनिट दूसरों को बेच दी । मैं कहना चाहता हूं कि न तो इन्होंने उसे बेचा है, न कोई उन्होंने दूसरा कोई कारोबार शुरू किया है। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि न ही इस नाम के लोग उस ग्रामसभा में रहते हैं, न कभी रहते थे । भू0पू0 मुख्य विकास अधिकारी श्री राजेन्द्र सिंह, जो भू0पू0 ग्राम्य विकास मंत्री श्री बलराम सिंह यादव जी के रिश्तेदार हैं, उन्होंने इस प्रकार के फर्जी ढंग से अनुदान/ऋण दिलवाये। मैंने इसकी जांच की मांग की थी। इसकी जांच एस0 डी0 एम0 फिरोजाबाद ने की थी और उन्होंने मेरे आरोपों को सत्य पाया और अपनी रिपोर्ट जिलाधिकारी, आगरा को भेज दी थी। मैं यह जानना चाहता हूं कि परगनाधिकारी की वह रिपोर्ट क्या है, उसे यहां स्पष्ट करने की कृपा करें?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

मान्यवर, इसमें जांच उप विकास आयुक्त से करायी गयी थी और परगनाधिकारी से भी करायी गयी। परगनाधिकारी की रिपोर्ट बहुत बड़ी है। यदि आप कहें तो मैं पूरा पढ़ दूं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि यह तो यहां पर बसे हुए हैं और गांव के निवासी हैं। कोई दुरुपयोग की बात रिपोर्ट में नहीं कही गयी है। वैसे आपने कहा है मैं रिपोर्ट पढ़ दूं । कृपया अपने अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या 446/एल0 टी0 सी0, 13 अक्टूबर, 1983 का सन्दर्भ लें, जिसमें श्री रघुबर दयाल वर्मा द्वारा दी गयी सूचना के आधार पर आपने मुझ से प्रश्नगत शिकायत के सन्दर्भ में जांच कर के आख्या देने का निदेश दिया है। श्री रघुबर दयाल वर्मा ने अपनी शिकायत में तीन बिन्दु उठाये हैं जो निम्न प्रकार से हैं :– मान्यवर, तीन पेज की रिपोर्ट है समय ज्यादा लगेगा माननीय सदस्य मेरे कक्ष में आकर देख सकते हैं । अगर कोई बिन्दु ऐसा है जिस पर कार्यवाही न हुई हो तो उस पर हम

कार्यवाही करवायेंगे । उसके बाद भी अगर कोई बिन्दु चाहें तो हम जांच करवा लेंगे ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

मान्यवर, मैंने जो आवेदन पत्र कमिश्नर आगरा और जिलाधिकारी, आगरा को प्रेषित किया था उसके साथ एक सूची भी दे दी थी जिसमें दीदामई के बयालिस लोगों व नेगलाबरी के 38 लोगों के नाम थे। इन दोनों सूचियों में जांचोपरान्त मेरे आरोप सिद्ध पाये गये। उसमें वर्णित जितने लोग थे न वह उस गांव सभा के हैं, न ही उस गांव में रहते हैं। क्या माननीय मंत्री जी मेरी उन दो सूचियों और आवेदन पत्र को आधार मानकर क्या इस मामले की पुनः जांच करायेंगे ताकि सत्यता का पता चल जाये ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

मान्यवर, जांच रिपोर्ट स्पष्ट है । 1983 का यह प्रश्न है। जिन लोगों को कर्जा दिया गया वह 22 व्यक्ति हैं। यह हमने अपने मूल उत्तर में भी लिखा है । पांच लोगों ने दुरुपयोग किया। उसमें से तीन व्यक्तियों से पूरी वसूली की जा चुकी है। दो व्यक्तियों पर वसूली की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने कुछ धन जमा कर दिया है और कुछ वसूल करना शेष है। कुछ ने अपना व्यवसाय बदल कर अपना दूसरा व्यवसाय शुरू कर दिया है ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से पुनः माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि जिन नौ आदमियों का हवाला दिया गया उनके खिलाफ क्या विधिक कार्यवाही की गयी। कोई भी किसी भी आदमी को ऋण या अनुदान देकर उसे बेचने का अधिकार नहीं है। दूसरा, न ही अपने व्यवसाय को तब तक चेंज कर सकता है जब तक कि मुख्य विकास अधिकारी से उसकी परमीशन न मिल जाये । उससे पहले वह व्यवसाय चेंज नहीं कर सकता है। आज तक इस सम्बन्ध में जो विधिक प्रक्रिया में विलम्ब हुआ है और जो इससे सम्बन्धित अधिकारी हैं उनके खिलाफ आप क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

मान्यवर, अधिकारी का कोई दोष नहीं है। यदि कोई लाभार्थी कर्जा लेकर अपना व्यवसाय बदल दे तो इसमें लाभार्थी का ही दोष है न कि अधिकारी का । 1983 में जैसा कि यह प्रश्न किया गया है उस समय ऐसा कोई प्राविधान या कानून नहीं था कि लाभार्थी के खिलाफ कोई कार्यवाही की जाये। अब हमने इस वर्ष से बाण्ड व्यवस्था चालू किया है, बाण्ड भरायेंगे और यह प्रतिबन्ध रहेगा कि 3 वर्ष तक परिसम्पत्ति बेच नहीं सकते, दुरुपयोग नहीं कर सकते । अगर अब दुरुपयोग करेंगे तो पूरे ऋण की वसूली होगी, अनुदान की भी वसूली होगी, लेकिन इससे पहले अगर किसी ने बेच दिया है, कुछ अन्य कार्य किया है, तो कानूनी कार्यवाही करने का प्राविधान नहीं था। इसलिए जिन 5 लोगों ने कारोबार बन्द कर दिया है, उनसे वसूली की जा रही है, कानूनी कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं है।

(श्री अध्यक्ष द्वारा "तारांकित प्रश्न संख्या-3" पुकारे जाने पर)

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

इन 5 आदमियों में से एक भी आदमी नहीं है, न जिन्दा न मुर्दा, इसीलिये मैं कह रहा हूं कि जांच करा लें।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी ने स्थिति बता तो दी है।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

जब कोई आदमी ही नहीं है तो जांच कराने में क्या आपत्ति है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

उप विकास आयुक्त की रिपोर्ट है कि आदमी है, हाकिम परगना की रिपोर्ट है कि आदमी है, तहसीलदार की रिपोर्ट है कि फिरोजाबाद टाउन से सटा हुआ गांव का मजरा है। तीन-तीन अधिकारियों की रिपोर्ट है, कहीं नहीं कहा गया है कि आदमी गांव में मौजूद नहीं है। इसमें पुनः जांच की आवश्यकता नहीं है । फिर भी मैं कह रहा हूं कि वह मेरे कक्ष में आ जायं, पूरी रिपोर्ट दिखा दूंगा । किसी और बिन्दु पर आवश्यकता होगी तो जांच करा लेंगे ।

बस्ती जिले के जनता पूर्व माध्यमिक विद्यालय मौर को स्थायी मान्यता देने का औचित्य

*3–श्री धनराज यादव (अनुपस्थित)–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले के जनता पूर्व माध्यमिक विद्यालय मौर को शिक्षा सत्र 85-86 में स्थायी मान्यता दे दी गयी है ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि मौर गांव जिसकी आबादी 585 है, में एक विद्यालय जिसका नाम श्री सत्य नारायण पूर्व माध्यमिक विद्यालय तिपरा मौर है जो जुलाई, 79 से संचालित है और स्थायी मान्यता प्राप्त है और दोनों विद्यालयों की बीच की दूरी में केवल 45 मीटर का अन्तर है ? यदि हां, तो नियमतः जनता पूर्व माध्यमिक विद्यालय की मान्यता का क्या औचित्य है ?

शिक्षा राज्य मंत्री (श्री संकठा प्रसाद शास्त्री)–

जी हां ।

जी हां ।

उक्त ग्राम की 5 कि0मी0 चतुर्दिक क्षेत्र की जनसंख्या 19551 होने, तथा क्षेत्रीय जनता की मांग पर शिक्षा के हित में स्थायी मान्यता के प्रतिबन्धों की पूर्ति कर लेने के आधार पर जनता पूर्व माध्यमिक विद्यालय की मान्यता स्वीकार की गयी।

किसान उ0 मा0 विद्यालय पकड़ी भोजपुर, जनपद फैजाबाद को नवीं कक्षा संचालन हेतु मान्यता

*4–श्री बेनी प्रसाद वर्मा (अनुपस्थित)–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि किसान उ0 मा0 विद्यालय पकड़ी भोजपुर जनपद फैजाबाद को हाईस्कूल साहित्यिक वर्गान्तर्गत नवीन मान्यता के फलस्वरूप नवीं कक्षा संचालन हेतु विभाग द्वारा दि0 18-6-84 को जब अनुमति प्रदान की गयी तो समिति का रजिस्ट्रेशन, नवीनीकरण हुआ था ? यदि नहीं, तो उक्त संस्था के प्रबन्धाधिकरण को किन परिस्थितियों में मान्य माना गया था?

श्री सिब्ते रजी–

जी नहीं।

जिला विद्यालय निरीक्षक, फैजाबाद द्वारा दिनांक 18-6-84 को जब नवीं कक्षा संचालन की अनुमति प्रदान की गयी तो किसी भी प्रबन्धाधिकरण को मान्यता नहीं दी गयी थी। जूनियर हाईस्कूल स्तर से चले आ रहे प्रबन्धक श्री राम लखन वर्मा को प्रबन्धक मानकर पत्र व्यवहार हो रहा था।

संस्था के रजिस्ट्रेशन के नवीनीकरण की कार्यवाही चल रही है। समिति के सामान्य कार्यकलापों हेतु संस्था के प्रमाण-पत्र अद्यावधि नवीनीकरण अनिवार्य नहीं है।

आर0 एस0 के0 इण्टर कालेज, सिम्भावली, जनपद गाजियाबाद के सेवा निवृत्त प्रधानाचार्य श्री श्योराज सिंह के विरुद्ध गबन के आरोपों की जांच

*5–श्री कनक सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आर0 एस0 के0 इण्टर कालेज, सिंभावली, जनपद गाजियाबाद के सेवा निवृत्त प्रधानाचार्य श्री श्योराज सिंह के कार्यकाल में उक्त स्कूल में किये गये 11 लाख रुपये के गबन की जांच जिला विद्यालय निरीक्षक, गाजियाबाद द्वारा वर्ष 1984 में की गई थी तथा जांच आख्या उप सचिव, उ0 प्र0 शासन शिक्षा अनुभाग-16 को पत्रांक 11692-94 दिनांक 6-11-84 एवं दूसरी जांच रिपोर्ट पत्रांक 12805 दिनांक 13-12-84 को भेजी गयी थी ? यदि हां, तो अब तक उक्त जांच रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी–

जांच की गयी तथा जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा जांच आख्या भेजी गयी उसमें अनधिकृत रूप से रु0 4,35,118.75 की धनराशि की वसूली की तथा कतिपय अन्य वित्तीय अनियमितताओं का उल्लेख था। जांचाख्या में की गई संस्तुतियों के आधार पर निम्न कार्यवाही की गई:–

(1) 13-2-86 को थाना सिम्भावली में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध एफ0 आई0 आर0 दर्ज करायी जा चुकी है।

(2) जांच कार्यवाही पूर्ण होने तक श्री श्योराज सिंह, सेवा निवृत्त प्रधानाचार्य के जी0 पी0 एफ0, पेंशन आदि के भुगतान एवं उनको अदेय प्रमाण पत्र दिये जाने पर रोक लगा दी गई है।

(3) निदेशालय की आडिट पार्टी द्वारा इस संस्था के अभिलेखों का मार्च, 86 में स्पेशल आडिट कराया जा चुका है।

श्री कनक सिंह–

यह 11 लाख रु0 के गबन की रिपोर्ट शासन को वर्ष 1983 में प्राप्त हुई, 4 साल तक कोई कार्यवाही इस पर नहीं हुई। जब मैंने प्रश्न उठाया तो इस पर कार्यवाही हुई और अब केवल 4 लाख रुपये की एफ0 आई0 आर0 लाज हुई है प्रधानाचार्य के खिलाफ । उसको भी 6-7 महीने हो गये । एक आडिट पार्टी भी गयी है, उसको भी काफी समय हो गया। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि 4 साल तक इस गबन की रिपोर्ट को जिन अधिकारियों ने दबाये रखा, उनके खिलाफ आपने क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों और आगे क्या कार्यवाही करेंगे ? दूसरी बात, जो आडिट पार्टी के द्वारा जांच हुई है, उसकी जांच रिपोर्ट क्या है ?

श्री सिब्ते रजी–

मान्यवर, यह बात सही नहीं है कि कार्यवाही नहीं की गई । जिला विद्यालय निरीक्षक ने जो प्रथम सूचना नियमित रूप से दी है उसमें उन्होंने यह भी कहा है कि स्पेशल आडिट इसका होना चाहिए। तो स्पेशल आडिट 25-3-86 से 25-4-86 तक किया गया । इसमें ऐसी आय जो कि गलत ढंग से वसूल की गई और गलत तरीके से खर्च की गई है, भवन आदि बनवाने में, किन्तु इसके लिए हमने स्वी-

कृति नहीं दी है । अब इसीलिए वहां 6-4-85 से प्रबन्ध संचालक की नियुक्ति कर दी गई है और अब वहां ठीक प्रकार से कार्यवाही चल रही है ।

श्री कनक सिंह–

जिला विद्यालय निरीक्षक की गबन की रिपोर्ट शासन को कब प्राप्त हुई ?

श्री सिब्ते रजी–

इसमें अनधिकृत रूप से रु0 4,35118.75 की बात की गई है । यह पैसा अनियमित ढंग से वसूल किया गया और गलत ढंग से खर्चा किया गया है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

जो एफ0 आई0 आर0 लिखाई गई उसमें कौन-कौन व्यक्ति नामित हैं और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है और उस कार्यवाही की क्या प्रगति है?

श्री सिब्ते रजी–

विद्यालय में छात्रों के अतिरिक्त श्री राजसिंह प्रबन्धक के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मेरा प्रश्न क्या था और उत्तर मंत्री जी कुछ और दे रहे हैं । जो प्रश्न किया जाता है यदि उसका उत्तर सही-सही आ जाय तो शायद अन्य लोगों को पूरक प्रश्न करने ही न पड़े । मैंने पूछा था कि एफ0 आई0 आर0 में कौन-कौन व्यक्ति नामित थे ?

श्री अध्यक्ष–

मैंने मैनेजर सिंह जी को बुला लिया है ।

श्री मैनेजर सिंह–

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि 1982 में यह रिपोर्ट आई और दूसरी रिपोर्ट 1984 में आई और इस पर कार्यवाही 1986 में की गई । तो रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद चार साल तक विभाग में किस अधिकारी ने इसे डाले रखा और इस पर कार्यवाही नहीं की ताकि वह व्यक्ति रिटायर हो जाय तब उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री सिब्ते रजी–

उसको रोके रखने का कोई मन्तव्य नहीं था । यदि इसमें ऐसी कोई बात सामने आती तो जरूर दायित्व निर्धारण कर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जायगी ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

जिनके खिलाफ एफ0 आई0 आर0 हुई तो क्या वे जेल भेजे गए या उनके विरुद्ध चार्जशीट वगैरह हुई कि नहीं ?

श्री सिब्ते रजी–

एफ0 आई0 आर0 13 फरवरी, 1986 को की गई । इसकी प्रगति रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है । प्राप्त होने पर माननीय सदस्य को सूचित कर लिया जायेगा ।

[सोमवार, दिनांक 1 सितम्बर, 1986 हेतु निर्धारित तारांकित प्रश्न]

अन्तर्देशीय जल परिवहन को संचालित करने हेतु सातवीं पंचवर्षीय योजना में स्वीकृत धनराशि

*1–श्री रघुबर दयाल वर्मा–

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश की बड़ी नदियां जो बड़े और औद्योगिक नगरों एवं कस्बों से प्रदेश में गुजरती हैं, में अन्तर्देशीय जब परिवहन को संचालित करने हेतु सातवीं योजना में क्या धन स्वीकृत हुआ है ? यदि हां, तो जल परिवहन को जमुना, गंगा, घाघरा व गोमती आदि नदियों में आरम्भ न करने का कारण क्या है ? शासन को अपने अंश धन के अतिरिक्त केन्द्रीय

सरकार से अंश धन न मिलने का क्या कारण है ?

परिवहन मंत्री (डाक्टर संजय सिंह)–

सातवीं पंचवर्षीय योजना में गंगा नदी के सहायक जल मार्गों के विकास के उद्देश्य से जल स्तरीय सर्वेक्षण (हाइड्रोग्राफिक सर्वे) और व्यवहारिता अध्ययन (फीजिबिलिटी स्टडी) के लिए एक करोड़ रुपए का योजना परिव्यय आबंटित किया गया है । इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश सरकार द्वारा किए गए व्यय के बराबर केन्द्रीय अंशदान ऋण अनुदान के रूप में मिलता है । गंगा नदी में राष्ट्रीय जल मार्ग पर इलाहाबाद से बलिया के बीच अन्तर्देशीय जल परिवहन हेतु टरमिनल्स की स्थापना के लिए यू0 पी0 डैस्को द्वारा रिपोर्ट तैयार कराई गई है और उस पर भारत सरकार की सहमति प्राप्त की जा रही है । प्रदेश में अन्तर्देशीय जल परिवहन कार्य के लिए परिवहन आयुक्त, उ0 प्र0 के अधीन एक कोष्ठक की स्थापना का निर्णय लिया गया है, जिसमें एक अपर परिवहन आयुक्त (जल-परिवहन) और उनकी सहायता के लिए कार्यालय कर्मचारी वर्ग (स्टाफ) होगा । अन्तर्देशीय जल परिवहन के लिए उपयुक्त ढांचा तैयार हो जाने पर योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु केन्द्रीय सरकार से ऋण प्राप्त होगा ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने गत अधिवेशन के दौरान सातवीं पंचवर्षीय योजना का हवाला देते हुए सदन में घोषणा की थी कि राज्य सड़क परिवहन पर भारी बोझ के दबाव को देखते हुए नदी जल स्तर का सर्वेक्षण कराकर अन्तर्देशीय जल परिवहन संचालित करेंगे आपने पिछले सत्र में यह कहा था । तो आपके उत्तर ने अब तीन बिन्दु उठाकर रख दिए हैं । आप कहते हैं कि अन्तर्देशीय जल परिवहन के संचालन के लिए भारत सरकार की सहमति प्राप्त करेंगे । उसके लिए एक करोड़ रुपए का प्राविधान हो गया है, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या एक करोड़ के प्राविधान की फिजिबिल्टी स्टडी रिपोर्ट प्राप्त की गई है और उस रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार से इसको चलाने के लिए कब तक सहमति प्राप्त कर ली जायेगी ?

डाक्टर संजय सिंह–

मान्यवर, जहां तक फिजिबिल्टी रिपोर्ट का सम्बन्ध है, वह तैयार हो गई है और उसको सबमिट कर दिया गया है। जो इस संबंध में विलम्ब हुआ है, इसका कारण यह है कि इसमें दिक्कत थी कि अभी तक हमारे पास कोई विशेषज्ञ नहीं था । वह स्कीम सबमिट हो गई है । जो स्कीम है, उसके लिए भारत सरकार से उसकी सहमति प्राप्त करने की व्यवस्था की जा रही है । जहां तक और प्रश्न हैं, जो माननीय सदस्य ने किए हैं कि केन्द्रीय सरकार से ऋण क्यों नहीं लिया गया, तो मैं बताना चाहता हूं कि जब यह चालू होगी तो वह उनसे ले लिया जायेगा । अभी मांगा ही नहीं गया है और भी नदियों में व्यवस्था की जाने का जहां तक प्रश्न है, तो जब प्रथम चरण में फरक्का से इलाहाबाद तक की स्कीम का कार्यान्वयन हो जायेगा तो अन्य छोटी-छोटी नदियों में भी व्यवस्था की जायेगी ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि अन्तर्देशीय जल परिवहन के लिए ढांचा तैयार हो जाने पर योजना के कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय सरकार को ऋण के लिए प्रेषित की जायेगी, तो मैं जानना चाहता हूं कि यह ढांचा कब तक और किस समय

तक तैयार हो जायेगा और कब से प्रारम्भ कर दिया जायेगा, माननीय मंत्री जी इसका स्पष्ट उल्लेख कर दें ?

डाक्टर संजय सिंह–

मान्यवर, अभी तक यह कार्य पी0 डब्लू0 डी0 के अन्तर्गत होता था और अब यह परिवहन निगम के अन्तर्गत आया है। इसका ढांचा तैयार हो गया है, लेकिन घोषणा इसलिए नहीं की जा सकी है कि इसमें थोड़ी कमी है । इस बारे में मैं शीघ्र माननीय विधायक को जानकारी दे दूंगा ।

श्री मैनेजर सिंह–

जल परिवहन की जो योजना है कलकत्ता, पटना और इलाहाबाद तक, तो क्या इसमें बलिया को भी सम्मिलित किया गया है ।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री विजय सिंह राणा–

जिस नदी में पानी नहीं है, उसमें संचालन व्यवस्था कैसे करेंगे ?

डाक्टर संजय सिंह–

राणा जी को मालूम होगा कि जहां पर पानी होगा वहीं पर बोट्स चलेंगी ।

लखनऊ के चारों ओर परिवहन निगम की सिटी बसों को चलाने का प्रस्ताव

*2–श्री शारदा प्रताप–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन की घोषित नीति के अनुसार लखनऊ के चारों ओर 20 वर्ग मील में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की सिटी बसें चला दी गई हैं ? यदि हां, तो क्या यह बसें बन्थरा, गुडघुरीका तालाब, सकरा, मोहनलालगंज, गोसाईंगंज, माती, चन्दावली, काकोरी, इटौंजा, चिनहट तथा बेहटा आदि लखनऊ के 20 वर्ग मील में आने वाले स्थानों पर पहुंचने लगी हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या निकट भविष्य में ऐसी सेवाएं जनता को उपलब्ध कराए जाने की कोई योजना है ? यदि हां, तो कितनी सेवाएं स्वीकृत हैं ?

डाक्टर संजय सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

गुडघुरी का तालाब, सकरा, चन्द्रावल तथा काकोरी अराष्ट्रीयकृत मार्गों पर स्थित है । बन्थरा, मोहनलालगंज, गोसाईंगंज, माती, इटौंजा, चिनहट तथा बेहटा के लिए पर्याप्त ग्रामीण बस सेवाएं उपलब्ध हैं, तथा ये स्थान लखनऊ नगर परिधि के बाहर होने के कारण नगर बसें चलाना सम्भव नहीं है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री शारदा प्रताप–

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उन्होंने जिन अराष्ट्रीयकृत मार्गों का हवाला दिया है, मेरी निश्चित जानकारी है और माननीय मंत्री जी को भी मालूम होगा कि कानपुर रोड पर स्कूटर इंडिया तक की सिटी बस को बंथरा तक और आलमनगर तक की सिटी बस को बुद्धेश्वर मंदिर तक, जेल रोड नहर कालोनी की बस को चन्द्रावल चौराहे तक और रायबरेली रोड पर पी0 जी0 आई0 तक की सिटी बस को मोहनलाल गंज तक बढ़ाने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर संजय सिंह–

मान्यवर, इस संबंध में माननीय विधायक से मेरी मौखिक वार्ता भी हुई है । अभी तक जो हमारी व्यवस्था है और जो सीधी परिधि में हमारी बसें चलती हैं उसके किराये के बारे में भी हमारी उनसे बात हुई थी । हमने 20 किलोमीटर उसमें और बढ़ाया था जो सीधी परिधि में आती

है । हमारी जो भी नगर बसें चलती हैं और जो व्यवस्था हो सकती है वह हो रही है । अब हम जो योजना बना रहे हैं, जो बसें बढ़ायी है उनपर विचार हो रहा है और मैं समझता हूं कि उससे माननीय सदस्य की इच्छा की पूर्ति होगी ।

श्री शारदा प्रताप–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं क्योंकि वे जनता के बड़े ही हमदर्द हैं और काफी बसें चला चुके हैं। हमारे क्षेत्र में जो बिलकुल शहर से सटा हुआ इलाका है उसके संबंध में जानना चाहता हूं कि केसरबाग से चारबाग होते हुये वन्द्रावल और चारबाग से हरोनो मोहान तक जो बसें चलती थीं, क्या माननीय मंत्री जी पुनः जनता के हित में उन बसों को चलायेंगे ?

डाक्टर संजय सिंह–

मान्यवर, जब व्यवस्था हो जायेगी तो अवश्य ही माननीय सदस्य की इच्छा की पूर्ति हो जायेगी ।

स्वर्गीय श्री सुमन प्रसाद गुप्ता, सहायक अध्यापक प्रा0 पा0 मल्हीपुर के आश्रितों को नौकरी दिये जाने से संबंधित प्रार्थना पत्र

*3–श्री कनक सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री सुमन प्रसाद गुप्ता, सहायक अध्यापक, प्रा0 पा0 मल्हीपुर (सहारनपुर) की मृत्यु सेवाकाल में ही दिनांक 14-7-83 को हो गयी ? क्या यह भी सही है कि श्री सुमन प्रसाद गुप्ता की बेवा श्रीमती सुमिता रानी बंसल ने स्वयं को अथवा उनके पुत्र को अपने स्व0 पति के स्थान पर नियमानुसार नौकरी दिये जाने हेतु प्रार्थना-पत्र उप सचिव, उ0 प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद् मेरठ को 21-9-83 तथा 26-9-83 को दिया था ? यदि हां, तो दो वर्ष के बाद भी उस पर कार्यवाही न होने का कारण क्या है और उसके लिए कौन उत्तरदायी है?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

जी हां ।

जी नहीं, उप सचिव, उ0 प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद्, मेरठ नाम का कोई पद बेसिक शिक्षा परिषद् में नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री कनक सिंह–

मान्यवर, प्रश्न बहुत साधारण है । सुमन प्रसाद गुप्ता एक सहायक अध्यापक थे । दो वर्ष पूर्व उनकी मृत्यु हो गई थी। उस समय उनकी बेवा ने बेसिक शिक्षा परिषद् को उनके स्थान पर नौकरी दिये जाने के बारे में एक प्रार्थना-पत्र दिया था, जैसा कि नियम भी है । माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि प्रश्न नहीं उठता हर बात के लिये कह देते हैं कि प्रश्न नहीं उठता । यह तो एक साधारण सी बात है । यदि डेजिग्नेशन गलत लिख दिया गया था तो उसको देख लिया जाता। मैं जानना चाहता हूं कि किस अधिकारी को उनका पत्र प्राप्त हुआ और यदि नहीं हुआ तो अब पुनः वह यह प्रार्थना-पत्र दें तो क्या आप उस पर कार्यवाही करेंगे?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

मान्यवर, इस तरीके का कोई पत्र बेसिक शिक्षा परिषद् इलाहाबाद में भी उपलब्ध नहीं है । जहांतक सेवा का अवसर दिये जाने का सवाल है यह मृतक का आश्रित उस समय तक इन्टरमीडिएट था और वहां पर लिपिक का कोई पद खाली नहीं था । इसलिये वह अवसर उन्हें नहीं दिया जा सका । दिनांक 16-7-86 को एक राजाज्ञा जारी की गई है जिसके अनुसार यदि कोई प्रशिक्षित न हो और

इन्टरमीडिएट हो तो उसको भी अध्यापकी में सेवा का अवसर दिया जा सकता है । उसकी सूची बना ली गई है जिसमें 37 लोग हैं और ये अनिल कुमार गुप्ता जो हैं, इनका 17वां नम्बर है । जैसे ही स्थान उपलब्ध होगा, इनको सेवा का अवसर दिया जायेगा ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

माननीय मंत्री जी ने कहा कि योग्यता के अनुसार प्राइमरी स्कूलों में जिन उत्तराधिकारियों को स्थान दिये जाने हैं उनमें 37 नाम बताये हैं। उसमें कितना समय लगेगा ?

(व्यवधान)

मैं भी चार साल से बस्ती के बारे में दौड़ लगा रहा हूं । क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि उसमें बस्ती जनपद के कितने लोग हैं ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

मान्यवर, यह सहारनपुर का मामला है, पूरे प्रदेश का मामला नहीं है ।

हरदोई, उन्नाव, कानपुर मार्ग पर राजकीय बसों के संचालन की व्यवस्था में विलम्ब

*4–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरदोई, उन्नाव, कानपुर मार्ग पर राजकीय बसों के संचालन की व्यवस्था में विलम्ब के क्या कारण हैं ? क्या यह सही है कि सुप्रीम कोर्ट में प्राइवेट बस मालिकों द्वारा दायर याचिका पर निर्णय होने के बाद भी अधिकारियों द्वारा उनसे साठ-गांठ कर राजकीय बसें न चलने देने का षडयंत्र किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्या इसकी जांच कराकर राजकीय बस संचालन की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे?

डाक्टर संजय सिंह–

प्रश्नगत मार्ग के हरदोई-उन्नाव भाग पर परिवहन निगम की बसों के संचालन हेतु उक्त मार्ग की राष्ट्रीकरण की योजना मोटर यान अधिनियम, 1939 की धारा 68 सी के अंतर्गत प्रस्तावित की गई थी, जिसके विरुद्ध प्राप्त आपत्तियों की सुनवाई श्रवणाधिकारी/संयुक्त विधि परामर्शी, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा की जा रही थी । परन्तु उक्त योजना के विरुद्ध दायर की गई रिट याचिका में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 8-8-86 को स्थगन आदेश पारित किया गया है जिसके फलस्वरूप आपत्तियों की सुनवाई की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है ।

उन्नाव-हरदोई मार्ग के लिए परिवहन निगम द्वारा परमिट हेतु आवेदित प्रार्थना पत्रों को सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया है ।परमिटों के अभाव में निगम की बसों का संचालन उन्नाव-हरदोई भाग पर करना संभव नहीं है ।

मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निजी बस मालिकों की याचिका पर निर्णय उन्हें केवल उन्नाव-कानपुर राष्ट्रीयकृत भाग पर न चलने के लिए दिया गया है ।

परिवहन निगम को उन्नाव-हरदोई मार्ग के लिए परमिट स्वीकृत होने पर ही पूरे हरदोई-उन्नाव-कानपुर मार्ग पर निगम की बसों का संचालन संभव होगा ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि उन्नाव-हरदोई मार्ग पर परिवहन निगम द्वारा परमिटों के लिये कब प्रार्थना-पत्र दिये गये और मार्ग परिवहन प्राधिकरण द्वारा उन्हें अस्वीकार किये जाने के क्या कारण हैं ?

डाक्टर संजय सिंह–

मान्यवर, इसकी सूचना यहां पर नहीं है लेकिन मैंने इसके बारे में जब आज

मीटिंग हो रही थी तो बात हुई थी। इसके बारे में हम रास्ता निकाल रहे हैं कि कोई न कोई रास्ता निकाल कर इसकी व्यवस्था की जाय ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, क्या मंत्री जी आश्वस्त करेंगे कि हरदोई-उन्नाव-कानपुर मार्ग पर राजकीय बसों का संचालन अतिशीघ्र करा दिया जायेगा ।

डाक्टर संजय सिंह–

मान्यवर, मैंने कहा कि इसकी व्यवस्था करा रहे हैं ।

श्री मनोहर लाल–

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि हरदोई उन्नाव कानपुर मार्ग में जो प्राइवेट बसें चल रही हैं जिनसे संबंधित मंत्री काफी नाजायज पैसा वसूल कर रहे हैं तो क्या उसको रोकने के लिये शीघ्र सरकारी बसें चलाने की व्यवस्था करेंगे जिससे वह अवैध पैसे का जो बंटवारा होता है वह रोका जा सके और जनता को राहत मिल सके ?

डाक्टर संजय सिंह–

सारी चीजों को देखते हुये मैंने कहा इसकी व्यवस्था हम करा रहे हैं ।

ग्राम बधूपुर प्रतापपुर कमैचा (सुल्तानपुर) के हरिजन बस्ती में कूप का निर्माण किये जाने संबंधी पत्र

*5–श्री शिव नारायण मिश्र–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम बधूपुर प्रतापपुर कमैचा सुल्तानपुर के हरिजन बस्ती में पेयजल के संकट को देखते हुए अधूरे खुदे हुए कुएं को खोदवायेंगे ? उसके संबंध में 19 मार्च, 1986 को प्रश्नकर्ता के मुख्य मंत्री को भेजे गये पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या ग्राम्य विकास मंत्री दोषी अधिकारियों को जांच के उपरांत दण्डित करेंगे ? यदि हां, तो कब?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

ग्राम बधूपुर के हरिजन बस्ती में पेयजल की व्यवस्था हेतु एक हरिजन कूप वर्ष 77-78 में स्वीकृत था जिसका निर्माण कार्य प्रारम्भ कराने पर स्थल के प्रश्न पर ग्रामवासियों में आपसी मतभेद/विवाद उत्पन्न हो गया जिसके कारण विषम स्थिति उत्पन्न हो गयी और निर्माण कार्य रोक दिया गया। संबंधित ग्राम्य विकास अधिकारी से शासकीय धन वापस करा लिया गया । तदोपरान्त वर्ष 1984-85 में उक्त स्थल से कुछ दूर दूसरे स्थल पर कूप निर्माण हेतु कार्यवाही की गयी परन्तु वहां भी पूर्व की भांति स्थल के प्रश्न पर विवाद उत्पन्न हो गया और निर्माण कार्य रोक दिया गया। ऐसी स्थिति में जब तक स्थल के चुनाव के प्रश्न पर मतैक्य नहीं हो जाता उक्त कूप का निर्माण कराया जाना सम्भव नहीं है । इस संबंध में माननीय सदस्य का पत्र दिनांक 19 मार्च, 1986 जो मुख्य मंत्री जी को सम्बोधित है, आयुक्त कृषि उत्पादन एवं ग्राम्य विकास को समुचित कार्यवाही हेतु शासन द्वारा भेज दिया गया । संदर्भित निर्माण कार्य में किसी शासकीय अधिकारी अथवा कर्मचारी का दोष नहीं है बल्कि स्थानीय व्यक्तियों के आपसी मतभेद के कारण निर्माण कार्य सम्पन्न नहीं हो पाया । अतएवं किसी अधिकारी या कर्मचारी को दण्डित करने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री शिव नारायण मिश्र–

क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि हरिजन बस्ती में इस कूप के निर्माण में जिन लोगों ने विवाद डाला है उनके विरुद्ध जनहित को ध्यान में रखते हुये कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

मान्यवर, मैंने अभी बताया कि दो बार कुंआ बनाने पर विवाद हुआ । 1977-78 में प्रयास किया तो विवाद हुआ फिर 1984-85 में बनाने का प्रयास किया गया तो फिर विवाद खड़ा हो गया । मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य के क्षेत्र में वह कुंआ आता है, अच्छा होगा और मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वही स्थल का चयन कर दें और ज़हां वह बता दें वहीं कुएं का निर्माण करा दिया जायेगा ।

श्री शिव नारायण मिश्र–

यदि मैं जमीन उपलब्ध करा दूं तो यथाशीघ्र जनहित में कुएं का निर्माण करा देंगे ?

श्री अध्यक्ष–

यह तो वह कह ही रहे हैं ।

श्री हरि शंकर तिवारी–

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या ऐसे हैण्ड पम्प जो हरिजनों की बस्तियों में लगाये गये थे उनको पुनः वहां से हटा दिया गया है । तो क्या ऐसे अधिकारियों के खिलाफ जिन्होंने ऐसा किया है जांच करके कार्यवाही करेंगे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

मान्यवर, क्या यह प्रश्न इसी गांव के कुंए से संबंधित है।

श्री अध्यक्ष–

यह इस प्रश्न से संबंधित नहीं है ।

इलाहाबाद यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसियेशन द्वारा विश्वविद्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में दिया गया ज्ञापन

*6–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मई, 86 के प्रथम सप्ताह में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसियेशन (आटा) द्वारा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार सम्बन्धी कोई ज्ञापन उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस ज्ञापन में क्या-क्या आरोप हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों ?

उच्च शिक्षा राज्य मंत्री (श्री प्रवीण कुमार शर्मा)–

जी हां ।

ज्ञापन में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कार्य संचालन में कुलपति के विरुद्ध प्रशासनिक, शैक्षिक, वित्तीय सम्बन्धी आरोप हैं।

विश्वविद्यालय के कार्य संचालन की सही, वास्तविक और स्वतंत्र सिंहावलोकन प्राप्त करने की दृष्टि से उसका निरीक्षण करने के लिए 2 जुलाई, 1986 की अधिसूचना द्वारा निरीक्षण पैनल नियुक्त किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति के कार्य संचालन के सम्बन्ध में जो पैनल गठित किया गया है, यह किसने गठित किया है। कितनी बार इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने कुलाधिपति महोदय को जांच के लिये अपनी संस्तुति भेजी और उस पर उनका क्या निर्णय रहा ?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा–

मान्यवर, पैनल गठित करने के सम्बन्ध में ज्ञापन आया था विश्वविद्यालय संघ का 2 मई, 1986 को जिसमें उन्होंने मांग किया था कि विश्वविद्यालय की जो संचालन संस्था है, विषय उसमें दिया था– ''इलाहाबाद विश्वविद्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा शासन द्वारा इसमें तत्काल हस्तक्षेप'' के सम्बन्ध में था ।

तो पैनल की नियुक्ति राज्य सरकार ने किया था, जो कि उत्तर प्रदेश विश्व-विद्यालय अधिनियम, 1973 के चैप्टर 3 की धारा 8 के अन्तर्गत पैनल की नियुक्ति राज्य सरकार ने किया था।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच के लिये कितनी बार और कब संस्तुति किया और जो जांच पैनल नियुक्त किया है उसकी परिधि क्या है ?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा–

मान्यवर, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कार्य संचालन व कुलपति के विरुद्ध प्रशासनिक, शैक्षिक, वित्तीय सम्बन्धी आरोप थे। विश्वविद्यालय के कार्य संचालन की सही, वास्तविक और स्वतंत्र सिंहावलोकन प्राप्त करने की दृष्टि से उसका निरीक्षण करने के लिए 2 जुलाई, 1986 की अधिसूचना द्वारा निरीक्षण पैनल नियुक्त किया और तीन महीने का इसके लिये समय दिया गया।

श्री राकेश धर त्रिपाठी–

मै जानना चाहता हूं कि क्या मुख्य मंत्री जी की संस्तुति के बाद जबकि कह दिया कि कुलपति को हटा दिया जायेगा और कुलाधिपति महोदय ने इंकार कर दिया। दूसरे, क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या माननीय कुलाधिपति के आदेश के बाद ही कुलपति को छुट्टी पर जाने को मजबूर किया गया है ?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा–

एसी कोई बात नहीं है।

*7–श्री सरदार सिंह–

[17-2-86 के अता0 प्र0 सं0 141 द्वारा उत्तरित]

शिक्षा विभाग में प्राथमिक, जूनियर हाईस्कूल, उच्चतर माध्यमिक स्तर में पुरुष व महिला शाखा का निदेशालय स्तर पर गठन

*8–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि शिक्षा विभाग में प्राथमिक, जूनियर हाई-स्कूल, उच्चतर माध्यमिक स्तर में पुरुष व महिला शाखा का निदेशालय स्तर पर गठन किया जा चुका है ? यदि हां, तो किस शासनादेश द्वारा और कब ? यदि हां, तो महिला शाखा (कोष्ट) में पद सृजन, पदोन्नति तथा कार्य विभाजन किस आधार पर किया गया है ?

श्री सिब्ते रजी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में बालिका शिक्षा को निःशुल्क करने पर विचार

*9–श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि महाराष्ट्र सरकार ने इण्टरमीडिएट तक की बालिका शिक्षा को निःशुल्क कर देने की घोषणा की है ? यदि हां, तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार भी इस सम्बन्ध में विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

अरबी, फारसी के नये मदरसे की मान्यता के शर्तों पर संशोधन करने पर विचार

*10–श्री मोहम्मद मसूद खां–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अरबी फारसी के नये मदरसे की

नोट :–तारांकित प्रश्न संख्या 6 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

मान्यता पर रोक इस वजह से लगायी गयी है कि शासन व विभाग मान्यता के शर्तों पर संशोधन पर विचार कर रहा है ? यदि हां, तो यह विचार कब तक समाप्त होगा और नयी नियमावली कब तक बन जायेगी ? क्या मंत्री जी उस वक्त तक के लिए अरबी और फारसी परीक्षा बोर्ड इलाहाबाद को नये मदरसों के परीक्षा दिलाने के सम्बन्ध में स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करेंगे व नये मदरसों और अध्यापकों तथा छात्रों को नुकसान से बचाने के लिए कोई अन्तरिम नियमावली ऐसी बनवायेंगे कि सन् 86-87 में नये मदरसों की मान्यता पर विचार हो सके?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां ।

यथाशीघ्र निर्णय ले लिया जायेगा।

जहां तक छात्रों का परीक्षा में सम्मिलित होने का प्रश्न है वे अन्य मान्यता प्राप्त मदरसों से प्रार्थना-पत्र अग्रसारित कराकर व्यक्तिगत छात्र के रूप में परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं । प्रस्तावित नियमावली को अन्तिम रूप दिया जा रहा है और वह यथाशीघ्र जारी कर दी जायेगी। अतः अन्तरिम नियमावली बनाये जाने की आवश्यकता नहीं है । प्रस्तावित नियमावली के जारी होने के उपरान्त नये मदरसों को मान्यता देने पर विचार किया जा सकेगा।

*11–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

किसान आदर्श जू0 हा0 स्कूल दनकौर, बुलन्दशहर को अनुदान सूची पर लेने के सम्बन्ध में विचार

*12–श्री महेन्द्र सिंह भाटी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि: किसान आदर्श जू0 हा0 स्कूल दनकौर, बुलन्दशहर को 7 फरवरी, 1974 को क्या स्थाई मान्यता प्राप्त हुई थी ? यदि हां, तो शासन द्वारा स्थापित सभी मानकों में अति उत्तम होने पर भी अनुदान सूची में क्यों नहीं सम्मिलित किया गया जबकि शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद द्वारा उक्त विद्यालय को 94 अंक प्राप्त हैं और इसके विरुद्ध कोई शिकायत भी नहीं है ? अब तक अनुदान सूची में सम्मिलित न किये जाने के कारण क्या हैं और इसके विलम्ब के प्रति कौन जिम्मेदार है ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

जी हां ।

इस हेतु निदेशालय से वर्ष 1983-84 के प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार विद्यालय अनुदान सूची पर लिये जाने हेतु अर्हं बताया गया था तथा विद्यालय को 94 अंक भी प्राप्त थे, परन्तु शिक्षा निदेशालय के पत्र दिनांक 15-3-84 द्वारा शासन को यह सूचित किया गया कि उक्त प्रस्ताव के तीन विद्यालयों (जिनमें प्रश्नगत विद्यालय भी सम्मिलित है) द्वारा अपने आवेदन पत्रों में तथ्यों को छिपाकर भ्रमात्मक सूचनायें देकर अनुदान सूची पर आने का प्रयास करने विषयक तीन शिकायती पत्र निदेशालय को प्राप्त हुए हैं, जिनके सम्बन्ध में स्थानीय जांच कराई जा रही है। अतः जब तक इनके सम्बन्ध में सम्पूर्ण स्थिति स्पष्ट न हो जाय उस समय तक इन विद्यालयों को अनुदान सूची पर लेने के सम्बन्ध में विचार न किया जाय । उक्त सूचना के आधार पर प्रश्नगत विद्यालय को अनुदान सूची पर लेने हेतु विचार नहीं किया जा सका ।

शिक्षा निदेशालय द्वारा वर्ष 1984-85 के प्रस्ताव में प्रश्नगत विद्यालय को अनर्हं बताया गया है। इसके अति-

रिक्त वर्ष 1985-86 के आय-व्ययक में कोई प्राविधान न होने के कारण किसी भी अर्ह विद्यालय को अनुदान सूची पर नहीं लिया जा सका । वर्ष 1986-87 की भी स्थिति यही है। विलम्ब एवं जिम्मेदारी का प्रश्न नहीं उठता।

माध्यमिक शिक्षा परिषद् के मानकों में बुन्देलखण्ड विद्यालयों को मान्यता संबंधी प्रतिबन्धों में विशेष छूट

*13–श्री कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माध्यमिक शिक्षा परिषद् के मानकों में बुन्देलखण्ड को पिछड़ा होने के नाते विशेष दर्जा दिया गया है परन्तु वर्ष 82-83, 83-84, 84-85 में प्रदेश में जो इण्टर नवीन की मान्यता दी गई उसमें से बुन्देलखण्ड के किसी भी विद्यालय को मान्यता नहीं दी गई ? यदि हां, तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां । बुन्देलखण्ड में स्थित विद्यालयों के मान्यता के प्रकरणों पर विचार करने हेतु छात्र संख्या एवं भवन के प्रतिबन्धों में छूट है।

प्रश्नगत अवधि में निम्नलिखित दो विद्यालयों को इण्टर नवीन की मान्यता स्वीकृत की गयी है :–

1–जिला परिषद् हा0 से0 स्कूल, नदीगांव, जालौन ।

2–जिला परिषद् हा0 से0 स्कूल, उमरी, जालौन ।

बुन्देलखण्ड के प्रश्नगत अवधि के 17 विद्यालयों के प्रकरण अन्य प्रकरणों के साथ वित्तीय संसाधनों के अभाव में शासन स्तर पर लम्बित है।

शासन द्वारा शाहजहांपुर रोडवेज से तिलहर रोडवेज तक के किराये में संशोधन का विचार

*14–श्री सत्य पाल सिंह–

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि शाहजहांपुर रोडवेज से तिलहर रोडवेज तक की दूरी 24 किलो मीटर है और इस दूरी का रोडवेज नियमों के अनुसार किराया 2-80 रुपये से कम बनता है किन्तु रोडवेज द्वारा 3-05 रुपये वसूल किया जाता है जो 26 कि0 मी0 दूरी पर बनता है ? रेजगारी की दिक्कत की वजह से बहुधा जनता तथा रोडवेज कर्मचारियों में झगड़ा होता रहता है ? क्या सरकार जनहित में शाहजहांपुर से तिलहर का किराया 3.05 से 3.00 रुपये करने पर विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर संजय सिंह–

शाहजहांपुर बस स्टेशन से तिलहर बस स्टेशन की दूरी 26 किलोमीटर है जिस पर नियमानुसार इस दूरी का किराया रु0 3.05 पैसे प्रति यात्री चार्ज किया जा रहा है।

कुल किराये को 50 पैसे में राउन्ड करने से सम्बन्धित मामला शासन स्तर पर विचाराधीन है। अभी नियमानुसार किराया 5 पैसे के गुणांक में लिया जा रहा है ।

*15–श्री सूर्य प्रताप शाही–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

बरेली मंडल में नए महाविद्यालय स्थापित करने पर विचार

*16–श्री जयदीप सिंह बरार–

क्या शिक्षा मंत्री जी को जानकारी है कि बरेली मंडल में प्रति महाविद्यालय

जनसंख्या 5.29 लाख है, जो पूरे प्रदेश में सबसे अधिक है, जब कि प्रदेश भर में प्रति महाविद्यालय जनसंख्या का औसत 2.75 लाख है, और इसके कारण बरेली मंडल के नागरिक उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शेष प्रदेश के नागरिकों के मुकाबिले पिछड़ते जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या शिक्षा मंत्री जी इसी वर्ष बरेली मंडल में 15 नए महाविद्यालय स्थापित करने के आदेश देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां ।

जी नहीं।

महाविद्यालयों की स्थापना का आधार जनसंख्या न होकर इण्टर की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों की संख्या है।

जी नहीं।

वर्तमान नीति के अनुसार उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रसार की तुलना में सुदृढ़ीकरण पर बल दिया जा रहा है।

उनाव जिले के हिलोली वि0 ख0 के बी0 डी0 ओ0 के विरुद्ध शिकायती पत्र

*17–श्री हृदय नरायन दीक्षित–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि उनको उन्नाव जिले के हिलोली वि0 खं0 के खण्ड विकास अधिकारी के द्वारा सीमेन्ट के परमिट देने के लिए नसबंदी आवश्यक मानने के बी0 डी0 ओ0 के आदेश के विरुद्ध प्रश्नकर्ता का शिकायती पत्र माह जनवरी, फरवरी, 86 में प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गई है ? क्या उक्त खण्ड विकास अधिकारी पर उसी ब्लाक के उप प्रमुख गंगा प्रसाद पासी द्वारा हरिजन अत्याचार की प्राथमिकी भी मौरावां थाने में दर्ज कराई गई है ? यदि हां, तो प्रादर्शन में हरिजन अत्याचार के दोषी बी0डी0ओ0 पर विभाग की ओर से क्या कार्यवाही की गई है ? क्या यह भी सही है कि उक्त बी0 डी0 ओ0 के विरुद्ध जिलाधिकारी, उन्नाव से भी जनप्रतिनिधियों ने लिखित शिकायत की है? यदि हां, तो इन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी हां ।

शिकायती पत्र की जांच कराये जाने पर सीमेन्ट का परमिट देने के लिए नसबंदी आवश्यक मानने की बात सिद्ध नहीं पायी गयी ।

जी हां ।

मामला न्यायालय में विचाराधीन है ।

जी हां ।

जनहित को ध्यान में रखते हुए खण्ड विकास अधिकारी का स्थानान्तरण हरदोई जिले को कर दिया है ।

देवरिया बरहज रोड पर गड़ेर चौराहा को मेल बस स्टाप बनाने का प्रस्ताव

*18–श्री कामेश्वर उपाध्याय–

क्या सरकार को मालूम है कि देवरिया बरहज रोड पर सबसे बड़ा और पुराना चौराहा गड़ेर है और वहां पर सरकारी अनेक कार्यालय भी हैं लेकिन अभी तक मेल बसें इस चौराहे पर नहीं रुकती हैं ? क्या मा0 मंत्री जी गडेर चौराहे को मेल बस स्टाप बनाने का आदेश देंगे, यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर संजय सिंह–

जी हां ।

देवरिया बरहज रोड पर गड़ेर चौराहा है । यहां देवरिया डिपो की सभी बसें रुकती हैं । चूंकि यहां से लम्बी दूरी के सीधे यात्री नहीं मिलते हैं, इसलिए अन्य डिपों की मेल बसें यहां नहीं रोकी जाती हैं । गड़ेर चौराहे पर मेल बस स्टाप बनाने का वर्तमान में कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है ।

छात्र, शिक्षक अनुपात में प्राइमरी शिक्षकों की कमी को दूर करने पर विचार

*19–श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

क्या सरकार छात्र, शिक्षक, अनुपात के अनुरूप प्राइमरी शिक्षकों की कमी को दूर करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री –

जी हां ।

निश्चित समय बताना संभव नहीं है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

*20–श्री राज किशोर सिंह–

[7वें मंगलवार में ता0प्र0सं0 20 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

अतारांकित प्रश्न

श्रीमती शान्ती राय, सहायक अध्यापिका राजकीय कन्या दीक्षा विद्यालय, गोरखपुर के स्थानान्तरण का औचित्य

1–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि 1 जुलाई, 85 से स्थानान्तरण पर शासन द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है ? यदि हां, तो श्रीमती शान्ती राय, सहायक अध्यापिका राजकीय कन्या दीक्षा विद्यालय, गोरखपुर का मध्य सत्र में स्थानान्तरण 5 नवम्बर, 85 को राजकीय कन्या इंटर कालेज, आनन्द-नगर, गोरखपुर में करने का औचित्य क्या है ?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां । शासन की स्थायी नीति के अन्तर्गत 1 जुलाई 1985 से 31-3-85 तक की अवधि में अन्य वर्षों की भांति सामान्य स्थानान्तरण पर प्रतिबन्ध लगाया गया था ।

प्रशासनिक आधार ।

श्रीमती सत्यावती त्रिपाठी, सहायक अध्यापिका, राजकीय कन्या दीक्षा विद्यालय, गोरखपुर के स्थानान्तरण का औचित्य

2–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्रीमती सत्यावती त्रिपाठी, सहायक अध्यापिका, राजकीय कन्या दीक्षा विद्यालय, गोरखपुर का स्थानान्तरण विगत जून/जुलाई, 85 में राजकीय कन्या इंटर कालेज, आनन्द नगर, गोरखपुर में किया गया था ? यदि हां, तो क्या श्रीमती त्रिपाठी ने आनन्द नगर में कार्य-भार ग्रहण किया? यदि नहीं, तो पुनः दिनांक 5 नवम्बर, 85 को निजी अनुरोध पर राजकीय कन्या दीक्षा विद्यालय, गोरखपुर में स्थानान्तरित किया गया ? यदि हां, तो उसका औचित्य क्या है ?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां ।

जी नहीं ।

जी हां ।

पति की अस्वस्थता।

जनपद मुरादाबाद में अब्दुल सलाम मुस्लिम गर्ल्स इन्टर कालेज की अध्यापिकाओं को सेलेक्शन ग्रेड दिये जाने पर विचार

3–श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद में अब्दुल सलाम मुस्लिम गर्ल्स इन्टर कालेज में 6 अध्यापिकाओं का जो सेलेक्शन ग्रेड अभी तक नहीं मिला जो प्रबंधाधिकरण के स्तर पर लम्बित है, कब तक सेलेक्शन ग्रेड दे दिया जायेगा?

श्री सिब्ते रजी–

अध्यापिकाओं में से दो के प्रकरण निस्तारित किये जा चुके हैं । चार अध्यापिकाओं के प्रकरण लम्बित हैं। इन चार अध्यापिकाओं के कार्य व्यवहार एवं परीक्षाफल प्रबन्धाधिकरण द्वारा संतोष-जनक न पाये जाने के कारण उन्हें चयन

वेतामान नहीं दिया गया है। सुधार आने पर विचार किया जायेगा।

अब्दुल सलाम मुस्लिम गर्ल्स इन्टर कालेज मुरादाबाद की अध्यापिकाओं का इफीशयेन्सी बार

4–श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि अब्दुल सलाम मुस्लिम गर्ल्स इन्टर कालेज मुरादाबाद में अभी अध्यापिकाओं को (ई0बी0) इफिसेन्सी बार समय से नहीं दिया जा रहा है केवल श्रीमती रेहाना जिनके पति प्रबन्धक कमेटी के सदस्य हैं को जुलाई में मिलने वाली ई0बी0 मिल गयी है, शेष अध्यापिकाओं को न मिलने के कारण क्या हैं?

श्री सिब्ते रजी–

जी नहीं। केवल श्रीमती जीनत बेगम अंग्रेजी प्रवक्ता, जिनका वर्ष 1984 तथा 1985 का बोर्ड परीक्षाफल सन्तोषजनक नहीं था, के अतिरिक्त शेष सभी को समय से दक्षता रोक (ई0बी0) पार कराया गया है।

बस्ती जनपद में अस्थायी मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों का नवीनीकरण

5–श्री अफसर यू0 अहमद–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद में अस्थायी मान्यता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों का गत वर्ष का नवीनीकरण हुआ कि नहीं? यदि नहीं, तो ऐसे कितने विद्यालय हैं? उन विद्यालयों के भू0पू0 छात्रों के शैक्षणिक अभिलेखों का निस्तारण कैसे होगा? उपरोक्त के लिए दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कौन सी कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

जी नहीं।

72 विद्यालय।

नवीनीकरण के सम्बन्ध में सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निदेश भेज दिये गये हैं। किसी कर्मचारी को दोषी नहीं पाया गया अतः किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

बस्ती जनपद के कतिपय ग्रामों में शासन द्वारा लगे हैण्ड पम्पों की स्थिति की जानकारी

6–श्री अफसर यू0 अहमद–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद के (1) खेसरहा (2) मेंहदावल (3) सेमरियावां (4) बधौली ब्लाक के ग्रामों में कितने-कितने चापा कुल लगे हैं? कितने चालू हैं तथा कितने कहां कहां खराब हैं? कितने अभी बोरिंग के बाद भी पूरे नहीं किये गये हैं और कब तक पूरे हो जायेंगे?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

बस्ती जनपद के (1) खेसरहा ब्लाक के 114 ग्रामों में 296 हैन्ड पम्प (2) मेंहदावल ब्लाक के 106 ग्रामों में 331 हैण्ड पम्प (3) सेमरियावां ब्लाक के 51 ग्रामों में 1.17 हैन्डपम्प (4) बधौली ब्लाक के 121 ग्रामों में 277 हैन्ड पम्प लगे हैं। मार्च, 1986 में जल निगम द्वारा एकत्रित की गयी सूचना के अनुसार कुल 922 हैन्ड पम्प चालू हालत में थे। उपरोक्त प्रत्येक ब्लाक में क्रमशः 32, 22, 17 तथा 28 हैन्ड पम्प खराब थे जिन्हें अप्रैल, 1986 में ही ठीक कराकर चालू करा दिया गया। कोई भी हैण्डपम्प बोरिंग के बाद अधूरा नहीं है।

इलाहाबाद नगर की सरकारी प्राथमिक पाठशालाओं की संख्या

7–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद नगर में कितनी सरकारी बालक बालिकाओं की प्राथमिक पाठशालायें कहां-कहां चल रही हैं और उनमें से कौन-कौन सी सरकारी भवनों में तथा कौन-कौन सी गैर सरकारी भवनों में है तथा कितने भवनों की हालत खराब है ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

सूचना एकत्र की जा रही है।

बलिया जनपद के जू0 हा0 स्कूल श्रीनगर नं0-1 के प्रधानाध्यापक एवं सहा0 अध्यापकों के वेतन का भुगतान

8–श्री राज किशोर सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि बलिया जनपद के जू0 हा0 स्कूल श्रीनगर नं0-1 को विभाग द्वारा 1 जुलाई, 84 से अनुदान प्राप्त हो रहा है? यदि हां, तो क्या इस विद्यालय में कार्यरत श्री लल्लन तिवारी, प्रधानाध्यापक श्री विशेश्वर प्रसाद संस्कृत अध्यापक श्री रामेश्वर पाण्डेय सहायक अध्यापक श्री हृदयानन्द पाण्डेय सहायक अध्यापक श्री राम नाथ उपाध्याय, सहायक अध्यापक को उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार बेसिक शिक्षाधिकारी द्वारा वेतन दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

जी हां।

श्री लल्लन तिवारी के वेतनादि का भुगतान दिनांक 1-7-84 से 21-1-85 तक किया गया है। दिनांक 22-1-85 से कतिपय गम्भीर आरोपों के आधार पर मान्य प्रबन्ध समिति द्वारा उनकी सेवायें समाप्त कर दी गयी एवं इसके लिए विभागीय अनुमोदन भी प्राप्त कर लिया गया जिसके कारण उन्हें दिनांक 21-1-85 के आगे के समय का कोई भुगतान नहीं किया गया। शेष अध्यापकों के वेतनादि का भुगतान नहीं किया जा रहा है क्योंकि न तो वे विद्यालय में कार्यरत हैं और न अनुमोदित अध्यापकों की कोटि में आते हैं। माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने अनुमोदित अध्यापकों के वेतन भुगतान का आदेश दिया है।

प्रश्न नहीं उठता।

बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों के विद्यालयों में शुल्क मुक्ति एवं अनुदान स्वीकृत करने पर विचार

9–श्री सत्यपाल सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि शासन द्वारा वर्ष 82-83 में बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों के विद्यालयों में शुल्क मुक्ति हेतु एवं विद्यालयों को क्षति पूर्ति स्वीकृति करने के आदेश प्रदान किये गये थे ? यदि हां, तो क्या जनपद शाहजहांपुर में उक्त वर्ष का अनुदान विद्यालयों को दिया गया था? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां, आदेश दिये गये थे। संबंधित बाढ़ पीड़ित जिलों के कक्षा-7 से विश्वविद्यालय स्तर के छात्रों की शुल्क क्षतिपूर्ति के सम्बन्ध में समेकित आगणन मांगे गये।

निदेशकों से प्राप्त प्रस्ताव परीक्षणाधीन है। परीक्षणोपरान्त अनुदान स्वीकृत करने पर विचार किया जायेगा।

10–श्री हृदय नरायन दीक्षित–

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त]

आजमगढ़ जनपद के कतिपय विकास खण्डों में भूमिहीन तथा क्षतिग्रस्त परिषदीय प्राइमरी विद्यालयों की स्थिति

11–श्री विष्णु देव–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद के वि0 खं0 फतेह-

पुर, मेडाव व घोसी व दोहरी घाट में कितने राजकीय प्राथमिक विद्यालय भवन विहीन हैं और कितने क्षतिग्रस्त हैं तथा कब तक भवन निर्माण व क्षतिग्रस्त भवनों की मरम्मत का कार्य सम्पन्न हो जायेगा?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

प्रश्नगत विकास खण्डों में भवनहीन तथा क्षतिग्रस्त परिषदीय प्राइमरी विद्यालयों की स्थिति निम्नवत् है:–

विकास खण्ड का नाम	भवनहीन	क्षतिग्रस्त
फतेहपुर मण्डाव	17	18
घोसी	7	18
दोहरी घाट	13	14

यह धन की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

बस्ती जनपद में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार के अंतर्गत डी0आर0डी0ए0 द्वारा स्वीकृत योजनाओं का क्रियान्वयन

12–श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जनपद में अन्दर वित्तीय वर्ष 84-85 व 85-86 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत कौन-कौन सी योजनायें डी0आर0डी0ए0 के द्वारा स्वीकृत हुई थी ? अब तक प्रत्येक योजना पर कितनी धनराशि खर्च की गयी तथा कितनी योजनायें वित्तीय वर्ष 84-85 की पूर्ण हो गयी हैं तथा कितनी अवशेष हैं? वित्तीय वर्ष 85-86 की कौन-कौन योजनायें पूर्ण हो चुकी हैं और कितने पर काम प्रारम्भ नहीं हुआ है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

बस्ती जनपद में वित्तीय वर्ष 84-85 तथा 1985-86 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत डी0आर0डी0ए0 द्वारा स्वीकृत विभिन्न योजनायें संलग्न परिशिष्ट (क) व (ख) में उल्लिखित हैं।

वांछित सूचना भी परिशिष्ट "क" व "ख" में दी है। जिन योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है उसकी सूची परिशिष्ट (ग) के रूप में संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 169-170)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय, फर्रुखाबाद में वरिष्ठ सहायक के पद पर प्रोन्नति के सम्बन्ध में भेजे गये प्रस्ताव

13–श्रीमती राम नंदिनी वर्मा–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय फर्रुखाबाद में वरिष्ठ सहायक के पद पर प्रोन्नति के संबंध में उनका अर्ध शासकीय पत्रांक प्रबंध/63185-86 दि0 1-7-85 शिक्षा निदेशालय, उ0 प्र0 इलाहाबाद में प्राप्त हुआ था? यदि हां, तो उस पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रज़ी–

जी हां।

बेसिक शिक्षा अधिकारी, फर्रुखाबाद का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री रामधारी इन्टर कालेज पगरा, देवरिया को शौचालय, पुस्तकालय तथा विज्ञान हेतु दिया गया अनुदान

14–श्री देवेन्द्र कुमार सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद के श्री रामधारी इंटर कालेज पगरा को वित्तीय वर्ष 83 से 85 के बीच संबंधित विद्यालय को शौचालय, पुस्तकालय तथा विज्ञान के लिए कितना अनुदान प्राप्त हुआ और क्या उसका सदुपयोग संबंधित विद्यालय ने किया? यदि अनुदान प्राप्ति के पश्चात् उसका

सदुपयोग उन मदों में नहीं हुआ है तो इस संबंध में शासन क्या कार्यवाही करेगा? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी–

वर्ष 1983 से 85 के बीच श्री रामधारी इण्टर कालेज, पगरा, देवरिया को कक्षा कक्ष एवं शौचालय निर्माणार्थ 16000 रु0 (रुपया सोलह हजार) तथा पुस्तकालय संवर्धन हेतु 6400 रु0 (रुपया छः हजार चार सौ मात्र) का अनुदान दिया गया । विज्ञान हेतु कोई अनुदान नहीं दिया गया ।

स्वीकृत अनुदानों का उपभोग विद्यालय द्वारा अभी तक नहीं किया गया है। शिक्षा निदेशक द्वारा जांच कराये जाने की सूचना प्राप्त हुई है । जांचोपरान्त आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

श्रीमती कुसुम सक्सेना, सहायक अध्यापक, रा0 इं0 कालेज, बरेली को सी0 टी0 ग्रेड में प्रोन्नति की मांग

15–डाक्टर दिनेश जौहरी–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि उ0 प्र0 माध्यमिक शिक्षा विभाग के विभिन्न मंडलों में अनेक बी0 ए0 बी0 एड0 अध्यापिकाओं की नियुक्तियां सीधे सी0 टी0 वेतनमान में की गई हैं एवं एक वर्ष के अनुभव के पश्चात प्रोन्नति दी जा चुकी है परन्तु श्रीमती कुसुम सक्सेना, स0 अ0 रा0 इं0 कालेज, बरेली एम0 ए0 बी0 एड0 एवं बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षण प्राप्त हैं, को लगभग 12 वर्ष का शैक्षिक अनुभव होने के पश्चात् भी सी0 टी0 ग्रेड से वंचित रखा गया है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी श्रीमती कुसुम सक्सेना को शीघ्र सी0 टी0 ग्रेड दिलायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां ।

जी हां, परन्तु विशिष्ट विषयों में ही ।

जी हां।

ज्येष्ठता क्रम में नम्बर आने पर इन्हें सी0 टी0 वेतनक्रम में प्रोन्नति दी जायेगी।

जनपद बरेली स्थित बजरिया संदलखा में श्रीमती अजबुन निसा बेगम द्वारा अपनी जायदाद को वक्फ किया जाना

16–डाक्टर दिनेश जौहरी–

क्या मुस्लिम वक्फ मंत्री को जानकारी है कि जनपद बरेली स्थित बजरिया संदलखा में श्रीमती अजबुन निशा बेगम पत्नी श्री जबाव निसार अहमद खां ने जो जायदाद 6 दिसम्बर, 1930 को वक्फ की थी उसमें नाजायज तौर पर श्री दुलारे काबिज हैं जिनका इस जायदाद से कोई वास्ता नहीं है ? यदि हां, तो क्या मुस्लिम सुन्नी वक्फ बोर्ड श्री दुलारे से यह जायदाद खाली कराकर अपने कब्जे में लेगी ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी–

श्रीमती अजबुन निसा बेगम पत्नी स्वर्गीय नबाब निसार अहमद खां द्वारा बरेली स्थित अपनी जायदाद वक्फ की गयी थी। वाकिफा द्वारा निष्पादित वक्फ डीड, जो 8 दिसम्बर, 1930 को रजिस्टर्ड हुई, के प्राविधानों के अनुसार वाकिफा श्रीमती अजबुन निसा बेगम तथा उनके पति की मृत्यु के उपरान्त उनके पोते नबाब अहमद खां उर्फ दुलारे को वक्फ बोर्ड द्वारा वक्फ की मुतवल्ली नियुक्त किया गया है। अतः प्रश्नगत वक्फ का प्रबन्धक वक्फ बोर्ड द्वारा लिये जाने का प्रश्न नहीं उठता है।

मनोरमा कन्या जूनियर हाईस्कूल सहजनवां, गोरखपुर को उच्चीकृत कर हाई स्कूल करने का प्रस्ताव

17—श्री त्रियुगी नारायण मिश्र—

क्या शिक्षा मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि जिला शिक्षा सलाहकार समिति द्वारा मनोरमा कन्या जूनियर हाईस्कूल सहजनवां, गोरखपुर को उच्चीकृत कर हाईस्कूल करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो सरकार उक्त पर कब तक कार्यवाही करेगी ?

श्री सिब्ते रजी—

संदर्भगत विद्यालय द्वारा हाईस्कूल की मान्यता हेतु उप कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश, वाराणसी को नियमानुसार कोई आवेदन-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः संदर्भगत विद्यालय को हाईस्कूल की मान्यता प्रदान करने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है। शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम बरवा, ब्लाक भदोही, तह0 ज्ञानपुर, वाराणसी के कथित फर्जी संस्कृत विद्यालय के अस्तित्व के सम्बन्ध में जांच

18—श्री निहाला सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम बरवा, ब्लाक भदोही, तह0 ज्ञानपुर वाराणसी में एक फर्जी संस्कृत महाविद्यालय चल रहा है जिसकी शिकायत गांव वालों ने शिक्षा विभाग के सहायक निरीक्षक के पास भेजी और उन्होंने उसकी जांच करके व्यवस्थापक श्री पारसनाथ, सरस्वती सेवा समिति संस्कृत महाविद्यालय बरवा निवासी बारीपुर महराजगंज से दिनांक 28-11-85 तक स्पष्टीकरण मांगा था? क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त विषय में क्या कार्यवाही की गयी और व्यवस्थापक महोदय को जितना अनुदान दिया गया है उसे वापस करने के लिये अब तक क्या किया गया है?

श्री सिब्ते रजी—

प्राप्त सूचनानुसार ग्राम बरवा में फर्जी संस्कृत विद्यालय चलाने की कोई शिकायत सहायक निरीक्षक, संस्कृत पाठशाला, वाराणसी क्षेत्र के कार्यालय में प्राप्त नहीं हुई बल्कि सह जिला विद्यालय निरीक्षक, वाराणसी द्वारा दिनांक 22-11-85 को सरस्वती सेवा संस्कृत महाविद्यालय, बरवा का आकस्मिक निरीक्षण किये जाने पर विद्यालय बन्द मिला जिसके सम्बन्ध में विद्यालय के प्रबन्धक से स्पष्टीकरण मांगा गया था ।

विद्यालय के प्रबन्धक ने अपने स्पष्टीकरण में सूचित किया है कि सह जिला विद्यालय निरीक्षक के निरीक्षण के दिन विद्यालय में प्रबोधनी एकादशी का अवकाश था जो सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी की अवकाश तालिका में अंकित है। प्रश्नगत विद्यालय को विगत तीन वर्षों की स्वीकृत अनुदान की धनराशि निम्नवत् है:—

1982-83-रु0 1,000
1983-84-रु0 27,992.20
1984-85-रु0 36,872.60

सह जिला विद्यालय निरीक्षक को यह ज्ञात हुआ कि विद्यालय प्रायः बन्द रहता है और वर्ष में 8-10 दिन के लिए ही खुलता है। विद्यालय के अस्तित्व के सम्बन्ध में जांच करायी जा रही है।

बस्ती जनपद के लिए डी0 आर0 डी0 ए0 के अंतर्गत विभिन्न योजनान्तर्गत स्वीकृत धन का विवरण

19—श्री सुखपाल पाण्डे—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले में डी0 आर0 डी0 ए0

के अंतर्गत 1985-86 में कुल कितना-कितना रुपया किस-किस विधान सभा क्षेत्र में किन-किन योजनाओं के लिए स्वीकृत हुआ है और कितना धन शेष है? पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

बस्ती जनपद में डी0 आर0 डी0 ए0 के अंतर्गत 1985-86 में कुल 907.61 लाख रुपया गया है। विधान सभा क्षेत्रवार योजनाओं के लिये धन स्वीकृत नहीं किया जाता है। डी0 आर0 डी0 ए0 में 1985-86 के अन्तर्गत विभिन्न योजनान्तर्गत प्राप्त धनराशि, व्यय एवं अवशेष का विवरण निम्न प्रकार है:–

क्रम-सं0	योजना	1-4-85 धन	प्राप्त धन राशि 85–86	कुल उपलब्ध धनराशि	व्यय 31–3–86 तक	अवशेष
1	2	3	4	5	6	7
1	एकीकृत ग्राम्य विकास।	76.35	300.75	377.00	349.53	27.47
2	डी डब्ल0सी0 आर0ए0।	5.84	9.12	14.96	14.71	0.25
3	कृषि उत्पादन बढ़ि योजना।	45.02	124.16	169.18	148.35	20.83
4	रा0ग्रा0 रो0यो0	140.41	296.00	436.41	370.70	65.71
5	बा।ढ़ दैवी आपदा।	..	20.00	20.00	7.03	12.97
6	ग्रा0भू0रो0 गा0यो0 (सेक्टोरल)	..	95.80	95.80	43.28	52.52
(क)	सामान्य	23.50		23.50	14.06	9.44
(ख)	इन्दिरा आवास	..	61.88	61.88	48.49	13.39
योग		291.12	907.61	1198.73	996.15	202.58

बस्ती जिले के विकास खण्ड बांसी में डी0 आर0 डी0 ए0 के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण

20–श्री सुखपाल पाण्डे–

क्या ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले के वि0 खं0 बांसी में कितनी सड़कें डी0 आर0 डी0 ए0 के अंतर्गत कौन-कौन सम्पर्क मार्ग के रूप में वर्ष 1985-86 में निर्माण करायी जा रही हैं, प्रत्येक सड़कों की दूरी कितनी है, उनमें से कितनी सड़कें हैं जो नये सिरे से निर्माण हो रही है, कितनी सड़के ऐसी हैं कि जिनका केवल मरम्मत का कार्य हो रहा है?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

बस्ती जिले के विकास खण्ड बांसी में डी0 आर0 डी0 ए0 के अंतर्गत वर्ष 1985-86 में कुल 4 सड़के (बांसी-पुरैना-डोहर, फुलपुर-टंडवालघाट, बसंत-पुर, मरचा तथा महुआ कला से अजगरा घाट) निर्माण हेतु ली गई हैं।

सड़कों की दूरी क्रमशः 385, 1-000, 1-000, 4-10 कि0 मी0 की है। इनमें से चारों सड़के नये सिरे से निर्मित निर्माणाधीन हैं।

इनमें कोई सड़क ऐसी नहीं है जिस पर मरम्मत का कार्य हो रहा है।

मदरसे मिल्लत (अरबिया मिल्लिया) सीतापुर में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा अनुदानों के सदुपयोग की जांच

21–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री जलील अहमद निवासी शेखसराय, सीतापुर का इस आशय का कोई पत्र जनवरी, 85 के अंतिम अथवा फरवरी, 85 के प्रथम सप्ताह में मिला कि मदरसे मिल्लत (अरबिया मिल्लिया) सीतापुर में व्याप्त भ्रष्टाचार शासकीय अनुदान के धन का दुरुपयोग एवं गबन की जांच कराई जाय? यदि हां, तो मुख्य शिकायतें क्या हैं तथा उन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां।

प्राप्त सूचनानुसार मुख्य शिकायतें निम्नवत् है:–

1–प्रबन्ध समिति का अवैधानिक होना।

2–फर्जी शिक्षक, कर्मचारी व छात्र दिखाना।

3–संस्था के रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण न होना।

4–सरकार द्वारा प्राप्त अनुदान का दुरुपयोग करना।

उक्त शिकायतों की जांच कराई गयी तथा 1985-86 में उक्त संस्था का अनुदान रोक दिया गया।

22–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि (अरबिया मिल्लया) मदरसे मिल्लत सीतापुर को सरकार द्वारा वर्ष 82-83, 83-84 तथा 84-85 में वर्षवार कितना-कितना रुपया अनुदान के रूप में शिक्षा विभाग द्वारा दिया गया? क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उपरोक्त वर्षों में प्राप्त अनुदान के सदुपयोग की कोई जांच अथवा आडिट कराई गयी? यदि हां, तो उसकी रिपोर्ट क्या है? यदि नहीं कराई गयी तो क्या उसकी जांच कराने की कृपा करेंगी?

श्री सिब्ते रजी–

प्राप्त सूचनानुसार संस्था को वर्षवार दिये गये अनुदान की धनराशि निम्नवत् है:–

वर्ष	रुपया
1982-83	38,530
1983-84	80,000
1984-85	79,643

स्थानीय निधि लेखा के संपरीक्षा अधिकारी द्वारा मदरसे के लेखा-जोखा का संपरीक्षण किया गया। सम्परीक्षा आख्या में अनेक आपत्तियों का उल्लेख किया गया है जिनके निराकरण किये जाने हेतु प्रबन्धक को निर्देश दिये गये हैं।

सेवा निवृत्त श्री एच0 सी0 रावत प्रवक्ता आर0 बी0 एम0 इन्टर कालेज शाहजहांपुर के एेडहाक पेंशन व अन्य अवशेष का भुगतान

23–डाक्टर दिनेश जौहरी–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि श्री एच0 सी0 रावत प्रवक्ता अंग्रेजी विभाग आर0 बी0 एम0 इण्टर कालेज शाहजहांपुर वर्ष 1983 में सेवा निवृत्त हुये थे और अभी तक उनके एेडहाक पेंशन व अन्य अवशेष का भुगतान नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी शीघ्र भुगतान कराने की कृपा करेंगे? यदि नहीं तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी–

जिला विद्यालय निरीक्षक, शाहजहांपुर से प्राप्त सूचना के अनुसार श्री रावत के एेडहाक पेंशन का छः माह के लिए भुगतान किया जा चुका है। अवशेषों का भी भुगतान चेक दिनांक 26-5-86 द्वारा किया गया है।

24–श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

[आश्वासन समिति के विचारधीन होने के कारण निरस्त]

श्री शिव प्रसाद वर्मा, सहायक अध्यापक, उ0 मा0 विद्यालय पकड़ी, भोजपुर, फैजाबाद का निलम्बन

25–श्री बेनी प्रसाद वर्मा तथा श्री शारदा नन्द अंचल–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि शिव प्रसाद वर्मा सहायक अध्यापक किसान उ0 मा0 विद्यालय पकड़ी भोजपुर फैजाबाद को अपना वेतन मांगने पर संस्था के प्रबंधतंत्र द्वारा अगस्त, 84 से लगातार विभिन्न प्रकार से उत्पीड़ित करने के उपरान्त 23-8-85 को निलम्बित करने के बावजूद जून, 84 से 22-8-85 तक वेतन तथा 23-8-85 से अब निलम्बन भत्ते का भुगतान नहीं किया गया? क्या उक्त अध्यापक के पत्र दिनांक 3-9-85 तथा 10-9-85 के प्राप्ति के बावजूद भी जिला विद्यालय निरीक्षक फैजाबाद ने उक्त अध्यापक को अपने स्तर पर बगैर सुनवाई किये प्रबंध तंत्र के दबाव में आकर 14-10 85 द्वारा निलम्बन कर दिया? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अध्यापक के निलम्बन के सम्बन्ध में विभागीय अधिकारियों द्वारा की गयी घपलेबाजी की जांच करायेगी? यदि नहीं तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी–

वेतन मांगने पर उत्पीड़न विषयक शिकायत की पुष्टि नहीं हो सकी। प्रबंध तन्त्र की कार्यवाही दिनांक 23-8-85 के अधीन प्रबन्धक के आदेश दिनांक 26-8-85 से श्री शिव प्रसाद वर्मा सहायक अध्यापक निलम्बित चल रहे है। यह भी सत्य है कि जून, 84 से वेतन एवं 23-8-85 से निलम्बन भत्ते का भुगतान नहीं हो सका है।

इण्टरमीडिएट एक्ट की धारा 16 छः की उपधारा (5) (6) (7) के अधीन अध्यापक निलम्बित होता है तदनुसार ही निलम्बन कार्यवाही सम्पन्न की गयी है। निलम्बन प्रकरण में सुनवाई करने का कोई प्राविधान अधिनियम में नहीं है।

जांच कराये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में दिवपाली योजना के तहत पुस्तकाध्यक्ष के पद के सृजन की मांग

26–श्री राम लक्षन–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ऐसे राजकीय इण्टरमीडिएट कालेज छात्र संख्या एक हजार से अधिक हैं एवं दो

पालियों में शिक्षण कार्य होता है वहां पुस्तकाध्यक्ष के पद सृजित हैं? यदि हां, तो उसी श्रेणी के सहायता प्राप्त इण्टरमीडिएट कालेजों में पुस्तकाध्यक्ष के पद सृजित न किये जाने का क्या कारण है ? क्या सरकार पद सृजित करने पर विचार करने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी–

द्विपाली योजना के 26 राजकीय विद्यालयों में से केवल 11 विद्यालयों में पुस्तकाध्यक्षों के पद सृजित किये गये हैं ।

अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में द्विपाली योजना लागू नहीं की गई। अतः पुस्तकाध्यक्ष का पद सृजित किये जाने का प्रश्न नहीं उठता। शासन द्वारा पद सृजन पर सम्प्रति विचार नहीं किया जा रहा है। वर्तमान सीमित वित्तीय संसाधनों को देखते हुए पद सृजित किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

जनपद पिथौरागढ़ की कतिपय तहसीलों के इण्टर कालेजों में विज्ञान के अध्यापकों के रिक्त पद

27–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या शिक्षा मंत्री सीमान्त जनपद पिथौरागढ़ में तहसील डीडीहाट, मुन्स्यारी, धारचूला, पिथौरागढ़ व चम्पावत के उन इण्टर कालेजों के नाम बतायेंगे जिनमें जीव विज्ञान/भौतिक विज्ञान/रसायन विज्ञान/गृह विज्ञान/काष्ठ कला विषयों के अध्यापक दिनांक 1-1-86 को पूर्व के एक/दो या अधिक वर्षों से नहीं रहे हैं? क्या सरकार को ज्ञात है कि इन अध्यापकों की कमी से विद्यार्थियों के परीक्षाफल पर अत्यन्त बुरा प्रभाव पड़ा है? यदि हां तो इस हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री सिब्ते रजी–

विद्यालयवार रिक्तियों की सूची संलग्न है ।

विद्यालयों में संबंधित विषयों का शिक्षण कार्य अस्थाई व्यवस्था के अन्तर्गत विद्यालय के अन्य कार्यरत अध्यापकों से कराया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 173 पर)

सुभद्र कुमार इण्टर कालेज, बसनी, वाराणसी को साइंस कक्ष निर्माण हेतु सहायता देने हेतु पत्र

28–श्री राम सजीवन–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भू0 पू0 मुख्य मंत्री ने भू0पू0 चेयरमैन पी0 ए0 सी0 श्री ऊदल के पत्र पर 21 सितम्बर, 85 को आदेश करके सुभद्रा कुमार इण्टर कालेज, बसनी, वाराणसी को साइंस कक्ष निर्माण हेतु सहायता देने हेतु भेजा था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी और क्या साइंस कक्ष निर्माण हेतु कोई सहायता दी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी–

सम्प्रति प्रश्नगत उपलब्ध नहीं हो पा रहा है । पुनः पत्र की प्रति प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी । सम्प्रति यह सूच्य है कि विज्ञान कक्ष निर्माण हेतु न तो कोई योजना है और न ही बजट प्राविधान उपलब्ध है, तथापि शिक्षा मंत्री के विवेकाधीन कोष से अनुदान स्वीकृत करने पर विचार किया जा सकता है।

चुनार सीमेन्ट फैक्ट्री इण्टर कालेज, चुनार में प्रधानाचार्य एवं प्रवक्ताओं की नियुक्ति का औचित्य

29–श्री राम आसरे वर्मा तथा
श्री हृदय नरायन दीक्षित–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि चुनार सीमेण्ट फैक्ट्री इण्टर कालेज, चुनार मान्यता प्राप्त इण्टर कालेज है ? यदि नहीं तो शिक्षा सत्र 84-85 से प्रधानाचार्य एवं प्रवक्ताओं की नियुक्ति का क्या औचित्य है ?

श्री सिब्ते रजी–

जिला विद्यालय निरीक्षक, मिर्जापुर से प्राप्त सूचना के अनुसार चुनार सीमेन्ट फैक्ट्री इण्टर कालेज को हाईस्कूल की मान्यता प्राप्त है । प्रधानाचार्य एवं प्रवक्ताओं की नियुक्तियों का औचित्य नहीं है ।

जनपद अल्मोड़ा में राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नौला (मासी) के स0 अ0 श्री शोवन सिंह धुघत्थाला की पदोन्नति

30–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि जनपद अल्मोड़ा में राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नौला (मासी) में कार्यरत स0 अ0 श्री शोवन सिंह धुधत्थाला 1969 से सी0टी0 वेतनक्रम पर तथा 31 मार्च, 1979 को जे0 टी0 सी0 वेतनक्रम पर नियुक्ति दी गई है जबकि विद्यालय के प्रान्तीकरण होने की सभी अर्हतायें रखने पर भी 1972 से हाईस्कूल में लगातार पढ़ाने पर नये वेतनमान वरिष्ठता व पदोन्नति न दिये जाने का क्या कारण है ? क्या सरकार इस संबंध में पूर्व तिथि से ही वरिष्ठता तथा वेतनमान व पदोन्नति देने के लिये तुरन्त कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां ।

पूर्वस्नातक वेतनक्रम (सी0टी0) में पदोन्नति प्रदान कर दी गई है ।

जी नहीं ।

पूर्व तिथि से ये सुविधायें अनुमन्य नहीं है ।

आर्य महिला इण्टर कालेज, शाहजहांपुर की कार्यवाहक प्राचार्य के विरुद्ध आरोप पत्र पर की गई कार्यवाही

31–श्री राम गोविन्द चौधरी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अपर सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद्, बरेली क्षेत्र की आर्य महिला इण्टर कालेज, शाहजहांपुर की कार्यवाहक प्राचार्य जो दिनांक 3-12-85 को माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग, इलाहाबाद में प्राचार्य के साक्षात्कार में भाग ले चुकी है, के विरुद्ध परिषद् अभिलेखों में भीषण जालसाजी, धोखाधड़ी व भ्रष्टाचार के प्रमाण प्राप्त हो गये हैं ? यदि हां, तो दोषी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी–

जी नहीं । प्रमाण प्राप्त नहीं हुए । पुष्ट प्रमाण के अभाव में कार्यवाही सम्भव नहीं है ।

32–श्री राम गोविन्द चौधरी–

क्या उक्त आशय की सूचना माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को दिनांक 3-12-85 को हुए प्राचार्या पद के साक्षात्कार के संबंध में भेज दी गई है? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी–

जी नहीं । ऐसी शिकायतों की सूचना परिषद्, कार्यालय माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग को नहीं भेजती है ।

जनपद हमीरपुर में श्री बृजभूषण गुप्ता, सहायक अध्यापक बेसिक प्राइमरी पाठशाला धमना को पावर धानी हेतु धन का कथित आवंटन

33–श्री राम सजीवन–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हमीरपुर में श्री बृज भूषण गुप्ता पुत्र श्री भवानी दीन गुप्ता मूल निवासी ग्राम भैसावा तह0 राठ वर्तमान मो0 सिकन्दरपुरा राठ के पते से ग्राम अतरौली तहसील राठ के नाम पावर धानी हेतु कोई धन दिया गया है ? यदि हां, तो कब और कितना ? क्या उक्त व्यक्ति बेसिक प्रा0 प्रा0 धमना, तह0 राठ में तत्कालीन सहायक अध्यापक के पद पर सरकारी वेतन भोगी कर्मचारी भी था ? यदि हां, तो सरकारी कर्मचारी को उद्योग हेतु धन देने का क्या आधार है ? उक्त व्यक्ति से अब तक कितनी धनराशि की वसूली की गयी है ? यदि नहीं, तो वसूली हेतु क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी नहीं ।

श्री बृजभूषण गुप्ता पुत्र श्री भगवानदीन गुप्ता, बेसिक प्राइमरी पाठशाला धमना तहसील राठ, हमीरपुर में सहायक अध्यापक पद पर बेसिक शिक्षा परिषदीय कर्मचारी के रूप में थे लेकिन श्री गुप्ता को पावरधानी हेतु कोई धन नहीं दिया गया है । अतः वसूली का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

हिन्दू इण्टर कालेज मुंगराबाद, बादशाहपुर, जौनपुर के प्रधानाचार्य के विरुद्ध प्रवेश हेतु अवैध चन्दा वसूलने का ज्ञापन पर कृत कार्यवाही

34–श्री राम सजीवन–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि हिन्दू इण्टर कालेज मुंगराबाद बादशाहपुर जौनपुर की प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष के शिकायती पत्र के आधार पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला मंत्री श्री सीताराम पटेल ने जिलाधिकारी, जौनपुर को कालेज के प्रधानाचार्य के विरुद्ध प्रवेश के दौरान छात्रों से अवैध चन्दा वसूली करने का कोई ज्ञापन गत चार-पांच महीने पूर्व दिया था ? यदि हां, तो उस संबंध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां । सह जिला विद्यालय-निरीक्षक द्वारा की गयी स्थलीय जांच में दो रुपया प्रति छात्र प्रवेश परीक्षा शुल्क वसूलने की स्थिति की जानकारी मिली । जिसे प्रवेश परीक्षा आवेदन पत्र क्रय करने में व्यय किया गया था । इस पर आपत्ति करके प्रबन्धक को भविष्य में परीक्षा हेतु फार्म बेचकर या नियम के विरुद्ध अन्य प्रकार से शुल्क न लिये जाने हेतु निर्देशित कर दिया गया है ।

श्री भरत राम डी0 आई0 तथा श्रीमती राम शांति यादव ए0 आई0 जी0 एस0 को एक ही जनपद में नियुक्ति करने पर विचार

35–श्री जंग बहादुर तथा

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि किन कारणों से शासनादेशों के विपरीत श्री भरत राम डी0 आई0 इलाहाबाद तथा श्रीमती रामशांति यादव ए0 आई0 जी0 एस0 के स्थानान्तरण अलग-अलग जिले के लिए कर दिये गये और पति पत्नी को एक जनपद में नहीं रहने दिया गया ? क्या शासन शासनादेशानुसार दोनों पति पत्नी की नियुक्ति एक ही जनपद में करने पर विचार करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी–

श्री भरत राम, डी0 आई0, इलाहाबाद तथा श्रीमती राम शांति यादव, ए0आई0 जी0 एस0, इलाहाबाद दोनों को ही जनपद मिर्जापुर में जून, 1983 में स्थानान्तरित किया गया था । परन्तु बाद में जून, 1985 में श्री भरत राम को प्रशासनिक

आधार पर ललितपुर स्थानान्तरित करने के आदेश जारी किये गये । जहां उन्होंने कार्य ग्रहण नहीं किया । श्री भरत राम तथा श्रीमती रामशांति यादव दोनों को ही अब इलाहाबाद जनपद में समायोजित कर दिया गया है जहां वे क्रमश: 5-1-86 एवं 30-6-86 से कार्यरत हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री भरत राम डी0 आई0 मिर्जापुर के विरुद्ध कथित शिकायती पत्र

36–श्री जंग बहादुर–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री भरत राम, डी0 आई0, मिर्जापुर के विरुद्ध जनवरी एवं मई, 84 को शिक्षा मंत्री उ0 प्र0 को शिकायतें प्राप्त हुई थीं जिसकी जांच तात्कालिक शिक्षा राज्य मंत्री ने जुलाई, 85 में किया? यदि हां, तो श्री भरत राम के विरुद्ध शिकायतों क्या थी जांच से क्या निष्कर्ष निकला और उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

अभिलेखों के अनुसार प्रश्नगत शिकायतें प्राप्त नहीं हुई ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

इलाहाबाद में जिला शिक्षा सलाहकार समिति की संस्तुति पर खोले गये जूनियर तथा प्राइमरी स्कूल

37–श्री रमाकान्त मिश्र–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद में जिला शिक्षा सलाहकार समिति की संस्तुति पर वर्ष 82-83, 83-84 तथा 84-85 में कौन-कौन से जूनियर तथा प्राइमरी स्कूल खोले गये हैं इनमें से सभी के लिए स्वीकृत किस-किस विद्यालय के भवन बन गए हैं तथा किन-किन विद्यालयों के भवन नहीं निर्मित हो सके हैं ? निर्मित न करा सकने वाले कौन-कौन से निर्माण विभाग हैं ? इन अनिर्मित विद्यालयों का निर्माण कब तक हो जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

इलाहाबाद के कतिपय विकास खण्डों में भवन रहित विद्यालय एवं अध्यापकों की नियुक्ति

38–श्री रमा कान्त मिश्र–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद इलाहाबाद के वि0 खं0 कौड़िहार, शंकरगढ़, जसरा, कौंधियारा एवं चाका में कौन-कौन से जूनियर एवं प्राइमरी विद्यालय भवन रहित हैं तथा कौन-कौन से विद्यालयों में मात्र 1 अध्यापक है ? क्या सरकार 1 अध्यापकीय विद्यालयों में दो-दो अध्यापक नियुक्त करेगी ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

सूची (क) संलग्न है।

सूची (ख) संलग्न है।

यह प्रत्येक विद्यालय की छात्र संख्या पर निर्भर करता है।

(देखिये सत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 174-175 पर)

बांदा जनपद में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंडल (बांदा) द्वारा बांधी रामपुर मार्ग के निर्माण में की गई अनियमितता के संबंध में प्रशासनिक कार्यवाही

39–श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जनपद के तह0 मऊ एवं कबीं के अंतर्गत ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंडल (बांदा) (आर0 ई0 एस0) द्वारा बांधी रामपुर मार्ग का निर्माण कराया गया ?

यदि हां, तो मौके में कितने कि0 मी0 सड़क का निर्माण हुआ और इसमें कितना धन खर्च हुआ ? क्या यह सही है कि रिकार्ड में आधा कि0मी0 सड़क का निर्माण अधिक है और मौके पर आधा कि0मी0 सड़क कम बनी है ? यदि नहीं, तो क्या उपरोक्त मार्ग की जांच टेक्निकल सेल द्वारा कराई जायेगी? यदि हां, तो कब तक ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

प्रस्तावित 2.6 कि0मी0 लम्बी सड़क के निर्माण के विरुद्ध मौके पर 2.062 कि0मी0 का निर्माण हुआ। इस प्रकार से 0.538 कि0मी0 मार्ग कम बनाया गया। निर्माण पर रुपया 1.42 लाख व्यय हुये ।

इस मामले की जांच प्राविधिक संपरीक्षा कोष्ठ से करा ली गई है और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही की जा रही है।

प्रदेश में पौष्टिक आहार मद में प्राइमरी स्कूलों के बच्चों के लिए व्यय की गई धनराशि

40–श्री राम नरेश यादव–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि 84-85 में पूरे प्रदेश में पौष्टिक आहार मद में प्राइमरी स्कूलों के बच्चों के लिए कितनी धनराशि खर्च की गयी थी? उसके वितरण की क्या नीति अपनायी गयी थी एवं मैनपुरी जनपद के लिए कितनी धनराशि खर्च की गयी थी?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

पौष्टिक आहार (मध्यान्ह आहार) योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 1984-85 में प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों पर कुल रु0 1,55,43,390/- की धनराशि खर्च की गयी ।

आयोजनेतर पक्ष में स्वीकृत बजट को दृष्टिगत रखते हुये जनपद में आवंटित लाभार्थियों की संख्या के अनुसार आवश्यक धनराशि स्वीकृत की गयी। आयोजनागत पक्ष में जिले स्तर से स्वीकृतियां की गयी थीं ।

मैनपुरी जनपद के लिए वर्ष 1984-85 हेतु रु0 1,10,000/- जिला योजनान्तर्गत आयोजनागत पक्ष से स्वीकृत हुआ था, जिसमें से रु0 99,040.25 पैसे की धनराशि व्यय की गयी थी ।

प्राइमरी पाठशाला सुदामा पुरी नगर क्षेत्र गंज डुंडवारा जनपद एटा में श्रीमती सत्यवती गुप्त सहा0 अध्यापिका को वेतन का भुगतान का औचित्य

41–श्री राज किशोर सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक शिक्षा परिषद् नगर क्षेत्र गंज डुंडवारा, जनपद एटा में कन्या प्राइमरी पाठशाला एटा रोड में नियुक्त सहायक अध्यापिका श्रीमती सत्यवती गुप्त, पाठशाला में एक लम्बे अरसे से अनुपस्थित चल रही है ? यदि हां, तो क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनका वेतन भुगतान क्यों और कैसे हो रहा है?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

प्रश्नगत अध्यापिका प्राइमरी पाठशाला सुदामापुरी नगर क्षेत्र गंज डुंडवारा जनपद एटा में कार्यरत हैं।

वेतन का भुगतान नियमानुसार दिया जा रहा है ।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बाराबंकी के कार्यकाल में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति एवं आरक्षण कोटा

42–श्री रिछपाल सिंह बंसल–

द्वितीय सत्र 85 के चौथे सोमवार के

अतारांकित प्रश्न संख्या 50 के उत्तर के क्रम में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इन कुल 13 नियुक्तियों हेतु कोई लिखित प्रतियोगितात्मक परीक्षा (रिटेन काम्पेटीटिव इक्जामिनेशन) ली गयी थी? क्या दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया था तथा इस परीक्षा में अनुसूचित जाति के कुल कितने परीक्षार्थी सम्मिलित हुए थे ? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि परीक्षा समिति में क्या एक अनुसूचित जाति का सदस्य भी नामित किया गया था ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री आेम प्रकाश मिश्र, बेसिक शिक्षा अधिकारी, बाराबंकी द्वारा पद का कथित दुरुपयोग, चपरासियों तथा लिपिकों की नियुक्तियों के संबंध में जांच

43–श्री रिछपाल सिंह बंसल–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि श्री आेम प्रकाश मिश्र वर्ष 1981-82 एवं 1982-83 में जनपद बाराबंकी में बेसिक शिक्षा अधिकारी के पद पर तैनात थे तब इन्होंने इस अवधि में पाठ्योत्तर एवं बालाहार सामग्री की ढुलाई संबंधी कार्य बिना उच्च अधिकारियों के स्वीकृत प्राप्त किए ही अपने पुत्र श्री आदित्य कुमार मिश्र की गाड़ी नं0 यू0आर0एल0 8077 से नियम विरुद्ध कराई ? यदि हां, तो श्री मिश्र के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो कब ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

जी हां, श्री आेम प्रकाश मिश्र वर्ष 1981-82 एवं 1982-83 में बाराबंकी में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत थे । उक्त अवधि में पाठ्योत्तर एवं बालाहार सामग्री की ढुलाई विभिन्न गाड़ियों से की गयी, जिसमें गाड़ी नं0 यू0आर0एल0 8077 भी थी, जिसके मालिकान श्री आदित्य कुमार मिश्र नहीं थे। अतः उच्च अधिकारियों से स्वीकृति लिये जाने व उनके विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता है।

44–श्री रिछपाल सिंह बंसल–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री आेम प्रकाश मिश्र तत्कालीन बेसिक शिक्षा अधिकारी बाराबंकी ने वर्ष 1982 में बिना किसी प्रतियोगितात्मक परीक्षा एवं साक्षात्कार के ही कुल 25 अभ्यर्थियों की नियुक्ति चपरासियों एवं लिपिकों के पद पर कर ली ? यदि हां, तो क्या इनके नाम सेवायोजना कार्यालय में जीवित पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज थे ? क्या यह भी सही है कि इनमें से कुछ को सेवा से अलग कर दिया गया था और उनके मामले लोक सेवा अधिकरण लखनऊ में विचाराधीन है ?

श्री सिब्ते रजी–

मामले की जांच करायी जा रही है ।

45–श्री रिछपाल सिंह बंसल–

क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त 25 नियुक्तियों में नियमानुसार अनुसूचित जाति के कितने अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जानी थी जो श्री आेम प्रकाश मिश्र ने नहीं की? यदि हां, तो इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी–

मामले की जांच करायी जा रही है ।

बलिया जनपद के सीयर एवं नगरा विकास खंड में मान्यता तथा गैर मान्यता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों व हाईस्कूलों की सूची

46–श्री शारदानन्द अंचल–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि

बलिया जनपद के सीयर और नगरा विकास खण्ड में जूनियर हाईस्कूल व हाईस्कूल स्तर के कितने मान्यता प्राप्त और कितने गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय चल रहे हैं? क्या सरकार उनकी सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी? क्या सरकार इस अत्यंत पिछड़े क्षेत्र के गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों को प्रोत्साहित कर सुगम शर्तों पर मान्यता देने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

सीयर विकास खंड में 12 मान्यता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल और 1 अमान्यता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल तथा नगरा विकास खंड में 22 मान्यता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल और 7 अमान्यता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल चल रहे हैं ।

उक्त जूनियर हाई स्कूलों की सूची संलग्न है ।

अशासकीय जूनियर हाई स्कूल की मान्यता की शर्तें पहले से ही सुगम हैं, इन्हें और अधिक सुगम करना इस समय शिक्षा के हित में नहीं है।

जहां तक हाईस्कूलों का प्रश्न है, सूचना एकत्र की जा रही है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 176-177 पर)

ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि

47–श्री कृष्ण कुमार शर्मा–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में विशेष रूप से सड़क, खड़न्जा व पुलिया बनाने के लिए पिछले वर्षों की तुलना में और अधिक रुपया खर्च करने की योजना इस चालू वर्ष में है? यदि हां, तो कितना, यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी नहीं।

क्योंकि इसका मुख्य कारण यह है कि आर0 एल0 ई0 जी0 पी0 की योजनायें भारत सरकार द्वारा स्वीकृत होती है तथा भारत सरकार ने इस वर्ष उक्त योजना हेतु कोई स्वीकृति नहीं दी है।

स्मिथ इण्टर कालेज अजमतगढ़, आजमगढ़ के हाईस्कूल के परीक्षार्थियों के रोके गये परीक्षाफल

48–श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इन्टर कालेज, आजमगढ़, जिला आजमगढ़ की हाईस्कूल परीक्षा 1984 जो कि समय से घोषित कर दी गयी थी, एक वर्ष बाद मा0 शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश के पत्रांक दिनांक 7-6-85 द्वारा निरस्त कर दी गयी है? यदि हां, तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी–

स्मिथ इण्टर कालेज, अजमतगढ़, आजमगढ़ में कुल 305 परीक्षार्थी हाई-स्कूल परीक्षा 1984 में सम्मिलित हुए। इनमें से 121 परीक्षार्थियों के परीक्षाफल सूची डब्लू0 वी0 (संदिग्ध अनुचित साधन प्रयोग) में रोके गये। फलस्वरूप प्रकरण पर 11–12 नवम्बर, 1984 को केन्द्र पर स्थलीय जांच की गयी। रोके गये परीक्षाफलों में से 80 परीक्षार्थी जांच के समय उपस्थित हुए जिनके परीक्षाफल के निर्णय दिनांक 3-3-85 एवं 18-3-85 को सूचित कर दिये गये।

अनुपस्थित 41 परीक्षार्थियों को निस्तारण समिति के निर्णयानुसार डाक द्वारा आरोपित कर 40 परीक्षार्थियों

की वर्ष 1984 की परीक्षा निरस्त एवं एक परीक्षार्थी को वर्ष 1984 एवं 1985 हेतु परीक्षा से वंचित करने का निर्णय दिनांक 7-6-85 को सूचित किया गया।

गोरखपुर मण्डल के उच्चतर माध्यमिक व इण्टरमीडिएट कालेजों तथा राजकीय विद्यालयों में अनुसूचित जाति के अध्यापकों एवं प्रधानाचार्यों की नियुक्ति का विवरण

49—श्रीमती शारदा देवी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर मण्डल के उच्चतर माध्यमिक व इण्टरमीडिएट कालेजों तथा राजकीय विद्यालयों में आरक्षण के आधार पर सी0 टी0 ग्रेड, एक्स0 टी0 ग्रेड प्रवक्ता तथा प्रधानाचार्यों के पदों पर अनुसूचित जाति की नियुक्तियां की गई हैं? यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी—

जी हां।

(क) मण्डल के अशासकीय विद्यालयों (बालक) में प्रवक्ता 7, एल0 टी0 18, सी0 टी0 68 कुल 93 अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों की नियुक्ति की गई है। अशासकीय बालिका विद्यालयों में अनुसूचित जाति की केवल 2 सी0 टी0 वेतनक्रम में नियुक्ति की गई है।

(ख) मण्डल के राजकीय विद्यालयों (बालक) में प्रवक्ता ग्रेड में एक, एल0 टी0 में—2 तथा सी0 टी0 में 2 कुल 5 अनुसूचित जाति की नियुक्ति हुई है। राजकीय बालिका विद्यालयों में प्रधानाचार्या 1, प्रवक्ता 3, एल0 टी0 5 तथा सी0 टी0 ग्रेड में 7, कुल 16 अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों की नियुक्ति की गई है।

50—श्रीमती शारदा देवी—

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि गोरखपुर मंडल के उपरोक्त विद्यालयों में उपरोक्त पदों की रिक्तियां हैं? यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है?

श्री सिब्ते रजी—

(क) अशासकीय विद्यालयों (बालक) में प्रधानाचार्यों के 29, प्रवक्ताओं के 25, एल0 टी0 के 9 तथा सी0 टी0 के 10 कुल 73 पद रिक्त हैं। अशासकीय बालिका विद्यालयों में प्रधानाध्यापिका के 4 प्रवक्ता के 7, एल0 टी0 के 6 तथा सी0 टी के 10 कुल 27 पद रिक्त हैं।

(ख) राजकीय विद्यालयों (बालक) में कोई पद रिक्त नहीं है। बालिकाओं के राजकीय विद्यालयों में प्रधानाचार्या के 2 प्रधानाध्यापिकाओं के 3 प्रवक्ता के 28 एल0 टी0 के 45 तथा सी0 टी0 के 2 कुल 80 पद रिक्त हैं।

51—श्रीमती शारदा देवी—

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि गोरखपुर मंडल के उपरोक्त विद्यालयों में उपरोक्त पदों पर आरक्षण के आधार पर सी0 टी0 ग्रेड, एल0 टी0 ग्रेड, प्रवक्ता एवं प्रधानाचार्यों के पदों पर अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को नियुक्ति तत्काल करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी—

जी हां।

मण्डल के अशासकीय उ0 मा0 वि0 व इण्टरमीडिएट कालेजों में रिक्त पदों पर उ0 प्र0 माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड (संशोधन) अध्यादेश 1985 (अध्यादेश संख्या 12 सन् 1985) के अनुसार आरक्षित समूह अध्यापकों के आमेलन के उपरान्त जो पद अवशेष रह जायेंगे उन पर माध्यमिक शिक्षा सेवा

आयोग और चयन बोर्ड द्वारा अभ्यर्थियों का चयन किया जायेगा जिस पर नियमानुसार अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर विचार किया जायेगा।

राजकीय विद्यालयों में रिक्त प्रधानाचार्या/प्रधानाध्यापिका, प्रवक्ता एवं एल0 टी0 वेतनक्रम के पदों पर नियुक्ति लोक सेवा आयोग द्वारा चयनोपरान्त की जायेगी। बालिकाओं के विद्यालयों में रिक्त सी0 टी0 वेतनक्रम के पदों पर चयन हेतु विज्ञापन निकाला जा चुका है। नियुक्ति के समय आरक्षण का ध्यान रखा जायेगा।

आर0 बी0 एम0 इन्टर कालेज, तिलहर शाहजहांपुर में जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा श्री बादशाह गुप्ता की तदर्थ नियुक्ति एवं वेतन भुगतान

52—श्री सत्यपाल सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जिला विद्यालय निरीक्षक, शाहजहांपुर ने आर0 वी0 एम0 इन्टर कालेज, तिलहर, जनपद शाहजहांपुर में श्री बादशाह गुप्ता की अवैधानिक तदर्थ नियुक्ति को स्नातक वेतनक्रम (जीव विज्ञान) में बिना पद के दिनांक 27-3-85 को अनुमोदन दिया है और नवम्बर, 1984 से 30 जून, 1985 तक का वेतन भुगतान किया है जबकि माह नवम्बर, 1984 से माह मार्च, 1985 तक वेतन बिल पर वेतन काटा जाता रहा है?

श्री सिब्ते रजी—

श्री बंशीधर गुप्ता की मृत्यु के कारण प्रवक्ता जीव विज्ञान के रिक्त पद पर श्री लक्ष्मी नारायण, सहायक अध्यापक, जीव विज्ञान की तदर्थ प्रोन्नति प्रवक्ता (जीव विज्ञान) पद पर होने के फलस्वरूप [illegible] गुप्ता को उ0 प्र0 माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड अधिनियम 1982 की धारा 18 के अन्तर्गत प्रबन्धक द्वारा की गई तदर्थ नियुक्ति का अनुमोदन जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा दिनांक 16-4-85 को दिया गया है और कार्यभार ग्रहण करने की तिथि 12-11-84 से 30-6-85 तक वेतन भुगतान किया गया है। अनुमोदन के उपरान्त काटे गये वेतन का भुगतान संबंधित अध्यापक को किया गया है।

शासन द्वारा तदर्थ नियुक्तियों पर प्रतिबन्ध एवं अवैधानिक नियुक्तियों की जांच

53—श्री सत्यपाल सिंह—

क्या स्नातक वेतनक्रम (जीव विज्ञान) की इस नियुक्ति को जिला विद्यालय निरीक्षक ने माह अगस्त, 1985 में पुनः अनुमोदन दिया है तथा जुलाई, 1985 से वेतन भुगतान किया है जब कि शासन ने तदर्थ नियुक्तियों पर रोक लगा रखी है? यदि हां, तो क्या शासन इस अवैधानिक नियुक्ति के अनुमोदन की जांच करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

दिनांक 11-9-85 को पुनः अनुमोदन दिया गया है तथा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वेतन भुगतान किया गया है। अधिनियम की धारा 18 के अन्तर्गत अल्पकालिक रिक्ति के प्रति तदर्थ नियुक्तियों पर रोक नहीं है।

राजकीय जूनियर हाई स्कूल के अध्यापकों व प्रधानाध्यापकों एवं जे0 टी0 सी0 का वेतनमान का निर्धारण

54—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माडल स्कूलों हेतु राजाज्ञा संख्या

263×65 दिनांक 28-2-65 के अनुसार राजकीय जूनियर हाई स्कूल के अध्यापकों व प्रधानाध्यापकों एवं जे0 टी0 सी0 का वेतनमान क्या निर्धारित किया गया था तथा राजाज्ञा सं0-ख-1/532/65-15, दिनांक 30-11-68 के द्वारा क्या सारे प्रदेश के माडल स्कूलों के प्रधानाध्यापक और जे0 टी0 सी0 सहायक अध्यापकों से निम्न वेतनमान दिया गया? पिथौरागढ़ के माडल जू0 हा0 स्कूल में कार्यरत अध्यापकों को न्यूनतम वेतन देने का क्या कारण है?

श्री सिब्ते रजी–

संबंधित मूल अभिलेख उपलब्ध नहीं हो सके हैं। तथापि प्राप्त सूचनानुसार प्रश्नगत वेतन निर्धारण संबंधित शासनादेश के अनुसार ही किया गया है।

राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की मांगों पर कृत कार्यवाही

55–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की समस्या के सम्बन्ध में उन्होंने प्रश्नकर्ता के 14 मई, 1985 के पत्र द्वारा प्रेषित कर्मचारियों की मांगों पर बिन्दुवार क्या-क्या कार्यवाही की है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी–

मांगों के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही का बिन्दुवार विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 178 पर)

सीमान्त जनपद पिथौरागढ़ से शासकीय तथा अशासकीय विद्यालयों में कर्मचारियों, अध्यापकों के नवीन पद के सृजन हेतु प्रस्ताव

56–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सीमान्त जनपद पिथौरागढ़ से वर्ष 1984-85 में क्रमशः अशासकीय तथा शासकीय विद्यालयों में अध्यापकों, कर्मचारियों के क्रमशः कितने नवीन पद सृजन हेतु जिला विद्यालय निरीक्षक, पिथौरागढ़ के माध्यम से शिक्षा निदेशक, उ0 प्र0, इलाहाबाद को प्रेषित किए गए? इन पदों के सृजन व पद भरे जाने हेतु अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी–

जिला स्तर से प्राप्त दिनांक 25-2-86 की सूचनानुसार जनपद पिथौरागढ़ के अशासकीय मान्यता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों/कर्मचारियों के कुल 22 पदों तथा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों/कर्मचारियों के 54 पदों के सृजन हेतु प्रस्ताव मण्डलीय अधिकारियों के माध्यम से शिक्षा निदेशालय को भेजे गये। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के लिए वर्ष 1984-85 में प्रेषित प्रस्तावों के अनुसार मांग किये गये नवीन पदों में से अध्यापकों तथा कर्मचारियों के 25 पद सृजित किये गये। इनमें से प्रवक्ताओं के 11 पद रिक्त हैं, जिनमें नियुक्तियां शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश द्वारा की जानी हैं। अशासकीय विद्यालयों में आयोजनेतर पक्ष से पदों के सृजन पर रोक होने के कारण सम्प्रति पद सृजन सम्भव नहीं हो पा रहा है।

आर0 वी0 एम0 इण्टर कालेज तिलहर, शाहजहांपुर में इतिहास प्रवक्ता की अवैध नियुक्ति एवं वेतन भुगतान

57–श्री सत्यपाल सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि आर0 वी0 एम0 इण्टर कालेज तिलहर, शाहजहांपुर में इतिहास प्रवक्ता की नियुक्ति हेतु दिनांक 21-2-82 को राजकीय इण्टर कालेज शाहजहांपुर में चयन समिति की बैठक हुई थी जबकि शासन ने रेडियोग्राम दिनांक 7-4-81 द्वारा नियुक्तियों पर रोक लगा दी थी फिर भी इस विद्यालय में इतिहास प्रवक्ता पद पर नियुक्ति की गयी तथा इस पर नियुक्त व्यक्ति को वेतन भुगतान किया गया है ?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां ।

माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश दिनांक 15-5-81 के अनुपालन में दिनांक 21-2-82 को प्रवक्ता इतिहास के पद का चयन कराया गया । शासन के उक्त रेडियोग्राम प्राप्त होने के तुरन्त बाद माननीय उच्च न्यायालय ने संदर्भित विद्यालय में चयन कराने के आदेश दिये जिसके अनुपालन में चयन कार्यवाही की गई तथा चयनित एवं नियुक्त अध्यापक को वेतन भुगतान किया गया।

58–श्री सत्यपाल सिंह–

क्या यह सही है कि इसी विद्यालय के प्रधानाचार्य ने इतिहास प्रवक्ता की अवैध नियुक्ति को निरस्त किये जाने हेतु दिनांक 17-8-85 को एक प्रार्थना-पत्र शासन तथा विभाग को प्रेषित किया है जिसके साथ माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 26-4-83 की फोटो स्टेट प्रति भी संलग्न थी ? यदि हां, तो शासन ने इस प्रार्थना-पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां ।

प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीन होने के कारण विभागीय स्तर से कोई कार्यवाही करना अपेक्षित नहीं है।

आर0 वी0 एम0 इण्टर कालेज, तिलहर, जनपद शाहजहांपुर में सी0 टी0 वेतनक्रम में अध्यापकों का चयन

59–श्री सत्यपाल सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि आर0 वी0 एम0 इण्टर कालेज, तिलहर, जनपद शाहजहांपुर में सी0 टी0 वेतनक्रम के तीन पदों के चयन हेतु दिनांक 26-7-81 को राजकीय इण्टर कालेज, शाहजहांपुर में चयन समिति की बैठक हुई थी तथा तीन पदों में से दो पद अनुसूचित जाति तथा एक पद पिछड़ी जाति के लिए आरक्षित था ? क्या यह सत्य है कि पिछड़ी जाति के अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करवा दिया गया किन्तु अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को प्रबन्धक ने कार्यभार ग्रहण नहीं करवाया है जिस कारण सी0 टी0 वेतनक्रम के दो पद समाप्त हो गये ? क्या यह भी सत्य है कि श्री तोताराम का सी0 टी0 वेतनक्रम में मंगलसेन इण्टर कालेज शाहजहांपुर से इस विद्यालय में वर्ष 1984 में स्थानान्तरण कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या शासन इस अवैधानिक स्थानान्तरण की जांच कराकर नियमानुसार कार्यवाही करने पर विचार कर रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी–

सी0 टी0 वेतनक्रम में केवल दो पदों के चयन हेतु दिनांक 26-7-81 को

चयन समिति की बैठक हुई थी । दो पदों में से एक पद पिछड़ी जाति के लिए आरक्षित था। अनुसूचित जाति के लिए कोई पद आरक्षित नहीं था । पिछड़ी जाति के अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करवा दिया गया। अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने का प्रश्न ही नहीं उठता। शेष एक पद समाप्त होने का प्रश्न नहीं है क्योंकि चयन कार्यवाही हुई है । सामान्य श्रेणी के चयनित अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण न करने के कारण रिक्त पद को स्थानान्तरण से भरा गया ।

गणेश कृष्ण जेतली उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, अकबरपुर, जनपद फैजाबाद को दान द्वारा प्राप्त कथित भूमि

60–श्री अकबर हुसैन बाबर–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गणेश कृष्ण जेतली उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, अकबरपुर, फैजाबाद के नाम ग्राम अटंगी, तहसील अकबरपुर, जनपद फैजाबाद में दान द्वारा कुछ भूमि प्राप्त हुई थी ? यदि हां, तो उसका रकबा कितना था और अब स्कूल के पास उस भूमि में से कितना रकबा बचा है ? यदि कम हुआ है तो उसकी बिक्री से विद्यालय को कितनी धनराशि प्राप्त हुई ?

श्री सिब्ते रजी–

प्राप्त सूचना के अनुसार कथित विद्यालय को ग्राम अटंगी, तहसील अकबरपुर, जनपद फैजाबाद की कोई भूमि दान द्वारा प्राप्त नहीं हुई है।

रामधारी इण्टर कालेज, पगरा, देवरिया के प्रबन्धक के विरुद्ध कार्यवाही

61–श्री देवेन्द्र कुमार सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद रामधारी इण्टर कालेज पगरा, देवरिया के प्रबन्धक ने शिक्षा अधिनियम के प्राविधानों के विपरीत उक्त विद्यालय में अपने भाई तथा बहनोई को नियुक्त किया है ? यदि हां, तो प्रबन्धक के विरुद्ध शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां ।

शिक्षा निदेशक द्वारा इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम की धारा 16 घ (2) के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है ।

जनपद फैजाबाद के कतिपय विकास खण्डों में एकीकृत योजना एवं स्पेशल कम्पोनेन्ट की लम्बित पत्रावलियों का विवरण

62–श्री शेर बहादुर सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद के विकास खण्ड भियांव, जलालपुर तथा अकबरपुर की कितनी पत्रावलियां सन् 1980 से आज तक एकीकृत योजना एवं स्पेशल कम्पोनेन्ट की लम्बित हैं, जिन पर अभी सम्बन्धित लोगों को छूट नहीं मिली है और क्यों? क्या सम्बन्धित अधिकारियों तथा कर्मचारियों के विरुद्ध सरकार जांच करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जनपद फैजाबाद में एकीकृत ग्राम्य विकास योजनान्तर्गत वर्ष 1980 से अब तक सन्दर्भित विकास खण्डों में अनुदान

की लम्बित पत्रावलियों का विवरण निम्नवत् है :—

विकास खण्ड का नाम	वर्ष 1980 से से मार्च, 1986 तक लम्बित अनुदान पत्रावलियों की संख्या	मार्च, 1986 के बाद निस्तारित पत्रावलियों की संख्या	अगस्त, 1986 में अवशेष लम्बित पत्रावलियों की संख्या
1—मियांव ..	5	4	1
2—जलालपुर ..	34	29	5
3—अकबरपुर ..	35	11	24
कुल ..	74	44	30

उक्त लम्बित 30 पत्रावलियों में कतिपय आपत्तियां पायी गयी हैं जिनके निराकरण हेतु उन्हें सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारियों को पुनः भेजा गया है और उनके प्राप्त होने पर उनका भी निस्तारण यथाशीघ्र कर दिया जायेगा । स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान की कोई पत्रावली भुगतान हेतु लम्बित नहीं है।

सम्बन्धित अधिकारियों तथा कर्मचारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा जांच कराने की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है क्योंकि समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति हो जाने पर ही अनुदान दिया जाना अनुमन्य होता है।

शिक्षा विभाग में कार्यरत आशुलिपिकों को चयन वेतनमान देने पर विचार

63—श्री शफीकुर्रहमान वर्क—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा विभाग में कार्यरत आशुलिपिकों को निर्धारित सेवा अवधि पर 1-7-82 को रु0 620—820 का चयन वेतनमान स्वीकृत करने के आदेश दिये हैं ? यदि हां, तो इनमें से कितने आशुलिपिकों को चयन वेतनमान का भुगतान किया जा चुका है ? यदि नहीं, तो अब तक भुगतान न होने के क्या कारण हैं ?

श्री सिब्ते रजी—

जी हां ।

संख्या मण्डलीय उप शिक्षा निदेशकों से मांगी गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

64—श्री शफीकुर्रहमान बर्क—

क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा विभाग में कार्यरत अन्य कर्मचारियों को चयन वेतनमान की सुविधा 1-7-79 से दी गयी है ? यदि हां, तो आशुलिपिकों को यह सुविधा 1-7-79 से क्यों नहीं प्रदान की गयी है ?

श्री सिब्ते रजी—

किसी शिक्षणेत्तर कर्मचारी को 1 जुलाई, 1979 से चयन वेतनमान की सुविधा नहीं दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजियाबाद के विकास खण्ड दादरी एवं विसरख की कन्या पाठशालाओं में शिक्षिकायें एवं भवन का विवरण

65–श्री महेन्द्र सिंह भाटी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद के विकास खण्ड दादरी एवं विसरख में कितनी कन्या पाठशालायें हैं तथा उन कन्या पाठशालाओं में कितनी शिक्षिकायें हैं और उनमें कितनी पाठशालाओं के पास अपने भवन हैं और उनमें कितने टूटे हुए हैं? क्या पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने का कष्ट करेंगे?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

विवरण निम्नवत है :–

	विकास खण्ड दादरी	विकास खण्ड विसरख
1––प्राइमरी पाठशाला की संख्या . .	46	89
2––कार्यरत अध्यापकों की संख्या . .	28	80
3––प्राइमरी पाठशाला की संख्या जिनके पास अपने भवन हैं ।	41	80
4––प्राइमरी पाठशाला की संख्या जिनके भवन टूटे हुए हैं ।	17	7

गोरखपुर जनपद के भवनहीन बेसिक प्राइमरी पाठशालाओं की संख्या एवं निर्माण

66–श्री हर्ष वर्धन–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्तमान में गोरखपुर जनपद में कुल कितने बेसिक प्राइमरी पाठशाला बिना भवन के हैं ? इन पाठशालाओं के भवन निर्माण हेतु शासकीय नीति क्या है ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

445 विद्यालय ।

प्रत्येक वर्ष जिला योजनान्तर्गत उपलब्ध वित्तीय संसाधन से भवनहीन प्राइमरी पाठशाला भवनों का निर्माण जिला बेसिक शिक्षा समिति/जिला शिक्षा सलाहकार समिति के चयनोपरान्त वरीयता क्रम में कराया जाता है।

छात्रा महेशा देवी का व्यक्तिगत हाईस्कूल का परिणाम रोके जाने संबंधी शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही

67–श्री राम सागर–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि छात्रा महेशा देवी अनुक्रमांक 137466 व्यक्तिगत हाईस्कूल परीक्षा केन्द्र श्री दुर्गा म0 इण्टर कालेज सूर्यपुर, बाराबंकी का ट्रेजरी में पैसा न जमा करने एवं गृह विज्ञान की प्रैक्टिकल परीक्षा न देने का आरोप लगाकर रिजल्ट रोका गया था एवं इस संबंध में छात्र द्वारा प्रश्नकर्ता के माध्यम से एक रजि0 ले0 नं0 3289 दिनांक 13-11-85 के द्वारा प्रैक्टिल परीक्षा में शामिल होने एवं ट्रेजरी में पैसा जमा करने का फोटो स्टेट एवं सत्यापित प्रमाण पत्र के साथ शिकायती पत्र श्रीमान सचिव, मा0 शि0 परिषद्, उत्तर प्रदेश को भेजा गया था, जिसकी

पावती की सूचना प्रश्नकर्ता को सचिव महोदय ने दी थी ? यदि हां, तो शिकायती प्रार्थना पत्र के बारे में अब तक क्या जांच एवं आवश्यक कार्यवाही करायी गयी ?

श्री सिब्ते रजी–

हां । संबंधित छात्रा महेशा देवी, अनुक्रमांक 1371466 का परीक्षाफल क्रेडिट प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु प्रतिबंधित था । प्रश्न में उल्लिखित शिकायती प्रार्थना पत्र क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी को दिनांक 24-11-85 को भेजकर संबंधित छात्रा का परीक्षाफल, जनवरी, 1986 में ही घोषित कर दिया गया है । गृह विज्ञान प्रयोगात्मक के अंकों की प्रविष्टि कर संशोधित परीक्षाफल भी दिनांक 21-3-86 को भेज दिया गया है। परीक्षार्थिनी ने 284 अंक अर्जित करके द्वितीय श्रेणी प्राप्त की है ।

ज0 हा0 स्कूल करियाकलां, इलाहाबाद का भवन एवं छात्रों की संख्या

68–कुंवर रेवती रमण सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि ज0 हा0 स्कूल करियाकलां, ब्लाक शंकरगढ़, जिला इलाहाबाद में विद्यालय का कोई भवन है ? यदि हां, तो विगत पांच वर्षों में छात्रों की संख्या क्या है ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

जी नहीं ।

भवन ध्वस्त हो चुका है ।

शून्य ।

तहसील हण्डिया, जनपद इलाहाबाद में हुई बस दुर्घटना तथा मृतकों के आश्रितों को आर्थिक सहायता का वितरण

69–श्री राकेश धर त्रिपाठी–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि माह अप्रैल, 1985 में तह0 हण्डिया, जनपद इलाहाबाद में हुई बस दुर्घटना में मृत व्यक्तियों के आश्रित परिवार को अनुग्रह धनराशि देने हेतु जिलाधिकारी इलाहाबाद द्वारा किसी प्रकार की घोषणा की गयी थी? यदि हां, तो वह कितनी-कितनी धनराशि प्रत्येक परिवार को देने की थी ?

डक्टर संजय सिंह–

जी नहीं । अनुग्रह धनराशि देने की घोषणा जिलाधिकारी, इलाहाबाद द्वारा नहीं की गई थी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

70–श्री राकेशधर त्रिपाठी –

क्या यह सही है कि उपरोक्त दुर्घटना में अनुग्रह धनराशि देने हेतु जिलाधिकारी इलाहाबाद द्वारा शासन से स्वीकृति हेतु पत्र लिखा गया था तथा वह पत्र अब भी शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो जिलाधिकारी के पत्र के तथ्य क्या हैं और शासन स्तर से उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी तथा मृत व्यक्तियों के आश्रित परिवारों को कब तक अनुग्रह धनराशि उपलब्ध करा दी जायेगी ?

डाक्टर संजय सिंह–

उपर्युक्त दुर्घटना में मृत 5 व्यक्तियों में से एक की शिनाख्त नहीं हो पायी थी। शेष 4 मृतकों के आश्रितों को एक-एक हजार रुपये की दर से कुल चार हजार रुपये की आर्थिक सहायता वितरित कर दी गयी है ।

71–श्री रमाकान्त मिश्र–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

कानपुर कन्या महाविद्यालय, किदवई नगर में कलर्कों का वेतन

72–श्री मनोहर लाल–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर कन्या महाविद्यालय किदवई नगर में

विगत 3 साल से 2 हरिजन क्लर्कों को वेतन नहीं मिल रहा है जबकि उनकी नियुक्ति हरिजन कोटे में की गई थी ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी–

पद के अभाव एवं नियुक्ति अनियमित होने के कारण मण्डलीय-बालिका विद्यालय निरीक्षिका, चतुर्थ मण्डल, इलाहाबाद द्वारा उक्त नियुक्ति संसूचित नहीं की गयी, अतः वेतन देना सम्भव नहीं है । प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय में विचाराधीन है ।

बरेली जनपद के अशासकीय इन्टरमीडिएट कालेजों में प्रधानाचार्यों के रिक्त पद

73–श्री अवनीश कुमार सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली जनपद में कितने इन्टरमीडिएट कालेज के प्रधानाचार्यों के स्थान रिक्त हैं? क्या माध्यमिक शिक्षा आयोग इन रिक्तियों का विज्ञापन करके साक्षात्कार ले चुका है? यदि हां, तो उसका परिणाम घोषित किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी–

जनपद बरेली के 6 अशासकीय इन्टरमीडिएट कालेजों के प्रधानाचार्यों के पद रिक्त हैं । 4 इण्टरमीडिएट कालेजों के प्रधानाचार्यों के पद हेतु आयोग द्वारा विज्ञापन किया जा चुका है, जिनमें से एक पद हेतु साक्षात्कार के उपरान्त चयन हो चुका है, एक पद हेतु साक्षात्कार नहीं हुआ है तथा तथा दो पदों हेतु न्यायालयी विवाद के कारण साक्षात्कार नहीं हो सका है । दिनांक 30-6-86 को सेवानिवृत्त के फलस्वरूप प्रधानाचार्य के रिक्त दो पदों हेतु अधियाचन अभी तक विद्यालयों से प्राप्त नहीं हुए हैं। उपरोक्त पदों में से केवल एक का परिणाम घोषित हुआ ।

श्री अखण्ड प्रताप सिंह, ग्राम व पो0 दारीडीहा तथा श्री राम अवतार सिंह ग्राम व पोस्ट अशरफपुर बरवा जनपद फैजाबाद के शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही

74–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री अखण्ड प्रताप सिंह, निवासी ग्राम व पोस्ट दारीडीहा, जनपद फैजाबाद तथा श्री राम अवतार सिंह निवासी ग्राम व पोस्ट अशरफपुर बरवा, जनपद फैजाबाद का शिकायती प्रार्थना पत्र प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 1-8-85 के साथ उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो शिकायतों की जांच किस अधिकारी से करायी गयी और जांच रिपोर्ट तथा उस पर कृत कार्यवाही का विवरण क्या है ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

जी हां ।

शिक्षा निदेशक (बेसिक) को आवश्यक कार्यवाही हेतु लिखा गया है । उनकी आख्या अभी प्राप्त नहीं हुई है ।

एम0 बी0 राजकीय महाविद्यालय, नैनीताल के प्रान्तीयकरण के उपरान्त शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के संविलयन हेतु किये गये प्रयास

75–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद नैनीताल के एम0 बी0 राजकीय महाविद्यालय के प्रान्तीयकरण के शासनादेश दिनांक 26-3-82 के अनुसार तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का राजकीय सेवा में विलीनीकरण एवं स्थायीकरण न करने के क्या कारण है ?इन कर्मचारियों के नियमितीकरण करने हेतु शासन ने क्या-क्या कदम उठाये है ?यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी–

महाविद्यालय के प्रान्तीयकरण संबंधी शासनादेश में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के संविलयन हेतु

संबंधित पदों के नियुक्ति अधिकारियों को समिति गठित कर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दे दिये गये हैं ।

सीमान्त जनपद पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी में राजकीय जूनियर हाई-स्कूल में कार्यरत प्रधान व सहायक अध्यापकों के वेतन में कथित विसंगति

76–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि सीमान्त जनपद पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी में राजकीय जूनियर हाईस्कूल में कार्यरत प्रधान व सहायक अध्यापकों को दिनांक 1-4-65 को मिलने वाले वेतन-क्रम को दिनांक 1-9-69 में वेतन पुनरीक्षण करने पर वित्त हस्तपुस्तिका खण्ड 2 भाग 2 से 4, मूल नियम 22 के अन्तर्गत समीक्षा अनुदेश (आडिट इन्सट्रक्शन) के अनुसार वेतन विसंगति हुई है ? यदि हां, तो सरकार ने इस विसंगति को दूर करने हेतु अब तक क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी–

जी नहीं। कोई विसंगति होने की सूचना नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

निर्माण इकाई पी0 डब्लू0 डी0, करवी को जूनियर हाईस्कूल, सुरसन, बांदा के भवन निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि

77–श्री राम सजीवन–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम सुरसन, विकास खण्ड पहाड़ी, जिला बांदा में जूनियर हाईस्कूल भवन के निर्माण हेतु 25-9-83 को सामान्य निर्माण शिक्षा विभाग बांदा द्वारा निर्माण इकाई पी0 डब्लू0 डी0 करवी को चेक नं0 2185/27 दिनांक 25-9-83 के जरिये एक लाख छप्पन हजार नौ सौ पच्चीस रुपये दिये गये थे ? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि भवन का निर्माण नहीं हुआ और धनराशि हड़प ली गयी है ? यदि हां, तो इसके लिए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

जी हां । चेक नं0 2185/27 दिनांक 25-1-83 द्वारा धनराशि स्वीकृत की गयी थी। जी हां ।

जी नहीं। धन सुरक्षित है।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

78–श्री सुखपाल खण्डे तथा श्री कामेश्वर उपाध्याय–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

श्री राम निवास गुप्ता, लिपिक जिला विद्यालय निरीक्षक, बरेली का अनियमित नियुक्ति के विरुद्ध दिया गया प्रतिवेदन

79–श्री सत्यपाल सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राम निवास गुप्ता, लिपिक, जिला विद्यालय निरीक्षक, बरेली का श्री नत्थू लाल शर्मा तथा मिराज अली लिपिक की वर्ष 1979 में की गयी अनियमित प्रोन्नति के विरुद्ध प्रत्यावेदन पर शिक्षा निदेशक ने क्या निर्णय लिया है तथा श्री गुप्ता के वरिष्ठ होते उन्हें जनवरी, 1985 में प्रोन्नति दी गयी है ? यदि हां, तो प्रोन्नति न देने के फलस्वरूप श्री गुप्ता को जो आर्थिक हानि हुई है उसका दायित्व किस पर है तथा उसके विरुद्ध शासन क्या कार्यवाही कर रहा है ?

श्री सिब्ते रजी–

श्री राम निवास गुप्ता का प्रत्यावेदन विचारोपरान्त अस्वीकार कर दिया गया।

जी हां ।

वर्ष 1985 के पूर्व प्रोन्नति हेतु उपयुक्त नहीं पाये गये । अतः इसमें किसी अन्य के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

अपर परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश का सेवा विस्तार की स्वीकृति

80—श्री शारदा प्रताप—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन की स्पष्ट नीति के विरुद्ध अपर परिवहन आयुक्त, उत्तर आदेश जो दिनांक 31 अक्टूबर, 1985 को सेवा निवृत्त होने वाले थे, का 31 जनवरी, 1986 तक सेवाविस्तार किया गया है तथा उसे आगे और बढ़ाया जा रहा है जबकि परिवहन आयुक्त ने सेवा-विस्तार न किये जाने की संस्तुति की थी। यदि हां, तो क्या विभाग के अन्य कर्मचारियों/अधिकारियों का भी सेवा विस्तार किया जायगा जो निकट भविष्य में सेवा निवृत्त होने वाले हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर संजय सिंह—

अपर परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश 31 अक्टूबर, 1985 को सेवानिवृत्त होने वाले थे। किन्तु जनहित में अपवाद स्वरूप परिवहन आयुक्त के लम्बे अवकाश पर चले जाने के कारण दिनांक 31-1-1986 तक सेवा विस्तार स्वीकृत किया गया था। दिनांक 31-1-86 को अपराह्न से वे सेवा निवृत्त हो गये ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

केन ग्रेवर्स इण्टर कालेज, जंग बहादुरगंज, खीरी में गबन, प्रबन्ध समिति को भंग करने का आदेश

81—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि केन ग्रोवर्स इण्टर कालेज, जंगबहादुरगंज, खीरी के भूतपूर्व प्रधानाचार्य के समय जो लगभग 21,000 रुपये का गबन हुआ था, उसकी अदायगी सम्बन्धित अधिकारियों से प्रबन्धतंत्र द्वारा करवा ली गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों? विभाग इसके लिये क्या कर रहा है ?

श्री सिब्ते रजी—

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नगत विद्यालय के भूतपूर्व प्रधानाचार्य श्री राम प्रताप सिंह के समय में विद्यालय के विभिन्न मदों के रु0 21,484.30 पैसे के गबन का प्रकरण प्रकाश में आया था जिसे जमा करने के लिये जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा प्रबन्ध तन्त्र को लिखा गया। प्रबन्ध तन्त्र ने सूचित किया कि कथित गबन श्री महेन्द्र प्रताप सिंह प्रधान लिपिक द्वारा किया गया था जिन्हें निलम्बित कर दिया गया था और गबन के सम्बन्ध में पुलिस कार्यवाही की गयी थी। इसी बीच उक्त लिपिक का 16-11-74 को देहान्त हो गया। लिपिक के नाम कोई चल/अचल सम्पत्ति न होने के कारण धन की वसूली नहीं हो पायी।

82—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि विद्यालय के वरिष्ठ प्रवक्ता को विभागीय आदेशों के होते हुए भी अब तक चार्ज क्यों नहीं दिलाया गया ? चार्ज न देने पर उप शिक्षा निदेशक द्वारा प्रबन्ध समिति को भंग करने हेतु जो कई आदेश जिला विद्यालय निरीक्षक, खीरी को दिये गये उनका पालन जि0 वि0 नि0, खीरी ने अब तक क्यों नहीं किया?

श्री सिब्ते रजी—

जिला विद्यालय निरीक्षक, लखीमपुर-खीरी द्वारा वरिष्ठतम प्रवक्ता को प्रधानाचार्य के पद पर का चार्ज सौंपने हेतु प्रबन्धक को अनेकों पत्र भेजे गये परन्तु उन्होंने वरिष्ठतम प्रवक्ता श्री देवी दयाल मिश्र को प्रधानाचार्य के पद का चार्ज

नहीं दिया। प्रबन्धक ने जिला विद्यालय निरीक्षक को अपने पत्र द्वारा सूचित किया कि श्री मिश्र द्वारा विद्यालय में अनुशासन तथा व्यवस्था बनाये रखना सम्भव नहीं है तथा उनके द्वारा काफी घोटाला किये जाने की सम्भावना है।

उपशिक्षा निदेशक, लखनऊ द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में जिला विद्यालय निरीक्षक के पत्र दिनांक 26-12-85 द्वारा प्रबन्धतन्त्र को भंग करने की नोटिस दी गयी और कनिष्ठ प्रवक्ता को दिये गये चार्ज को अमान्य करके विद्यालय का एकल-संचालन कर दिया गया। कनिष्ठ प्रवक्ता को प्रधानाचार्य के पद का चार्ज सौंपे जाने के कारण उनको इस पद का कोई अतिरिक्त वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है।

केन ग्रोवर्स इन्टर कालेज, जंगबहादुरगंज, खीरी में कार्यवाहक प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर वेतन बिल में अमान्य घोषित किया जाना

83—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उप शिक्षा निदेशक के आदेशानुसार अवैधानिक कार्यवाहक प्रधानाचार्य, केन ग्रोवर्स इण्टर कालेज, जंगबहादुरगंज, खीरी के हस्ताक्षरों को जि0 वि0 नि0 ने अमान्य कर वेतन बिल से काट दिये गये हैं, तो विद्यालय के अन्य खातों का संचालन वह कैसे कर रहे हैं? उनको तत्काल बन्द क्यों नहीं किया जा रहा है?

श्री सिव्ते रजी—

प्रबन्धक, केन ग्रोवर्स इण्टर कालेज, जंगबहादुरगंज, खीरी द्वारा विद्यालय के प्रधानाचार्य के पद का चार्ज वरिष्ठ प्रवक्ता को न देकर कनिष्ठ प्रवक्ता को दिये जाने के कारण उपशिक्षा निदेशक पष्टम मण्डल लखनऊ के निर्देशानुसार कनिष्ठ प्रवक्ता श्री ओंकार नाथ बाजपेयी के हस्ताक्षर अमान्य कर दिये गये हैं और वेतन वितरण अधिनियम के अन्तर्गत विद्यालय के संयुक्त खातों का एकल संचालन किया गया है। विद्यालय के अन्य खातों का संचालन प्रबन्धक द्वारा पूर्ववत् किया जा रहा है।

प्राइमरी स्कूल खेरिया, मैनपुरी के सहा0 अध्यापक श्री पुरुषोत्तम सिंह के कार्य में उदासीनता के फलस्वरूप स्थानान्तरण किये जाने सम्बन्धी शिकायती पत्र

84—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि बेसिक शिक्षा परिषद् मैनपुरी के वि0 क्षे0 खैरगढ़ के प्राइमरी स्कूल खेरिया शिकमी गोहाना में श्री पुरुषोत्तम सिंह सहायक अध्यापक के पद पर 1980 से कार्यरत हैं? क्या यह सही है कि इनके सेवाकाल में इनकी उदासीनता एवं अनुपस्थित रहने एवं विलम्ब से आने के कारण छात्र संख्या बिलकुल समाप्त हो गयी है? क्या इस गांव के छात्र दूसरे गांव के स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं? यदि हां, तो इनका प्रशासनिक आधार पर तत्काल स्थानान्तरण करके इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी और इनके स्थान की पूर्ति के लिए श्री महावीर सिंह स0 अ0 इटाहरी का स्थानान्तरण किया जायेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री—

जी हां।

जी नहीं।

ऐसी कोई जानकारी नहीं है।

यह समय की आवश्यकता पर निर्भर करता है।

85–श्री राम आसरे वर्मा–
[दिनांक 26-8-86 के अता0 प्र0 सं0 145 द्वारा उत्तरित]

स्वर्गीय श्री महादेव प्रसाद वर्मा प्र0 अध्यापक जू0 हा0 स्कूल बासा, हरदोई के आश्रितों को सेवा में लिए जाने हेतु आदेश

86–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री महादेव प्रसाद वर्मा प्र0 अध्यापक जू0 हा0 स्कूल बांसा, हरदोई की मृत्यु 4-10-83 को सेवा अवधि के दौरान हुई थी ? यदि हां, तो क्या मृतक आश्रित कोटे में उनके पुत्र श्री धीरेन्द्र वर्मा को सेवा में लिए जाने हेतु शिक्षा मंत्री के **आदेश के परिपेक्ष्य में सचिव बेसिक** शिक्षा परिषद् इलाहाबाद ने अपने पत्र संख्या बे0 शि0 प0/प्रबंध-7-84/85 द्वारा बेसिक शिक्षा अधिकारी हरदोई को आदेशित किया था? यदि हां, तो अब तक सेवा में न लिए जाने के क्या कारण हैं और उन्हें कब तक सेवा में ले लिया जाएगा ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

जी हां ।

जी हां ।

बेसिक शिक्षा परिषद् के नियमों के अनुसार मृतक अध्यापिकों के आश्रितों को मृत्यु की तिथि के आधार पर वरीयता क्रम तथा शैक्षिक योग्यता के अनुसार उपलब्ध रिक्ति पर नियुक्ति दिये जाने के आदेश हैं। बेसिक शिक्षा अधिकारी, हरदोई के कार्यालय में मृतक आश्रितों के प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर नियमानुसार तैयार की गई सूची के क्रमांक 13 पर श्री धीरेन्द्र वर्मा का नाम है । अतः पद रिक्त होने तथा क्रम आने पर नियुक्ति की कार्यवाही सम्भव हो सकेगी ।

87–श्री राम आसरे वर्मा–
[**1वे गुरुवार में अता0प्र0सं0 110 के** अन्तर्गत स्थानान्तरित]

88–श्री राम आसरे वर्मा–
[3रे सोमवार के लिए स्थागित]

89–श्री राम आसरे वर्मा–
[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

जिला परिषद् मथुरा द्वारा किये गये नये विकास कार्य पर व्यय एवं विवरण

90–श्री सरदार सिंह–

क्या ग्राम्य एवं पंचायत राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला परिषद् मथुरा ने वर्ष 1984-85 व 85-86 में कौन-कौन से नये विकास कार्य किये तथा किन-किन की मरम्मत की तथा उन पर कार्य वाइज कितना व्यय हुआ ? क्या मंत्री जी पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

वर्ष 1984-85 में जिला परिषद् मथुरा ने छाता कस्बे में 14 दुकानों का निर्माण कराया तथा राया कस्बे में 13 दुकानों का निर्माण कार्य प्रारम्भ करके वर्ष 1985-86 में पूर्ण किया गया । वर्ष 1984-85 में 2 सड़कों और 3 प्राइमरी स्कूल भवनों तथा वर्ष 1985-86 में 48 स्कूल भवनों एवं 4 सम्पर्क मार्गों की मरम्मत करायी गई । निर्माण तथा मरम्मत कार्य पर व्यय की गयी धनराशि का कार्यवार विवरण संलग्न है ।

जी हां, विवरण संलग्न है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 179-180 पर)

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र गोकुल (मथुरा) में संबंधित विकास खण्डों में किए गये विकास कार्य का विवरण एवं व्यय

91–श्री सरदार सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र गोकुल (मथुरा) में संबंधित विकास खण्डों में वित्तीय वर्ष 1985-86 में कौन-कौन से विकास कार्य किस-किस गांव में किये और उन पर कितना-कितना व्यय हुआ? क्या मंत्री जी पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

विधान सभा क्षेत्र गोकुल (मथुरा) में तीन विकास खण्ड मांट, राया तथा बल्देव के ग्राम सम्मिलित हैं। इन विकास खंडों के अंतर्गत किए गये विकास कार्यों तथा व्यय के विवरण संलग्न हैं।

ग्रामवार सूची। माननीय सदस्य मेरे कक्ष में देख सकते हैं।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ 181-182 पर)

92–श्री सरदार सिंह–

[1ले गुरुवार में अता0 प्र0 सं0 63 के अंतर्गत स्थानान्तरित]

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा डिवीजन मथुरा में किये गये विकास कार्यों का विवरण एवं व्यय

93–श्री सरदार सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा डिवीजन मथुरा ने वर्ष 1985-86 में कौन-कौन से विकास कार्य किये और उन पर कितना-कितना व्यय हुआ? विधान सभाई क्षेत्र वाइज मंत्री जी पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा के अन्तर्गत मथुरा प्रखण्ड में वर्ष 1985-86 में निम्न कार्य कराये गये जिनका व्यय उनके समक्ष अंकित हैं :–

कार्य का नाम	व्यय धनराशि (लाख रु0 में)
1––22 भवन/1000 मीटर लम्बी दीवाल का निर्माण (22 भवनों में 1000 मीटर दीवाल का कार्य भी सम्मिलित है)।	27.962
2––24.855 कि0मी0 मार्ग तथा 35 पुलियों का निर्माण ..	16.602
3––उपरोक्त के अतिरिक्त विभिन्न विधान सभा क्षेत्रों में 26.594 किमी0 मिट्टी/सोलिंग मार्ग एवं 23 पुलियों की मरम्मत।	1.131
योग ..	45.695

विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ 183 पर)

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा खण्ड, मथुरा द्वारा जवाहरबाग, मथुरा की दीवाल का निर्माण

94–श्री सरदार सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जवाहरबाग मथुरा की बाउन्ड्री दीवाल को ग्रामीण अभियंत्रण सेवा खण्ड मथुरा द्वारा निर्मित कराया जा रहा है ? यदि हां, तो दीवाल के बनने में हुए विल-

म्ब के क्या कारण हैं? क्या शासन उक्त दीवाल के निर्माण में विलम्ब करने वाले अधिकारियों को दण्डित कर दीवाल को अविलम्ब निर्मित कराने की कृपा करेंगी यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी हां।

उक्त बाउन्ड्री दीवाल कुल 4500 मी0 लम्बी है। वर्ष 1983-84 में रु0 2·5 लाख व वर्ष 1984-85 में रु0 6·98 लाख उद्यान विभाग द्वारा इस कार्य के लिए आवंटित की गई और जुलाई 1986 तक उसका उपयोग हो गया। 2200 मी0 लम्बी दीवाल बन चुकी है। मई 1986 में उद्यान विभाग से औपचारिक रूप से 7·69 लाख रु0 की धनराशि इस कार्य के लिये प्राप्त हुई है और इस वर्ष 1500 मीटर लम्बी दीवाल का निर्माण प्रस्तावित है। उक्त कार्य इस वित्तीय वर्ष में पूर्ण होने की सम्भावना है।

उपरोक्त से विदित होगा कि निर्माण में कोई विशेष विलम्ब नहीं हुआ है अपितु जैसे-जैसे धनराशि उद्यान विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जाती रही है, तद्नुसार कार्य सम्पन्न कराया जाता रहा है।

एन0 आर0 ई0 पी0 एवं आर0 एल0 जी0 पी0 तथा अन्य योजनाओं के अंतर्गत जनपद मथुरा में मार्गों का निर्माण, आवंटित धनराशि

95–श्री सरदार सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 85-86 में एन0 आर0 ई0 पी0 आर0 एल0 जी0 पी0 एवं अन्य योजनाओं के अंतर्गत जनपद मथुरा में विभिन्न मार्गों का निर्माण हुआ था? यदि हां, तो अपर जिलाधिकारी परियोजना ने किन-किन विभागों को कितनी-कितनी धनराशि किस किस कार्य के लिए आवंटित की थी तथा आवंटन का मानक क्या था?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी हां।

अपर जिलाधिकारी परियोजना द्वारा एन आर0 ई0 पी0 के अन्तर्गत विभागों को दी गई धनराशि का विवरण परिशिष्ट ''क'' पर संलग्न है तथा आर0 एल0 ई0 जी0 पी0 के अंतर्गत प्रान्तीय खण्ड को 47·35 लाख रुपये एवं अस्थायी खण्ड को 33·65 लाख रुपये मार्गों के निर्माण के लिए आवंटित हुये थे। धन की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुये स्वीकृत कार्यों पर विभागों द्वारा प्रेषित आंकलनों के विपरीत धन उपलब्ध कराये जाने का मानक था।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ 184 पर)

अधिशासी अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, सुल्तानपुर के विरुद्ध शिकायती पत्र तथा कृत कार्यवाही का विवरण

96–श्री शिवनारायण मिश्रा–

क्या ग्राम विकास एवं पंचायत राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 17-3-86 जो अधिशासी अभियंता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा सुल्तानपुर के विरुद्ध था जिसके सन्दर्भ में मंत्री जी ने 22 मार्च 86 को उत्तर दिया है कि सचिव ग्राम्य विकास को जांच के लिये भेज दिया गया है, पर क्या कार्यवाही हुई? यदि नहीं, तो कारण क्या है?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

ग्राम्य विकास विभाग की प्राविधिक सम्परीक्षा कोष्ठ द्वारा करायी गयी जांच से ज्ञात हुआ है कि अधिशासी अभियंता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, सुल्तानपुर ने

कार्यों के हित में जी0 पी0 डब्लू-फार्म-9 के अन्तर्गत कार्यवाही करके ठेकेदारों के अनुबन्ध को निरस्त किया था जोकि अधिशासी अभियंता द्वारा व्यक्त की गयी परिस्थितियों एवं कार्यों के हित को देखते हुये नियमानुसार है।

क्षेत्र विकास अधिकारी, प्रतापपुर के विरुद्ध पत्र पर कृत कार्यवाही

97–श्री शिव नारायण मिश्रा–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे दिनांक 24-2-86 को क्षेत्र विकास अधिकारी प्रतापपुर कर्मचारी के विरुद्ध प्रश्नकर्ता का कोई पत्र मिला है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं तो कारण क्या है? क्या दोषी अधिकारी को आरोप सिद्ध होने पर तत्काल हटायेंगे?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी हां।

प्रश्नकर्ता के उक्त पत्र दिनांक 24-2-86 में इंगित शिकायतों की जांच कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पुलिस सेल द्वारा की जा रही है। जिला कृषि अधिकारी सुलतानपुर द्वारा संबंधित सहायक कृषि निरीक्षक को निलम्बित करके उनसे उनके चार्ज हस्तांतरित करा दिया गया है। धारा 409 के अन्तर्गत मुकदमा दायर कर मामला न्यायालय में विचाराधीन है। संबंधित खण्ड विकास अधिकारी के विरुद्ध कोई स्पष्ट आरोप सिद्ध नहीं हो पाया है तथापि उनका स्थानान्तरण विकास खण्ड भादर के लिए किया जा चुका है।

बस स्टैण्ड राया (मथुरा) पर अधिकतर बसों के न रुकने से यात्रियों को असुविधा सम्बन्धी कथित शिकायत

98–श्री सरदार सिंह–

क्या परिवहन मंत्री की जानकारी में है कि बस स्टैण्ड राया (मथुरा) पर अधिकतर बसें न रुकने के कारण सवारियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है और अलीगढ़ डिपो के चालक, परिचालक शासन के आदेशों का खुला उल्लंघन करते हैं? यदि हां, तो क्या शासन इस अनियमित प्रवृत्ति को रोकने तथा दोषी चालक, परिचालकों के खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही करने की कृपा करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

डाक्टर संजय सिंह–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

बस स्टैण्ड राया (मथुरा) के परिसर में व्याप्त गन्दगी की शिकायत एवं सफाई व्यवस्था

99–श्री सरदार सिंह–

क्या परिवहन मंत्री की जानकारी में है कि बस स्टैण्ड राया (मथुरा) के परिसर में घोर गन्दगी व्याप्त है और उपयुक्त सफाई न होने के कारण मैला एवं गन्दगी परिसर में बहती रहती है और प्रश्नकर्ता द्वारा शिकायत दर्ज कराने के बावजूद भी अधिकारी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं? यदि हां, तो शासन क्या अविलम्ब दोषी अधिकारियों के खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही करते हुए बस स्टैण्ड परिसर को साफ सुथरा रखने का प्रबन्ध करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

डाक्टर संजय सिंह–

राया बस स्टेशन के दोनों ओर स्थित दो सड़कों के पुर्ननिर्माण के फलस्वरूप ऊंची होने तथा शेष भाग में निजी भवनों के निर्माण हो जाने के कारण बरसात में बस स्टेशन प्रांगण में पानी भर जाता है। इसके लिए अतिरिक्त कर्मचारी लगाकर सफाई व्यवस्था की जाती है और गंदगी न होने देने के लिए एक बड़ा सोकापट बना दिया गया है।

दिनांक 25–9-85 को माननीय विधायक द्वारा दर्ज करायी गयी शिकायत के आधार पर बस न रोकने वाले स्टाफ के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करके बस रुकवाने की व्यवस्था की गयी, बस स्टेशन परिसर एवं शौचालय की सफाई की व्यवस्था की गई एवं स्टेशन इंचार्ज के अभाव में स्टेशन अधीक्षक मथुरा तथा सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा इस स्टेशन के कार्य कलाप का निरीक्षण किया जाता है।

100– श्री बलराम यादव–

[उसी मंगलवार के लिये स्थगित]

ग्राम विकास एवं पंचायत राज्य को मिला कर शासन द्वारा एक पृथक निदेशालय गठित करने का उद्देश्य

101–श्री सरदार सिंह–

क्या ग्राम्य विकास एवं पंचायत राज्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम्य विकास एवं पंचायत राज्य को मिलाकर सरकार ने एक पृथक निदेशालय गठित कर दिया है? यदि हां, तो किन परिस्थितियों में सरकार ने यह निर्णय लिया है तथा इसके उद्देश्य क्या हैं? क्या मंत्री जी विस्तृत विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी हां।

क्षेत्रीय स्तर पर चलाए जा रहे कार्यक्रमों पर प्रभावी नियंत्रण तथा पर्यवेक्षण हेतु अन्य विभागों की भांति ग्राम्य विकास विभाग में ग्राम्य विकास निदेशालय की स्थापना की आवश्यकता विगत कई वर्षों से अनुभव की जा रही थी। इस आवश्यकता की पूर्ति हेतु शासन द्वारा निदेशालय का गठन किया गया। निदेशालय की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ग्राम्य विकास विभाग के अधीन चलाये जा रहे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों/योजनाओं के लम्बित कार्यान्वयन एवं विभिन्न स्तर के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रभावी समन्वय एवं पर्यवेक्षण की स्थिति को सुदृढ़ करना तथा पंचायती राज संस्थाओं को ग्राम्य विकास कार्यक्रमों में सक्रिय करना है।

निदेशालय के गठन की आवश्यकता को उपरोक्तानुसार स्पष्ट करा दिया गया है।

किसान इण्टर कालेज सोख-खेड़ा में नयी प्रबन्ध समिति का गठन किये जाने हेतु उप शिक्षा निदेशक, आगरा को दिए गये आदेश

102–श्री सरदार सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री की जानकारी में है कि किसान इण्टर कालेज सोख-खेड़ा को साधारण सभा के सभापति जिलाधिकारी मथुरा शासनादेशों के विरुद्ध बने हुए हैं और उनके सभापतित्व में एक अवैध प्रबन्ध मंडल गत कई दशकों से चल रहा है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ? क्या शासन पूरी व्यवस्था को शासन की नीतियों के अनुकूल जनतांत्रिक एवं वैधानिक बनायेगा? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी–

प्राप्त सूचनानुसार जिलाधिकारी, मथुरा किसान इण्टर कालेज, सोख-खेड़ा मथुरा की अनुमोदित प्रशासन योजना के अन्तर्गत संस्था की साधारण सभा के पदेन सभापति रहते आये हैं। शिक्षा निदेशक द्वारा मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक आगरा को आदेश दे दिये गए हैं कि वे जांचोपरान्त नियमान्तर्गत प्रबन्ध समिति का गठन करायें।

राष्ट्रीय इण्टर कालेज राया (मथुरा) के प्रबन्ध मंडल का गठन तथा सदस्यों के नाम व पते स्वीकृत

103–श्री सरदार सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री की जानकारी में है कि

राष्ट्रीय इण्टर कालेज राया (मथुरा) एक रजिस्टर्ड प्रबन्ध समिति द्वारा चलाया जा रहा है ? यदि हां, तो उक्त विद्यालय की साधारण सभा के सदस्यों के नाम व पते क्या **हैं ? वर्तमान प्रबन्धक मंडल का गठन कब** और कैसे हुआ था ? क्या यह सत्य है कि गठन के समय प्रशासन योजना के नियमों का उल्लंघन हुआ था ? यदि हां, तो जिला विद्यालय निरीक्षक ने प्रबन्ध समिति का अनुमोदन कैसे कर दिया था ?

श्री सिब्ते रजी–

जी नहीं । प्रबन्ध समिति रजिस्टर्ड नहीं होती है । संस्था एक रजिस्टर्ड सोसाइटी द्वारा संचालित है ।

पंजीकृत सोसाइटी के सदस्यों के नाम व पते निम्नवत् है:–

सर्वश्री:–

1–मोतीराम उपाध्याय, वकील मथुरा।

2–नारायण सिंह चौधरी अवकाश प्राप्त पुलिस इन्सपेक्टर, मथुरा ।

3–महाबीर प्रसाद द्विववेदी, वकील राया ।

4–मुरारी लाल, गुप्ता राया ।

5–ज्वाला प्रसाद गर्ग, राया ।

6–जय नरायन लाल अग्रवाल राया ।

7–हर प्रसाद शर्मा, प्रधानाचार्य, धर्म समाज इण्टर कालेज, अलीगढ़ ।

8–राधा चरण अग्रवाल, एम0ए0एल0 टी0 ।

9–सतीश चन्द्र अग्रवाल, एम0 ए0, एल0 टी0 ।

10–बाबूराम अग्रवाल, प्रधानाचार्य नागला इण्टर कालेज, हाथरस, अलीगढ़ ।

प्रबंधक मंडल का गठन दिनांक 18-8-79 को विभाग द्वारा स्वीकृत प्रशासन योजना के अनुसार हुआ ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

निर्वाचन क्षेत्र गोकुल के मार्गों की स्थिति तथा व्यवस्थित करने का प्रस्ताव

104–श्री सरदार सिंह–

क्या पंचायत राज मंत्री की जानकारी में है कि प्रश्नकर्ता के निर्वाचन क्षेत्र में जिला परिषदों के मार्ग जर्जर है तथा चलने वालों के लिए कष्टदायक है ? यदि हां, तो क्या शासन चालू वित्तीय वर्ष में इन मार्गों को व्यवस्थित करने की कृपा करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

निर्वाचन क्षेत्र गोकुल में लोहवन फीडर मार्ग, महावन खानपुर मार्ग, चमरपुरा सिहौरा मार्ग ब्रम्हाण्ड घाट फीडर मार्ग है। प्राप्त सूचना के अनुसार ब्रम्हाण्ड घाट फीडर मार्ग सन्तोषजनक स्थिति में है, चमरपुरा सिहौरा मार्ग सार्वजनिक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित किया जाना विचाराधीन है, लोहवन फीडर मार्ग तथा महावन खानपुर मार्ग मरम्मत योग्य है । लोहवन फीडर मार्ग तथा महावन खानपुर मार्ग की मरम्मत चालू वित्तीय वर्ष में कराया जाना जनपद स्तर पर प्रस्तावित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला परिषद् मथुरा द्वारा हाट, घाट एवं दुकानों की नीलामी से हुई आमदनी का विवरण

105–श्री सरदार सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला परिषद् मथुरा ने वित्तीय वर्ष 86-87 के लिए, हाट, घाट एवं दुकानों की नीलामी की है? यदि हां, तो गत वित्तीय वर्ष एवं चालू वित्तीय वर्ष में नीलाम से हुई आमदनी हाट-घाट एवं दुकान वाइज सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

हाट व दुकान की नीलामी हो चुकी है। केवल घाट की नीलामी की कार्यवाही अभी पूर्ण नहीं हुई है।

वांछित विवरण निम्नवत् है :–

वर्ष 1985–86

(1) हाट .. .. रुपए 49,355.00

(2) घाट .. .. रुपए 1,08,125.00

(3) दुकान .. .. रुपए 41,000.00

वर्ष 1986–87

(1) हाट .. .. रुपए 49,805.00

(2) घाट .. .. नीलामी की कार्यवाही अभी नहीं हुई।

(3) दुकान .. .. रुपए 66,100.00

प्रश्न नहीं उठता।

जिला गाजियाबाद के गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र में प्राइमरी पाठशालाओं के भवन की मरम्मत एवं नये पाठशालाओं के खोलने का प्रस्ताव

106–श्री कनक सिंह–

क्या सरकार को जानकारी है कि प्रश्नकर्ता के क्षेत्र गढ़मुक्तेश्वर जिला गाजियाबाद में प्राइमरी पाठशालाएं पूर्ण रूप से टूट-फूट गई हैं और अनेक गांव प्राइमरी पाठशालाओं से वंचित हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार पाठशालाओं की मरम्मत हेतु धन की व्यवस्था करेगी व जिन गांवों में पाठशाला नहीं है वहां पाठशाला खोलेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

अधिकांश पाठशालाओं के भवन मरम्मत योग्य हैं।

यह धन की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

107–श्री राम आसरे वर्मा–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद प्रतापगढ़ के ब्लाक मगरौरा ग्राम सभा सराय रजई में आई0 आर0 डी0 स्कीम के तहत स्वीकृत ऋण के सदुपयोग का विवरण

108–श्री शारदा प्रताप–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद प्रतापगढ़ के ब्लाक मगरौरा ग्राम सभा सराय रजई में आई0 आर0 डी0 स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 1980 से वर्ष 1985 के मध्य सर्वश्री भोला को रेडीमेड का कार्य करने हेतु 2500, जंगली को बैल खरीदने हेतु 3000/- भारत को 2050/- स्वामी नन्द को 3000/-, बुधराम को 3000/- तथा राम प्रसाद को लाउडस्पीकर खरीदने हेतु रुपया दिया गया तथा इन लोगों ने शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि का या तो दुरुपयोग किया अथवा जिस उद्देश्य के लिए ऋण दिया गया कार्य में न लगाकर अन्य कार्यों में व्यय किया ? यदि हां, तो मंत्री जी उक्त पूरे प्रकरण की जांच करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

प्रतापगढ़ जनपद के विकास खण्ड मगरौरा के ग्राम सभा सराय रजई के वर्ष 1983-84

एवं 1984-85 में श्री भोला को 3000/- रु0 का ऋण किराना दुकान हेतु दिया गया। श्री भोला ने किराने की दुकान खोली और एक वर्ष चलाने के बाद बन्द कर दी ।

श्री जंगली को 2500/- रु0 बैल क्रय हेतु ऋण देकर बैल क्रय कराया गया । एक बैल मर जाने पर उन्होंने दूसरे को बेंच दिया ।

श्री भारत को 2050/- रु0 ऋण बकरी क्रय हेतु उपलब्ध कराया गया । उसने बकरियां खरीदी जिनमें एक बरबरी तथा दो देशी बकरी उसके पास मौजूद हैं।

श्री स्वामीनन्द को ऊंट क्रय हेतु 3000/- रु0 ऋण उपलब्ध कराया गया। इसने ऊंट क्रय किया परन्तु बाद में बेंच दिया ।

श्री बुद्धराम को 3000/- रु0 बैल जोड़ी क्रय हेतु ऋण उपलब्ध कराकर बैल क्रय कराया गया । बैल अब भी उसके पास मौजूद हैं ।

श्री राम प्रसाद को लाउडस्पीकर हेतु 2500/- रु0 ऋण दिया गया । लाउड-स्पीकर अब भी उसके पास मौजूद है ।

उपरोक्त व्यक्तियों को जिस उद्देश्य हेतु ऋण स्वीकृत किया गया था, उसी कार्य में व्यय किया गया, अतः जांच कराने का प्रश्न नहीं उठता ।

विगत वर्षों में लाभार्थी द्वारा अनुदान का दुरुपयोग करने पर उसको अनुदान वसूली की कार्यवाही विधिक रूप से सम्भव नहीं थी । अब इस वर्ष से लाभार्थी से एक बाण्ड भराया जाता है, जिसके माध्यम से अनुदान दुरुपयोग करने पर लाभार्थी से विधिक रूप में वसूली करने का प्राविधान है ।

श्री कौशल किशोर लिपिक की अनियमित नियुक्ति के कारण सेवा समाप्ति

109–श्री शारदा प्रताप–

विधान सभा के वर्तमान सत्र 1986 के दूसरे सोमवार को उत्तरित अता0प्र0 सं0 157 के संदर्भ में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री कौशल किशोर लिपिक की सेवा समाप्ति के बाद उसी कार्यालय में लिपिक के पद पर किसी अन्य अभ्यर्थी की नियुक्ति की गई ? यदि हां, तो श्री कौशल किशोर को जो नियमानुसार चयनित थे, को सेवा से क्यों हटा दिया गया और विभाग में लिपिक की आवश्यकता होने पर इनकी पुनः नियुक्ति पर विचार क्यों नहीं किया गया? शिक्षा मंत्री जी कृपया यह भी बतायेंगे कि क्या नोटिस के बदले श्री कौशल किशोर को एक माह के वेतन का भुगतान किया गया? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या श्री कौशल किशोर को उनके पूर्व के तीन माह के वेतन का भी उन्हें भुगतान नहीं किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? शिक्षा मंत्री जी कृपया यह भी बताने की कृपा करेंगे कि श्री कनक सिंह विधायक ने अपने पत्र दिनांक 17-7-85 के साथ श्री कौशल किशोर का प्रार्थना-पत्र शासन को प्रेषित किया था, जिस पर शिक्षा निदेशक से आख्या मांगी गई है ? यदि हां, तो शिक्षा निदेशक की आख्या कब तक प्राप्त हो जायेगी ? और मामले में कब तक निर्णय ले लिया जायेगा ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

जी हां ।

अनियमित रूप से नियुक्ति होने के कारण शिक्षा निदेशक (बेसिक) उत्तर प्रदेश के पत्रांक 384/दि0 5-1.1-73 में प्राप्त निर्देशों के अनुसार सेवायें समाप्त की गयी थी पुनः नियुक्ति के संबंध में रिक्त

होने पर इनका कोई आवेदन पत्र बेसिक शिक्षा अधिकारी बाराबंकी को प्राप्त नहीं हुआ ।

जी नहीं ।

कुछ औपचारिकतायें पूर्ण न होने के कारण ।

जी हां, कुछ औपचारिकतायें पूर्ण न होने के कारण ।

जी हां, शिक्षा निदेशक को पुनः स्मरण कराया जा रहा है।

लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों से वसूल किये गये परीक्षा शुल्क का विवरण

110—श्री शारदा प्रताप—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1980 से 86 तक लखनऊ विश्वविद्यालय ने परीक्षा शुल्क के रूप में अलग-अलग वर्षों में कुल कितना धन विद्यार्थियों से वसूल किया है? क्या यह सही है कि शिक्षकों के एक ही वर्ग को इस अवधि में लगातार परीक्षा के दौरान परीक्षा पारिश्रमिकों के रूप में हजारों रुपयों का भुगतान इस मद से किया गया है?

श्री सिब्ते रजी—

वर्षवार विवरण निम्नवत् है :—

वर्ष	परीक्षा शुल्क
1980-81	. . रु0 13,74,308
1981—82	. . रु0 18,48,338
1982—83 . .	. . रु0 26,52,547
1983-84	. . रु0 25,73,268
1984-85	. . रु0 22,10,311
1985-86	. . रु0 18,85,590

जी नहीं ।

कृषि उत्पादन आयुक्त कार्यालय में कर्मचारियों की पदोन्नति

111—श्री शारदा प्रताप—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि उत्पादन आयुक्त कार्यालय में ऐसे भी कर्मचारी हैं जिन्हें एक महीने पहले प्रतिकूल प्रविष्टियों की संस्तुति की गई तथा बिना प्रत्यावेदन का निस्तारण किये उसके कुछ ही दिनों के बाद उन्हीं पदों पर पदोन्नति दे दी गयी ? यदि ऐसा है, तो इसके लिए जो दोषी अधिकारी/कर्मचारी हैं उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी नहीं । कृषि उत्पादन आयुक्त कार्यालय में ऐसे किसी कर्मचारी की पदोन्नति नहीं की गयी है जिसे पदोन्नति के एक माह पूर्व ही प्रतिकूल प्रविष्ट की संस्तुति की गयी हो ।

श्री बाबू राम गुप्ता, अधीक्षक ग्रेड-1 के अवकाश अवधि के बकाया वेतन का भुगतान न किये जाने का कारण

112—श्री शारदा प्रताप—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री बाबू राम गुप्ता, अधीक्षक ग्रेड-1 स्थानीय निकाय से वापस

आने के उपरान्त अपनी योगदान सूचना प्रस्तुत करने के ही दिन उसे निरस्त करा-कर अवकाश पर चले गए थे ? अवकाश से लौटने के उपरान्त उनके मामले में अति-रिक्त आयुक्त के स्तर से यह आदेश पारित हुए थे कि उन्हें अवकाश अवधि का कोई वेतन आदि इस कार्यालय से भुग-तान नहीं किया जायेगा ? यदि ऐसा था, तो श्रीमती अलका श्रीवास्तव सहायक विकास आयुक्त (मुख्यालय) ने किस अधिकार से उक्त आदेशों के विपरीत अपने स्तर से आदेश निर्गत करके ट्रेजरी वाउचर संख्या 166 दिनांक 11-6-84 को 15,480/- (पन्द्रह हजार चार सौ अस्सी रुपए मात्र) का भुगतान कराया और अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर सात दिन का विशेष योगदान अवधि स्वीकृत की जबकि यह अधिकार केवल शासन को है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी हां ।

श्रीमती अलका श्रीवास्तव द्वारा किन परिस्थितियों में अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर भुगतान आदि की कार्यवाही की गयी इसकी जांच की जा रही है ।

जूनियर हाई स्कूल (अशासकीय) के हाई स्कूल में उच्चीकृत होने पर योग्यता रखने वाले प्रधानाचार्य को भी पदोन्नति किये जाने पर शासन का विचार

113–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि वर्त-मान में किसी अशासकीय हाई स्कूल के अशासकीय इंटर कालेज में उच्चीकृत होने पर प्रधानाचार्य को उचित शैक्षिक योग्यता रखने पर, उच्चीकृत अशासकीय इंटर कालेज का प्रधानाचार्य नियुक्त कर दिया जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार किसी जूनियर हाईस्कूल (अशासकीय) के अशासकीय हाईस्कूल में उच्चीकृत होने पर प्रधानाचार्य की निर्धारित शैक्षिक योग्यता पूर्ण होने पर इसे अशासकीय हाई-स्कूल का प्रधानाचार्य नियुक्त करने के लिए शासनादेश जारी करेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी–

हां, यदि वह पदोन्नति के लिये उप-युक्त पाया जाय और इस हेतु उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग द्वारा पदो-न्नति का अनुमोदन कर दिया जाय ।

प्रकरण पर विचार किया जा रहा है।

प्रान्तीयकृत विद्यालयों में इंटर प्रशिक्षित अध्यापकों को द्वितीय वेतन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार वेतन का न मिलना

114–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या शिक्षा मंत्री को उनके विभाग के उप-सचिव द्वारा जिलाधिकारी अल्मोड़े को भेजे गए रेडियोग्राम सं0 2526/15-2/85 दिनांक 2-5-85 के संदर्भ में ज्ञात है कि प्रान्तीयकृत विद्यालयों में इंटर प्रशिक्षित (जे0टी0सी0, बी0टी0सी0) अध्यापकों को द्वितीय वेतन आयोग द्वारा 1 जुलाई, 1979 से संस्तुत्य वेतनमान अभी तक भी नहीं दिया जा रहा है ? यदि हां, तो इस विषय में 1 मई, 1986 तक व उसके बाद क्या-क्या कदम उठाये गये हैं? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां ।

अपेक्षित विवरण प्राप्त कर लिए गए है । अभी निर्णय नहीं लिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद पिथौरागढ़ के प्राथमिक पाठशालाओं में अध्यापक एवं छात्रों के अनुपात तथा नये अध्यापकों की नियुक्ति

115–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में प्राथमिक पाठशालाओं में छात्र संख्या तथा अध्यापकों के बीच क्या अनुपात निर्धारित किये गये हैं ? इस जनपद में उपरोक्त मानकानुसार कितने विद्यालयों में दिनांक 1 मई, 86 तक कुल कितने अध्यापकों की नियुक्ति होनी बाकी है ? इस जनपद के वर्तमान प्राथमिक विद्यालयों में निर्धारित मानकों के अनुसार सारी नियुक्तियां कब तक पूर्ण कर दी जायेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

40: ।

शून्य

प्रश्न नहीं उठता ।

116–श्री काशी सिंह ऐरी–

[3रे सोमवार के लिए स्थगित]

विधान मंडल व संसद की कार्यवाहियों को जनपद अल्मोड़ा व पिथौरागढ़ के राजकीय जिला पुस्तकालयों को उपलब्ध कराने की व्यवस्था

117–श्री काशी सिंह ऐरी–

द्वितीय सत्र 85 के दूसरे सोमवार के अता0 प्रश्न संख्या 91 के संदर्भ में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ व अल्मोड़ा के किन-किन पुस्तकालयों में विधान मंडल व संसद की कार्यवाहियों को नियमित रूप से संकलित कराने हेतु क्या-क्या नीति निर्धारित की है ? जनतंत्र के इन मुख्य आधार स्तम्भों के विषय में अधिकतम प्रकाशन को विशेष रूप में पिथौरागढ़ की विकास खण्ड स्तर पर पुस्तकालयों में संग्रहीत करने हेतु क्या-क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी–

कार्यवाही अनुभाग, विधान सभा सचिवालय से प्राप्त सूचना के अनुसार विधान सभा की कार्यवाही राजकीय मुद्रणालय से मुद्रित कराई जाती है एवं वहां से मुद्रित होकर विधान सभा सचिवालय को प्राप्त होती है । विधान सभा की कार्यवाहियां समूल्य होती हैं। माननीय अध्यक्ष, विधान सभा के आदेशानुसार यह कार्यवाही विधान सभा/विधान परिषद् के माननीय सदस्यों, अन्य राज्यों की विधान सभाओं/विधान परिषदों, देश व प्रदेश के प्रमुख पुस्तकालयों, प्रदेश के मंडलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को नि:शुल्क वितरित की जाती है ।

जनपद अल्मोड़ा में राजकीय जिला पुस्तकालय स्थापित है। इस जनपद में विकास खण्ड स्तर पर कोई राजकीय पुस्तकालय नहीं है। जनपद पिथौरागढ़ में राजकीय जिला पुस्तकालय स्थापित है। इस जनपद में भी विकास खण्ड स्तर पर कोई पुस्तकालय स्थापित नहीं है ।

राजकीय मुद्रणालय द्वारा जनपद अल्मोड़ा व पिथौरागढ़ के राजकीय जिला पुस्तकालयों को विधान मंडल की उपलब्ध कराई गयी कार्यवाहियां जनता के पढ़ने के लिये सुलभ है ।

जनपद पिथौरागढ़ के राजकीय इंटर कालेज, बेरीनाग में नियुक्त कतिपय अस्थाई प्रवक्ताओं का स्थायीकरण

118–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि वर्तमान जनपद पिथौरागढ़ के राजकीय इंटर कालेज-बेरीनाग में नियुक्त श्री अमर लाल

वर्मा (प्रवक्ता गणित) श्री भगवती प्रसाद जोशी (प्रवक्ता अर्थशास्त्र) श्री नरेन्द्र नाथ पंत (प्रवक्ता हिन्दी) को, दिनांक 1-4-1964 में लोक सेवा आयोग इलाहाबाद द्वारा अनुमोदित होने, लगातार अच्छे परीक्षाफल देने, कोई भी प्रतिकूल प्रविष्टि न होने पर भी, अभी तक स्थाई कृत न करने के क्या कारण है? इस हेतु दिनांक 1 मई, 1986 तक व उसके बाद क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो इस हेतु कौन अधिकारी जिम्मेदार है ?

श्री सिब्ते रजी–

सर्वश्री अमर लाल वर्मा (प्रवक्ता गणित) भगवती प्रसाद जोशी, (प्रवक्ता अर्थशास्त्र), नरेन्द्र नाथ पंत (प्रवक्ता हिन्दी), को अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) के आदेश दिनांक 11-3-86 द्वारा दिनांक 1-1-80 से स्थायी किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सीमान्त जनपद पिथौरागढ़ के छात्र-छात्राओं की शुल्क मुक्ति व छात्रवृत्ति की नीति

119–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सीमान्त जनपद पिथौरागढ़ के छात्र छात्राओं की शुल्क मुक्ति व छात्रवृत्ति हेतु अभिभावकों की आय-सीमा का निर्धारण कब व किस शासनादेश द्वारा किया गया था ? परिवर्तित परिस्थितियों एवं पर्याप्त रूप से बढ़ी मंहगाई को देखते हुए क्या सरकार इस आय सीमा को संशोधित करेगी ? यदि हां, तो कितना व कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी–

जनपद पिथौरागढ़ के छात्र-छात्राओं की शुल्क मुक्ति व छात्रवृत्ति के लिये अलग से कोई आय सीमा निर्धारित नहीं है ।

शिक्षा संहिता के अनुच्छेद 106 से 110 में कतिपय वर्ग के छात्र/छात्राओं की शुल्क मुक्ति का प्राविधान है । केवल अनुच्छेद 107 के अंतर्गत राजकीय नार्मल स्कूलों से संलग्न आदर्श विद्यालयों, राजकीय माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों, राजकीय उपाधि महाविद्यालयों तथा इन्हीं कोटि के सहायता प्राप्त अशासकीय शिक्षा संस्थाओं में नियुक्त रुपये 1000/- तक मासिक वेतन पाने वाले शिक्षण एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों के अधिकतम 3 पुत्र/पुत्रियों जो कक्षा 7 से 12 तक किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर रहे हों, शिक्षा शुल्क के भुगतान से मुक्ति प्रदान की गई है ।

भारत सरकार की राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना तथा राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति के लिये अधिकतम आय सीमा रुपये 6000/- प्रति वर्ष निर्धारित है ।

आय सीमा में संशोधन किये जाने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

120–श्री काशी सिंह ऐरी–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

121–श्री काशी सिंह ऐरी–

[4थे मंगलवार में अता0 प्र0 सं0 199 के अंतर्गत स्थानान्तरित]

राजकीय जिला पुस्तकालय, पिथौरागढ़ में उपलब्ध पुस्तकों एवं पत्र पत्रिकाओं का विवरण एवं उनकी सुरक्षा व्यवस्था

122–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ के मुख्यालय पिथौरागढ़ में स्थित जनपदीय पुस्तकालय

में 31 मार्च, 86 तक अलग-अलग भाषाओं की कुल कितनी पुस्तकें, पाण्डु-लिपि, दुर्लभ ग्रन्थ, ताम्रपत्र संकलित थे? इस पुस्तकालय में कौन-कौन से दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, वार्षिक पत्र-पत्रिकायें नियमित रूप से आती रहती हैं ? पुस्तकालय को आग, पानी, दीमक, कीड़ों व चोरी से पूर्ण रूप से सुरक्षित करने हेतु सरकार ने क्रमशः क्या-क्या कदम उठाये हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी–

राजकीय जिला पुस्तकालय, पिथौरागढ़ में अलग-अलग भाषाओं की पुस्तकें निम्न प्रकार हैं :–

हिन्दी	10,369
अंग्रेजी	3,049
उर्दू	34
संस्कृत	138
कुल	13,590

पाण्डुलिपि, दुर्लभ ग्रन्थ एवं ताम्रपत्र उक्त पुस्तकालय में नहीं हैं।

उक्त पुस्तकालय में निम्नलिखित पत्र-पत्रिकायें आती हैं :–

दैनिक:– समाचार पत्र- नवभारत टाइम्स, हिन्दुस्तान, अमर उजाला, जन-सत्ता, हिन्दुस्तान टाइम्स, टाइम्स आफ इण्डिया, इण्डियन एक्सप्रेस, इकोनोमिक टाइम्स ।

साप्ताहिक:–धर्मयुग, साप्ताहिक, हिन्दुस्तान, दिनमान, रविवार, इल्सट्रेटेड वीकली, एशियन रिकार्डर, एम्प्लायमेंट न्यूज, संडे आबजरबर, आज का पहाड़, उत्तराखंड ज्योति ।

पाक्षिक:–सारिका, माया, मुक्ता, सरिता, खेल भारती, रोजगार डायजेस्ट, फ्रन्ट लाईन।

मासिक:–कादम्बनी, नवनीत, प्रतियोगिता विकास, वामा, गृहशोभा, कल्याण, प्रबुद्ध भारत, कम्पटीशन मास्टर, साईन्स टुडे, चन्दा मामा, पराग, नंदन।

सातवीं पंचवर्षीय योजना से पुस्तकालय के विकास हेतु परिव्यय उपलब्ध हुआ है। जिला विद्यालय निरीक्षक, पिथौरागढ़, जिनकी देख-रेख में पुस्तकालय कार्य करता है, द्वारा पुस्तकों के रख-रखाव के संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जायगी । जहां तक पुस्तकों को चोरी से सुरक्षित रखने का प्रश्न है, अभी वहां एक परिचारक है, जो दोनों समय कार्य करता है । परिव्यय को ध्यान में रखते हुए चौकीदार के पद सृजन हेतु वित्त विभाग से अनुरोध करने पर विचार किया जायेगा ।

123–श्री काशी सिंह ऐरी–

[2रे मंगल में अता0प्र0सं0 200 के अंतर्गत स्थानान्तरित]

124–श्री काशी सिंह ऐरी–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

स्वर्गीय श्री पूर्णानन्द कोठारी, सहायक अध्यापक, राजकीय इंटर कालेज, गंगोलीहाट की विधवा को पेंशन व ग्रेच्युटी का भुगतान

125–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री पूर्णानन्द कोठारी, निवासी ग्राम एकांत कुटी, पत्रालय गंगोलीहाट, जनपद पिथौरागढ़, रा0 इ0 का0 गंगोलीहाट से 27-2-66 को सेवानिवृत्ति हुए थे ? क्या यह सही है कि श्री कोठारी को सेवा निवृत्ति के 17 वर्ष बाद शिक्षा निदेशक, उ0 प्र0 इलाहाबाद द्वारा पत्रांक नियुक्ति/एल0टी0 150/23-4 (27)/5/82-83 दिनांक 29-11-82 द्वारा एल0 टी0 वेतनक्रम में सहायक अध्यापक पद

पर स्थायीकरण किया गया ? यदि हां, तो श्रीमती रेवती देवी (विधवा श्री पूर्णानन्द कोठारी) को प्रशासन ने पेंशन व ग्रेच्युटी एवं श्री कोठारी को देय धन के लिए क्या-क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां ।

महालेखाकार, उ0 प्र0 द्वारा दिये गये परामर्शानुसार प्रकरण शासन स्तर पर विचाराधीन है ।

126–श्री काशी सिंह ऐरी–

[राज्य सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त]

127–श्री काशी सिंह ऐरी–

[व्यक्तिगत होने के कारण निरस्त]

जनपद पिथौरागढ़ में जूनि0 हाई स्कूल भवनों की मरम्मत तथा अनुमानित व्यय

128–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में दि0 1-10-85 तक स्वीकृत तहसीलवार कितने जूनियर हाई स्कूल ऐसे हैं जिनके भवनों का जीर्णोद्धार/मरम्मत होनी है? इस हेतु कुल कितनी धनराशि का अनुमानित खर्चा होगा ? सरकार की ओर से ऐसे भवनों की मरम्मत/जीर्णोद्धार की वरीयता के मानकों का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है? कथित सभी जू0हा0 स्कूलों का जीर्णोद्धार व मरम्मत कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

तहसीलवार निम्न संख्या में जूनियर हाई स्कूल भवनों की मरम्मत होनी है:–

1–पिथौरागढ़	8	भवन
2–डीडीहाट	3	,,
3–धारचूला	2	,,
4–मुनस्यारी	2	,,
5–चम्पावत	10	,,
योग	25	भवन

4,70,000 रु0

शिक्षा विभाग द्वारा प्रस्तुत मरम्मत योग्य भवनों की सूची में वरीयता के आधार पर जिला स्तर पर गठित जिला बेसिक शिक्षा समिति/(क्षेत्रीय समिति) के निर्णयानुसार। यह धन की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

129–श्री काशी सिंह ऐरी–

[विधान सभा सचिवालय से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त]

राजकीय इंटर कालेज, मासी, अल्मोड़ा के सहा0 कृषि अध्यापक श्री गोकुलानन्द जोशी के निलम्बन आदेश की वापसी एवं उक्त अवधि के अवशेष देयकों का भुगतान

130–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि जनपद अल्मोडा में राजकीय इण्टर कालेज, मासी में सहायक कृषि अध्यापक के पद पर श्री गोकुलानन्द जोशी को जिला विद्यालय निरीक्षक, अल्मोड़ा के माध्यम से दिनांक 31 अगस्त, 1984 को निलम्बन आदेश तथा इसके 8 माह बाद अभियोग पत्र दिया गया था? यदि हां, तो उपरोक्त निलम्बन क्या सरकारी कर्मचारियों के निलम्बन आदेश सं0 22/4/71–नियुक्ति (ख)/ 2 जुलाई, 1971 तथा सरकारी आदेश-सरकारी कर्मचारियों के निलम्बन का शीघ्र निस्तारण आज्ञा संख्या 7-3/74 कार्मिक-1/1980 दिनांक 12 अगस्त, 1980 के पृष्ठ भूमि पर श्री जोशी के ऊपर लगाये गये आरोपों, श्री जोशी द्वारा दिये गये उत्तर व प्रत्यावेदनों/प्रार्थनाओं पर क्या-क्या कार्यवाही की गयी ? इस निलम्बन के आदेश किन-किन अधिकारियों/कर्मचारियों की संस्तुति पर दिये गये थे?

श्री जोशी को आरोपों के आधार पर दण्डित करने या पूर्ण रूपेण दोष मुक्त करते हुए सारे पिछले देय दिये जाने के लिये सरकार तुरन्त क्या-क्या कदम उठायेगी? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां, आरोप पत्र लगभग पांच माह बाद 28-1-1985 के पत्र द्वारा दिया गया था।

जी हां, नियमानुसार कार्यवाही की गई और उपशिक्षा निदेशक कुमांयू मण्डल द्वारा श्री गोकुलानन्द जोशी को दोष मुक्त पाकर 7-4-86 के आदेश द्वारा उन्हें बहाल करने का निर्णय लिया गया ।

जिलाधिकारी, अल्मोड़ा की संस्तुति पर ।

श्री जोशी को आरोपों से मुक्त कर उनके निलम्बन अवधि के अवशेष देयकों का भुगतान दिनांक 15-5-86 को कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद पिथौरागढ़ के हाई स्कूल एवं इन्टर मीडिएट उत्तीर्ण परीक्षार्थियों के अशुद्ध नाम आदि में संशोधन किये जाने की कार्यवाही

131–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ के 1984 तक हाई स्कूल व इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण परीक्षार्थी ऐसे हैं जिन्हें, अपने अपूर्ण नाम की पूर्ण या नाम का गलत लिखे जाने पर शुद्धिकृत किये जाने के निवेदन करने पर भी अभी तक, नवीन अंक पत्र-सार्टिफिकेट अभी तक नहीं दिये जा सके हैं? सरकार इस हेतु अतिशीघ्र क्या कदम उठा रही है? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी–

जनपद पिथौरागढ़ के हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट परीक्षा 1984 तक नाम पिता का नाम जन्म तिथि तथा अन्य संशोधन हेतु कुल 565 प्रकरण माध्यमिक शिक्षा परिषद् को प्राप्त हुये थे। इनमें से 374 प्रकरण संशोधित कर सम्बन्धित प्रधानाचार्यों के पास भेजे जा चुके हैं । इस समय 191 संशोधन प्रकरणों पर कार्यवाही चल रही है ।

इन्हें यथाशीघ्र संशोधित कर सम्बन्धित प्रधानाचार्यों के पास भेज दिया जायेगा ।

132–श्री कनक सिंह–

[2सरे शुक्रवार में अता0 प्र0 सं0 195 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

मैदानी, तराई, पहाड़ी व सीमान्त जनपदों में हाईस्कूल तथा इन्टरमीडिएट संस्थागत एवं व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के केन्द्र निर्धारण हेतु निर्धारित मानक

133–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने को कृपा करेंगे कि मैदानी, तराई, पहाड़ी व सीमान्त जनपदों में हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट परीक्षा के लिए संस्थागत तथा व्यक्तिगत रूप से परीक्षार्थियों हेतु परीक्षा केन्द्रों के निर्धारण के लिये क्रमशः क्या-क्या मानक निर्धारित किये गये हैं ? क्या सरकार पर्वतीय विशेषकर सीमान्त जनपदों की विशिष्ट भौगोलिक तथा आर्थिक समस्याओं के आधार पर ही परीक्षा केन्द्र निर्धारित करने हेतु मानक बनाने के लिये वहां के जनप्रतिनिधियों से वार्ता करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी–

माध्यमिक शिक्षा परिषद् की वर्ष 1987 की परीक्षाओं के लिए हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट संस्थागत तथा व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के केन्द्र निर्धारण के संबंध में प्रमुख रूप से निम्नांकित

नियम/मानक निर्धारित किये गये हैं:-

1-केन्द्र बनाये जाने के लिए पर्वतीय क्षेत्रों में 100 और मैदानी क्षेत्रों में 300 परीक्षार्थियों की न्यूनतम संख्या का होना आवश्यक है।

2-अच्छे और बड़ी क्षमता वाले विद्यालयों में औसतन 600 से 1000 परीक्षार्थियों का केन्द्र बनाया जाय।

3-केन्द्र बनने वाले विद्यालय में चहार दीवारी हो।

4-विद्यालय सड़क के किनारे स्थित हो अथवा वहां तक आसानी से जीप से पहुंचा जा सके।

5-परिषद् परीक्षाओं के केन्द्र परिषद् के मान्यता प्राप्त इण्टरमीडिएट कालेज, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ही मुख्य रूप से होंगे।

6-मैदानी क्षेत्रों में बालक परीक्षार्थियों को उनके विद्यालय/पंजीकरण केन्द्र पर परीक्षा हेतु कदापि आवंटित नहीं किया जायेगा।

7-पर्वतीय नगर क्षेत्रों के अतिरिक्त अन्य पर्वतीय क्षेत्रों में 8 कि0 मी0 की परिधि में दूसरा विद्यालय केन्द्र उपलब्ध न होने पर बालक परीक्षार्थियों को अपने ही विद्यालय/पंजीकरण केन्द्र पर परीक्षा हेतु स्वकेन्द्र आवंटित किया जाय। इन क्षेत्रों में बालिका/परीक्षार्थिनियों के लिए उनका ही विद्यालय/पंजीकरण केन्द्र परीक्षा केन्द्र होगा।

उक्त मानक निर्धारित करते समय पर्वतीय तथा सीमान्त क्षेत्रों में वहां की आर्थिक तथा भौगोलिक स्थितियों पर पहले से ही विशेष रूप से ध्यान दिया जा चुका है। परामर्शदात्री समिति/उपसमिति द्वारा परीक्षा केन्द्र निर्धारित किए जाते हैं। परीक्षा केन्द्रों के निर्धारण हेतु मानक/नीति की संस्तुति नियमानुसार परिषद् की परीक्षा समिति ही कर सकती है। चूंकि इन समितियों में शिक्षाविदों के प्रतिनिधि के रूप में जनपद/मण्डल स्तर के दो वरिष्ठतम प्रधानाचार्य भी सम्मिलित किए जाते हैं, अतः केन्द्र निर्धारित करने हेतु मानक निर्धारित किए जाने के लिए वहां के जनप्रतिनिधियों से वार्ता करने का प्रश्न नहीं उठता है।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

अमीरूद्दौला पुस्तकालय लखनऊ में नियमित रूप से मंगाई गयी दैनिक/साप्ताहिक/पाक्षिक/मासिक/पत्र पत्रिकाओं का विवरण

134-श्री काशी सिंह ऐरी-

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अमीरूद्दौला पुस्तकालय लखनऊ में दिनांक 31-12-85 तक किन-किन से दैनिक/साप्ताहिक/पाक्षिक/मासिक /त्रैमासिक/वार्षिक-पत्र/पत्रिकायें नियमित रूप से आते थे? इनमें से कौन-कौन निःशुल्क थे ? पुस्तकालय में इनमें से किन-किन पत्र पत्रिकाओं को किस-किस समयान्तराल के बाद किस प्रकार निस्तारित कर दिया जाता है?

श्री सिब्ते रजी-

अमीरूद्दौला पब्लिक लाइब्रेरी, लखनऊ में 31-12-85 तक मंगाई जाने वाली विभिन्न भाषाओं में दैनिक/साप्ताहिक/पाक्षिक/मासिक/पत्र पत्रिकाओं की सूची संलग्न है। यह प्रकाशन नियमित रूप से मंगाये जाते रहे हैं। इस पुस्तकालय में कोई त्रैमासिक एवं वार्षिक पत्रिका क्रय नहीं की जाती। निःशुल्क प्राप्त होने वाले प्रकाशनों की सूचना शून्य है। इन प्रकाशनों को पुस्तकालय से अभी निस्तारण नहीं किया गया है।

(देखिये नत्थी 'अ' आगे पृष्ठ 185-187 पर)

अमीरुद्दौला पुस्तकालय लखनऊ एवं इलाहाबाद मुख्य पुस्तकालय में विधान मण्डल कार्यवाहियों के संकलन में अनियमितता के सम्बन्ध में जानकारी

135–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का 26 जून, 1985 का पत्र मिला है जिसमें उन्होंने अमीरुद्दौला पुस्तकालय लखनऊ तथा इलाहाबाद मुख्य पुस्तकालय में विधान मण्डल कार्यवाहियों के संकलन में अनियमितता के विषय में जानकारी दी थी ? यदि हां, तो उपरोक्त दोनों पुस्तकालयों में विधान मंडल संसद, केन्द्रीय सभा (स्वतंत्रता से पूर्व) की सभी कार्यवाही खण्डों का पूर्ण संकलन कब तक तैयार कर आम जनता के पढ़ने हेतु रख दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां, प्राप्त हुआ था।

कार्यवाही अनुभाग, विधान सभा सचिवालय से प्राप्त सूचना के अनुसार विधान सभा की कार्यवाही राजकीय मुद्रणालय से मुद्रित करायी जाती है। यह प्रकाशन समूल्य होता है। माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार यह कार्यवाहियां विधान सभा/विधान परिषद् के माननीय सदस्यों, अन्य राज्यों के विधान सभाओं/विधान परिषदों, देश व प्रदेश के प्रमुख पुस्तकालयों, प्रदेश के मंडलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को निःशुल्क वितरित की जाती है।

केन्द्रीय राज्य पुस्तकालय, इलाहाबाद तथा राजकीय पब्लिक लाइब्रेरी, इलाहाबाद में विधान सभा/विधान परिषद् की उपलब्ध कार्यवाहियों का विवरण संलग्नक में दिया गया है। इन पुस्तकालयों में राजकीय मुद्रणालय द्वारा उपलब्ध कराई गई विधान सभा/विधान परिषद् की कार्यवाहियां जनता के पढ़ने के लिये सुलभ हैं।

इलाहाबाद के उपरोक्त पुस्तकालयों में संसद व केन्द्रीय सभा की कार्यवाहियों की प्रतियां उपलब्ध नहीं हैं।

अमीरुद्दौला पब्लिक लाइब्रेरी, लखनऊ एक गैर सरकारी संस्था है। इस पुस्तकालय में विधान मण्डल की कार्यवाहियों की प्रतियां उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि इस गैर सरकारी संस्था में यह क्रय नहीं की जाती हैं।

(देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ 188 पर)

केन्द्रीय राज्य पुस्तकालय, इलाहाबाद में "रिप्रोग्राफी" हेतु मशीनों की संख्या

136–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि (प्रादेशिक) मुख्य पुस्तकालय इलाहाबाद में "रिप्रोग्राफी" हेतु फोटो/इलेक्ट्रो/आटोस्टेट की कुल कितनी मशीनें कार्यरत हैं? इनमें से आवश्यक पुस्तक/पुस्तिका/पत्रिका के पन्नों के प्रतिलिपि की प्राप्ति हेतु शोध छात्रों, मा0 विधायकों, प्रवक्ताओं से प्रति पृष्ठ दर क्रमशः क्या-क्या निर्धारित की गयी है? सरकार इसे न्यूनतम रखने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

श्री सिब्ते रजी–

केन्द्रीय राज्य पुस्तकालय, इलाहाबाद में "रिप्रोग्राफी" हेतु फोटो/इलेक्ट्रो/आटोस्टेट की कोई मशीन नहीं है। अतः शेष भाग का उत्तर देने का प्रश्न नहीं उठता है।

अमीरुद्दौला पुस्तकालय, लखनऊ में "रिप्रोग्राफी" हेतु मशीनों की संख्या

137–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अमीरुद्दौला पुस्तकालय, लखनऊ में दिनांक 31-12-85 तक "रिप्रोग्राफी" हेतु फोटो/इलेक्ट्रो/आटो स्टेट की कुल कितनी मशीनें कार्यरत हैं ? इनमें से आवश्यक पुस्तक/पुस्तिका/पत्रिका के पन्नों के प्रतिलिपि प्राप्ति हेतु शोध/छात्रों, मा0 विधायकों, प्रवक्ताओं से प्रति पृष्ठ दर क्रमशः क्या-क्या निर्धारित की गयी है ? सरकार इसे न्यूनतम रखने के लिये क्या कदम उठा रही है?

श्री सिब्ते रजी–

अमीरुद्दौला पब्लिक लाइब्रेरी में 31-12-85 तक "रिप्रोग्राफ" हेतु फोटो/इलेक्ट्रो/आटो स्टेट की कोई मशीन क्रय नहीं की गई है। अतः रिप्रोग्राफी सेवा प्रदान नहीं की जाती । प्रश्न के शेष भाग का उत्तर देने का प्रश्न नहीं उठता है।

138–श्री काशी सिंह ऐरी–

[राज्य सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त]

139–श्री काशी सिंह ऐरी–

[राज्य सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त]

स्व0 श्री पूर्णानन्द जोशी भू0 पू0 सहायक अध्यापक, राजकीय इण्टर कालेज, पिथौरागढ़ के सम्बन्ध में शिक्षा निदेशक को प्रेषित पत्र पर कृत कार्यवाही

140–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्व0 श्री पूर्णानन्द जोशी भूतपूर्व सहायक अध्यापक राजकीय इण्टर कालेज, पिथौरागढ़ के सम्बन्ध में शिक्षा निदेशक शिक्षा पेंशन (1) अनुभाग, इलाहाबाद के द्वारा महालेखाकार (तृतीय) उ0 प्र0 पी0 आर0 6 (नया) अनुभाग इलाहाबाद के लिखे पत्रांक पेंशन (1)/20-8 (67)/82-83 दिनांक 18-5-83 के द्वारा भेजे गये पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री सिब्ते रजी–

शिक्षा निदेशालय द्वारा महालेखाकार कार्यालय से व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क कर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु अनुरोध किया जाता रहा तथा स्मरण पत्र भी भेजा गया। प्रकरण महालेखाकार, उ0 प्र0 के स्तर पर लम्बित है।

प्रदेश में भूजल सर्वेक्षण हेतु कृत कार्यवाही

141–श्री कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या सरकार को जानकारी है कि प्रदेश में विस्तृत भूजल सर्वेक्षण हेतु कितने विभाग कार्यरत हैं एवं क्या उनमें समन्वय स्थापित है ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

प्रदेश में विस्तृत भूजल सर्वेक्षण हेतु भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन ही एकमात्र विभाग है जो पर्वतीय जनपदों को छोड़ कर शेष मैदानी एवं पठारी जनपदों में विकास खण्डवार भूगर्भ जल उपलब्धता का आंकलन, सिंचाई हेतु उसकी रासायनिक उपयुक्तता ज्ञात करने, उपयोग की सीमायें निर्धारित करने, लघु सिंचाई साधनों जैसे नलकूपों आदि के मध्य रखी जाने वाली न्यूनतम दूरी ज्ञात करने, भूगर्भ जल प्रबन्ध के सबसे उपयुक्त उपचारिक एवं सतर्कता के उपायों को ज्ञात करने, खारीपन एवं जल प्लावन की समस्या के नियंत्रण के उपयोग को ज्ञात करने तथा भूगर्भ जल भंडारों की उपस्थिति एवं

विस्तार का बोध करने का कार्य कर रहा है।

इन कार्यों को समन्वित ढंग से सम्पादित करने हेतु प्रदेश सरकार का कोई अन्य विभाग विद्यमान नहीं है अतः समन्वय का प्रश्न नहीं उठता।

भूजल सर्वेक्षण का कार्य भारत सरकार के केन्द्रीय भूजल परिषद् द्वारा जनपद स्तर पर किया जाता है जिनसे तकनीकी रिपोर्ट तथा अन्य आंकड़ों आदि का आदान प्रदान होता है।

142–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

कुमायूं विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के मांग पत्र पर कृत कार्यवाही

143–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या शिक्षा मंत्री को उनके पत्रांक सं0 पी0 आई0 पी0 2109/85, दिनांक 27 मई, 85 द्वारा प्रश्नकर्ता का दिनांक 16 मई, 1985 का पत्र प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो पत्र में उल्लिखित कुमायूं विश्वविद्यालय कर्मचारियों की मांग पर अब तक बिन्दुवार क्या-क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां ।

सूचना संलग्न है।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'ठ' आगे पृष्ठ 189 पर)

जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड बेरीनाग के कतिपय मोटर मार्गों का निरीक्षण एवं नियमित बस सेवा प्रारम्भ करने पर विचार

144–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या परिवहन मंत्री को ज्ञात है कि जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड बेरीनाग के अन्तर्गत बेरीनाग, विनायक, पुरानाथल मोटर मार्ग के प्रथम 8 कि0मी0 का निरीक्षण ए0 आर0 टी0 ओ0 द्वारा दिनांक 23-5-84 को किया गया था? क्या उपरोक्त अधिकारी ने अपने पत्रांक 20 पर्यटन-1-84 दिनांक 26-6-84 द्वारा के0 एम0 ओ0 यू0 काठगोदाम को इस मार्ग को सुरक्षित करने हेतु लिखा था ? यदि हां, तो इस मार्ग में नियमित बस सेवा कब से प्रारम्भ की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों?

डाक्टर संजय सिंह–

पिथौरागढ़ विकास खण्ड के अन्तर्गत पड़ने वाले बेरीनाग-बिनायक-पुरानाथल मोटर मार्ग के प्रथम 8 कि0मी0 का संयुक्त निरीक्षण दिनांक 30-5-84 को ए0 आर0 टी0 ओ0 (ई) द्वारा सहायक अभियन्ता, सा0 नि0 विभाग के साथ किया गया था, न कि दिनांक 23-5-84 को।

जी हां ।

विलम्बतः 20 सितम्बर से नियमित बस सेवा प्रारम्भ की जायेगी ।

प्रश्न ही नहीं उठता।

राजकीय सेवाओं में कार्यरत पति-पत्नी को एक ही स्थान पर रखने के शासनादेश

145–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि शासन द्वारा राजकीय सेवा में कार्यरत पति पत्नी को निकटतम स्थानों में स्थानान्तरित करने हेतु शासनादेश घोषित किया गया है ? यदि हां, तो अति0 शिक्षा निदेशक (पर्वतीय) के अन्तर्गत कुमायूं संभाग में कुल ऐसे कितने युगल हैं जिन्हें विगत तीन वर्षों से इस शासनादेश का लाभ नहीं दिया गया है ? यदि हां,

तो कब तक यह काम सम्पादित हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी–

पति पत्नी को एक ही स्थान पर रखने का यथा सम्भव प्रयत्न किये जाने के आदेश हैं।

सूचना मांगी गई है।

जनपद पिथौरागढ़ में विगत सत्र में स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में प्रवक्ताओं की अस्थायी नियुक्ति

146–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि जनपद पिथौरागढ़ में विगत शिक्षा सत्र में स्नातकोत्तर महाविद्यालय में कुछ प्रवक्ताओं की अस्थायी नियुक्ति की गयी थी? क्या इन्हें प्राचार्यों/प्रवक्ताओं के नियमित पद रिक्त होते हुए भी दिसम्बर, 84 में निकालकर शीतावकाश के बाद उन्हें पुन: 4 माह हेतु नियुक्त किया गया था ? महाविद्यालय में प्रवक्ताओं के पद रिक्त रहते हुए छात्रों के व्यापक हित में व वर्तमान में कार्यरत उपरोक्त प्रवक्ताओं को नियमित करने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां । किन्तु यह नियुक्तियां प्रधानाचार्य द्वारा निश्चित अवधि के लिये अन्तरिम व्यवस्था के अन्तर्गत तदर्थ रूप से की गई थी जिसके लिये प्रधानाचार्य प्राधिकृत थे ।

जी हां ।

जी नहीं। इन्हें नियमित किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

क्योंकि इन्हें अन्तरिम व्यवस्था के अन्तर्गत निश्चित अवधि तक के लिये नियुक्त किया गया था और उन्होंने उक्त आशय का घोषणा पत्र भी दिया था । इन्हें नियमित किये जाने हेतु किसी नियम में भी कोई व्यवस्था नहीं है।

जिला परिषद् द्वारा ग्रामों के मुर्दे मवेशियों को उठाने एवं खाल आदि बेचने का ठेका

147–श्री कनक सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अब तक ग्रामों में मुर्दा मवेशियों को उठाने व उनकी खाल आदि बेचने का ठेका ग्राम सभा द्वारा दिया जाता था ? यदि हां, तो क्या यह सच है कि अब उक्त ठेके जिला परिषद् द्वारा दिये जाते हैं ? यदि हां, तो ग्राम सभाओं की इस आमदनी में उक्त कटौती करने का क्या औचित्य है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी नहीं।

उक्त ठेके जिला परिषद् द्वारा वर्ष 1967 से दिये जा रहे हैं।

इस मद से होने वाली आय का 50 प्रतिशत भाग ग्राम पंचायतों को दिया जा रहा है। इस प्रकार ग्राम सभाओं की आमदनी में कटौती करने का प्रश्न नहीं उठता ।

148–श्री कनक सिंह–

[1ले शुक्रवार में अता0 प्र0 सं0 194 पर स्थानान्तरित]

श्रीमती कुमुदलता सिंह, मण्डलीय विद्यालय निरीक्षिका के विरुद्ध शिकायती पत्र

149–श्री कनक सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माह फरवरी, 1986 में श्रीमती कुमुदलता सिंह, मण्डलीय विद्यालय निरीक्षिका, इलाहाबाद के विरुद्ध श्री एस0 एन0 वर्मा का कोई भ्रष्टाचार सम्बन्धी शिकायती पत्र शासन में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या

कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां । शिकायती पत्र मूल रूप में शिक्षा निदेशक, उ0 प्र0 को जांच हेतु भेजा गया है। जांच आख्या प्रतीक्षित है।

लखनऊ क्षेत्र में परिवहन निगम के परिचालक श्री सुशील कुमार एवं श्री शिव नारायण को पीक सीजन में सेवा का अवसर

150 श्री भगवती सिंह विशारद–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन एवं निगम मुख्यालय द्वारा निर्गत आदेश दिनांक 20-3-85 व 16-4-85 के उपरान्त भी सर्वश्री सुशील कुमार एवं शिव नारायण जिन्होंने लखनऊ क्षेत्र में वर्ष 1980-81 में कई माह परिचालक पद पर कार्य किया था, को वर्ष 1985 के पीक सीजन में सेवा का अवसर प्रदान नहीं किया गया ? यदि हां, तो इन लोगों को कब तक सेवा का अवसर प्रदान कर दिया जायेगा तथा दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?

डाक्टर संजय सिंह–

जी नहीं।

श्री शिव नारायण को वर्ष 1985 के पीक सीजन में दिनांक 25-4-85 से दिनांक 28-4-85 तक सेवा का अवसर प्रदान किया गया । दूसरे परिचालक श्री सुशील कुमार परिचालकों की आवश्यकता होने के समय उपलब्ध नहीं थे, अतः उन्हें नियुक्ति नहीं प्रदान की जा सकी ।

वर्ष 1986 के पीक सीजन में श्री सुशील कुमार को दिनांक 30-4-86 से 31-7-86 तक, तथा श्री शिव नारायण को दिनांक 15-5-86 से 31-7-86 तक कार्य पर लिया गया ।

प्रश्न नहीं उठता है।

श्री जगदीश प्रसाद त्रिपाठी, प्रधानाध्यापक पथिक इण्टर कालेज, साढ़, कानपुर का वेतन निर्धारण

151–श्री भगवती सिंह विशारद–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री जगदीश प्रसाद त्रिपाठी जो पथिक इण्टर कालेज साढ़, जनपद कानपुर के प्रधानाध्यापक थे एवं जिनका वेतन जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा 13-11-81 को 865 रु0 निर्धारित किया गया था बिना प्रबन्धतंत्र के प्रस्ताव के 13-11-85 को उनका वेतन 1300 रु0 किस नियम के अन्तर्गत निर्धारित कर दिया?

श्री सिब्ते रजी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

हाईस्कूल को उच्चीकृत होने पर प्रधानाध्यापक की पदोन्नति की नीति

152–श्री भगवती सिंह विशारद–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किसी हाईस्कूल को जब उच्चीकृत करके इण्टरमीडिएट की मान्यता दी जाती है तो क्या प्रधानाध्यापकों को प्रबन्ध तंत्र के प्रस्ताव के अभाव में भी प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नत कर दिया जाता है?

श्री सिब्ते रजी–

नहीं।

नियमानुसार प्रबन्ध तंत्र का प्रस्ताव और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग, इलाहाबाद का अनुमोदन आवश्यक है।

उत्तर प्रदेश शिक्षा निदेशालय के कर्मचारियों की प्रोन्नति

153–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा निदेशालय में कई कर्म-

चारियों को प्रोन्नति देकर वेतनक्रम 570–1100 में कर दिया गया है किन्तु उनके कार्य पद नोटर ड्राफ्टर वेतनक्रम 515–860 का लिया जा रहा है ? यदि हां, तो ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी है और ऐसा किए जाने का कारण क्या है ?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद पिथौरागढ़ में शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों को शोध कार्य हेतु धन का आवन्टन

154–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में रसायन शास्त्र तथा वनस्पति शास्त्र विभाग के प्रख्याताओं को उनके शोध कार्यों को करने हेतु विगत पांच वर्षों में कुल कितनी धनराशि आवंटित की गयी? क्या सीमान्त के इस उच्चतम शिक्षा केन्द्र को वहां की परिस्थितियों के अनुसार शोध कार्य को प्रोत्साहित करने हेतु, सज्जा युक्त करने, प्रयोगशाला बनाने और लगातार संवर्धित करने तथा शोध कार्य करने हेतु और अधिक धन आवंटित करना सुनिश्चित करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी–

राजकीय अथवा अशासकीय महाविद्यालयों के प्रवक्ताओं को शोध कार्य हेतु शासन द्वारा पृथक से कोई अनुदान देने का प्राविधान नहीं है। निश्चित शोध योजनाओं के प्रस्तुत करने पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा अन्य ऐसी संस्थायें सीधे प्रवक्ताओं को शोध हेतु अनुदान देते हैं।

महाविद्यालय की प्रयोगशालाओं तथा पुस्तकालयों हेतु विगत 5 वर्षों में उच्च शिक्षा निदेशालय द्वारा लगभग 4,25,850 रु0 आवर्तक तथा 65,000 रु0 अनावर्तक अनुदान दिया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भी प्रयोगशालाओं तथा पुस्तकालयों के सुदृढ़ीकरण हेतु 90,000 रु0 दिया गया है । इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शोधकर्ता प्रवक्ताओं को लघु योजनाओं में भी अनुदान दिया जाता रहा है ।

महाविद्यालय को यथा सम्भव प्रति वर्ष आवर्तक अनुदान में वृद्धि की जाती है ।

प्रश्न नहीं उठता।

शिक्षा विभाग के कार्यालयों में रिक्त पदों पर पदोन्नति तथा लिपिक कर्मचारियों की सेवा नियमावली

155–श्री हृदय नरायन दीक्षित–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों में पदोन्नति से भर जाने वाले वरिष्ठ सहायकों के 100 से भी अधिक पद रिक्त चल रहे हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां । रिक्त पदों को पदोन्नति द्वारा भरने की कार्यवाही की जा रही है ।

156–श्री हृदय नरायन दीक्षित–

क्या शिक्षा विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों में लिपिकीय कर्मचारियों के लिए सेवा नियमावली, 1985 लागू की गई है ? यदि हां, तो क्या इस नियमावली का अनुपालन कराया जा रहा है ?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां ।

जी हां ।

श्री रमाशंकर पाण्डे, सहायक निदेशक, षष्ठम मण्डल, लखनऊ का स्थानान्तरण

157–श्री हृदय नरायन दीक्षित–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री रमाशंकर पांडे, सहायक निदेशक, षष्ठम मण्डल, लखनऊ के स्थानान्तरण की घोषणा मंत्री जी के द्वारा शिक्षक कार्यालय रिसालदार पार्क, लखनऊ में समस्त जनपदों के शिक्षा अध्यक्ष व मंत्री के समक्ष दिनांक 11-2-86 को की गई थी ? यदि हां, तो क्या उनका स्थानान्तरण कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

आर0 आर0 वी0 इण्टर कालेज, उन्नाव के प्रबंधक एवं प्राचार्य पर वित्तीय अनियमितता का आरोप

158–श्री हृदय नरायन दीक्षित–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव के आर0 आर0 वी0 इण्टर कालेज के प्रबन्धक एवं प्राचार्य पर वित्तीय अनियमितता बरतने के कारण जिला विद्यालय निरीक्षक, उन्नाव ने दिनांक 3 फरवरी, 86 को पुलिस अधीक्षक, उन्नाव को आवश्यक कार्यवाही हेतु लिखा था? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां ।

पुलिस अधीक्षक उन्नाव की जांच आख्या के आधार पर गबन किए जाने का इरादा साबित नहीं हुआ है । कालेज के कर्मचारियों ने एकाउन्ट्स को देर से जमा किया है, जो उनकी लापरवाही एवं विभागीय अनियमितता को प्रदर्शित करता है।

159–श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

[3रे सोमवार के लिए स्थगित]

नगरपालिका इन्टर कालेज जौनपुर में जीव विज्ञान प्रवक्ता की तदर्थ नियुक्ति

160–श्री अर्जुन सिंह यादव–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि नगरपालिका इण्टर कालेज, जौनपुर में जीव विज्ञान प्रवक्ता के पद पर नियुक्ति के संबंध में व्यापक पैमाने पर अनियमितता बरती गई है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी विभागीय वरिष्ठ अधिकारी से अविलम्ब अभिलेखों की पत्रावली आदि की जांच कराकर सूचना सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी–

नहीं । विद्यालय में जीव विज्ञान प्रवक्ता पद पर प्रशासक नगरपालिका, जौनपुर द्वारा श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह की तदर्थ नियुक्ति उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग एवं चयन बोर्ड अधिनियम, 1982 की धारा 18 के अन्तर्गत नियमानुसार योग्यतम् अभ्यर्थी का चयम करके की गई है ।

जनपद जौनपुर के खुटहन मार्ग पर परिवहन निगम की बसों का संचालन

161–श्री अर्जुन सिंह यादव–

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि जनपद जौनपुर खुटहन मार्ग पर परिवहन की बसें नहीं चलती है ? यदि हां, तो उक्त मार्ग पर परिवहन की बसें चलवाने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर संजय सिंह–

जौनपुर खुटहन के लिए निम्न दो मार्ग हैं:–

1–जौमपुर-खुटहन वाया खेतासराय-(40 कि0 मी0 की दूरी)

2–जौनपुर-खटहन वाया मल्हनी (34 कि0 मी0 की दूरी)

जौनपुर-खुटहन वाया खेतासराय राष्ट्रीयकृत मार्ग है, तथा इस मार्ग पर निगम बसें संचालित हो रही हैं ।

जौनपुर-खुटहन वाया मल्हनी मार्ग अराष्ट्रीयकृत है । इस मार्ग पर निजी बसों का संचालन हो रहा है । अतः इस मार्ग पर निगम बसों का संचालन संभव नहीं है ।

जनपद जौनपुर के कतिपय मार्गों पर परिवहन की बसें चलवाने का प्रस्ताव

162–श्री अर्जुन सिंह यादव–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर, प्रतापगढ़ वाया तेजी बाजार एवं जौनपुर सुजानगंज वाया शेखा वरईपार मार्ग पर शीघ्र परिवहन की बसें चलवाने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर संजय सिंह–

जी नहीं ।

जौनपुर-प्रतापगढ़ वाया तेजी बाजार मार्ग की दूरी 87 कि0 मी0 है, जिसमें वक्शा से पट्टी 46 कि0 मी0 भाग अराष्ट्रीयकृत है और यह भाग मोटर चलने योग्य भी नहीं है ।

जौनपुर-सुजानगंज वाया शेखा-वरईपार मार्ग की दूरी 45 कि0 मी0 है, जिसमें जौनपुर से सिकरावा मोड़ तक 18 कि0 मी0 भाग राष्ट्रीयकृत है । सिकरावा मोड़ से सुजानगंज तक 27 कि0 मी0 भाग अराष्ट्रीयकृत है । इस भाग पर निजी बसों का संचालन है। अतः उक्त मार्ग पर वर्तमान में निगम बसों का संचालन संभव नहीं है ।

सचिव, लखनऊ रीजन बस आपरेटर्स एशोसिएशन के मांग पत्र पर कृत कार्यवाही

163–श्री अर्जुन सिंह यादव–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सचिव, लखनऊ रीजन बस आपरेटर्स एसोसियेशन का एसोसिएशन की मांगों से संबंधित पत्र दिनांक 31-1-85 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो मांगें क्या हैं और उनके संबंध में शासन द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर संजय सिंह–

जी नहीं, परन्तु सचिव लखनऊ रीजन बस आपरेटर्स एसोसिएशन का एक पत्र दिनांक 31-1-86 अवश्य प्राप्त हुआ है।

दिनांक 31-1-86 को प्राप्त पत्र में निम्नलिखित मांगें हैं :–

वर्ष 1976 में मिनी बसों पर प्रतिबंध लगाये गये थे, उस समय प्रदेश में 768 मिनी बसें थी । लखनऊ में 140 बसें थी जिनमे से अब मात्र 30 बसें बची हैं । ये बसें बैरिस्टर कीर्ति प्रकाश मिश्रा मार्ग से संचालित होती थी किन्तु मई, 85 में जिलाधिकारी द्वारा बस अड्डा निरस्त कर देने और बैकल्पिक स्थान न देने से मिनी बसों का संचालन तब से ठप हो गया है । अब मुख्य प्रश्न बसों का पुनः संचालन कराया जाना है । एसोसिएशन के पत्र दिनांक 31-1-86 में जिन मार्गों पर अधिकार पत्र जारी करने हेतु अनु-

रोध किया है वह मार्ग विनिर्दिष्ट न होने के कारण उन मार्गों पर अधिकार पत्र जारी करना संभव नहीं है। लखनऊ क्षेत्र के नगरीय मार्ग चारबाग-चौक पर अधिकार पत्र जारी करने हेतु कार्यवाही चल रही है।

जौनपुर डिपो में मार्गवार संचालित बसों का विवरण

164—श्री अर्जुन सिंह यादव—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर में परिवहन विभाग में कितनी बसें हैं और किन-किन मार्गों पर चलती हैं तथा कितनी बसें ऐसी हैं जो कि किसी खराबी के कारण वर्कशाप में पड़ी हुई हैं? यदि हां, तो क्या उक्त बसों की अतिशीघ्र मरम्मत कराकर उन्हें मार्गों पर चलवाने की कृपा करेंगे? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि जौनपुर डिपो में कुछ नई बसें भेजे जाने का कोई विचार है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

डाक्टर संजय सिंह—

जौनपुर डिपो में कुल 90 बसों का बेड़ा है। इनमें से 76 बसें विभिन्न मार्गों पर संचालित की जा रही हैं जिनकी सूची संलग्न है। 14 बसें विभिन्न प्रकार की खराबियों के कारण कार्यशाला में पड़ी हैं, जिन्हें अतिशीघ्र मरम्मत कराकर चलाया जायेगा। वर्ष 1986 में 14 नयी बसें जौनपुर डिपो को संचालन के लिए उपलब्ध करायी जा चुकी हैं। भविष्य में भी उपलब्धता के आधार पर नयी बसें उपलब्ध करायी जायेंगी।

(देखिए नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 190 पर)

स्वर्गीय श्री सैयद एजाज हैदर प्रवक्ता, रामराज इण्टर कालेज, पट्टी, प्रतापगढ़ के बकाये वेतन आदि का भुगतान

165—श्री अर्जुन सिंह यादव—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री सैयद एजाज हैदर, प्रवक्ता, रामराज इण्टर कालेज, पट्टी, प्रतापगढ़ का वेतन आदि का बकाया धनराशि का भुगतान उनकी मृत्यु के बाद उनके वारिस श्रीमती अमीना खातून द्वारा शाहजहां अख्तर वकील गो0 भंडारी जौनपुर को दिया गया? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों? क्या मंत्री जी उक्त बकाया धनराशि को अतिशीघ्र जिला विद्यालय प्रतापगढ़ से दिलाने की कृपा करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी—

प्राप्त सूचना के आधान पर स्वर्गीय श्री सैयद एजाज हैदर प्रवक्ता के केवल वेतन निर्धारण के फलस्वरूप देय वेतन का भुगतान शेष है। जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा प्रबन्धक को भुगतान हेतु निर्देश दे दिया गया है।

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा प्रखण्ड गाजीपुर में आशुलिपिक के पद हेतु चयन

166—श्री विजय सिंह राणा—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा प्रखण्ड गाजीपुर में आशुलिपिक के पद हेतु परीक्षा का आयोजन वर्ष 84-85 में किया गया था? यदि नहीं, तो वर्तमान में उक्त पद पर कार्यरत कर्मचारी किस आधार पर तैनात किया गया? क्या उसे आशुलिपिक की निर्धारित जानकारी है? यदि नहीं, तो क्या सरकार ऐसे

अक्षम व्यक्ति को पुनः उसके मूल पद पर वापस करेगी? यदि हां, तो कब तक?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी नहीं।

वर्तमान में उक्त पद कार्यरत कर्मचारी को वर्ष 1977-78 में आयोजित विभागीय चयन प्रक्रिया के अन्तर्गत श्रेष्ठता एवं उपयुक्ता के आधार पर तैनात किया गया था, जिसे आशुलिपिक की निर्धारित जानकारी है।

प्रश्न नहीं उठता।

अधिशासी अभियन्ता का भूगर्भ जल सर्वेक्षण में संविलियन हेतु प्रस्ताव

167–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम विकास अनुभाग-7 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 124 आर0ई0/38-7-1508 (4) 82 लखनऊ, दिनांक 22 जून, 1985 में निहित विलियन की प्रणाली के आधार पर सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का भूगर्भ जल सर्वेक्षण में संविलियन हेतु प्रस्ताव क्षेत्रीय विकास अनुभाग-3 के पत्र संख्या 592/54-2-1800(123)/83 दिनांक 3 फरवरी, 1986 द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया है? यदि हां, तो सम्बन्धित अधिशासी अभियंता को कब तक कार्यमुक्त कर दिया जायेगा?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

ग्राम्य विकास अनुभाग-7 से निर्गत कार्यालय ज्ञाप सं0 124 आर0 ई0/38-7-1508 (2)/82, दिनांक 22-6-85 का सम्बन्ध ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा में संविलियन से है।

भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन में अगस्त 1984 में अधिशासी अभियंता के पद पर सिंचाई विभाग से प्रतिनियुक्ति पर लिए गये श्री अशोक कुमार के संगठन में संविलियन के अनुरोध को शासन के पत्र सं0 5921/54-2-1800(123)/83, दिनांक 3-2-86 के द्वारा अस्वीकार किया किया गया।

सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता को कार्यमुक्त करने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही यथा समय की जायेगी।

अधीक्षण अभियन्ता एवं अधिशासी अभियंता के पद पर कार्यरत जियोलोजिस्ट की शैक्षिक योग्यता

168–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बतायेंगे कि जियोलाजिकल इंजीनियर भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन में क्रमशः अधीक्षण अभियंता एवं अधिशासी के पद पर कार्यरत हैं? यदि हां, तो उनकी मूल शैक्षिक योग्यता क्या है?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन उत्तर प्रदेश में अधीक्षण अभियंता एवं अधिशासी अभियंता के पद पर कार्यरत जियोलोजिस्ट की शैक्षिक योग्यता एम0एस0सी0 (जियोलोजी) है।

राजकीय इन्टर कालेजों में द्विवपाली योजना के तहत अतिरिक्त अध्यापकों के पदों का सृजन

169–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि बुन्देलखण्ड के 5 जिलों में द्विवपाली योजनान्तर्गत चालू विद्यालयों में प्रारम्भ में दिये गये अध्यापकों के बाद क्रमागत शैक्षिक सूत्रों में कक्षाओं की वृद्धि के साथ अध्यापक दिये गये या नहीं? यदि नहीं, तो कितने विद्यालयों को नहीं दिये गये तथा क्यों?

श्री सिब्ते रजी–

नहीं। बुन्देलखण्ड के केवल 2 जनपदों झांसी के 3 तथा बांदा के एक राजकीय इन्टर कालेजों में द्विपाली योजना लागू की गयी थी । इस योजना के चालू होने के बाद क्रमागत शैक्षिक सत्रों में कक्षाओं की संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई । अतएव अध्यापकों के अतिरिक्त पदों के सृजन का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

राजकीय इन्टर कालेजों एवं हाईस्कूलों में प्रधानाचार्य के रिक्त पदों की संख्या एवं नियुक्ति की व्यवस्था

170–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने राजकीय इन्टर कालेज एवं राजकीय हाई स्कूल हैं जिनमें 1-3-86 तक प्रधानाचार्य नहीं हैं और कब से ? इन रिक्त पदों को कब तक भर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी–

राजकीय इन्टर कालेज
162
राजकीय हाईस्कूल
116

1-3-86 तक प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कालेजों के 20 पद 3 वर्ष से अधिक, 15 पद 2 वर्ष से अधिक, 32 पद 1 वर्ष से अधिक तथा 95 पद एक वर्ष से कम समय से रिक्त रहे। इसी प्रकार राजकीय हाईस्कूलों में प्रधानाध्यापक (प्रधानाचार्य) के 3 पद 3 वर्ष से अधिक, 12 पद 2 वर्ष से अधिक 49 पद 1 वर्ष से अधिक तथा 52 पद एक वर्ष से कम समय से रिक्त रहे। प्रधानाचार्य राजकीय इन्टर कालेज के 90 पदों को प्रधानाचार्य के समकक्ष संवर्ग में कार्यरत अन्य अधिकारियों के स्थानान्तरण एवं अधीनस्थ शिक्षा सेवा (राजपत्रित) वेतनक्रम के अधिकारियों को प्रधानाचार्य पद पर तदर्थ पदोन्नति से भरा जा चुका है।

जहां तक राजकीय हाइस्कूलों का संबंध है उक्त 116 पदों में से 34 पदों पर तदर्थ प्रोन्नति की गई थी, किन्तु प्रोन्नति प्राप्त अध्यापकों ने प्रभार नहीं ग्रहण किया । इन रिक्तियों में से 13 पद स्थानान्तरण से भर दिये गये हैं ।

रिक्त पदों को तदर्थ प्रोन्नतियों, स्थानान्तरणों से भरा जाना तथा प्रोन्नति के पदों पर अधिकारियों द्वारा योगदान न देने, सेवा निवृत्ति, मृत्यु आदि अनेक कारणों से पदों का, फिर भी, रिक्त रहना एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। अतः यह कहना कठिन है कि कोई रिक्त पद वास्तव में कब तक भर दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ जनपद में गैर परिषदीय मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में प्रधानाचार्य के पद की योग्यता

171–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ जनपद में बेसिक शिक्षा अधिकारी, लखनऊ द्वारा गैर परिषदीय मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापक पद पर कितनी योग्यता रखने वाले व्यक्ति को प्रधानाध्यापक पद पर कार्य करने की अनुमति दी जाती है ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

प्रशिक्षित स्नातक व्यक्ति को प्रधानाध्यापक पद पर कार्य करने की अनुमति दी जाती है ।

172–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ में गैर परिषदीय मान्यता प्राप्त कितने जूनियर हाई स्कूल ऐसे

है जिनमें बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रधानाध्यापक पद हेतु वांछित प्रशिक्षित स्नातक योग्यता का ध्यान न देकर, उससे कम योग्यता के लोगों को प्रधानाध्यापक पद पर कार्य करने की अनुमति दी गई है ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

173–श्री यदुनाथ सिंह–

[3रे सोमवार के लिए स्थगित]

लखनऊ विश्वविद्यालय के लोक प्रशासन विभाग की अनियमितताओं पर की गयी जांच

174–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सही है कि लखनऊ विश्वविद्यालय के लोक प्रशासन विभाग की सन् 1967 से लेकर 1983 तक की गतिविधियों, आर्थिक व प्रशासनिक अनियमितताओं की जांच का भार कौल आयोग को सौंपा गया था ? यदि हां, तो क्या इस आयोग ने तमाम छानबीन करके अपनी गोपनीय रपट राज्य सरकार को ता0 31-1-86 को सौंप दी है ? यदि हां, तो आयोग ने अपनी रपट में क्या पाया, किन-किन आरोपों को सही पाया ? आय व्यय के परीक्षण में कितने लाख रुपया की आर्थिक अनियमितताएं पकड़ी है ? राज्य सरकार ने आयोग की रपट पर क्या निर्णय लिया?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां। वर्ष 1968 से 1984 की अवधि के बारे में जांच कराई गई है।

जी हां।

जांच रिपोर्ट गोपनीय है और उसका परीक्षण सम्प्रति किया जा रहा है।

जनता जनार्दन इन्टर कालेज भुड़कुड़ा को परीक्षा केन्द्र बनाने के आदेश

175–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनता जनार्दन इंटर कालेज भुड़कुड़ा को हाईस्कूल व इंटरमीडियेट के परीक्षा केन्द्र करने के लिए दि0 14-2-86 को मुख्य मंत्री श्री वीर बहादुर सिंह द्वारा लिखित एवं स्पष्ट आदेश के बावजूद भी आज तक उस का पालन नहीं किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी–

प्रश्नगत विद्यालय को वर्ष 1986 की हाईस्कूल एवं इंटर दोनों परीक्षाओं का केन्द्र बना दिया गया था ।

जनपद मिर्जापुर के जमालपुर विकास खंड में आई0 आर0 डी0 योजना में अनियमितता

176–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री जी को ज्ञात है कि जनपद मिर्जापुर के जमालपुर विकास खंड में आई0 आर0 डी0 के तहत वहां पर व्यापक धांधली की गई है ? यदि हां, तो इसकी जांच करा-कर दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जनपद मिर्जापुर के जमालपुर विकास खण्ड में आई0 आर0 डी0 योजना में अनियमितता पाई गई । लाभार्थियों के परिसम्पत्तियों का सत्यापन कराया गया जिसमें ज्ञात हुआ कि खराब किस्म की परिसम्पत्तियां दी गई अथवा परि-सम्पत्तियां क्रय नहीं की गई अथवा कम मूल्य की परिसम्पत्तियां उपलब्ध कराई गई । जांचोपरान्त ग्राम विकास अधि-

कारी श्री मुसाफिर सिंह तथा श्री शारदा सिंह क्रमशः दिनांक 19-11-85 तथा 26-12-85 को निलम्बित किये गये दोषी पाये गये कर्मचारियों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई । दोषी अधिकारियों के विरुद्ध जांच कार्यवाही चल रही है । तत्कालीन "इलाहाबाद बैंक" रस्तोगी तालाब के बैंक के शाखा प्रबन्धक के भी विरुद्ध उनके विभागों द्वारा निलम्बन की कार्यवाही की गई है ।

177–श्री यदुनाथ सिंह–

[दिनांक 26-8-86 को अता0 प्र0 सं0 199 द्वारा उत्तरित]

जनपद मिर्जापुर के भवनहीन प्राथमिक विद्यालयों की संख्या एवं उनके निर्माण कार्य

178–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर में कितने प्राथमिक विद्यालय हैं और उनमें से कितने विद्यालयों के पास अपना भवन नहीं है ? क्या सरकार उन्हें बनवाने हेतु आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

1507 विद्यालय 423 विद्यालयों के पास ।

प्रदेश के सीमित वित्तीय संसाधनों को देखते हुए जनपद के सभी भवनहीन प्राइमरी स्कूलों के लिए एक साथ भवन निर्माण कराया जाना सम्भव नहीं है ।

टिहरी गढ़वाल जनपद में देव प्रयाग मार्ग पर यात्री बस दुर्घटना में दी गयी वित्तीय सहायता

179–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दि0 3 जनवरी, 86 को टिहरी गढ़वाल जनपद में देव प्रयाग मार्ग पर हुयी भयावह दुर्घटना में कुल कितने व्यक्ति मरे थे ? कितने घायल हुये थे ? दुर्घटनाग्रस्त यात्रियों को सरकार ने कब क्या-क्या सहायता दी ? इस यात्री बस की कुल अधिकृत क्षमता कितनी थी ?

डाक्टर संजय सिंह–

प्रश्नगत यात्री बस दुर्घटना में चालक समेत 41 व्यक्तियों की मृत्यु हुयी थी तथा 28 व्यक्ति घायल हुये । 40 मृतकों के आश्रितों को तथा एक पूर्ण विकलांग व्यक्ति को प्रत्येक को 10 हजार रुपये की दर से, कुल 4.10 लाख रुपये की सहायता विभाग द्वारा दी गयी । इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री सहायता कोष से प्रत्येक मृतक के परिवार को 5,000 रुपये, गंभीर रूप से घायल प्रत्येक को 2 हजार रुपये तथा साधारण रूप से घायल प्रत्येक को एक हजार रुपये सहायता वितरित की गयी है । सहायता 16.1.86 से 14.3.86 के बीच विभिन्न तिथियों में वितरित की गयी । केवल एक मृत व्यक्ति के आश्रितों को जून 1986 में सहायता दी गयी क्योंकि इनकी मृत्यु बाद में दिनांक 17-1-86 को हुयी थी । एक मृतक के आश्रित को धन वितरण नहीं किया जा सका है क्योंकि उसके उत्तराधिकारी के संबंध में विवाद है । बस की अधिकृत क्षमता 43 थी ।

टिहरी गढ़वाल के देव प्रयाग मार्ग पर हुई बस दुर्घटना की जांच

180–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या परिवहन मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि दि0 3 जनवरी, 86 को टिहरी गढ़वाल जनपद के देवप्रयाग

मोटर मार्ग में घटित भयावह दुर्घटना के कारणों की जांच के लिये कोई जांच समिति बैठी थी ? यदि हां, तो कब किन-किन तकनीज्ञों की सहायता में? इस समिति ने अपनी रिपोर्ट कब दी और दुर्घटना के क्या-क्या कारण बताये थे ? इन कारणों को दूर करते हुए सरकार ने 1 मई, 86 व उसके बाद क्रमशः क्या-क्या कदम उठाये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर संजय सिंह–

प्रश्नगत दुर्घटना के कारणों की जांच के लिए कोई जांच समिति नहीं बैठी थी । वरन् अपर परगना मजिस्ट्रेट से जांच कराई गई थी । मजिस्ट्रेट की जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गई है जिसका परीक्षण किया जा रहा है ।

राजकीय परिवहन निगम गोरखपुर के वर्डघाट डिपों में अनियमितता के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही

181–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 रा0 स0 प0 निगम गोरखपुर के वर्ड घाट डिपों में लगभग 1 लाख 96 हजार के गबन के सम्बन्ध में दिनांक 24-5-82 को भू0 पू0 विधायक श्री हरिवंश सहाय ने कोई शिकायत शासन को की थी ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ? क्या परिवहन मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त गबन की धनराशि की वसूली के लिए नियमानुसार क्या कार्यवाही की जा रही है ?

डाक्टर संजय सिंह–

श्री हरिवंश सहाय, भूतपूर्व विधायक का दिनांक 24-5-82 का नहीं बल्कि दिनांक 24-3-82 का पत्र प्राप्त हुआ था, जिसमें वर्डघाट डिपों में लाखों रुपये के गोलमाल व गबन किये जाने एवं उसकी जांच कराने के बारे में कहा गया था ।

उक्त मामलों में की गई जांच के विरु- फलस्वरूप गबन का कोई मामला प्रकाश में नहीं आया । जांच से प्रकाश में आयी अनियमितताओं के लिए दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की गई ।

सुल्तानपुर के श्री विश्वनाथ इण्टर कालेज, कलान में गबन एवं अनियमितताओं के सम्बन्ध में शिकायत

182–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद सुल्तानपुर में श्री विश्वनाथ इण्टर कालेज कलान में अभिलेखों की जांच मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक फैजाबाद कार्यालय की जांच इकाई द्वारा जुलाई 1984 में की गयी थी और विशेष आडिट में वित्तीय वर्ष 1981-82 तथा 1982-83 के अभिलेखों में विशेष आडिट में कई लाख रुपये का गबन और अनियमितायें पायी गयी हैं ? इस सम्बन्ध में श्री राम आसरे विधायक ने दिनांक 4-9-85 को इस सम्बन्ध में शिक्षा मंत्री जी को कोई शिकायती पत्र लिखा है जिस पर शिक्षा निदेशक नवम मण्डल फैजाबाद को उक्त विद्यालय के अभिलेखों को सील करके प्रशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ करने का निर्देश दिया था ? यदि हां, तो पूरे तथ्य क्या हैं और प्रमुख शिकायतें तथा अब तक की कृत कार्यवाही का विवरण सदन के पटल पर रखने में सरकार को क्या कठिनाई है ?

श्री सिब्ते रजी–
सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्राइमरी पाठशाला खरमपुर, फैजाबाद के नव निर्मित भवन के विरुद्ध कार्यवाही

183–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद की भीटी ब्लाक में स्थित प्राइमरी पाठशाला खरमपुर का नव निर्मित भवन इतना अधिक जर्जर है कि उसकी छत के नीचे जीवन का खतरा उठाकर ही बैठा जा सकता है? यदि हां, तो इस घटिया निर्माण कार्य के लिए कौन दोषी है और उसके विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने तथा खर्च किये गये धन को वसूल करने हेतु शासन आवश्यक कार्यवाही करेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

अब तक निर्मित भवन का निर्माण संतोषजनक नहीं है।

नव निर्मित भवन अपूर्ण है तथा शिक्षा विभाग को अभी सार्वजनिक निर्माण विभाग ने हस्तान्तरित नहीं किया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्राइमरी पाठशाला रामपुर गिरन्ट, फैजाबाद का कथित भवन निर्माण

184–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद के भीटी ब्लाक में कार्यरत तथा बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित प्राइमरी पाठशाला रामपुर गिरन्ट के भवन निर्माण हेतु ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग फैजाबाद को लगभग 7 वर्ष पूर्व साइट प्लान और भूमि नम्बर जिसमें भवन का निर्माण किया जाना था आदि बातों के विस्तृत विवरण के साथ-साथ धन अवमुक्त किया गया था लेकिन ग्रामीण अभियंत्रण सेवा के अधिकारियों ने उक्त भवन का निर्माण मनमाने ढंग से सोहावल ब्लाक के रामपुर गिरन्ट ग्राम में करवा दिया जहां न उस पर कोई प्राइमी पाठशाला थी और न आज ही है? यदि हां, तो इस लापरवाही और सरकारी धन के दुरुपयोग के लिये कौन अधिकारी जिम्मेदार है और उससे खर्च की गयी धनराशि को वसूल करने के लिये शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जनपद फैजाबाद के विकास खण्ड भीटी में प्राइमरी पाठशाला भवन रामपुर गिरन्ट के निर्माण हेतु ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग फैजाबाद को साइट प्लान भूमि नम्बर एवं धनराशि अवमुक्त नहीं की गयी है और न ही विकास खण्ड सोहावल में रामपुर गिरन्ट नाम की कोई प्राइमरी पाठशाला भवन का निर्माण किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

185–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

[3सरे सोमवार के लिये स्थगित]

मोती लाल गर्ल्स इण्टर कालेज, लखनऊ के पैनल निरीक्षण की जांच तथा लिपिक श्री हैदर व प्रधानाचार्य के विरुद्ध कार्यवाही, विभिन्न मदों से लिये गये शुल्क की जांच

186–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मोती लाल गर्ल्स इण्टर कालेज लखनऊ में पुस्तकालय लिपिक के पद पर श्री हैदर की नियुक्ति होने के उपरान्त उनकी इच्छानुसार लेखा सम्बन्धी कार्य लिया जा रहा है? यदि हां, तो किस नियम के अन्तर्गत तथा उनसे सिक्योरिटी की कितनी धनराशि कब तक तथा किस बैंक में जमा करायी गयी? क्या लेखा सम्बन्धी कार्यों में श्री

हैदर द्वारा गबन एवं गम्भीर प्रकार की आर्थिक अनियमितताएं किये जाने पर भी विभागीय अधिकारियों द्वारा दोषी पाये जाने के उपरान्त भी श्री हैदर को लेखा सम्बन्धी कार्य से हटाने के निर्देश प्रबन्धाधिकरण को दिये गये? यदि नहीं तो कब तक दिये जायेंगे?

श्री सिब्ते रजी–

प्राप्त सूचनानुसार लिपिक श्री हैदर की सिकोरिटी की धनराशि जमा नहीं है। वर्ष 85-86 में विद्यालय के पैनल निरीक्षण की जांच में पायी गयी अनियमितताओं के आधार पर प्रबन्धक/प्रधानाचार्या, को निर्देश मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका लखनऊ द्वारा दिये जा चुके हैं। प्रबन्धाधिकरण द्वारा श्री हैदर को 22-6-86 को निलम्बित कर दिया गया था, किन्तु उन्होंने न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिये। प्रबन्धाधिकरण ने प्रधानाचार्या को भी 9-8-86 को निलम्बित कर दिया था। उन्होंने भी न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है।

187–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मोती लाल नेहरू गर्ल्स इण्टर कालेज, लखनऊ का पैनल निरीक्षण वर्ष 85-86 में विभिन्न तिथियों में विभागीय अधिकारियों द्वारा किये जाने पर प्रधानाचार्या एवं लिपिक श्री हैदर द्वारा लेखा सम्बन्धी समस्त पदों की पास बुकें तथा अन्य अभिलेख अब तक उपलब्ध न कराये जाने पर उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? यदि सम्बन्धित लिपिक तथा प्रधानाचार्या के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी तो कब तथा उन्हें लेखों में हेरफेर करने के लिए उनसे लेखा तत्काल क्यों नहीं हटाया जा रहा है?

श्री सिब्ते रजी–

वर्ष 85-86 में मोती लाल नेहरू गर्ल्स इण्टर कालेज, लखनऊ का पैनल निरीक्षण दिनांक 16 सितम्बर, 1985 एवं 24 व 25 जनवरी, 1986 को किया गया था। निरीक्षण के दौरान लेखा सम्बन्धी पास बुकें तथा अन्य अभिलेख श्री हैदर तथा प्रधानाचार्या द्वारा उपलब्ध न कराये जाने पर अनियमितताओं का उल्लेख पैनल निरीक्षण आख्या में करते हुए प्रबन्धक/प्रधानाचार्या को निर्देश दिये गये थे। प्रान्धाधिकरण द्वारा श्री हैदर तथा प्रधानाचार्या को क्रमशः 22-6-86 तथा 9-8-86 को निलम्बित किया गया था जिन्होंने स्थगन आदेश न्यायालय से प्राप्त कर लिया है।

श्री मोती लाल नेहरू गर्ल्स इण्टर कालेज, लखनऊ के पैनल निरीक्षण के दौरान लेखा सम्बन्धी अभिलेखों की अनुपलब्धता

188–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

विधान सभा के दूसरे सत्र 1984 के सातवें मंगलवार के लिए श्री संत बख्श रावत द्वारा पूछे गये अता0 प्रश्न संख्या 142 के संदर्भ में क्या शिक्षा मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि श्री मोती लाल नहरू गर्ल्स इण्टर कालेज, लखनऊ में वर्ष 82-83 तथा 83-84 में छात्राओं से विभिन्न मदों की वसूल किये गये शुल्क को उनके मदों में बैंक खातों में जमा किया गया सही पाया गया था? यदि हां, तो विद्यालय के करेन्ट सेलरी एकाउन्ट हिन्दुस्तान कामर्शियल बैंक, हजरतगंज, लखनऊ में डिपाजिट स्लिप द्वारा दिनांक 3-3-84 को रुपया 25.25 पैसा तथा दिनांक 25-3-84 को रुपया 23.58 पैसा दिनांक 9-4-84 को जमा करने के उपरान्त विद्यालय के प्रधानाचार्या तथा सम्बन्धित लिपिक द्वारा रुपया 225.25

पैसा तथा रुपया 123.58 पैसा की धनराशि डिपाजिट स्लिप में फोरजरी करके बढ़ायी गयी है? यदि हां तो बढ़ाई गयी धनराशि की डिपाजिट स्लिप्स तथा बैंक का प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त भी अभी तक संबंधित प्रधानाचार्या एवं लिपिक के विरुद्ध पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराकर उन्हें निलम्बित क्यों नहीं किया गया?

श्री सिब्ते रजी–

मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका, लखनऊ से प्राप्त सूचना के अनुसार विद्यालय के पैनल निरीक्षण की अवधि में दिनांक 16-9-85 तथा 24 व 25 जनवरी, 1986 की जांच के दौरान इस मद से सम्बन्धित जांच की जानी थी परन्तु विद्यालय के लिपिक श्री हैदर तथा प्रधानाचार्या कु0 कुलदीप श्रीवास्तव द्वारा अभिलेख एवं सम्बन्धित मदों की पास-बुकें एवं एकाउन्ट नम्बर उपलब्ध नहीं कराये गये। इस अवधि में उक्त दोनों कर्मचारी क्रमशः दिनांक 22-6-86 तथा 9-8-86 को प्रबन्धाधिकरण द्वारा निलंबित किये जा चुके हैं और वह न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर चुके हैं।

189–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

प्रदेश के सीमान्त जनपदों में नये विकास खण्ड सृजित करने का प्रस्ताव

190–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सीमान्त जनपद पिथौरागढ़ चमोली व उत्तरकाशी की अत्यन्त विषम भौगोलिक व आर्थिक स्थिति को देखते हुए वहां के समन्वित विकास में क्षेत्रीय असन्तुलन को दूर करने हेतु क्या सरकार विकास खण्ड बनाने हेतु एक निश्चित मानक तैयार कर उसे क्रियान्वित करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण वर्तमान में पिथौरागढ़ चमोली तथा उत्तरकाशी जनपदों में नये विकास खण्ड सृजित किया जाना संभव नहीं है।

श्री राजेन्द्र सिंह तथा श्री कौशिक रमाशंकर को अपने-अपने दल से निष्कासित किये जाने के सम्बन्ध में जानकारी की मांग

*श्री नेक चन्द्र पाण्डेय–

मान्यवर, मैं आपका ध्यान एक ऐसी बात की ओर दिलाना चाहता हूं, जिसको लेकर माननीय सदन गुमराह हो रहा है और वह यह है कि माननीय राजेन्द्र सिंह और माननीय रमाशंकर अपने-अपने दलों से निष्कासित कर दिये गये हैं, किन्तु वह सदन में बैठे हैं। तो क्या आप द्वारा इस सदन को अवगत कराया जाएगा कि यह लोग अब किस दल के सदस्य हैं या उनकी क्या स्थिति है ?

श्री अध्यक्ष–

यह मामला हमारे पास है और इसमें विचार हो रहा है। इसलिए इस पर कोई बात नहीं होगी ।

श्री नेक चन्द्र पाण्डेय–

जब वह लोग सदन में उपस्थित हैं तो वे स्वयं ही अपनी स्थिति यहां स्पष्ट कर दें, यह आप उनसे कहें।

श्री अध्यक्ष–

अभी यह विषय विचाराधीन है। अभी कोई बात नहीं है।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री नेक चन्द्र पाण्डेय–

मेरा निवेदन है कि जब तक यह तय नहीं होता है, उन्हें सदन में न बैठने दिया जाए।

श्री अध्यक्ष–

आप बैठिये, इस पर कोई बात नहीं होगी। आपको क्यों चिन्ता है ?

नगरपालिका, सहारनपुर में चुंगी की दरों में वृद्धि के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष–

नियम 301 के अन्तर्गत 28 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 7 स्वीकार हुई हैं। जो माननीय सुरेन्द्र कपिल, माननीय गया प्रसाद वर्मा, माननीय राज किशोर सिंह, माननीय अनुग्रह नारायण सिंह, श्रीमती कमला साहनी, माननीय अवनीश कुमार सिंह व जनार्दन प्रसाद आेझा जी की हैं।

*श्री सुरेन्द्र कपिल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में यह महत्वपूर्ण सूचना देता हूं कि नगर महापालिका सहारनपुर द्वारा मनमाने तरीके से चुंगी की दरों में भारी वृद्धि की है, जिसके विरुद्ध सहारनपुर के जनता में भारी रोष व्याप्त है ! 31-8-86 से सहारनपुर अनिश्चित काल के लिए बन्द है, , तथा कुछ व्यक्ति अनिश्चित कालीन अनशन पर हैं जिससे सहारनपुर जनपद का सम्पूर्ण जीवन अस्त-व्यस्त है तथा गढ़वाल व आसपास के क्षेत्रों की आवश्यक उपभोग की वस्तुओं को आपूर्ति पूरी तरह ठप है ।

अत: आपके माध्यम से अनुरोध है कि नगरपालिका सहारनपुर की चुंगी दर अविलम्ब जनहित में कम की जाए।

जनपद इटावा में हजारों अवकाश प्राप्त अध्यापक एवं अध्यापिकाओं को समय से पेंशन न दिए जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री गया प्रसाद वर्मा–

जनपद इटावा के हजारों अवकाश प्राप्त बेसिक एवं जूनियर स्तर के अध्यापकों को सरकार द्वारा दी जाने वाली पेंशन प्रति मास नहीं दी जा रही है । तथा समय-समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत राहत का भुगतान जो मिलना चाहिए वह जुलाई, 80 से नहीं दिया गया है । 1978 से रिटायर्ड अध्यापकों के विकल्प पुन: भराए जायं । उदाहरणार्थ श्रीमती काशी देवी को मई 83 में रिटायर्ड कर दिया गया उनकी पेंशन जून, 81 से फरवरी, 84 तक अभी तक नहीं मिली है। इस प्रकार के मामलों से इन लोगों में भारी असन्तोष है।

अत: आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर जांच कराके पेंशनरों को शीघ्र राहत दिलाई जाए ।

वाराणसी जनपद के साहूपुरी क्षेत्र में स्थित मेसर्स हरि फर्टिलाइजर्स कारखाने के जहरीले रासायनिक पदार्थों से मिश्रित छने हुए दुर्गन्धपूर्ण पानी के कुप्रभाव के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गप सूचना

श्री राजकिशोर सिंह–

वाराणसी जनपद के साहूपुरी क्षेत्र में मेसर्स हरि फर्टिलाइजर्स विभिन्न प्रकार का रसायनिक उर्वरक तैयार करने का कारखाना है जिसमें नाना प्रकार के जहरीले रासायनिक पदार्थ व उसके साथ जल का प्रयोग होता है । इससे छनकर खुली नालियों से बहने वाला जहरीला, दुर्गन्धयुक्त पानी प्राणियों के सहन के बाहर होता है । आपत्ति के बावजूद जहरीला जल खुले वाता-

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

वरण में चारों ओर बहाया जा रहा है जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है । पानी पीने के कुएं दूषित होते जा रहे हैं । परिणामस्वरूप प्रदूषण के प्रकोप के कारण खतरनाक स्थिति उत्पन्न हो गई है । कारखाने के मालिकान निश्चिन्त हैं ।

अतएव इस अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना सदन के संज्ञान में लाकर शासन से संदर्भित कारखाने से उत्पन्न प्रदूषण को रोकने की व्यवस्था करने की मांग करता हूं ।

उ0 प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद् के अपूर्ण परीक्षाफल की घोषणा से छात्र-छात्राओं का भविष्य अन्धकारमय होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

माननीय अध्यक्ष महोदय, उ0 प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा अपूर्ण परीक्षाफल घोषित किये जाने से लगभग एक लाख सत्तरह हजार (1,17,000) इण्टरमीडिएट तथा हाई स्कूल के छात्र-छात्राओं का भविष्य अंधकार में लटका हुआ है । इन छात्र-छात्राओं के साथ ही साथ इनके अभिभावकगण भी परेशान हैं और प्रदेश के कोने-कोने से आकर इलाहाबाद का चक्कर लगा रहे हैं । सबसे आश्चर्यजनक बात तो यह है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद् के अधिकारीगण गलत बयानी करते हुये केवल 14 हजार परीक्षार्थियों के परीक्षाफल अपूर्ण बता रहे हैं । इस प्रकार हजारों अभिभावक तथा छात्र-छात्राएं इन अधिकारियों के दलालों द्वारा शोषण के शिकार हो रहे हैं । सत्र 1986-87 की परीक्षा के आवेदन पत्र भरे जाने की तिथि घोषित हो चुकी है। अगली परीक्षा में सम्मि-

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

लित होने से भी यह लाखों छात्र-छात्राएं वंचित होने जा रहे हैं ।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाकर तत्काल अपूर्ण तथा अघोषित परीक्षाफलों को घोषित कराने तथा विलम्ब की जांच कराकर संबंधित व्यक्तियों को दंडित कराने की मांग करता हूं ।

बस्ती जनपद की नौगढ़ तहसील में भयंकर सूखे के परिणाम स्वरूप कृषकों की परेशानी के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्रीमती कमला साहनी–

अध्यक्ष महोदय, बस्ती जनपद के नौगढ़ तहसील में वर्षा न होने के कारण सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गयी है । नौगढ़ तहसील के किसानों की मुख्य फसल धान है । खरीफ की फसल पर ही उनकी आजीविका निर्भर है । किन्तु इस वर्ष वर्षा नाममात्र की होने के कारण नौगढ़ तहसील के खेतों में खड़ी फसल सूख चली है । सिंचाई का अन्य कोई साधन न होने के कारण किसान असहाय होकर अपनी सूखती फसल को देख रहा है । उनके सामने भुखमरी की समस्या उत्पन्न हो गयी है ।

अतः मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में इसे लाते हुये यह कहना चाहती हूं कि सरकार नौगढ़ तहसील को सूखाग्रस्त घोषित करके वसूली तुरन्त रोकने, बच्चों की फीस माफ करने एवं किसानों को राहत पहुंचाने की कृपा करें ।

जनपद बदायूं की दातागंज तहसील में भयंकर सूखे के परिणाम स्वरूप कृषकों की परेशानी के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री अवनीश कुमार सिंह–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक अति अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर माननीय सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । इस वर्ष जनपद बदायूं की तहसील दातागंज में नगण्य वर्षा होने के कारण धान, गन्ना, मूंगफली, बाजरा आदि फसलों को इस समय तक 70 प्रतिशत से अधिक हानि हो चुकी है । यदि आगे वर्षा न हुयी तो निश्चित रूप से 90 प्रतिशत से भी अधिक हानि हो जायेगी। तहसील दातागंज में पिछले पांच वर्षोंसे लगातार राम गंगा नदी की भीषण बाढ़ से वहां के कृषकों की स्थिति पहले ही अत्यन्त दयनीय थी और इस वर्ष के भीषण सूखे ने तो वहां के कृषकों की कमर ही तोड़ दी है ।

मैं आपके माध्यम से शासन से मांग करता हूं कि जिला बदायूं को तुरन्त सूखाग्रस्त घोषित किया जाये । तहसील दातागंज के कृषकों का लगान माफ किया जाय तथा वहां के सब प्रकार के ऋणों की वसूली को तुरन्त स्थगित किया जाये ।

जनपद गोरखपुर की महाराजगंज तहसील में भयंकर वर्षा से जल भराव के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से गोरखपुर जिले के तहसील महराजगंज विशेषकर घुघली, परतावल में बाढ़ पीड़ितों की स्थिति की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुये तत्काल सहायता की मांग करता हूं। गत 22 अगस्त से 25 अगस्त 1986 तक भीषण वर्षा के कारण सैकड़ों गांवों में पानी भर गया है, सड़कें छिन्न-भिन्न हो गयीं हैं तथा पूरी तहसील का अन्य जिलों से रास्ता भंग हो गया है। करीब 10,000 से ऊपर मकान गिरे हैं । सैकड़ों पशु और जानवर दबकर मर गये हैं तथा देवीपुर गांव में दो बच्चे दीवाल गिरने से मर गये ।

खेद है कि जिला प्रशासन ने कोई सहायता अभी तक नहीं दी है । चंद गांव में एक बार मिट्टी का तेल बांटा गया है लोग भुखमरी के शिकार हैं । चारे के अभाव में जानवर मर रहे हैं।

अतः मेरी मांग है कि बाढ़ पीड़ित गांवों की सूची जनप्रतिनिधियों से मांग-कर बनायी जाये । भूमिहीन मजदूरों को टेस्ट वर्क चालू करके काम दिया जाये।

औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

नियम 300 के अन्तर्गत मुझे आज तीन सूचनाएं प्राप्त हुई हैं वह इस प्रकार हैं :–

पहली माननीय अरविन्द तिवारी जी की है । दूसरी माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी की है और तीसरी सूचना माननीय रवीन्द्र नाथ तिवारी जी, माननीय विष्णु देव जी, माननीय हर्षवर्धन जी की है ।

जहां तक पहली सूचना का सवाल है, यह मामला मेरे विचाराधीन है, लिहाजा मैं इसको अस्वीकार करता हूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी, आपको क्या कहना है ?

प्रदेश में राजकीय बसों के किराये में वृद्धि के संबंध में परिवहन मंत्री डाक्टर संजय सिंह द्वारा सदन से बाहर घोषणा किये जाने के विषय में औचित्य का प्रश्न

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, इसके पहले इस आदरणीय सदन में यह मामला उठा और अध्यक्ष पीठ से इस बात को हमेशा स्वीकार किया गया है कि जिस समय यह सदन चल रहा हो, उस समय कोई नीति संबंधी घोषणा सदन के बाहर न की जाय । मेरे पास उद्धरण है, जिस समय माननीय अध्यक्षों ने इसको स्वीकार किया है । यह बड़ा अनुचित है और संसदीय परम्परा के विरुद्ध है । 26 तारीख को सदन की बैठक हुई, उसके बाद अवकाश हो गया और इस बीच में परिवहन मंत्री डा0 संजय सिंह ने एक अत्यन्त जन विरोधी घोषणा की। उन्होंने कहा कि राजकीय बसों के किराए में वृद्धि की जायगी ।

मान्यवर, यह एक नीति संबंधी मामला है । पिछले सत्र में यह मामला उठा था, मेरा ही सवाल था, उसके उत्तर में संजय सिंह जी ने कहा था कि इस समय कोई वृद्धि शासन के विचाराधीन नहीं है । मान्यवर, अगर शासन ऐसा कोई कदम उठाना चाहे, तो उसे सदन में इसकी घोषणा करना चाहिए । मान्यवर, यह जनहित विरोधी घोषणा है और इस आदरणीय सदन की साफ-साफ अवमानना है, जिस समय यह सदन चल रहा हो, उस समय यह घोषणा की गयी है । इस संबंध में मैंने अखबार भी नत्थी किया है । मैंने पूरा अखबार नत्थी कर दिया है । लेकिन मान्यवर, अखबार के बारे में कोई भी चर्चा नहीं होगी । मान्यवर, माननीय संजय सिंह ने 28 अगस्त को लखनऊ से प्रकाशित "नवभारत टाइम्स" के संवाददाता से बातचीत करते हुए यह नीति संबंधी घोषणा की कि राजकीय बसों के किराये में बढ़ोत्तरी की जायेगी । यहां यह भी स्मरणीय है कि विगत सत्र में एक प्रश्न के उत्तर में ही श्री सिंह ने कहा था कि "फिलहाल किराया बढ़ाने का कोई इरादा नहीं है ।" इस प्रकार अब किराया वृद्धि की घोषणा शासन की नई नीति है । इनकी यह घोषणा 29 अगस्त के "नव भारत टाइम्स" में प्रकाशित भी है । श्री सिंह ने इस समाचार का प्रतिवाद भी नहीं किया जिससे साबित है कि यह समाचार सही है ।

समाचार पत्र में प्रकाशित किसी मामले पर चर्चा न हो सकने की बात अपनी जगह सही होने पर भी यहां लागू नहीं होती, क्योंकि संवाददाता से बातचीत होना इस समाचार से प्रमाणित है । घोषणाएं तो अखबार के माध्यम से ही प्रकाशित होंगी, इसलिए समाचार पत्र को आधार मान कर विषय उठाने की अनुमति न देना युक्तिसंगत नहीं होगा । मान्यवर, आप माननीय संजय सिंह, परिवहन मंत्री जी की प्रताड़ना करें । यह कार्य संसदीय परम्परा के विरुद्ध किया गया है । इस समय मंहगाई बराबर बढ़ रही है । जन-जीवन अस्त-व्यस्त है । रेल का किराया बढ़ गया । इस समय अगर बस का किराया बढ़ेगा,

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

तो प्रदेश की जनता स्वीकार नहीं करेगी। हम चारों तरफ इसका विरोध करेंगे, क्योंकि परिवहन निगम में भ्रष्टाचार है। अगर किराये में वृद्धि की बात सोची गयी, तो इसका पूरा-पूरा विरोध किया जायगा । इन शब्दों के साथ मैं माननीय संजय सिंह की उक्त घोषणा का विरोध करता हूं ।

*श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, जिस समय माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने नियम 300 के अंतर्गत जो औचित्य का प्रश्न उठाया है, उसके संबंध में माननीय संजय सिंह, परिवहन मंत्री जी को स्पष्टीकरण देना चाहिए। अभी माननीय परिवहन मंत्री जी बैठे हुए थे, लेकिन स्पष्टीकरण के समय पर वह सदन से उठकर चले गये हैं । इसके बारे में माननीय परिवहन मंत्री जी स्वयं जबाब दे सकते हैं और नियम 300 के अन्तर्गत तीन प्रतियां इसीलिए दी जाती हैं कि संबंधित मंत्री ताकि उसका जबाब दे सकें । मान्यवर, जिस समय यह सवाल उठा, उसी समय माननीय परिवहन मंत्री जी गैरहाजिर हो जायं, यह ठीक नहीं है । मान्यवर, यह नीति का प्रश्न होता, तब तो संयुक्त जिम्मेदारी होती । विधान सभा का सत्र चलते अगर कोई नीति संबंधी घोषणा की जाती है, तो इसकी सफाई संबंधित मंत्री ही कर सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष

मैं समझता हूं कि संसदीय कार्य मंत्री को सुन लिया जाए ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने जो प्रश्न उठाया है, औचित्य का जो नोटिस आपकी सेवा में सादर समर्पित किया अगर उसकी अन्तिम लाइन पढ़ने का कष्ट करें तो नीति विषयक बात पर आपका निर्णय मांगा है। मान्यवर, समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाली चीजों को संज्ञान में लाया जाए और इस प्रकार के औचित्य के प्रश्नों को उठाया जा सके, तो इसमें सबसे पहले इस बात पर निर्णय करना है कि जिस सीट पर आप तशरीफ रखते हैं, जिस सीट से सैकड़ों फैसले दिए जा चुके हैं, उसमें कई निर्णय ऐसे हैं, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा जा चुका है कि समाचार पत्रों में जो बात प्रकाशित होगी उसको संज्ञान में नहीं लाया जाएगा, उसका कोई औचित्य नहीं बन सकता है।

समाचार पत्र जनतान्त्रिक भावनाओं को प्रकाशित करते हैं, लेकिन उससे तो इतनी चीजें सामने आ जाएंगी कि सदन को चलाना मुश्किल हो जाएगा, तो यह कहना कि अखबार से माननीय सदस्य को पता लगा किसी प्रकार का औचित्य नहीं है। जिस घोषणा के बारे में आप कह रहे हैं अगर ऐसी कोई बात होती, तो वह रूपस्ट रूप से कही जाती, अगर इनका अखबार माध्यम है, तो उसको सदन में कहने का कोई औचित्य नहीं है। जहां तक शतरुद्र प्रकाश जी की बात है तो मैं कहना चाहूंगा कि यह पार्लियामेन्ट्री प्रेक्टिस के विद्वान हैं, इन्होंने कहा कि नीति विषयक मामले पर कोई मंत्री दूसरे मन्त्री को बात नहीं कह सकता । मैं कहना चाहूंगा कि यहां मिलाजुला दायित्व है यहां किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न हो वह पूरी सरकार की तरफ से दिया जा सकता है इसमें कोई रोक नहीं है, कोई अवरोध नहीं है। (मेजें थपथपाई गईं) चाहे आप शकधर

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

को देखें, चाहे आप जो यहां की परम्परा रही है उसका अवलोकन करें, आप देखेंगे कि यह एक सिद्धान्त एक रूल है। तो कोई भी मंत्री जबाव दे सकता है । मैं माननीय अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि वह इस औचित्य के प्रश्न को स्वीकार न करें ।

*कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, हमारे काबिल दोस्त अम्मार रिजवी ने पूरे मामले को इस तरह घुमा दिया और यह नहीं बताया कि मंत्री जी ने यह कहा या नहीं कहा, यदि कहा तो एक बार नहीं अनेक बार इस पीठ से मंत्रियों को चेतावनी दी गई है कि सदन के बाहर कोई घोषणा न करें, माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त ने यह सवाल उठाया कि सम्वाददाता से बातचीत की है और उस बातचीत का संदर्भ देकर सम्वाददाता ने लिखा है तो इसमें अखबार में जाने का कोई औचित्य नहीं है और उस समय अम्मार रिजवी साहब मौजूद नहीं थे और इन्होंने स्वंय इस बात का खंडन नहीं किया है कि संजय सिंह ने बयान नहीं दिया, तो मैं चाहूंगा कि संजय सिंह जी को बुलाया जाए और उनकी भर्त्सना की जाए उन्होंने इस तरह की बात क्यों कही।

*श्री कल्यान सिंह–

मान्यवर, इस प्रश्न के दो पक्ष है एक पक्ष का उत्तर संसदीय कार्य मंत्री जी ने दिया कि समाचार पत्रों के माध्यम से इस प्रकार औचित्य का प्रश्न उठेगा तो ढेर सारे प्रश्न उपस्थित हो जायेंगे, लेकिन तकनीकी दृष्टि से यह औचित्य का प्रश्न बनता है या नहीं इसका निर्णय करेंगे आप । मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि इस मामले से इस प्रदेश की 12 करोड़ जनता सम्बन्ध रखती है। इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि सम्वाददाता से बातचीत करते समय परिवहन मंत्री ने बसों में किराए की वृद्धि की बात कही है या नहीं यह स्पष्ट होना चाहिए यह नीतिगत प्रश्न है यह सदन जानना चाहता है क्या सरकार वाकई में बसों का किराया बढ़ाने पर विचार कर रही है, तो तकनीकी दृष्टि से औचित्य का प्रश्न बनता है या नहीं, मैं फिर दोहराता हूं कि यह फैसला अभी आप देंगे। प्रदेश की जनता की आवाज है कि बसों का किराया भाड़ा बढ़ने जा रहा है। अगर परिवहन मंत्री जी होते तो इसका उत्तर देते तो अच्छा होता। अगर वह नहीं है तो माननीय मुख्य मंत्री जी मौजूद है तो इस दूसरे प्रश्न का उत्तर यहां आना चाहिए...

श्री अध्यक्ष–

यह चर्चा का विषय नहीं है, आप कृपा करके बैठें ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, एक सफाई देना चाहता हूं। मैंने विद्वान संसदीय कार्य मंत्री की बात बड़े ध्यान से सुनी। मान्यवर, मैंने खुद पहले यह बात साफ कर दी थी कि समाचार पत्र मेरी सूचना का आधार नहीं है। मेरी सूचना का आधार है माननीय संजय सिंह के द्वारा संवाददाता से बातचीत। संवाददाता जो बातचीत करेगा वह तो अखबार में प्रकाशित करेगा ही । दूसरी बात यह है कि अगर संवाददाता ने गलत बयानी कर दी थी तो 28 तारीख का समाचार पत्र है तो 29 तारीख, 30 तारीख, 31 तारीख को संजय सिंह द्वारा उसका प्रतिवाद किया जाना चाहिए था कि मैंने इस तरह की बात नहीं की।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, अध्यक्ष पीठ से इस तरह की घोषणाएं की गयी हैं कि समाचार पत्रों के आधार पर चीजे आ सकती हैं लेकिन समाचार पत्रों का पूरा पूरा होना आवश्यक है। मैंने अपनी सूचना में नवभारत टाइम्स जो लखनऊ से प्रकाशित होता है, उसकी मूल प्रति संलग्न कर दी है। अब देखना है कि जो उसमें दिया है, वह सही है या नहीं है, प्रतिवाद हुआ है या नहीं हुआ है।

मैं जानबूझकर किसी माननीय मंत्री का चरित्र हनन नहीं करना चाहता, असंसदीय होने का लांछन नहीं लगाना चाहता। मान्यवर, संजय सिंह को बुला लें और पूंछ लें कि उन्होंने घोषणा की या नहीं की अगर उन्होंने घोषणा नहीं की तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अगर उन्होंने कहा है तो गम्भीर बात है और उत्तर प्रदेश की जनता के साथ कुठाराघात है और संसदीय परम्पराओं की अवमानना है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप रूक जांय और माननीय मंत्री जी को बुलाकर पूंछकर ही आप व्यवस्था दें।

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने कहा कि अखबार को आधार नहीं माना है। मान्यवर, मैं इसके केवल एक पेज की ओर ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं जो अंतिम लाइन है "घोषणा तो अखबार के माध्यम से ही प्रकाशित होगी।" इसलिए समाचार पत्र को आधार मानकर विषय को उठाने की अनुमति न देना युक्तिसंगत न होगा। यह लाइन है, आखिरी है। आप स्वयं सोचें कि कहां क्या बात है।

अब आपके माध्यम से मैं माननीय सदन को सूचित करना चाहता हूं कि जो भी नीति विषयक घोषणा होगी सदन के चलते यहीं पर होगी, बाहर नहीं होगी।

(विरोध पक्ष के कई माननीय सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

अब कोई चर्चा की बात नहीं है।

श्री कौशिक रमाशंकर–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, आप अपनी व्यवस्था देने से पहले एक मिनट सुन लें।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, मा0 परिवहन मंत्री ने इस तरह की घोषणा की या नहीं की, अगर मंत्रि परिषद् ने इस तरह का फैसला लिया होता तो सदन में कह सकते थे। मान्यवर, राजेन्द्र गुप्त जी ने साफ कहा है कि जो नवभारत टाइम्स के संवाददाता हैं उनसे बातचीत में कहा गया और बाद में प्रकाशित हुआ है। मान्यवर, परिवहन मंत्री ने कहा है या नहीं कहा है, उनके वकील कैसे बता देंगे। मान्यवर, जब तक आप जानकारी नहीं कर लेते हैं तब तक अपना फैसला मत दीजिए।

(श्री कौशिक रमा शंकर एवं श्री जनार्दन प्रसाद ओझा के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

माननीय कौशिक जी, क्या आप चाहते हैं कि इस पर चर्चा होती रहे? यह मुनासिब नहीं है, आप दोनो लोग बैठें।

दूसरे मंत्री का जबाब देना मंत्रि परिषद की सामूहिक जिम्मेदारी में आता है इसलिए कोई भी मंत्री जबाब दे सकता है। जहां तक नीति की घोषणा का सवाल है, मैं आपकी सूचना माननीय मंत्री को भेज दूंगा और उनका जवाब आने पर फैसला दूंगा।

विधान सभा के तीन अधिवेशन और 90 दिन के उपवेशन चलाये जाने की मांग के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मैंने जो औचित्य का प्रश्न दिया है वह संविधान के अनुच्छेद 174 के अंतर्गत विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम 14 के संबंध में है। नियम 14 में इस बात की व्यवस्था की गयी है कि प्रत्येक वर्ष में विधान सभा के तीन अधिवेशन और 90 दिन के उपवेशन होंगे । लेकिन इस सरकार के आचरण से पिछला जो बजट सत्र हुआ वह केवल एक महीने का हुआ और दूसरा सत्र केवल 5 दिन का है । 2 अप्रैल, 1986 को यह सदन अनिश्चित काल के लिये स्थगित हुआ । उसके बाद से आज तक प्रदेश में दर्जनों सामूहिक हत्या काण्ड, दर्जनों पुलिस की फर्जी मुठभेड़ के कारण हुए हैं । फैजाबाद जनपद में थाना बेवाना में समसुद्दीन नामक व्यक्ति को जिन्दा जला दिया गया, पूरा प्रदेश सूखे और बाढ़ से त्रस्त है, बिजली के रेट बढ़ाये गये, साम्प्रदायिक दंगे हुये। आज भी पूरा प्रदेश साम्प्रदायिकता की आग में धधक रहा है ।

आज छात्र आन्दोलन हो रहा है, बी0 एच0यू0 बन्द है, पंत नगर कृषि विश्वविद्यालय बन्द है । पूरे प्रदेश में कोलाहल मचा हुआ है। ऐसी तमाम समस्यायें हैं, जो धान के मूल्य की घोषणा की गई उससे किसान क्षुब्ध है, चीनी मिलों के बारे में कोई निश्चित नीति घोषित नहीं की गई कि इस सीजन में मिलें जल्दी चलेंगी या क्या होगा । गन्ने का रेट घोषित न होने के कारण किसान अनिश्चितता की स्थिति में है। इन सब समस्याओं पर सदन में चर्चा होनी चाहिये और सभी माननीय सदस्य इन समस्याओं पर चर्चा करना चाहते हैं, यह जनहित में भी है और प्रदेश के हित में भी है । 5 दिन की इस अल्पावधि में इन सारी समस्याओं पर चर्चा करना संभव नहीं है। हमने ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम को एडाप्ट किया है अगर हम उस पर आचरण करना भी शुरू कर दें तो ठीक होगा। अगर सारी समस्याओं पर वक्तव्य सरकार की तरफ से आ जाय और हमें अनुपूरक प्रश्न पूछने का आप मौका दें और जिस पर चाहे उस पर चर्चा करायें, तो भी इस 5 दिन में यह संभव नहीं है । नियमों के पालन करवाने का गुरुतर भार आपके कन्धों पर है । हमको संरक्षण प्रदान करने का काम आपका है।

मैं आपसे इस औचित्य के प्रश्न पर व्यवस्था चाहता हूं कि इन सारी समस्याओं पर 5 दिन के अंदर बहस कैसे संभव है। सरकार का अब तक का जो आचरण रहा है उससे 90 दिन का उपवेशन संभव नहीं है और न यह सरकार कर पायेगी। अतः मैं चाहता हूं कि नियम 14 (क) में जैसी आपसे अपेक्षा की गयी है आप नेता सदन से परामर्श करके जितनी प्रदेश की ज्वलन्त समस्यायें हैं, उन पर सदन में चर्चा का अवसर हमें दिलायें जो सदस्यों को अवश्य मिलना चाहिये । सरकार अपने आचरण से नियमावली की अवहेलना कर रही है सदन की तथा संसदीय मर्यादाओं की प्रासंगिकता को समाप्त कर रही है। इस मामले पर मैं आपका संरक्षण चाहता हूं ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

माननीय अध्यक्ष जी, जितनी चिन्ता माननीय तिवारी जी को संसदीय परम्पराओं की है हम लोगों को भी उतनी ही चिन्ता है । मान्यवर, मैं आपका ध्यान

नियमावली के नियम 14 की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। इसमें लिखा है कि– "सभा के अधिवेशन-अनुच्छेद 174 के अधीन रहते हुये साधारणतया प्रत्येक वर्ष में सभा के 3 अधिवेशन अर्थात् आय-व्ययक अधिवेशन, वर्षाकालीन व शीत-कालीन अधिवेशन और 90 दिन के उप-वेशन होंगे" इसमें 'साधारणतया' शब्द लिखा हुआ है। आय-व्ययक का सत्र हो गया और यह दूसरा सत्र हो रहा है। यह वर्षाकालीन अधिवेशन चल रहा है, समाप्त नहीं हुआ है। कार्य-मंत्रणा समिति ने पांच दिन की कार्यवाही रखी है। अभी जाड़ा आने वाला है। समाप्त नहीं हुआ है। अभी से इस प्रकार की आशंका करना उचित नहीं है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा0 तिवारी जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि 1977 से अभी तक जितने दिनों के अधिवेशन हुए हैं, उनकी स्थिति इस प्रकार है, 1977 में 45 दिन, 1978 में 57 दिन, 1979 में 48 दिन, 1980 में 48 दिन, 1981 में 43 दिन, 1982 में 50 दिन, 1983 में 48 दिन, 1984 में 45 दिन, 1985 में 40 दिन और इस वर्ष 1986 में अभी 37 दिन हुए हैं। अभी यह प्रक्रिया जारी है। यह कहना कि सरकार जन-प्रतिनिधियों की आवाज को नहीं सुनना चाहती या चर्चा नहीं कराना चाहती, या उन बातों को सदन के समक्ष नहीं रखना चाहती, यह बात सही नहीं है। इन्होंने आपसे संरक्षण मांगा है, आपका संरक्षण इधर, उधर दोनों को मिलना चाहिये। इस पक्ष को भी देना चाहिये। हम लोग इस बात का पूरा प्रयास कर रहे हैं कि नियमावली के अंदर जो धाराएं हैं, उनके अनुसार कार्य किया जाय और उनको किस प्रकार से लागू करेंगे। मेरा आपसे अनुरोध है कि माननीय तिवारी जी ने आपके समक्ष जो औचित्य का प्रश्न रखा है, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि उसको वापस ले लें।

श्री मैनेजर सिंह–

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 संसदीय कार्य मंत्री श्री अम्मार रिजवी जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से जिस कार्य हेतु इनको शपथ दिलाई गयी है, उस कार्य को किया है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या साधारणतया का अर्थ आधा होता है या चौथाई होता है? मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वे समझावें कि 90 दिन का अर्थ साधारणतया में 80 दिन या 87 दिन होता है या आधा या चौथाई होता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस सदन की गरिमा की रक्षा उस मा0 अध्यक्ष के आसन से ही हो सकती है। संसदीय कार्य मंत्री जी ने यह भी कहा कि आपका संरक्षण उधर, इधर दोनों को मिले, तो मैं कहना चाहता हूं कि मा0 अध्यक्ष जी, आपका संरक्षण उधर तो है, उन्हें कोई शिकायत भी नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि इस सदन की गरिमा उसी दिन से घट रही है जिस दिन से उस सर्वोच्च अध्यक्ष आसन पर बैठे हुए व्यक्ति इस नीचे की कुर्सी (मंत्री की कुर्सी) पर आने की कोशिश करने लगे। उसी दिन से सदन की गरिमा समाप्त हो गयी ..

(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, यदि आप की निगाह नीचे की कुर्सी पर नहीं है तो आप एलान कीजिये कि आपकी निगाह नीचे की कुर्सी पर नहीं है और कभी आमंत्रित किये जाने पर भी उस कुर्सी पर नहीं जाएंगे। क्योंकि सदन में आपका स्थान सर्वोच्च स्थान होता है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, उस आपकी ऊंची

कुर्सी से छलांग लगाकर कई लोग नीचे आ गये । उस आसन से मा0 वीर बहादुर सिंह का आसन क्या तुड़ा है ? वह सर्वोपरि है हां इतना सही है कि यह कभी भी मंत्री पद की शपथ दिला सकते हैं . .

(समय बहुत हो गया है की आवाज आने पर)

आप क्या समझेंगे, भैंस के आगे बीन बाजे, भैंस खड़ी पगुराय

(हंसी)

मैं नयी भर्ती होकर आये संसदीय कार्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इतने कम दिन के सत्र में कुछ नहीं होने वाला। जैसा अभी माननीय रवीन्द्र नाथ तिवारी जी ने कहा है कि 5 दिन के सत्र में किसी भी समस्या पर विचार नहीं हो पायेगा, जब विचार नहीं होगा, तो रोष पैदा होगा और सदन अव्यवस्थित हो जायेगा । जब तक आप पूरा समय नहीं देंगे बहस करने का, तब तक यह सदन सुनियोजित ढंग से नहीं चलेगा।

इस समय बाढ़ से, कटान से, सूखे से हमारे प्रदेश के कई जिले पीड़ित हैं, सरकार वहां राहत कार्यों में उलझी हुई है लेकिन फिर भी तमाम कमियां विद्यमान है। ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा कम से कम 2 दिन होनी चाहिये। मान्यवर, जब विधान सभा की कार्य मंत्रणा समिति में माननीय सदस्य, चाहे इधर के हों या उधर के हों, विचार के लिए बैठते हैं, तो वे वहां सरकार के जाल में फंस जाते हैं। बजट पास कराना हमारी जिम्मेदारी है, सरकारी कार्यों को पूरा कराना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन जो असरकारी कार्य है, उसको भी पूरा करा लेना हमारी प्रमुख जिम्मेदारी होनी चाहिये। पिछली बार हमारे विपक्ष के माननीय सदस्य शासन के चंगुल में फंसे और अन्ततोगत्वा असरकारी कार्य पिछड़ते गये और सरकारी कार्य पूरे होते गये। अंतिम दिन जिस ढंग से माननीय अध्यक्ष जी द्वारा इस सदन को स्थगित किया गया, वह अपने आप में एक संसदीय व्यवस्था का नमूना है। उसे स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाना चाहिये। मान्यवर, इस बार भी वह प्रक्रिया शुरू होती प्रतीत हो रही है। आज बजट पेश होगा, पास हो जायेगा, उसके बाद शासन का रुझान सदन के प्रति कम हो जायेगा ।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

श्री मैनेजर सिंह–

अविश्वास का प्रस्ताव इसी कारण से आयेगा क्योंकि आप पूरी बहस का मौका नहीं देंगे। विपक्ष उसी अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से प्रदेश की महत्वपूर्ण समस्याओं को उजागर करेगा ।

माननीय अध्यक्ष जी, अंत में मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, अतः आप घोषणा करें कि आप उस सर्वोच्च आसन से ऊपर जायेंगे, नीचे नहीं आयेंगे।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, जो औचित्य का प्रश्न उठाया गया है, उसके परिप्रेक्ष्य में संक्षेप में कहूंगा । माननीय सदस्य चाहे इस पक्ष के हों या उस पक्ष के हों, जनतंत्र के अंदर सबसे बड़ी चीज बहस है और बहस के माध्यम से हम प्रदेश की समस्याओं को उजागर कर सकते हैं, समझ सकते हैं। मैं आपसे, माननीय मुख्यमंत्री जी से और संसदीय कार्य मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि धीरे-धीरे जनतंत्र की जो मूल भावना है, उसको नष्ट किया जा रहा है, समाप्त किया जा रहा है। यह सच चाहे कड़वा

लगे, किस तिकड़मी से सरकार ने पिछली बार अपना कार्य कराया था और तिकड़म करके बीच में ही सदन को उठा लिया था। कार्य मंत्रणा समिति की उस रोज बैठक हो चुकी थी तथा शाम को फिर बुलायी गयी थी। लेकिन, कार्य मंत्रणा समिति की अनुमति के बिना सदन को अनिश्चित काल के लिए उठा लिया गया।

मान्यवर, हम सबके आप संरक्षक हैं। संसदीय कार्य मंत्री जी अभी कह रहे थे कि वर्षाकालीन सत्र बुला लिया है। अगर छः महीने की बंदिश न हो तो यह सत्र भी नहीं बुलाया जाता। एक औपचारिकता के लिए यह सदन बुलाया गया है। 5 दिन में इतने बड़ा प्रदेश की समस्या, जहां 12 करोड़ से ऊपर की जनसंख्या है, 57 जिले हैं। 425 माननीय सदस्यों का यह सदन है। माननीय मुख्य मंत्री जी आप भजन लाल की तरह इस उत्तर प्रदेश को चलाना चाहते हैं। हरियाणा में 5, 6 दिन के लिए सदन बुलाया जाता था। आखिर आपको क्या परेशानी है ? यदि आप सदन चलायेंगे तो सरकार के लिए सूचनायें आयेंगी सत्ता पक्ष और विपक्ष को माननीय सदस्यों की भावनायें आयेंगी, उनके सुझाव आयेंगे इस प्रकार यह सब मिलकर सरकार को ही मदद देंगे, लेकिन आज आपने सदन 5 दिन के लिए बुलाया है। हमने संसदीय परम्पराओं को मानते हुए आपसे भी निवेदन किया कि कम से कम 15 दिन वर्किंग डेज होने चाहिए। 90 दिन की बराबर बात कही जाती है। इस संबंध में मुख्य मंत्री जी से व्यक्तिगत रूप से कहा गया। कहा यह जाता है कि जनता पार्टी ने नहीं चलाया। ठीक है, उन्होंने गलती की है तो क्या आप उस गलती को सुधारना नहीं चाहते हैं? यह प्रदेश इतना बड़ा है। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी इसमें आप हस्तक्षेप कीजिए। यदि इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जाता तो मैं अपने सभी विपक्ष के साथियों से बातचीत करूंगा। जब सरकार की नजरों में और आपकी नजरों में सदन का कोई उपयोग नहीं है तो हमें विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा कि इस सदन का एक दो साल के लिए बहिष्कार किया जाय। मेरा पुनः अनुरोध है कि इस सदन को 90 दिन चलाने का प्रयास किया जाय नहीं तो कम से कम 80 दिन तो चलाया ही जाय।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता विरोधी दल इस पर बोल चुके हैं और कई मा0 सदस्यों ने भी अपने विचार प्रकट किये हैं इसलिए अब आप लोग बैठिये।

*मुख्य मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)–

मान्यवर, अभी माननीय तिवारी जी, माननीय नेता विरोधी दल और अन्य माननीय सदस्यों ने जो बात कही कि यह विधान सभा का सत्र जो चलाया जा रहा है, बहुत थोड़े दिनों के लिए चलाया जा रहा है। जो 90 दिन चलाया जाना चाहिए था वह 90 दिन नहीं चलाया जा रहा है। मैं पहले भी यह बात कह चुका हूं कि जो भी विधान सभा में कार्य होता है चाहे बजट पास करने हों, चाहे चर्चायें हों उसके लिए पूरा समय हम देने के लिए तैयार हैं अगर कोई काम ही नहीं है और उस पर आप कहें कि विधान सभा बुलायी जाय तो मैं समझता हूं कि यह कोई उचित बात नहीं है। आपकी भाव-

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नाओं को देखते हुए यह मानसून सेशन बुलाया गया। मैं देखूंगा कि कार्य मंत्रणा समिति में जो यह पांच दिन की कार्य सूची रखी गयी है इसे पहले आप पूरा कर लें अगर कोई काम बचेगा तो उस पर विचार कर लिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष –

सत्र बुलाने और उसके सत्रावसान करने का अधिकार माननीय राज्यपाल को है। इस बीच में सदन कब तक बैठेगा इसका निर्णय करने का अधिकार सदन और शासन को है। फिर भी औचित्य की इस सूचना को शासन के विचारार्थ भेज दूंगा। इसके अलावा मैं यह कहना चाहता हूं कि अभी इस वर्ष के पूरा होने में 4 महीने का समय बाकी है उसमें भी सत्र बैठ सकता है।

उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अध्यादेश, 1986†

आबकारी राज्यमंत्री (श्री रामनाथ मुंशी)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अध्यादेश, 1986 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अध्यादेश, 1986†

संसदीय कार्यमंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1986 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था)(संशोधन) अध्यादेश, 1986†

कृषि मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश 1986 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश मलिन बस्ती क्षेत्र (सुधार और निपातन) (संशोधन) अध्यादेश, 1986†

नगर विकास राज्य मंत्री (श्रीमती पद्मा सेठ)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश मलिन बस्ती क्षेत्र (सुधार और निपातन) (संशोधन) अध्यादेश, 1986 को सदन के पटल पर रखती हूं।

कार्य सूची की कोई मद भार साधक मंत्री के अतिरिक्त किसी अन्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किये जाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। प्रश्न यह है कि अगर बहुत ही तकनीकी दृष्टि से देखा जाय तो यह बात सही है कि मंत्रि मण्डल का संयुक्त उत्तरदायित्व है, किसी मंत्री के स्थान पर कोई मंत्री खड़ा हो सकता है, लेकिन अगर संसदीय प्रणालियों को देखें तो चाहे वे लोक सभा की हों या हाउस आफ कामन्स की हों, अगर किसी अपरिहार्य कारण से वह मंत्री सदन से अनुपस्थित है, तभी दूसरा मंत्री खड़ा होगा और वह भी आपसे अनुमति लेकर। माननीय उच्च शिक्षा मंत्री अभी सदन में उपस्थित थे, माननीय शिक्षा मंत्री सदन में उपस्थित थे, उनको पता था कि उनका आइटम लगा है, लेकिन सदन की अवमानना करने की नीयत से, वे जानबूझकर सदन से चले गये, संसदीय कार्य मंत्री खड़े हो गये।

---

†छापा नहीं गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

यह व्यवस्था चाहता हूं कि तकनीकी दृष्टि से संयुक्त उत्तरदायित्व का प्रश्न अपनी जगह सही होते हुए भी, क्या मंत्री को बिना आपकी अनुमति के और बिना कोई अपरिहार्य कारण दर्शाये हुए, सदन से अनुपस्थित रहने का औचित्य है या नहीं ? मैं आपके स्वभाव और चरित्र को भी जानता हूं कि संसदीय परम्पराओं में आपकी कितनी आस्था है । मेरा आपसे अनुरोध है कि सदन की कार्यवाही रोककर जो भी मंत्री बिना आपकी अनुमति के सदन से अनुपस्थित हुए हैं, उनको आप बुलाइए और उन्हीं से इन मदों को उपस्थित कराइए। आप साबित कर दीजिये कि संसदीय परम्पराओं में आपकी आस्था है या नहीं ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, विधान परिषद् में भी बहुत सा ऐसा कार्य है, जिसमें सम्मानित मंत्रियों को रहना पड़ता है, जो मंत्रिगण गये हैं किसी वजह से गये हैं, सदन की अवमानना करने की दृष्टि से नहीं गये हैं, कार्य से गये हैं क्योंकि दूसरा हाउस भी चल रहा है . . . . .

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

इसीलिये मैंने कहा था कि अपरिहार्य कारण से हो सकता है, लेकिन क्या वे आपकी अनुमति से गये हैं ?

श्री अम्मार रिजवी–

इन्होंने हाउस आफ कामन्स और लोक सभा, जहां-जहां का भी हवाला दिया है, एक भी मसला बता दें जहां यह प्रतिबन्ध लगा हो कि कोई भी मंत्री, किसी अन्य के विभाग की चीजें, सदन के पटल पर नहीं रख सकता । जहां तक सदन के पटल पर रखे जाने का प्रश्न है, कोई भी मंत्री रख सकता है। मैं जानना चाहूंगा कि हाउस आफ कामन्स में कब और किस मौके पर तथा लोक सभा में कब और किस मौके पर ऐसा प्रतिबन्ध लगाया गया ? यह बता दें, इसके बाद आप जो चाहें निर्णय दें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी बात को घुमाने में माहिर हैं। मैंने यह कहा कि किसी भी अपरिहार्य कारण से कोई भी अनुपस्थित हो सकता है । अपने ही यहां का उदाहरण दे दें, पिछले बजट सत्र में आपने पता नहीं किन-किन मंत्रियों को घण्टी बजाकर बुलवाया था ।

यह तो इसी सदन के उदाहरण हैं । मैं हाउस आफ कामन्स और लोक सभा में क्यों जाऊं ? मैं तो यह जानना चाहता हूं कि जो मंत्रीगण जिनका कि इस समय एजेन्डा के हिसाब से यहां उपस्थित होना आवश्यक था, क्या वे माननीय अध्यक्ष की अनुमति लेकर गये हैं ? मैंने तो स्वयं स्वीकार किया है कि तकनीकी दृष्टि से संयुक्त मंत्रिमण्डल का उत्तरदायित्व है, लेकिन इसी सदन के उदाहरण भी सामने मौजूद हैं कि पिछली बार मान्यवर, आपने मा0 संजय सिंह को जब वे यहां अनुपस्थित थे, उनको यहां बुलवाया था। इसी प्रकार से एक बार शिक्षा मंत्री जी नहीं थे तो वे भी बुलाये गये थे ।

आज माननीय अम्मार रिजवी कई साल के अन्तराल के बाद आये हैं और ये स्वयं जानते हैं कि जब वे यहां संसदीय कार्य मंत्री थे तो उस समय माननीय धर्मसिंह जी अध्यक्ष थे और मा0 धर्मसिंह जी बहुत ही स्ट्रिक्ट थे और कभी-कभी तो वे स्वयं ही अपने आसन से लोगों को टोक दिया करते थे। हम हाउस आफ कामन्स का उदाहरण देखने क्यों जायं ? हम तो इसी सदन का उदाहरण और दृष्टिकोण यहां उपस्थित कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष–

जहां तक सदन के पटल पर रखे जाने का प्रश्न है, इसे कोई भी मंत्री रख सकता है । मगर आवश्यक कार्य से या विधान परिषद् में यदि वे नहीं गये हैं तो उनको यहां मौजूद रहना चाहिये ।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश, 1986†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश, 1986 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

हरिजन एवं निर्बल वर्ग आवास निगम लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट††

हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से हरिजन एवं निर्बल वर्ग आवास निगम लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट 1982-83 को कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-ए की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखती हूं ।

उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (छत्तीसवां संशोधन) नियमावली, 1986 †

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से परिवहन अनुभाग-4 की अधिसूचना संख्या 337-टी/तीस-4-14 पी0-84, दिनांक 28 जनवरी, 1986 द्वारा प्रकाशित उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (छत्तीसवां संशोधन) नियमावली, 1986 जो दिनांक 1 अप्रैल, 1986 को सदन के पटल पर रखी गयी थी और जिसके सदन के पटल पर रखने की निर्दिष्ट कालावधि विधान सभा के सत्रावसान के कारण पूरी नहीं हो सकी है, को मोटर वेहिकिल्स एक्ट, 1939 की धारा 133 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार पुनः सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् का वार्षिक लेखा विवरण पत्र ††

ऊर्जा मंत्री (श्री सुनील शास्त्री)–

मान्यवर, आपकी अनुमति से मैं उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् का वार्षिक लेखा विवरण पत्र 1981-82 को इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) एक्ट, 1948 की धारा 69 की उपधारा (5) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की कार्य प्रणाली का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1977-78 के ज्ञापन सहित

ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री प्रमोद कुमार)–

मान्यवर, आपकी अनुमति से मैं लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश की कार्य प्रणाली का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1977-78 को ज्ञापन सहित संविधान के अनुच्छेद 323 (2) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

विधान सभा के वर्ष 1986 के प्रथम सत्र में नियम 301 की सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

माननीय अध्यक्ष की अनुज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया संबंधी करण (सप्तम संस्करण) के करण 14(3) के अनुसार विधान सभा के वर्ष 1986 के प्रथम सत्र में (दिनांक 6 फरवरी, 1986 से 2 अप्रैल, 1986 तक) नियम 301 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण सदन के पटल पर रखता हूं।

† छापी नहीं गयी ।

†† छापी नहीं गयी ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा सदस्य (दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियमावली, 1986†

सचिव, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष की अनुज्ञा से, मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा सदस्य (दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियमावली, 1986 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

कुष्ठ रोगी (उत्तर प्रदेश निरसन) विधेयक, 1986

सचिव, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष की अनुज्ञा से, मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की सहमति के लिए प्राप्त कुष्ठ रोगी (उत्तर प्रदेश निरसन) विधेयक, 1986, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1986

सचिव, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष की अनुज्ञा से, मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1986, जो विधान सभा द्वारा 1 अप्रैल, 1986 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 4 अप्रैल, 1986 को वापस प्राप्त हो गया ।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1986

सचिव, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष की अनुज्ञा से, मैं घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1986 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 1 अप्रैल, 1986 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 2 अप्रैल, 1986 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 5 अप्रैल, 1986 को प्राप्त हो गई और वह सन् 1986 का उत्तर प्रदेश का 13वां अधिनियम बन गया ।

श्रीमती कटोरी देवी द्वारा धरना दिए जाने की सूचना

श्री शारदा प्रताप–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । जब मैं सुबह अन्दर यहां आ रहा था तो गेट नं0 2 पर उसके बाहर साइड कटोरी देवी जो कि धरना पर बैठी हैं, उन्होंने एक पर्चा, चूड़ियां और बिन्दी माननीय सदस्यों को बांट रही थीं, जो माननीय मंत्रियों को भी मिला है।

श्री अध्यक्ष–

आप इसको लिखकर भेज दीजिए ।

श्री शारदा प्रताप–

माननीय शिक्षा मंत्री जी चले गए, . . .

श्री अध्यक्ष–

मैंने कहा कि आप इसको लिखकर भेज दीजिए।

श्री शारदा प्रताप–

मैं इसको माननीय मुख्य मंत्री जी के पास आपकी अनुमति से भेज रहा हूं।

†छापी नहीं गई ।

श्री अध्यक्ष–

आप अच्छी तरह से मुख्य मंत्री जी को जानते हैं और उनका कमरा भी जानते हैं, उनके कमरे में उनको आप आसानी से दे सकते हैं ।

उत्तर प्रदेश नवम् विधान सभा की प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति का द्वितीय प्रतिवेदन†

श्री उपाध्यक्ष–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश नवम् विधान सभा की प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति का द्वितीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

उत्तर प्रदेश नवम् विधान सभा की याचिका समिति का द्वितीय प्रतिवेदन †

श्री उपाध्यक्ष–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की याचिका समिति का द्वितीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की लोक लेखा समिति (1985-86) का पंचम प्रतिवेदन†

श्री कौशिक रमा शंकर–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की लोक लेखा समिति (1985-86) का पंचम प्रतिवेदन जो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट 1981-82 (राजस्व प्राप्तियां) पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं ।

जनपद पिथौरागढ़ की तहसील मुनस्यारी के अन्तर्गत बांसबगड़ से मुनस्यारी तक बस परिवहन के लिए सड़क निर्माण की स्वीकृति के संबंध में याचिका

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से जनपद पिथौरागढ़ के तहसील मुनस्यारी के अन्तर्गत बांसबगड़ से मुनस्यारी तक बस परिवहन के लिए सड़क निर्माण की स्वीकृति विषयक श्री रणजीत विश्वकर्मा, निवासी जनपद पिथौरागढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं ।

जनपद पिथौरागढ़ की तहसील डीडीहाट के अन्तर्गत थल नामक स्थान में उप कोषागार खोलने के सम्बन्ध में याचिका

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से, जनपद पिथौरागढ़ के डीडीहाट तहसील के अन्तर्गत थल नामक स्थान में उपकोषागार खोलने के विषयक श्री राम सिंह जंगपांगी, श्री गोविन्द लाल वर्मा, श्री गिरधर सिंह, धर्मशक्तू निवासीगण जनपद पिथौरागढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं ।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

विधान सभा की कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी बैठक दिनांक 25 व 26 अगस्त, 1986 की बैठकों में विधान सभा के 1 सितम्बर, 1986 से 5 सितम्बर, 1986 तक के निम्न कार्यक्रम को निर्धारित किए जाने की सिफारिश की है,

सितम्बर, 1986

1 सोमवार 1–निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण–

(क) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1986

(ख) उत्तर प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1986

(ग) उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा अनुदान आयोग (निरसन) विधेयक, 1986

2–पांच बजे अपराह्न–

वित्तीय वर्ष 1986-87 के अनुपूरक अनुदानों का प्रस्तुतीकरण होगा ।

3–सम्पूर्ण प्रदेश में माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में भारी संख्या में छात्रों एवं छात्राओं

†छापा नहीं गया ।

को प्रवेश न मिल पाने से उत्पन्न समस्या के विषय में श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर एक घंटे की चर्चा ।

2 मंगलवार 1–निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण–

(क) उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1986

(ख) उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, 1986

(ग) उत्तर प्रदेश चल चित्र (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1986

(घ) कुष्ठ रोगी (उत्तर प्रदेश निरसन) विधेयक, 1986 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ ।

2–वित्तीय वर्ष 1986-87 के अनुपूरक अनुदानों पर सामान्य चर्चा, मांगों पर मतदान तथा तत्संबंधी विनियोग विधेयक का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण (पांच बजे अपराह्न तक)

3–उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् द्वारा बिजली की दरों में की गई वृद्धि से बिजली उपभोक्ताओं में व्याप्त असंतोष के विषय में श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त द्वारा अभिसूचित सूचना पर एक घंटे की चर्चा (पांच बजे अपराह्न के उपरान्त)

3 बुधवार 1–असरकारी संकल्प (आधा दिन)

2–विधायी कार्य (आधा दिन)

3–मथुरा, आगरा एवं प्रदेश के अन्य अनेक जिलों में खारे पानी की समस्या के विषय में श्री सरदार सिंह द्वारा नियम 52 के अंतर्गत अभिसूचित सूचना पर एक घंटे की चर्चा (पांच बजे अपराह्न से)

4 गुरुवार 1–असरकारी विधेयक (आधा दिन)

2–विधायी कार्य (आधा दिन)

3–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी द्वारा नियम 103 के अंतर्गत प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर अग्रतर चर्चा (पांच बजे अपराह्न से)

इस सदन का निश्चित मत है कि चीनी उद्योग के संबंध में एक रूप नीति अपनाने तथा गन्ना उत्पादकों, उपभोक्ताओं एवं श्रमिकों के शोषण को समाप्त करने हेतु केन्द्र सरकार से अविलम्ब आवश्यक कानून बनाकर चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण करने की सिफारिश की जाये।

5 शुक्रवार 1–असरकारी संकल्प (पांच बजे अपराह्न तक)

2–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त द्वारा अभिसूचित निम्नलिखित प्रस्ताव पर नियम 103 के अंतर्गत एक घंटे की चर्चा (पांच बजे अपराह्न से)

"चूंकि नई शिक्षा नीति का जिस रूप में कार्यान्वयन किया जा रहा है उसकी रणनीति स्पष्ट नहीं है अतः यह सदन इस संबंध में स्पष्ट रणनीति निर्धारित करने हेतु शासन को निर्देश देता है"

समिति ने सदन के 5 सितंबर, 1986 के कार्यक्रम के संबंध में यह भी सिफारिश की है कि प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम 98 को निलंबित करते हुये उस दिन वह असरकारी संकल्प लिये जायें जो दिनांक 3 सितम्बर, 1986 की कार्य-

सूची में रखे गये हों, परन्तु सदन में चर्चार्थ न लिये जा सकें ।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)– मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा की गयी सिफारिशों से जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष ने दी है, से सहमत है।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त– मान्यवर, मैं इस प्रस्ताव का विरोध करने के लिये नहीं खड़ा हुआ हूं, लेकिन आप से इस पर पुनर्विचार करने के लिये प्रार्थना करूंगा । माननीय मुख्य मंत्री जी का वक्तव्य मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि हमारे पास काम ही नहीं है, आप देखें कि जो दो तारीख का कार्यक्रम है, मैं इस सदन की कार्यवाही देख रहा हूं, न जाने कितने सप्लीमेंटरी बजट आये होंगे एक दिन से कम चर्चा सप्लीमेंटरी बजट पर नहीं हुई। यह हुकुम सिंह जी हैं, अगर एक दिन भी इससे कम चर्चा हुई हो तो दिखा दें। सप्लीमेंटरी बजट पर एक दिन से भी चर्चा कम कर दी गयी है । लगा दिया 4 मिनटों पर चर्चा होगी और सप्लीमेंटरी बजट पर भी चर्चा होगी और बिजली के बारे में एक घंटे की चर्चा होगी । तो इतना बिजनेस कैसे निस्तारित किया जायेगा । आप निस्तारित तो एक मिनट में कर सकते हैं, आप प्रस्ताव कर देंगे और वह पास हो जायेगा, लेकिन जो भी विचार करें वह विवेकपूर्ण ढंग से विचार करें । आज 1 तारीख को तीन विधेयक लगे हुये हैं और उसके बाद एक विषय पर चर्चा भी है । इसी तरह से चार-चार और पांच-पांच विधेयक और पूरे का पूरा सप्लीमेंटरी बजट तथा चर्चायें एक ही दिन में करायी जायेंगी तो न्याय नहीं हो पायेगा । इस बिन्दु पर मैं आदरणीय सदन से अनुरोध करूंगा कि हम अपने अधिकारों की रक्षा करें और पूरे प्रदेश के प्रतिनिधित्व को पूरा करने की चेष्टा करें। इसी संबंध में जो बातें माननीय तिवारी जी ने कहीं थीं उनसे मैं अपने को पूरी तरह से सम्बद्ध करता हूं । हमारे सामने कई समस्यायें हैं। इसलिये जो प्रस्ताव हमारे सामने आया है उसे आप वापस कर दें और विस्तृत संयुक्त बैठक से विचारोपरान्त पुनः इस प्रस्ताव को लायें । मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे इस प्रस्ताव को वापस लेकर एक युक्ति संगत बिजनेस सदन में लायें।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)– मान्यवर, कार्य परामर्श दात्री समिति में सभी दलों के सदस्य होते हैं और वहां पर बैठकर परामर्श के उपरान्त कोई निर्णय किया जाता है । अगर यही परम्परा रही तो मेरा अनुरोध है कि उस परामर्शदात्री समिति का कार्य पूरी तरह से नहीं हो पायेगा । इसलिये मेरा माननीय राजेन्द्र गुप्त जी से अनुरोध है कि जो शंकायें उन्होंने व्यक्त की हैं वह इस समिति की दूसरी बैठक में रख सकते हैं।

जहां तक सप्लीमेंटरी बजट और चर्चाओं का सवाल है किसी तरह से भी कहीं पर भी संविधान में किसी जगह के ऊपर समय निर्धारित नहीं किया गया है कि इतने समय में होगा । परम्परा यह है कि एक दिन में भी हुआ है। इसलिये मैं समझता हूं कि यह उचित है और मेरा अनुरोध है कि सदन इसे पास करें ।

श्री अध्यक्ष– परम्परा यही चली आ रही है कि जो सिफारिश कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा होती है उसे यहां पर मान लिया जाता है । फिर भी आज चार बजे कार्य-मंत्रणा

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

समिति बैठ रही है । उसमें आप यह बात रख सकते हैं ।

[श्री अध्यक्ष द्वारा प्रश्न उपस्थित करना आरम्भ करने पर व्यवधान]

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, अभी प्रस्ताव नहीं आया है...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

प्रस्ताव आ चुका है।

प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा की गयी सिफारिश से, जिसकी सूचना मा0 अध्यक्ष ने दी है, सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश पत्रकार कल्याण और पेंशन निधि विधेयक, 1985 पर नियुक्त प्रवर समिति के कार्यकाल में वृद्धि का प्रस्ताव

*संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि चूंकि उत्तर प्रदेश पत्रकार कल्याण और पेंशन निधि विधेयक, 1985 को सदन के दिनांक 5 सितम्बर, 1985 के निश्चयानुसार इस निदेश के साथ सदन की एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया गया था कि वह अपना प्रतिवेदन आगामी सत्र के प्रथम दिन प्रस्तुत करें और समिति द्वारा निर्धारित समय के भीतर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत न कर सकने के कारण विधान सभा के दिनांक 6 फरवरी, 1986 के निश्चयानुसार उक्त समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय विधान सभा के वर्ष 1986 के द्वितीय सत्र के प्रथम दिन अर्थात 26 अगस्त, 1986 तक बढ़ाया गया, और चूंकि समिति उक्त बढ़ायी गयी अवधि में भी अपना प्रतिवेदन तैयार नहीं कर सकी है, और चूंकि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 258 के उपनियम (1) के द्वितीय परन्तुक के अनुसार सदन को यह अधिकार है कि वह किसी भी समय प्रस्ताव किये जाने पर निदेश दे सकेगा कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये समय प्रस्ताव में उल्लिखित तिथि तक बढ़ा दिया जाय।

अतएव, यह सदन निदेश देता है कि उक्त प्रवर समिति को उसके द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय विधान सभा के आगामी बजट सत्र के अंतिम दिन तक के लिये बढ़ा दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव माननीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने सदन में रखा है, से यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1986 †

आबकारी राज्य मंत्री (श्री रामनाथ मुंशी)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1986 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1986 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा प्रदान की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

† दिनांक 5 सितम्बर, 1986 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

श्री राम नाथ मुंशी–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1986 को पुरःस्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1986†

सांस्कृतिक कार्य राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा कौल)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1986 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगती हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1986 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा प्रदान की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्रीमती दीपा कौल–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1986 को पुरःस्थापित करती हूं।

उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, 1986†

राजस्व राज्य मंत्री (श्री गौरी शंकर)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, 1986 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, 1986 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा प्रदान की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री गौरी शंकर–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, 1986 को पुरःस्थापित करता हूं।

कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

[समय 1.25]

श्री अध्यक्ष–

नियम 56 के अन्तर्गत आज कुल 33 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। पहली, दूसरी और तीसरी नम्बर पर श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री देव कुमार यादव, श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा की ग्राम रामू का पुरवा बांदा में डाकुओं द्वारा नर संहार के सम्बन्ध में है।

नम्बर 4 में श्री माता प्रसाद पाण्डेय, श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ, श्री दिवाकर विक्रम सिंह की ग्राम करहना, थाना मेंहदावल, जनपद बस्ती में पुलिस द्वारा 11 लोगों की हत्या के सम्बन्ध में है। इसी सम्बन्ध में नम्बर 5 में श्री राम आसरे वर्मा, श्री हृदय नारायन दीक्षित, श्री काशी सिंह ऐरी, श्री हरि-शंकर तिवारी तथा नम्बर 6 में श्री हरिशचन्द्र, हरीश जी, नम्बर 7 में श्री शतरुद्र प्रकाश, नम्बर 8 में श्री सुखपाल पाण्डे, नम्बर 9 में श्री राम-नरेश यादव, श्री शारदा प्रताप, नम्बर 10 में श्री धनराज यादव, नम्बर 11 में श्री हर्ष वर्धन, कुंवर रेवती रमण सिंह, श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री रणजीत, श्री कौशिक रमाशंकर की सूचना है। नम्बर 12 में श्री रामसरन की सूचना प्रदेश में सूखा के सम्बन्ध में

†दिनांक 5 सितम्बर, 1986 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

है। इसी से सम्बन्धित नम्बर 13 में श्री विजय सिंह राणा, श्री रमेश यादव, तथा नम्बर 14 में श्री शफीकुर्रहमान वर्क तथा नम्बर 15 में श्री बदन सिंह जी की भी सूचना है।

नम्बर 16 में श्री फजलुल बारी की बाराबंकी में पुलिस द्वारा नरसंहार के सम्बन्ध में है।

नम्बर 17 में श्री दिनेश जौहरी की मुरादाबाद व बुलन्दशहर जिले के खुर्जा-नगर में आंखों के आपरेशन से लोगों के अंधे होने के सम्बन्ध में सूचना है।

नम्बर 18 में श्री राज किशोर सिंह की वाराणसी के विकास क्षेत्र सेवापुरी के ग्राम पचवार में जहरीले टीके से 6 बच्चों की मृत्यु के सम्बन्ध में है।

नम्बर 19 तथा 20 में श्री अवधेश प्रसाद तथा श्री मित्रसेन जी की फैजाबाद में पुलिस द्वारा पांच व्यक्तियों की हत्या के सम्बन्ध में सूचना है।

सूचना नम्बर 21—श्री मनोहर लाल की उन्नाव के विधायक श्री मनोहर लाल के साथ पुलिस द्वारा अभद्र व्यवहार। इसी सिलसिले में श्री सरदार सिंह की नं0 22 पर सूचना है।

नम्बर 23—श्री राम सजीवन की बिक्रीकर अधिकरण उ0 प्र0 में व्याप्त भ्रष्टाचार।

नम्बर 24—श्री किरनपाल सिंह की बुलन्दशहर में पुलिस फायरिंग।

नम्बर 25—श्री गौरीशंकर भैया की सूचना वाराणसी में सड़कों का धसना।

नं0 26—श्री बलराम यादव, श्री दुर्गा प्रसाद यादव, श्री राम जनम और श्री फागू चौहान की सूचना नगरपालिका, आजमगढ़ में जलकर व गृहकर के बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में है।

नं0 27—श्री सत्य प्रकाश बिकल—हरिद्वार कुम्भ में भ्रष्टाचार।

नं0 28—श्री अनुग्रह नारायण सिंह, श्री गोपाल दास यादव—इलाहाबाद में पुलिस द्वारा बेगुनाहों को पीटा जाना। इसी सिलसिले में सूचना नं0 29—श्री मो0 आजम खां की भी है।

नं0 30—श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—काशीपुर (नैनीताल) कताई मिल में मजदूरों की हत्या।

नं0 31—श्री रघुबर दयाल वर्मा—विद्युत दरों का बढ़ाया जाना।

नं0 32—श्री भगौती सिंह—एच0 ए0 एल0 लखनऊ में लाठीचार्ज।

अन्तिम नं0 33—श्री शारदा नन्द अंचल-बलिया में गंगा की बाढ़ के सम्बन्ध में सूचना है।

जहां तक ग्राम रामू का पुरवा और ग्राम करहना के सम्बन्ध में सूचनाओं का सवाल है तो मैं इन दोनों सूचनाओं के सिलसिले में एक-एक घंटे की चर्चा के लिये स्वीकार करता हूं।

सूचना नं0 12—प्रदेश में सूखा—श्री राम सरन जी।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, ग्राम रामू पुरवा के सम्बन्ध में हमने कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया था जिस पर आपने एक घंटा चर्चा का समय दिया लेकिन इसमें ग्राह्यता पर आप सुन लें।

श्री अध्यक्ष—

आपकी सूचना आयी और उसी पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि एक घंटा की चर्चा स्वीकार किया। इसलिए अब ग्राह्यता का प्रश्न नहीं उठता है।

(व्यवधान)

(इस समय 1 बजकर 33 मिनट पर दर्शक दीर्घा, ऊपर से, नारे लगाये गये एवं पर्चे फेंके गये)

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, आज हमने नियम 56 में जो सूचना दी थी उसमें आपने बिना ग्राह्यता के ही अपना निर्णय दे दिया। **मान्यवर, आपका निर्णय शिरोधार्य है।** लेकिन मैंने नियम 56 की सूचना दी थी, उसमें अपेक्षा की जाती है। आज हमने यह मांग नहीं की थी कि **आप एक घंटे की चर्चा स्वीकार करेंगे** या क्या करेंगे। नियम 56 में सूचना देने वाला सदस्य यह अपेक्षा करता है कि जिस दिन हम सूचना देते हैं उस दिन की कार्यवाही स्थगित करके प्राथमिकता के आधार पर उस विषय को लिया जाएगा। आपने उस घटना के महत्व के बारे में, उसकी ग्राह्यता के बारे में कोई जानकारी हमसे प्राप्त नहीं की है। जो विषय लिख दिया था उस पर आज की कार्यवाही न रोक कर अलग से एक घंटे की चर्चा निर्धारित कर दी है। नियम 56 का आशय यह होता है कि आज की कार्यवाही रोक कर, उसे तात्कालिक महत्व को समझ कर आप चर्चा कराने की कृपा करेंगे। तो मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि क्या नियम 56 की सूचना जब दी जाएगी, तो आप ऐसा ही निर्णय लेंगे या उनकी ग्राह्यता पर सुनेंगे और फिर तदनुसार कार्यवाही करने की कृपा करेंगे।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, आपको पूरा अधिकार है। यह नियमावली अपनी जगह पर है और अध्यक्ष पीठ का निर्णय अपनी जगह पर है। परन्तु अभी तक यह परम्परा रही है, प्रतिपक्ष का यह संसदीय अधिकार है और कार्य-स्थगन का प्रस्ताव शासन के प्रति एक सेंसर प्रस्ताव माना जाता है यह हमारा अधिकार है। रामू का पुरवा के बारे में और बस्ती की घटना के बारे में आपके सामने कार्य-स्थगन प्रस्ताव रखा गया है। हमने जो सूचना दी है, उसमें सब्जेक्ट मैटर आता है, ग्राह्यता के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। **अतः कृपया ग्राह्यता के बारे में हमें** सुन लें और जो हमारा अधिकार है, उसे कार्य स्थगन के रूप में ही स्वीकार करें। आज 4 बजे इस पर चर्चा करा दें। इनका डाकू उन्मूलन के बारे में एक अभियान चल रहा था और 5 करोड़ रुपया एक डाकू के बारे में खर्च करने के बाद भी वहां पर इतना बड़ा नरसंहार हुआ है (व्यवधान) 16 घंटे 10 किलोमीटर **की दूरी तय करने में लगे थे। पुलिस** और सत्तारूढ़ दल के लोग इनको संरक्षण **दे रहे हैं तो इस पर नियंत्रण कैसे** पाया जा सकता है। अब कोई आदमी पुलिस की मुखबिरी क्यों करेगा, जब सरकार उनकी जीवन रक्षा नहीं कर पायेगी। आपकी मदद में अब कौन आयेगा। रामू का पुरवा के सम्बन्धित लोगों की तरफ से कह दिया गया था कि हमारे ऊपर खतरा है। इन सब बातों को देखते हुए आप इसे कार्य-स्थगन के रूप में स्वीकार कर लें।

श्री मुलायम सिंह यादव–

श्रीमन्, आपने करहना के सामूहिक हत्याकाण्ड के बारे में चर्चा स्वीकार की है, लेकिन मुख्य मंत्री जी ने 13 अगस्त को हमें और बस्ती जिले के हमारे चारों विधायकों को यह आश्वासन दिया था कि इस घटना के सम्बन्ध में 26 तारीख तक जो भी जांच-पड़ताल हो जाएगी,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उस सम्बन्ध में भी हम अवगत करा देंगे। इसलिए आपने बिना ग्राह्यता को सुने हुए, इतने बड़े जघन्य सामूहिक हत्याकाण्ड के बारे में, जो उत्तर प्रदेश में पहला है —यद्यपि माधोपुर में 13 व्यक्ति मारे गये थे, पर उसमें दूसरे कारण बन गये थे कि एक पुलिस डी0 वाई0 एस0 पी0 भी मारा गया था, जो चर्चा निर्धारित की है वह समुचित नहीं है।

यह इतना बड़ा जघन्य अपराध हुआ है कि उसे छिपाने की पूरी कोशिश की जा रही है। सरकार ने वहां के सब इंस्पेक्टर या डी0 वाई0 एस0 पी0 का ट्रांसफर कर दिया है, इनकी नजर नीचे ही गिरती है। हमारा आरोप है, इस उत्तर प्रदेश के तमाम समाचार पत्रों और पत्रिकाओं ने और समस्त राजनैतिक दलों के सारे लोगों ने एक स्वर से यह राय जाहिर की है कि यह जो सामूहिक हत्याकाण्ड किया गया है इस हत्याकाण्ड में सबसे बड़ी साजिश गोरखपुर के डी0 आई0 जी0 और बस्ती के एस0 पी0 तथा डी0 एम0 की है। आज तक डी0 आई0 जी0 और एस0 पी0 के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी है यह बता दें। एक दरोगा और एक डी0 वाई0 एस0 पी0 का ट्रांसफर किया गया है। मैं आपको 2-3 उदाहरण देना चाहता हूं कि किस तरह से निर्दोष लोगों की हत्या की गयी है। बलराम, उम्र 18 साल बाप का नाम श्री राम, वह इंटर फेल था और दोबारा एडमीशन लेने बांसी जा रहा था 300 रुपये अपने गरीब बाप से लेकर, लेकिन मान्यवर, पुलिस ने उसकी हत्या कर दी। उसका बाप आज पागल हो गया है। इसी तरह से मुख्तार, बाप का नाम दोस्त मोहम्मद, उस निर्दोष व्यक्ति की हत्या कर दी गयी उसका छोटा भाई हार्ट अटैक से मर गया। यह बड़ा जघन्य हत्याकाण्ड है।

हिन्दुस्तान में पंजाब के बाद यह दूसरे नम्बर का जघन्य हत्याकाण्ड है। आपने इसकी ग्राह्यता पर हम सबकी राय नहीं ली। आपने चर्चा स्वीकार की है इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मैं कहना चाहता हूं कि वहां पर आज भी आतंक है। सी0 आई0 डी0 की रिपोर्ट क्या है। हम चाहते हैं कि सारे लोगों के ट्रांसफर किये जायं। हमारे सारे लोगों ने मांग की थी कि वहां के जो पुलिस कर्मी हैं उनको 302 का मुल्जिम बनाकर जेल भेजा जाय। वहां के डी0 आई0 जी0 और बस्ती के एस0 पी0 तथा डी0 एम0 की इसमें साजिश है। आज मामले को छिपाने की कोशिश की जा रही है। मैं 5 तारीख को करहना गया था। मैं बताना चाहता हूं कि किस तरह से गोली चलायी गयी। सिर्फ 2 फीट चरी तोड़ी गयी और फसल को नष्ट किया गया है। अगर सचमुच गोली चलती तो 5-6 फीट चरी टूटती तो मैं मान लेता। इसी तरह से ढाई फीट ऊंची मेड़ थी यदि लेटकर गोली चलायी गयी तो निशाना कैसे लगा और गोली कैसे लगी। मान्यवर, वहां के आई0 जी0 जोन और डी0 आई0 जी0 दोनों मिलकर इस मामले को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा एस0 पी0 बस्ती और डी0 एम0 की साजिश से यह हत्याकाण्ड हुआ है। सी0 आई0 डी0 की जो जांच रिपोर्ट आयी है वह क्या है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने आश्वासन दिया था। आज आप सदन में जरूर बता दें कि डी0 आई0 जी0, एस0 पी0 और डी0 एम0 के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी है। एक दरोगा और एक डी0

वाई0 एस0 पी0 का ट्रान्सफर केवल किया गया है। मेरी मांग है कि डी0 आई0 जी0, एस0 पी0 बस्ती तथा डी0 एम0 के खिलाफ, कांसपिरेसी का मुकदमा 120-बी, भारतीय दण्ड संहिता के तहत, इनको मुलजिम बनाया जाय और जिस पुलिस कर्मियों ने यह हत्यायें की हैं उनको सजायें दी जायं ।

एक महेन्द्रवीर नाम का व्यक्ति घायल हो गया था और दूसरे गांव भाग गया था। दूसरे दिन पुलिस जाती है और महेन्द्र वीर को गांव से पकड़ लेती है। गांव वालों के पूछने पर पुलिस ने कहा कि हम इसकी दवा कराने लिये जा रहे हैं। उसको डेढ़ किलोमीटर की दूरी पर दूसरे गांव में सबेरे गोली मार दी जाती है। (शेम-शेम की आवाजें) अफसोस की बात यह है कि मुख्य मंत्री जी के क्षेत्र से 6-7 किलोमीटर दूरी की यह घटना है। मुख्य मंत्री जी के क्षेत्र से लगा हुआ क्षेत्र है । दुर्भाग्य से उसी जिले के गृह सचिव हैं। उसके बावजूद भी आपने इतने बड़े हत्यारों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की । आपके किसी कार्यकर्त्ता ने आपको नहीं बताया । आप नहीं जान पाये इससे ज्यादा अक्षम और कोई सरकार नहीं हो सकती। आपके क्षेत्र से लगे क्षेत्र में होने वाली घटना की सही जानकारी आपको नहीं है तो एक मिनट मुख्य मंत्री रहने का आपको अधिकार नहीं है।

*मुख्य मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)– मान्यवर, अभी करहना के बारे में जो दुर्घटना घटी है, उसमें पुलिस की जो रिपोर्ट है, पुलिस का जो कहना है वह यह है कि यह इनकाउन्टर सही है। लेकिन माननीय नेता विरोधी दल और बहुत से लोगों का यह कहना है कि यह इनकाउन्टर गलत हुआ है । यही कारण है मान्यवर, कि इसकी सी0 आई0 डी0 को जांच सौंपी गयी है और यह कहा गया है कि जांच ठीक से हो । सी0 आई0 डी0 ने जो रिपोर्ट भेजा है, उसमें कहा है कि एस0 ओ0 दुधारा और मेहदावल और खलीलाबाद के सी0 ओ0 का ट्रान्सफर कर दिया गया जाय । इन थानों के एस0 ओ0 और सी0 ओ0 का ट्रान्सफर कर दिया गया है । अब जांच के दौरान यह कह देना कि इसमें क्या गड़बड़ी की गयी है, यह ठीक नहीं है । जांच के बाद जो भी रिपोर्ट आयेगी, उसके अनुसार कार्यवाही की जायगी, चाहे कितना भी बड़ा अधिकारी होगा, उसे छोड़ा नहीं जायगा ।

(कुंवर रेवती रमण सिंह के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

माननीय रेवती रमण सिंह जी, एक घंटे की चर्चा के लिए जब मैंने स्वीकार कर लिया है, तो अब आप क्यों खड़े हुए हैं ?

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूं...

श्री अध्यक्ष–

यह सब बातें आप चर्चा में कह लीजिएगा ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो आज जवाब दिया है...

श्री अध्यक्ष–

जो आपकी भावना थी, वह मैंने पहले

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

ही मान लिया है, तो आप बार-बार क्यों खड़े हो रहे हैं । आप बैठिये ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, जब सी0 बी0 आई0 की जांच चल रही है, तो सी0 आई0 डी0 की भी जांच चलेगी या दोनों जांच साथ-साथ चलेंगी ?

श्री अध्यक्ष–

जब चर्चा होगी, तब आप यह सब कह लीजिएगा ।

(श्री कौशिक रमा शंकर के खड़े होने पर)

माननीय कौशिक रमा शंकर आप बैठिये ।

*श्री कौशिक रमा शंकर–

मान्यवर, कृपा करके नियम 57 और 58 देखिये । मैं करहना काण्ड के बारे में कुछ भी नहीं कह रहा हूं मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष–

मैं नेता विरोधी दल को सुन लूं, तब आपको सुनूंगा ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, पहले माननीय कौशिक रमा शंकर जी को सुन लें, मैं बाद में बोल लूंगा ।

श्री कौशिक रमा शंकर–

मान्यवर, नियम 57 और 58 देख लें । हम लोगों ने करहना काण्ड के बारे में नियम 56 के अन्तर्गत जो सूचना दी है, वह चर्चा के लिए नहीं दी है । नियम 56 के तहत हमने यह दिया है, जिसके अन्तर्गत यह मांग की है कि सारी कार्यवाही रोक कर जो करहना काण्ड हुआ है और जो सरकार के ऊपर कलंक है, उसके ऊपर चर्चा हो और सारा कार्य स्थगित करके चर्चा हो । अगर हम अपनी बात को किसी अन्य नियम में रखकर चर्चा की मांग करते . . .

श्री अध्यक्ष–

अब आप बैठें ।

श्री कौशिक रमाशंकर–

मान्यवर, जो ग्राह्यता के संबंध में निवेदन किया गया है उसको आप सुन लें, उसके बाद जो आपकी व्यवस्था होगी उसको हम मानेंगे ।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष–

व्यवस्था के ऊपर कौन सी व्यवस्था उठा रहे हैं, यह कौन सा नियम है ।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

मान्यवर, मैं कई बार खड़ा हुआ लेकिन आपने मुझे बोलने का अवसर नहीं दिया । मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री, नेता सदन ने कहा है कि सी0 आई0 डी0 की जांच घोषित कर दी है अब कोई आवश्यकता बहस की नहीं है । मेरा निवेदन है कि सी0 आई0 डी0 की जांच का कोई औचित्य नहीं है यह निरर्थक हो गई है । क्योंकि गृह राज्य मंत्री ने कहा है कि करहना में मुठभेड़ हुई है और मारे गये लोग आपराधिक चरित्र के थे । मान्यवर, अगर आप आदेश नहीं देंगे तो यह सरकार सी0 आई0 डी0 के तहत सब मामले हड़प कर लेगी । मान्यवर, 11 व्यक्तियों में से पांच मेरे निर्वाचन क्षेत्र के हैं पांचों के बारे में मैंने जाकर थाने में देखा उनका कोई आपराधिक चरित्र नहीं था ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, इस मामले में जब सी0 बी0 आई0 की इन्क्वायरी होगी तभी यह बात साफ हो पाएगी अन्यथा चीजें दबा दी जाएंगी, तो मान्यवर, मैं कहना चाहूंगा कि इस मामले पर बहस होनी चाहिए ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, मुझे आशा है कि डी0 आई0 जी0 और डी0 एस0 पी0 के संबंध में कार्यवाही की घोषणा करेंगे जिन पर इस घटना की जिम्मेदारी है, जो इस घटना के जिम्मेदार हैं । मेरा आरोप है सरकार पर, माननीय मुख्य मंत्री जी पर कि इतने बड़े नर संहार को छिपाने की वह कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मैं अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का बहिष्कार करता हूं । (माननीय नेता विरोधी दल ने अपने दल के साथ सदन का बहिष्कार किया)

(व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार–

आपने वाक आउट नहीं किया ।

श्री राम सरन–

मान्यवर, मैंने वाक आउट किया है, मैं जाकर फिर वापस आता हूं । मान्यवर, आज प्रदेश में ऐसी भयानक स्थिति पैदा हो गई है सूखे के कारण कि किसान हाहाकार कर रहा है । मान्यवर, मेरठ मंडल, आगरा मंडल, मुरादाबाद मंडल, बरेली मंडल के सभी किसान आज त्राहि-त्राहि कर रहे हैं उनकी धान की, गन्ने की, मक्का की, बाजरे की और ज्वार की फसल 50 फीसदी से लेकर 90 फीसदी तक नष्ट हो गई है । मैं जिस तहसील से मान्यवर, आया हूं सहारनपुर (नकुड़) तहसील में भुखमरी की स्थिति पैदा हो गई है । मान्यवर, यही नहीं पूरे प्रदेश में अकाल पड़ने वाला है...

श्री अध्यक्ष–

मैं आपकी सूचना को वक्तव्य के लिए स्वीकार कर रहा हूं ।

श्री राम सरन–

मान्यवर, बिजली मंत्री बैठे हुए हैं आज गांवों में बिजली नहीं पहुंच रही है ।

श्री अध्यक्ष–

आपकी सूचना स्वीकार हो गई है ।

(श्री मनोहर लाल का नाम पुकारे जाने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

शेष सूचनाएं मैंने अस्वीकार की ।

श्री भगौती सिंह–

मान्यवर, एच0 ए0 एल0 में लाठीचार्ज हुआ है ।

(व्यवधान)

*श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, आगरा में सूखे की स्थिति पैदा हो गयी है । पीने के लिए पानी नहीं है । माननीय मुख्यमंत्री जी गये थे जन्माष्टमी में और पहले भी गये थे। मान्यवर, हम लोग बैठे रहे कि मुख्यमंत्री जी आयेंगे तो बात करेंगे । कम से कम आप चर्चा करायेंगे तो उसमें मैं कुछ ऐसे बिन्दु लाना चाहता हूं कि उन बिन्दुओं पर विचार विमर्श हो और वह चर्चा का विषय बन सके इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मुझे 2 मिनट का समय दे दें । मान्यवर, तालाबों में कुओं में पानी सूख गया है, नहरें नहीं चल रहीं हैं, ट्यूबवेल नहीं चल रहे हैं, किसान, जनता सब दुखी हो गयी है । जानवरों को पीने का पानी

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

नहीं है आगरा, मथुरा और अलीगढ़ में। मान्यवर, पूरा का पूरा मेरठ और आगरा कमिश्नरी सूखे की चपेट में आ गया है। मान्यवर, कम से कम 2 मिनट का समय दे दें ताकि हम वह बिन्दु संदर्भित कर सके जिनके ऊपर चर्चा में बाद में यह सरकार अपने विचार केन्द्रित कर सके।

(व्यवधान)

(श्री गोपाल दास यादव, श्री अनुग्रह नारायण सिंह, श्री शफीकुर्रहमान वर्क एवं श्री मुहम्मद आजम खां सदन के फ्लोर पर आ गये और अध्यक्ष पीठ की ओर बढ़ने लगे)

श्री गोपाल दास यादव–

मान्यवर, हम यह पक्षपात बरदाश्त नहीं करेंगे चाहे मुझे सस्पेन्ड कर दीजिए।

श्री मुहम्मद आजम खां–

मान्यवर, इस तरह से सदन नहीं चलेगा।

(घोर व्यवधान)

(श्री बुनियाद हुसैन अन्सारी तथा श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ के प्रयास से सदन के फ्लोर पर आये हुए माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर वापस चले गये।)

श्री मुलायम सिंह यादव–

अध्यक्ष महोदय, मा0 सदस्य इलाहाबाद ने जो ज्यादती हुई है, उसको लेकर उत्तेजित हुए। मान्यवर, मैं भी मौके पर गया था वहां पर पुलिस ने और पी0ए0सी0 ने मिलकर लूटा है, डकैती डाली है, जेवर छीने हैं, बहुत से लोगों का रुपया पैसा भी लिया है, तो जो वहां पर दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई वह हुई उसके बाद उनको जो न्याय मिलना चाहिए था वह नहीं मिला। यह इतनी गम्भीर घटना है कि इसके लिए कम से कम एक दो घंटे का समय दे दीजिए, चर्चा करा दीजिए इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यह मेरी प्रार्थना है। माननीय सदस्य के क्षेत्र का मामला है, यह वहां के प्रतिनिधि हैं, इसलिए उत्तेजित होना स्वाभाविक है।

श्री किरन पाल सिंह–

उत्तेजना के आधार पर समय दिया जायेगा तो और भी लोग उत्तेजित हो सकते हैं। हमारे यहां पुलिस ने गोली चलाई है, लोग मारे गये हैं।

श्री अध्यक्ष–

आप बैठें। नेता विरोधी दल, क्या इस तरह से मैं सुन सकता हूं? कोई नियम होता है अगर आप समझते हैं कि यह तरीका है तो मुझे बड़ा खेद है।

श्री गोपाल राम यादव–

इलाहाबाद का क्या हुआ।

श्री अध्यक्ष–

इलाहाबाद का जब आयेगा . . .

श्री किरन पाल सिंह–

पुलिस ने दिन दहाड़े गोलियां चलाई हैं। आप इसको गम्भीरता से नहीं ले रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

मैं बड़ी नम्रतापूर्वक कहना चाहूंगा कि नियमों को तथा सदन की मर्यादा को देखते हुए मैं हर बात को सुनने के लिए तैयार हूं। मगर आप लोग सदन की मर्यादा को अपने हाथ में ले लिए हैं।

(व्यवधान)

जब आपकी बात न सुनी जाय तब कुछ कहें। अभी तो मनोहर लाल को सुन रहा हूं। आप लोग हमारी बात को सुनने के

लिए तैयार नहीं हैं । नेता विरोधी दल चाहते हैं कि इस प्रकार से हम सबको सुने ।

*श्री मनोहर लाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका और इस सदन का सम्मान करते हुए कुछ तथ्य आपके सामने तथा सदन के सामने लाना चाहता हूं । मैं अपने संबंध में कुछ नहीं कहना चाहता हूं । फिर भी मैं अपनी बात की शुरुआत इस प्रकार से करना चाहता हूं कि शीशे के महल में रहने वाले लोग दूसरे के घर में पत्थर फेंक रहे हैं। मेरे पास रविवार पत्रिका है इसमें राजा विश्वनाथ प्रताप की फोटो छपी है । बड़ी खूबसूरत फोटो है ।

श्री अम्मार रिजवी–

माननीय अध्यक्ष जी, इसकी प्रतिलिपि आपके पास भिजवायी है जो कह रहे हैं ।

श्री मनोहर लाल–

आप धैर्य के साथ सुने । मैं राजा विश्वनाथ प्रताप के बारे में कुछ नहीं कहूंगा। मैं तो उसकी फोटो दिखा रहा था ।

श्री अध्यक्ष–

आप अपने को सीमित करें नहीं तो आप अपनी बात नहीं कह पायेंगे ।

(व्यवधान)

श्री मनोहर लाल–

मैं इनके बारे में कुछ नहीं कहूंगा ।

(कई माननीय सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने लगे)

श्री अध्यक्ष–

आप सब मिलकर व्यवस्था कर रहे हैं।

श्री मुहम्मद आजम खां–[xxx]

श्री अध्यक्ष–

यह कुछ नहीं लिखा जायेगा । कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री मनोहर लाल–

माननीय, 13 अगस्त की सुबह पौने दस बजे के करीब जब मैं अपने घर के कार्यालय में बैठा हुआ था, उसी समय तीन गाड़ियों में सादी वर्दी और पुलिस की वर्दी में और तथाकथित आयकर **कार्यालय के लोग मेरे घर पहुंचे** और मुझे दबोच लिया और कहा कि हम आपके घर की तलाशी लेंगे । मैंने उनका स्वागत करते हुए कहा कि आप तलाशी लीजिए, लेकिन मेरी तीन मांगें हैं, पहली यह कि तलाशी के लिये सर्च वारन्ट दिखाइये, दूसरी यह कि गवाह ले लिये जायं और तीसरे यह कि **आप लोग अपनी तलाशी दीजिए ।** लेकिन मेरी कोई भी बात उन्होंने नहीं मानी और मेरे घर के ऊपरी खंड में, नीचे का खण्ड खाली रहता है, हम लोग गांव में रहते हैं, ऊपरी खण्ड में हम लोग **रहते हैं, उस समय ऊपरी खण्ड में कोई भी पुरुष सदस्य उपस्थित नहीं था, वहीं ऊपरी खण्ड में उन लोगों ने जाकर तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया।**

हमारे यहां गांव का माहौल है। घर की औरतों ने बाहरी लोगों को देखते ही शोर मचा दिया । शोर मचा तो गांव के लोग समझे कि डकैती पड़ी है । गांव के लोग मेन गेट पर पहुंचे । उन्होंने कहा कि हम यह जानना चाहते हैं कि विधायक जी सुरक्षित हैं या नहीं । लेकिन पुलिस ने उन **लोगों पर लाठी चार्ज कर दिया ।** इससे उत्तेजना बढ़ी । लगभग 4-5 सौ लोग एकत्र हो गये और ईंट पत्थर चलाने लगे । इस पर पुलिस ने बिना किसी को कोई सूचना दिए फायरिंग शुरू कर दी।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट:–[x x x] यह अंश मा0 अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया

न जाने कितने राउन्ड फायरिंग की गयी। इस पर पुलिस और गांव वालों में जमकर संघर्ष हुआ । उसमें लगभग 25-30 लोग घायल हुए । उनको उर्सला अस्पताल ले जाने पर उनकी दवा तक नहीं की गयी क्योंकि पुलिस का वहां पर पहले से कब्जा था । तब सरकारी के0पी0एम0 अस्पताल में उन लोगों की डाक्टरी की गयी । हमारे घर के 5 लोगों के विरुद्ध धारा 147, 148, 149, 307, 395, 397, 332, 457, 488 और अनेक धारा लगा-कर मुकदमा कर दिया गया । इन धाराओं के तहत पुलिस ने मुकदमा दायर कर दिया।

इस घटना की एफ0आई0आर0 लिखाने जब हम थाने पहुंचे तो थाने से वापस कर दिया गया । हमारे चौकीदार की लाइसेंसी बन्दूक उठाकर ले गये और लिखा दिया कि एक बन्दूक भी बरामद हुई । छोटे बाबा-रिग 18 बच्चों को बन्द कर दिया गया । कुल 35 लोगों को जेल में डाल दिया गया। एफ0आई0आर0 में पांच लोगों का नाम दिया गया । मा0 उच्च न्यायालय में उन लोगों की जमानत हो गयी । अभी पिछले शनिवार को जमानत कराकर लौटे ।

पूरे क्षेत्र में पुलिस का आतंक मचा हुआ है। पन्द्रह तारीख को मुख्य मंत्री जी कानपुर गये थे। वहां उन्होंने अधि-कारियों को आदेश दिया तो 16 तारीख को 700 पुलिसकर्मी आए और हमारे मकान को घेर लिया और औरतों को बेइज्जत किया। पूरे गांव की औरतों को तेइज्जत किया गया और हमारे घर की तलाशी ली गयी। हाईकोर्ट में हम लोग मौजूद थे। हम लोगों की जमानत हो गयी गयी थी। माननीय अध्यक्ष जी, जो एस0 एस0पी0 कानपुर का है, वह पहले उन्नाव में था, उसकी तमाम शिकायतें मैंने डी0 जी0 से और माननीय मुख्य मंत्री जी से की थी। जो आज गृह मंत्री बन गये हैं, वह इनका आदमी है। उसका पी0ए0सी0 में ट्रांस्फर हो गया था, लेकिन फिर उसे 6 महीने बाद कानपुर भेज दिया गया। बदले की भावना से भेज दिया गया। विधायक सुन्दर लाल जी जौहरी जी तथा श्याम मिश्रा जी जब उससे मिले, विधायक सुन्दर लाल जी मौजूद हैं उनसे पूछ लीजिये उस एस0एस0पी0 ने कहा कि मैं किसी उन्नाव के एम0एल0ए0 के साथ ज्यादती नहीं कर रहा हूं, कानपुर के एक नागरिक के साथ ज्यादती कर रहा हूं। क्या कोई विधायक जो उन्नाव से हो, उसे कानपुर जाने का, वहां काम करने का हक नहीं है ? 11 अगस्त को हम लोगों ने कानपुर में घेराव किया था, उस दिन कांग्रेस आई0 के उपाध्यक्ष श्री अर्जुन सिंह आ रहे थे, रेडवेज की एक बस से गोवर्धन नाम के एक नागरिक की मृत्यु हो जाने के कारण हम लोग उसकी विधवा को सेवा में लिए जाने तथा पेंशन/मुआवजा आदि उपलब्ध किये जाने के निमित्त घेराव कर रहे थे, 2 बजे दिन तक घेराव हुआ था । चूंकि उस दिन अर्जुन सिंह जी कानपुर आने वाले थे, इसलिए उस घेराव को रोकने की कोशिश की जा रही थी, ताकि अर्जुन सिंह जी के लिए रास्ता साफ हो सके । श्री जगमोहन ए0एस0पी0 कानपुर से हम लोगों ने कह दिया था कि जब तक उस विधवा को नौकरी में लिए जाने का, उसे मुआवजा/पेंशन आदि देने का आश्वासन नहीं दिया जायेगा, उस समय तक घेराव खत्म नहीं होगा । उसी वजह से वे मुझसे बुराई मानते थे और उसी बुराई की वजह से सारी की सारी कार्यवाही की गयी ।

माननीय अध्यक्ष जी, 13 तारीख को मैंने आपको तथा माननीय मुख्यमंत्री जी को टेलीग्राम भेजा, रजिस्ट्रियां भेजीं । 10

आदमी ऐसे हैं जो माननीय मुलायम सिंह यादव जी के साथ लखनऊ आये थे, यह फोटो मौजूद है, लोकदल कार्यालय लखनऊ का है, लेकिन इन सबके बावजूद भी परेशान करने की नियत से उनको गिरफ्तार कर लिया गया । वे लोकदल के एक्टिव वर्कर्स थे, लेकिन दुर्भावना की नियत से कानपुर की पुलिस ने उनको भी गिरफ्तार कर लिया । जो वहां पुलिस का व्यवहार हो रहा है, उससे गांव के लोग आतंकित हैं, लोग घर छोड़कर भाग रहे हैं । मैं पुरजोर मांग करता हूं कि इसकी सी0 आई0 डी0 से जांच कराई जाय । उस जांच से सिद्ध हो जायेगा कि मेरी गल्ती है या पुलिस की गल्ती है ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, घटना का पूरा विवरण माननीय मनोहर लाल जी ने दे दिया है । मैं कानपुर में पूछताछ के लिए गया था । वहीं बगल में जो कालेज है, वहां के छोटे-छोटे बच्चों को पुलिस ने क्यों मारा ? 12 साल से 18 साल के बच्चों को जेल में भेज दिया गया । वहां के प्रधानाचार्य को मारा गया । मान्यवर, मैं माननीय मनोहर लाल जी को नहीं बचाना चाहता हूं किसी कीमत पर, अगर मनोहर लाल जी दोषी होंगे तो अपने आप उसको भुगतेंगे । सरकार से माननीय मुख्यमंत्री जी से बराबर मांग की गयी कि इस मामले की सी0आई0डी0 से जांच कराई जाय, अपने आप मामला सामने आ जायेगा लेकिन सरकार जांच कराने के लिए तैयार नहीं है । 13 तारीख को जिस वक्त मनोहर लाल के यहां रेड हो रही थी, उन लोगों का भी नाम इसमें आ गया है, जो यहां लोकदल के हजारों कार्यकर्ताओं के साथ मौजूद थे । उनकी भी गिरफ्तारी हो गयी । वहां हजारों-हजारों की लूट हो रही थी यह कहकर कि तुम्हारा भी नाम है ।

मान्यवर, मैं अपनी सूचना से बता रहा हूं कि पुलिस की साजिश है कि कि मनोहर लाल को नीचा कैसे दिखाया जाय। और यह भी हो सकता है कि वहां मनोहर लाल जी की हत्या कर दी जाय । पुलिस के कुछ लोग हैं, जो यह साजिश कर रहे हैं। अभी कल परसों की बात है मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं दिल्ली के किसी बड़े पद पर बैठे व्यक्ति ने कानपुर के जिला प्रशासन से कहा कि वह मनोहर लाल जी के खिलाफ कार्यवाही करें । क्या उनको यह अधिकार है ? यह सब बदले की भावना से काम किया जा रहा है । क्या कानपुर में मनोहर लाल जी ही रेड के लिए रह गए थे ? वहां तो इतने बड़े-बड़े उद्योगपति और पूंजीपति हैं । आज सबसे ज्यादा काले धन के लिए रेड डलवा रहे हैं वहीं इसमें सबसे पहले दोषी है । खैर, वह जनता के सामने आ जायेगा । माननीय मंत्री जी जब हम नियमों के अन्दर इस मामले को लायेंगे तब आप नहीं रोक पायेंगे । आज जो लाखों रुपये की लूट हो रही है उन्हें मुख्य मंत्री जी का संरक्षण प्राप्त है । यह तो मनोहर लाल जी के यहां जो रेड डलवाई गई है उसका मूल कारण यह है कि उनकी जबान को बन्द कर दिया जाय ।

आज जो वहां पर एस0 एस0 पी0 है उसके कारनामों को आप सब लोग जानते ही हैं । पूरी तरह से बदले की भावना से काम किया जा रहा है । आज श्री मनोहर लाल जी को तमाम चिट्ठियां मिल रही हैं कि आपकी हत्या भी की जा सकती है इसलिए माननीय मुख्य मंत्री जी मेरा आपसे अनुरोध है कि जो निर्दोष लोग हैं उनके खिलाफ लगे हुए मुकदमों को वापस लिया जाय । मनोहर लाल जी की सुरक्षा का पूरा प्रबन्ध किया जाय।

मैं चाहता हूं कि इस पूरे प्रकरण पर चर्चा हो । यदि आप चर्चा स्वीकार नहीं करते हैं तो मैं माननीय मुख्य मंत्री जी और गृह मंत्री से पूछना चाहता हूं कि उन्हें इस मामले में सी0 आई0 डी0 से जांच कराने में एतराज क्यों है ? मा0 मुख्य मंत्री जी इस बात को जानते हैं कि श्री मनोहर लाल जी की तीन दिन तक रपट लिखाने के लिए चक्कर लगाना पड़ा। बड़ी मुश्किल से डी0 जी0 के आदेशों के बाद रपट लिखी गई इसलिए मेरी मांग है कि तीन दिन तक जो रपट नहीं लिखी गई और इसके लिए जो दोषी अधिकारी है उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाय । अभी तक उनके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की गई इसे भी माननीय मंत्री जी बतायें ?

गृह मंत्री (श्री गोपी नाथ दीक्षित)–

मान्यवर, मा0 सदस्य श्री मनोहर लाल जी ने जो तथ्य सामने रखे हैं, उनके बारे में बहुत भ्रान्तियां पैदा हो रही हैं । वास्तविकता यह है कि आयकर विभाग की एक सेंट्रल टीम उनके वहां छापा मारने के लिए आई थी किसी सूचना के आधार पर । जब वे लोग उनके यहां गए तो उन्होंने विनम्रतापूर्वक निवेदन किया कि हम आपके यहां छापे के लिए आए हैं । मा0 सदस्य ने स्वयं स्वीकार किया कि इसमें से कोई अधिकारी श्री निगम साहब थे, जो आयकर विभाग में थे, उन्हें वह पहचानते थे, इसलिए जो यह शंका पैदा की जा रही है वह इस बात से ही निर्मूल हो जाती है ।

दूसरी बात यह है कि वह स्वयं उपस्थित थे इसलिए मा0 सदस्यों के लिए यह शोभा की बात थी कि यदि कोई सेन्ट्रल की टीम आयकर विभाग की आई हुई है किसी सूचना के आधार पर जांच पड़ताल के लिए तो उसमें उन्हें सहयोग करना चाहिए था । हां, अगर उनकी तरफ से कोई ज्यादती होती तो बात सही थी। सेन्ट्रल टीम ने केवल पुलिस से यह मांग की थी कि हमको कुछ कान्सटेबिल डन्डे वाले दे दीजिए और 5, 7 असलहे वाले । इतनी फोर्स के साथ सेन्ट्रल टीम उनके वहां गई थी । वह एक भी महिला थी जिसने पहले प्रवेश किया उसके बाद डिप्टी निदेशक आयकर विभाग । लेकिन जो यहां पर कहा गया कि डकैत आ गए और सब लोग इकट्ठा हो गए । माननीय सदस्य स्वयं इस पर विचार कर सकते हैं । एक तरफ तो कहा गया कि आयकर विभाग के लोगों को उन्होंने पहचाना और दूसरी तरफ यह कहा गया कि डकैत आ गए हैं । इसमें हमारे डिप्टी निदेशक महोदय और 15, 16 पुलिस के लोग घायल हो गए। यह कोई शोभाजनक घटना नहीं है बल्कि सदन को इसकी निन्दा करनी चाहिए कि जो उन्होंने कहा कि हमारी रिपोर्ट लिखी नहीं गई. 13 तारीख की यह घटना है, 13 तारीख को मौके से वह चले गए, इसलिए उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई . . .

(घोर व्यवधान)

. . . .मेरी पूरी बात सुन लीजिए ।

(घोर व्यवधान)

. . . .पूरी बात मेरी सुन लें, मैं यह कह रहा हूं ।

(श्री मनोहर लाल तथा श्री शतरुद्र प्रकाश के खड़े होने पर घोर व्यवधान)

*श्री शतरुद्र प्रकाश–

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

नियम 56 के अन्तर्गत आपने श्री मनोहर लाल जी का नाम पुकारा था, जिस पर उन्होंने अपनी बात कही। इस विषय पर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अगर शासन की तरफ से कुछ कहना है तो ग्राह्यता पर कहना चाहिये, अगर वे तथ्यों के बारे में कह रहे हैं तो यह वाद-विवाद की शुरुआत है.... अगर मा0

(घोर व्यवधान)

गृह मंत्री ने वाद-विवाद शुरु कर दिया है, तो मैं चाहूंगा कि सरकार की तरफ से जो बयान आया है, उसका जवाब देने का मौका विरोध पक्ष को मिलना चाहिये। सरकार अगर अपने अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत की गयी रिपोर्ट यहां रख रही है, तो श्री मनोहर लाल जी को और हम सबको मौका दें कि अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकें। मैं कहना चाहूंगा कि माननीय विधायक का मामला है, जिस तरह से आज विधायकों पर पुलिस के द्वारा और ब्यूरोक्रेसी के द्वारा प्रताड़ना की जा रही है उसमें कोई भी इसका शिकार हो सकता है, यह सवाल खाली मनोहर लाल जी का या विरोध पक्ष का नहीं है। इस सवाल पर अगर ग्राह्यता पर कुछ कहना हो तब तो सुनने की इजाजत दें, नहीं तो इस पर बहस की शुरुआत करा दें, हम लोग तैयार हैं जवाब देने के लिये।

*मुख्य मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)–

जब एक तरफ से कोई बात कही जाती है, तो सरकार की जिम्मेदारी है कि सही बात आनी चाहिये। आप एकतरफा बात करें और इधर की सुनना न चाहें, तो यह कुछ ठीक नहीं है। आपने कहा उसे सुना गया, इधर की बात को भी सुन लीजिये। मनोहर लाल जी ने बड़ी बात कही, मा0 गृह मंत्री जी के पास जो रिपोर्ट है, बता रहे हैं। माननीय नेता, विरोधी दल भी बोल रहे थे, तो उन्होंने भी कहा कि माननीय विधायक के साथ अन्याय हो गया। कोई भी आदमी, जो क्राईम करता है, चाहे विधायक ही हो, बच नहीं सकता।

(सत्ता पक्ष की ओर से मेजें थपथपाई गयी।

श्री मुलायम सिंह यादव–

जिस तरह से माननीय मुख्य मंत्री जी को जवाब देना चाहिये, वैसा जवाब नहीं दे रहे हैं। यदि वह ऐसी बात कहते हैं कि चाहे कोई भी हो, तो मैं समझता हूं कि कितना जुबान से बोलते हैं और कितनी हिम्मत है उनके अन्दर..

(सत्ता पक्ष की ओर से "हिम्मत है, हिम्मत है" की आवाजें)

..नहीं, हिम्मत नहीं है और अगर हिम्मत है तो केन्द्रीय वित्त मंत्री को जेल भेजना चाहिये, इससे बड़ा तस्कर, काला धन कमाने वाला इस प्रदेश में दूसरा नहीं है। दिखाइए हिम्मत।

श्री अध्यक्ष–

जो माननीय सदस्य इस सदन का सदस्य नहीं है, उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता।

श्री मुलायम सिंह यादव–

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं सदन के किसी भी माननीय सदस्य के अपमान की बात नहीं कहना चाहता हूं लेकिन यह बड़े शर्म की बात है और मुझे यहां यह कहना पड़ता है कि माननीय मुख्य मंत्री जी इस तरह से धमकी दे रहे हैं। मान्यवर, इनका जो धमकी भरा बयान है इसे आप वापस करवाइये। ये इतने बड़ी कुर्सी पर होते हुए सदन को गुमराह करने की बात करते हैं।

श्री अध्यक्ष–

हम इसको वक्तव्य के लिए स्वीकार करते हैं।

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

श्री मनोहर लाल–

वक्तव्य के लिये स्वीकार करने से क्या होगा ? वक्तव्य तो वे दे ही रहे हैं। वहां पूरा आतंक फैला हुआ है, लड़कों को बन्द कर दिया गया है । इसे वक्तव्य के लिए देने से कुछ नहीं होगा ।

(व्यवधान)

(श्री मनोहर लाल सदन के फलोर पर आकर बैठ गये ।)

श्री अध्यक्ष–

मा0 गोपाल दास यादव जी, आप बोलिये ।

(श्री शतरुद्र प्रकाश के प्रयास से श्री मनोहर लाल अपने स्थान पर वापस चले गये।)

श्री अध्यक्ष–

माननीय यादव जी, मैं फिर इसको अस्वीकार किये दे रहा हूं, इसे खत्म करता हूं ।

श्री गोपाल दास यादव–

मान्यवर, व्यवस्था नहीं थी ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय यादव जी, यदि आपको बोलना है तो फिर बोलिये ।

श्री गोपाल दास यादव–

मान्यवर, इलाहाबाद जनपद में पिछले दिनों पुलिस की लापरवाही और नासमझी से इलाहाबाद में बहुत बड़ा हादसा हो गया। उसके बाद वहां की पुलिस ने नंगा नाच किया है जो कि इलाहाबाद के इतिहास में बड़ी शर्मनाक घटना है । इलाहाबाद में छोटी सी दूकान के मामले को लेकर वहां की पुलिस ने भीड़ पर लाठी चार्ज किया और रात-भर हवाई फायर करते रहे और सुबह को वहां करफ्यू लगा दिया गया । जबकि वहां पर करफ्यू लगाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, समस्या का समाधान हो सकता था । लेकिन पुलिस ने प्रशासन ने करफ्यू लगा कर निर्दोष व्यक्तियों को, व्यापारियों को, सम्मानित व्यक्तियों को पुलिस उनके घरों में घुस-घुस करके पकड़ ले गयी और निर्दोष व्यक्तियों को जेलों में ठूंस दिया गया । उस समय मुख्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री, श्री अम्मार रिजवी ने भी इलाहाबाद का दौरा किया था लेकिन आज तक जो हजारों लोगों को नैनी जेल में ठूंसा गया था और जो मुकदमें कायम किये गये थे, उनको वापस नहीं लिया गया है ।

पिछली बार इसी सदन में कहा गया था कि राजनैतिक लोगों पर नहीं बल्कि असामाजिक तत्वों पर रासुका का प्रयोग किया जायेगा, लेकिन आज सारे राजनैतिक कार्यकर्ता नैनी जेल में बन्द हैं । इलाहाबाद में दो राष्ट्रीय पर्व होने हैं दशहरा और मुहर्रम । लेकिन आज वहां पुलिस का भारी आतंक व्याप्त है । इस घटना में अनेक लोग मर गये हैं लेकिन उस पर आज तक कोई इनक्वायरी नहीं हुई है, सी0 आई0 डी0 की इनक्वायरी की रिपोर्ट आज तक इस सदन के पटल पर नहीं रखी गयी है । मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो भी बेगुनाह लोग पकड़े गये हैं, जो मुकदमें चलाये गये हैं, उनको वापस लिया जाये और जो पुलिस ने एनकाउन्टर किया है, उसकी जांच होनी चाहिए और जो दुकानें जलाई गयी हैं, इनको मुआवजा दिया जाये जो पुलिस साजिश कर रही है और जो साम्प्रदायिक रूप दे रही है, उसकी भी जांच की जाये । अगर कोई सुनवाई नहीं हुई तो जो वहां पर अन्याय हुआ है, उसके खिलाफ आमरण अनशन करूंगा। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर, जैसा कि माननीय गोपाल दास जी ने कहा, इस घटना के बाद आज भी वहां की पुलिस षड़यन्त्र कर रही है, इस झगड़े को और बढ़ाना चाहती है, कीटगंज थाने में 5-6 जुलाई को एक हजार बम बरामद करने की मन गढ़ंत कहानी बनायी गयी है और अपराध बनाया गया है । बैरहना चौकी के अतर्गत वहां के एक पुराने क्रिमिनल को पकड कर, सिपाहियों तथा सब इन्सपेक्टरों ने बालू के बम छीलन लोहे की बनाये और वहां पर आतंक का वातावरण अभी भी मौजूद है और किसी भी समय कोई बड़ी घटना घट सकती है ।

तो जो माननीय गोपाल दास जी ने कहा, उसका मैं समर्थन करता हूं । माननीय नेता सदन सामने बैठे हैं और आज इस प्रदेश में जो कानून और व्यवस्था का दम्भ भर रहे हैं, अगर सरकार में दम हो तो एक विशेष टीम भेजे और एक हजार फर्जी बमों की जांच करायें और अगर सत्य न पाये जाये तो मैं इस सदन से इस्तीफा दे दूंगा, अन्यथा पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाये अन्यथा सरकार इस्तीफा दें ।

श्री अध्यक्ष–

मैं निर्देश देता हूं कि शासन इसकी जांच करायें । कार्य स्थगन प्रस्ताव के रूप में सभी सूचनायें अस्वीकार हैं ।

श्री फजलल बारी सदन के फ्लोर पर आ गये और अध्यक्ष आसन की ओर बढ़ने का प्रयास करने लगे और डायरी राइटर की मेज से कुछ फाइलें उठा लीं)

श्री फजललबारी–

मान्यवर, इस तरह से काम नहीं चलेगा ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1986 . . .

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैंने सुन लिया है, आपकी सूचना अस्वीकार है ।

श्री फजलुलबारी–

मान्यवर, यह सदन इस प्रकार से नहीं चल सकता है ।

श्री अध्यक्ष–

न चले लेकिन अपने स्थान पर वापस जायें अन्यथा मुझे मजबूरन इंगित करना पड़ेगा ।

श्री फजलुलबारी–

आप निकाल दें, लेकिन इस प्रकार से सदन नहीं चलेगा । आप इंसाफ करें । ऐसे काम नहीं चलेगा ।

(माननीय शिक्षा मंत्री जी का नाम पुकारे जाने पर)

शिक्षा राज्य मंत्री (श्री संकठा प्रसाद शास्त्री)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1986 पर विचार किया जाय ।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । जो कार्यवाही होने जा रही है, उसी के बारे में व्यवस्था का प्रश्न है । मान्यवर, आप सदन को नियमित करें । मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । . . .

श्री अध्यक्ष–

बारी साहब, या तो आप बैठें या सदन को छोड़ें ।

श्री फजलुलबारी–

आप मुझको निकाल दें ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप कृपा कर बैठें ।

श्री फजलुलबारी–

आप इन्साफ करें ।

(व्यवधान)

*श्री फजलुलबारी–

इससे काम नहीं चलेगा । (व्यवधान) आप मुझे निकाल दें, उसकी मुझे परवाह नहीं है । आप एक शरीफ आदमी हैं ।

(श्री कौशिक रमा शंकर के प्रयास पर श्री फजलुलबारी अपने स्थान पर चले गये ।)

(शिक्षा मंत्री का नाम पुकारे जाने पर)

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, इससे पहले जिस समय सदन की कार्यवाही हो रही थी और अध्यादेश तथा विधेयक पटल पर रखे जा रहे थे उस समय मैंने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया था और यह निवेदन किया था कि जिस मंत्री का कार्य है उसी को प्रस्ताव रखने का कार्यभार सौंपा जाय । यह जो विधेयक है यह उच्च शिक्षा से संबंधित है । मान्यवर, मुझे मंत्रियों के कार्य विभाजन की जो सूची मिली है उसमें माननीय शर्मा जी उच्च शिक्षा मंत्री हैं । वे लखनऊ में आज थे, इस सचिवालय में थे, किन्तु इस समय यहां पर उपस्थित नहीं हैं । मैं सरकार की इस कार्य के लिये घोर भर्त्सना करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप इस विधेयक को सदन में विचार के लिये प्रस्तुत न होने दें ।

(व्यवधान)

(शिक्षा मंत्री का नाम पुकारे जाने पर)

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

मान्यवर, आज्ञा हुई मैंने उसे पढ़ दिया है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप फिर से प्रस्तुत कर दें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया था ...

श्री अध्यक्ष–

मैंने आपकी व्यवस्था सुन ली मंत्रि-परिषद् के हर मंत्री को अधिकार है ।

(व्यवधान)

माननीय शिक्षा मंत्री...

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1986†

शिक्षा राज्य मंत्री (श्री संकठा प्रसाद शास्त्री)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1986 पर विचार किया जाय।....

(व्यवधान)

श्री फजलुल बारी–

[x x x]

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष

आप जो कुछ बोल रहे हैं वह कुछ नहीं लिखा जायेगा ।

श्री फजलुलबारी–

[x x x] [व्यवधान]

इसके विरोध में मैं सदन का बहिष्कार करता हूं ।

(श्री फजलुल बारी ने सदन का त्याग किया।)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, सदन व्यवस्थित हो तो बोलूं।

श्री अध्यक्ष–

आप बोलें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

†दिनांक 22 मार्च, 1986 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

नोट:–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार निकाल दिया गया ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मैंने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया था, पहले उसका उत्तर मिल जाय। सदन व्यवस्थित नहीं है ... (व्यवधान) ।

एक सदस्य–

यह जिम्मेदारी किसके ऊपर है ?

श्री मुहम्मद आजम खां–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

यह कुछ नहीं लिखा जायेगा। माननीय राजेन्द्र गुप्त आप बोलें ।

श्री मुहम्मद आजम खां–

[x x x]

(व्यवधान)

एक सदस्य–

(विरोध पक्ष की तरफ से) आप इस तरफ नहीं देखते हैं ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय गुप्त जी, आप बोलें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि ... (व्यवधान) मैंने एक व्यवस्था का प्रश्न रखा था उस पर आपकी रूलिंग....

श्री अध्यक्ष–

रूलिंग मैंने दे दी । मंत्रि-परिषद् का कोई भी मेम्बर उसको पेश कर सकता है।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1986 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे । (सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे)।

(इस समय 2 बजकर 39 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुये ।)

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

कृपया शांति बनाये रखें, आपस में बातें न करें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, अभी माननीय शास्त्री जी बोल रहे थे मुझे आशा थी कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, 1986 भी है इसके जो उद्देश्य और कारण है, उसके बारे में कुछ बताते । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता था लेकिन शोर इतना हो रहा था कि उनकी बात कुछ सुनाई नहीं पड़ी । फिर भी मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि शायद मंत्री जी ने इसे पढ़ा ही नहीं और परिनियम क्या होते है वह जानते भी नहीं । आप देखें कि यह संशोधन इस बात का प्रतीक है कि राज्य सरकार विश्वविद्यालय शिक्षा के बारे में कितना उपेक्षापूर्ण व्यवहार कर रही है। इसकी प्रथम नियमावली बनाने का अधिकार राज्य सरकार के पास था और यह अधिकार 1977 में आया था । आज 1986 हो रहा है लेकिन अभी तक उनके स्टेट्यूट्स फाइनल नहीं हो पाये है । इसका परिणाम यह है कि हमारी जो हायर एजुकेशन है वह विकलांग हो गयी है ।

श्री उपाध्यक्ष–

कृपया आपस में बातें न करें, शांति बनाये रखें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

आज उच्च शिक्षा में विसंगति पैदा हो गयी है । आये दिन झगड़े हो रहे है और कितने ही मामले कोर्ट में चले गये हैं, वह केवल इसलिये कि परिनियम नहीं बने है । माननीय शिक्षा मंत्री बैठे हुये है मैं उनके संज्ञान में एक बात लाना चाहता हूं । यह सरकार विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता में

बाधक बन रही है । उत्तर प्रदेश शिक्षा अधिनियम, 1973 है इसके धारा 70-जी में एक्जीक्यूटिव काउंसिल में नामांकन प्राविधान किया गया है, जिसके अनुसार एकेडेमिक एमिनेंस रखने वाले व्यक्ति को सरकार नामांकित करेगी और शिक्षाविद एवं उच्च ज्ञान रखने वाले लोग उसमें रखे जायेंगे । लेकिन मैं याद दिलाना चाहता हूं कि अभी लखनऊ विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी परिषद् में कुलाधिपति यानी सरकार की ओर से तीन व्यक्तियों को नामित किया गया तो उनमें एक व्यक्ति ऐसे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा जिनको 1982 की एल0 एल0 बी0 परीक्षा में नकल करते हुये पकड़ा गया और दो वर्ष के लिये निकाल दिया गया । तो ऐसे व्यक्तियों को कार्यकारिणी में शासन की ओर से भेजा गया है । ऐसे व्यक्ति सरकार की दृष्टि में सबसे बड़ी एकेडेमिशियन होते हैं । इसलिये मैं कहता हूं कि इसको प्रवर समिति में भेज दिया जाय।

अभी आपने देखा होगा कि कुछ समय पूर्व कानपुर विश्वविद्यालय से एक आदेश गया है सभी सम्बद्ध कालेजेज को कि बी0 ए0 प्रथम वर्ष में ऐसे विद्यार्थियों को प्रवेश न दिया जाय जिनके इण्टर में 40 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त हो । तो वह लोग कहां जायेंगे ? जब शासन इस बात को समझता है कि 40 परसेंट से कम अंक वाले विद्यार्थी विश्वविद्यालयों में न जायं तो मिनिमम पास मार्क 41 परसेंट रख दें । तो इस प्रकार कितनी ही विसंगतियां आज पैदा हो गयी हैं ।

मान्यवर, मैं अनेक उदाहरण दे सकता हूं लेकिन समय की कमी के कारण केवल 2-3 बातें ही कहूंगा। मान्यवर, आज जो उच्च शिक्षा है इसमें चारों तरफ ह्रास की स्थिति पैदा हो गयी है। पंत नगर कृषि विश्वविद्यालय बंद हो गया है। इस संबंध में मुख्य मंत्री जी को एक प्रार्थना पत्र दिया था। वहां एक लड़की बीमार हुई और जिसकी मृत्यु आपके वरिष्ठ अध्यापकों की गुटबंदी के कारण हुई। गुटबंदी से उस लड़की को कम अंक दिये गये जिससे वह बीमार हुई और बाद में मर गयी। वहां छात्र-छात्राओं में असंतोष की ज्वाला भड़क उठी है, जिसको समाप्त करने के लिए शासन ने क्या कोई कदम उठाये हैं?

मान्यवर, आज काशी विश्वविद्यालय बंद है, लेकिन आप कहेंगे कि यह केन्द्र सरकार के अंतर्गत है। अवध विश्वविद्यालय में कितने ही डिप्लोमा कोर्सेज पढ़ाये जा रहे हैं, जिनकी राज्य सरकार की अनुमति नही है, लेकिन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुमति ले ली गयी है और वह चला रहे हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि उनको पैसा दे रहा है। इस प्रकार शिक्षा क्षेत्र में आज हाहाकार की स्थिति पैदा हो गयी है, जिसकी जिम्मेदारी शासन की है।

मान्यवर, हर साल एक संशोधन का विधेयक पास हो रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि इसकी भी कोई सीमा होगी कि नहीं और बतायेंगे कि आज के बाद इस प्रकार के संशोधन नहीं पेश होंगे । स्टेच्यूट को अंतिम रूप दे देंगे। अन्यथा सरकार कह दे कि विभाग अक्षम हो गया है और इसलिये विश्वविद्यालय को हम अधिकार देते हैं कि जो नियम बनायेंगे उसको हम मान लेंगे। लेकिन अनन्तकाल तक इसको बढ़ाना यह इस बात का द्योतक है कि विभाग उच्च शिक्षा के बारे में अंधकार में है ।

मान्यवर, स्टेच्यूट के बारे में सरकार ने एक कमेटी बनाई जिसकी रिपोर्ट आपके

पास है। डिग्री कालेजों की प्रवर समिति, के स्टेच्यूटरी बाडी बनायेंगे लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि आप विधेयक क्यों नहीं लाते हैं ? प्राइवेट हाथों में शिक्षा को देकर शिक्षा का सत्यानाश क्यों कर रहे हैं?

अध्यापकों की नियुक्ति के संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि शिक्षा विभाग में आज दैनिक मजदूरी, पार्ट टाइम पर प्रोफेसर नियुक्त किये जा रहे हैं। इसलिये मैं फिर आरोप लगाता हूं कि शिक्षा का स्तर इससे आप और नीचे गिरायेंगे। नई शिक्षा नीति, जो प्रातः कहा गया, के प्रारूप में लिखा है कि उच्च शिक्षा की हालत बहुत खराब है जिससे प्रतिभावान विद्यार्थियों का पलायन दूसरी जगहों पर हो रहा है और वह आपके यहां नहीं रहा है प्रवर समिति को भेज दें और बार-बार समय बढ़ाने से उच्च शिक्षा का स्तर और गिर जायेगा। इसलिए मैं पुनः अपने प्रस्ताव पर बल देता हूं कि मेरे प्रस्ताव को प्रवर समिति को भेज दें।

*श्री लाल प्रताप सिंह–

उपाध्यक्ष महोदय, वास्तव में संशोधन विधेयक को प्रवर समिति को भेजने का कोई औचित्य ही नहीं है, इसलिये यह प्रस्ताव रख दिया गया है लेकिन केवल बहस के लिये और कुछ प्रोपोगेन्डा के लिए कहना बहुत छोटी बात है। मान्यवर, एक छोटी सी बात के लिए यह संशोधन विधेयक पेश किया गया है कि एक समय के अंदर नियमावलियां, परिनियमावलियां और नियम नहीं बना सके हैं जिसके लिये समय दे दिया जाये। वास्तव में नियम बनाना थोड़े कठिन भी होते हैं, जिन पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता होती है किन्तु प्रवर समिति क्या जटिल समस्या है जिसमें सुधार करेगी और अपना प्रतिवेदन देगी या विचार करेगी, इसलिये इसकी कोई बात नहीं है और प्रवर समिति को सौंपने का कोई औचित्य नहीं है।

मान्यवर, आपके माध्यम से श्री गुप्त जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि दुनिया में कोई भी उतना शक्तिशाली व्यक्ति और राष्ट्र नहीं है जितना सिविलाइज्ड व्यक्ति और सिविलाइज्ड राष्ट्र है। हमारी नई शिक्षा नीति उसी तरह सिविलाइज्ड राष्ट्र बनाना चाहती है। अगर आप उसको ध्यान से पढ़ें, ध्यान से उस पर गौर करें, तो उसमें कोई विवाद पैदा ही नहीं होता है। हां, इतना अवश्य है, जब कोई नई चीज आती है, तो कुछ लोग समझते हैं कि उसमें उनको फायदे नहीं मिलेंगे। कुछ लोग समझते हैं कि अब हमको लाभ नहीं मिलेगा और अध्यापक यह समझें कि अब सख्ती आएगी और हमें पढ़ाना पड़ेगा, तो ऐसे लोगों को अध्यापकों को कुछ चिन्ता अवश्य हो सकती है। लेकिन वास्तव में वह शिक्षा जगत में परिवर्तन करने का एक सबल माध्यम है एक सही रास्ता है। अब ऐसी व्यवस्था हो गई है कि सरकार ही शिक्षा की व्यवस्था करती है। स्टेट का फंक्शन हो गया है शिक्षा की व्यवस्था करना और सबको शिक्षा दिलाने की व्यवस्था करना उसकी जिम्मेदारी है। उसी नीति के तहत नई शिक्षा नीति के माध्यम से ऐसी व्यवस्था की जा रही है, प्रयास किया जा रहा है। साथ ही जहां तक सम्भव हो सके सबके बच्चों के लिए शिक्षा की अच्छी से अच्छी व्यवस्था हो, अच्छी से अच्छी शिक्षा पाने का सबको अधिकार है। शिक्षा पाने का अधिकार है और अच्छी से अच्छी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

शिक्षा पाने का भी अधिकार है और अपने आप्टीच्यूट अर्थात् रुचि के अनुसार वह शिक्षा ग्रहण करें। इन तीनों चीजों की व्यवस्था इसमें रखी गई है।

माननीय राजेन्द्र गुप्त जी ने 40 प्रतिशत अंक से कम के संबंध में जो कहा है, तो उसमें कहीं न कहीं आपको रोक लगानी पड़ेगी। आपका एक और आ रहा है भर्ती के सम्बन्ध में बड़ी दिक्कत है। उस समय भी मैं इस पर निवेदन करूंगा। अभी हमारे सामने एक चीज आई, जो इंग्लैंड का ड्यूक है, उनके पिता जी ने कहा इंग्लैंड में बहुत बड़ा कालेज है, वहां पर इसे भेज दिया जाए, लेकिन फिर उनके घरवालों ने कहा कि इनके बारे में वहां के प्रिंसिपल लिख देंगे कि यह इस संस्था में भर्ती होने वाले नहीं है। यह लिख दिया जाएगा, इसलिए इनको **स्काटलैण्ड स्कूल में ही पढ़ने के लिए रखा** जाए।

इसलिए आपको कोई नीति निर्धारित करनी पड़ेगी कि इतने लोग उच्च शिक्षा में जायेंगे और इतने और इस प्रकार के नहीं जायेंगे। बिना इसके शिक्षा जगत का कोई कार्य रेगुलेट नहीं हो पायेगा। शिक्षा जगत में आज हमें पूरा परिवर्तन करने की आवश्यकता है। एक तरीके की शिक्षा होनी चाहिए, जिससे राष्ट्रीय एकता और अन्य अच्छी भावनाएं पैदा हों। जो तरह-तरह की बातें हो गई हैं, गांव-गांव में स्कूल खुल गये हैं, उनको समाप्त करके एक शिक्षा नीति होनी चाहिए और उसी पर हमारी सरकार विचार कर रही है, उसी ओर वह बढ़ रही है। इसी उद्देश्य से हमारी नई शिक्षा नीति लाई गई है। इसका फिरकापरस्त ताकतें विरोध कर सकती हैं और वह कर रही हैं। लेकिन जो राष्ट्रीय हित में सोचते हैं उनके हिसाब से यह शिक्षा नीति उचित और कल्याणकारी है और आप सबको इसका समर्थन करना चाहिए। इसे प्रवर समिति में भेजने का कोई सवाल ही नहीं है। राजेन्द्र कुमार गुप्त जी को तो कुछ कहना ही है और खासकर विधेयक पर तो उन्हें अवश्य कहना है। इसे देखकर मैं समझता हूं कि विधेयक को प्रवर **समिति में भेजने का उनको तो फोबिया** हो गया है।

*श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, सन् 1977 में राज्य सरकार को इस बात का अधिकार मिला कि वह परिनियम विश्वविद्यालयों के बनावे, किन्तु यह कितने खेद का विषय है कि उसके 9 वर्ष बाद भी उत्तर प्रदेश में चलने वाले विश्वविद्यालयों के लिए सामान्य नियम-परिनियम बनाने पर आजतक विचार नहीं कर सके।

एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि हमारी सरकार समान शिक्षा नीति का प्रारूप तैयार कर रही है लेकिन वह प्रारूप मान्यवर, ऐसी दुल्हन बन गया है, जिसको उत्तर प्रदेश की सरकार के शिक्षा मंत्री और भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्री देख रहे हैं, उसको सुन रहे हैं और पहचान रहे हैं। सारे प्रदेश और सारे देश की जनता नई शिक्षा पद्धति को देखना चाहती है, वह चाहती है कि इस दुल्हन का घूंघट हटे। लेकिन उससे इनको इतना प्रेम हो गया है कि वह उसे फाइल में ही रखना चाहते हैं। मेरा आरोप है कि सारे प्रदेश के भीतर एक शक्ति केन्द्र स्थापित करना चाहते हैं, सत्ता का एकीकरण करना चाहते हैं। आप यह नहीं चाहते हैं कि नियम-परिनियम बनें और विश्वविद्यालयों को इस बात का अख्तियार दिया जाय कि एक समान नियम बनाये जायं जिससे परीक्षा

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

का परिणाम सही समय पर निकले और प्रवेश की सुविधा समान रूप से मिल सके। यही कारण है कि आज उच्च शिक्षा में अराजकता फैल गयी है।

गोरखपुर विश्वविद्यालय के अन्तर्गत, मेरे देवरिया जनपद में संत विनोबा डिग्री कालेज है। कोई ऐसा साल नहीं है, लगातार 6 साल से, माननीय शिक्षा मंत्री जी इसकी जांच करा लें, वहां पर हर साल एल0एल0बी0, विधि की परीक्षाओं के एक सेमेस्टर का रिजल्ट रोक दिया जाता है और यह कह दिया जाता है कि मास कापिंग हो गयी है। इसका परिणाम यह है कि एक-एक लड़के को 5-5 साल लग जाते हैं 3 साल के कोर्स को पूरा करने में।

यही स्थिति बाबा राघव दास महा-विद्यालय की है। वहां पर लड़के बी0 एड0 की परीक्षाओं में बैठे। मास कापिंग का आरोप लगा कर दो-दो बार उनका रेजल्ट रोका गया । उसके पुनर्विचार का प्रस्ताव देने पर भी हमारी सरकार विश्वविद्यालय को आदेशित नहीं कर सकी कि परिणाम निकाला जाय। यही स्थिति काशी विद्यापीठ की है जिसकी गूंज सदन में हुई। वहां पर जो अराजकता है, उसकी तरफ सरकार ने ध्यान नहीं दिया जिसका दुष्परिणाम हुआ कि उमेश चन्द्र राय जो प्राध्यापक थे उनकी हत्या वहां के कैम्पस में हुई। वहां पर ऐसे लोगों की भर्ती की गयी जिनको उस विषय में योग्यता ही नहीं है । संस्कृत विषय वाले व्यक्ति को संस्कृति में अध्यापन का कार्य मिला ।

इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है कि माननीय शिक्षा मंत्री जी इस मुद्दे पर आप गौर करें । आपको 9 वर्ष का समय मिला और आप इतने अधिक समय में नियम और परिनियम नहीं बना सके इसलिए इसको प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय जहां इस संबंध में विचार हो कि कब तक की अवधि दी जाय। यह कहकर मैं माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

*डाक्टर दिनेश जौहरी–

मान्यवर, महाविद्यालय–2 लाख 75 हजार की पापुलेशन पर होना चाहिए । मेरे जनपद बरेली में 5 लाख 29 हजार के एवरेज पर एक महाविद्यालय है । शिक्षा मंत्री जी शिक्षा के विस्तार का बखान करते हैं, और नयी शिक्षा लाने की बात करते हैं लेकिन जनपद बरेली में हजारों की संख्या में विद्यार्थी पोस्ट ग्रेजुयेशन की शिक्षा नहीं ले पाते हैं क्योंकि वहां पर इतने महाविद्यालय नहीं है। वहां पर केवल एक महाविद्यालय, बरेली कालेज है और 2 महिलाओं के विद्यालय हैं और उनमें भी सारे सब्जेक्ट्स नहीं हैं। इस वर्ष रुहेलखंड विश्वविद्यालय ने एक नयी नीति बनायी कि जिन बच्चों के 40 प्रतिशत से ऊपर मार्क नहीं हैं, उनका ग्रेजुयेशन में प्रवेश नहीं मिलेगा । इसी तरह से जिनके 45 प्रतिशत से ऊपर मार्क नहीं हैं, उनको पोस्ट ग्रेजुयेशन में प्रवेश नहीं मिलेगा और इसमें केवल ध्योरी के मार्क्स जोड़े गये हैं। इससे हजारों की संख्या में विद्यार्थी प्रवेश के लिए मारे-मारे घूम रहे हैं उनके लिए जगह नहीं है । आप कहते हैं हर एक को शिक्षा के लिए अवसर मिलना चाहिए लेकिन आप खुद ही अवसर नहीं दे रहे हैं। शिक्षा मंत्री जी से मैं अनुरोध करूंगा कि बरेली में जो महाविद्यालय की कमी है, उस कमी की ओर ध्यान देकर प्रदेश में जो जटिल समस्यायें खड़ी हुई हैं, उस ओर ध्यान देकर विद्यार्थियों को पढ़ने का अवसर दें । इन शब्दों के साथ मैं माननीय गुप्ता जी के प्रस्ताव का समर्थन

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि इसे प्रवर समिति को भेज दिया जाय।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मेरे प्रवर समिति में भेजने के प्रस्ताव के विरोध में माननीय लाल प्रताप सिंह जी ने मेरे ऊपर आरोप लगाया और कहा कि मुझे यह प्रवर समिति में भेजने का फोबिया है। मान्यवर, यह तो उनके लिए आशीर्वाद है कि उन्होंने मुझे किसी लायक समझा। माननीय लाल प्रताप सिंह ज्ञानी हैं। मैं इनको उस परिभाषा में नहीं रखता कि जो नक्ल में पकड़े गये और लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रवक्ता बना दिये गये। कहां पर कौन सा शब्द फिट करना है, उसमें इनकी चूक हो जाती है। मैं इस बात पर बल देता हूं कि हमारी व्यवस्था विधि के अनुसार हो।

मैं तो समझता हूं कि माननीय लाल प्रताप सिंह मेरे तर्क का स्वागत करेंगे। अगर समाज सही नहीं होगा, तो यह बंटाधार हो जायेगा। आप इसको प्रवर समिति में भेजिए और तय कर दीजिए कि 40 प्रतिशत मार्क्स पाने वाला फेल कर दिया जायेगा। इण्टरमीडिएट पास करने की सर्टीफिकेट तो मेरे पास है, लेकिन मैं बी0 ए0 में प्रवेश लेना चाहता हूं, तो प्रवेश नहीं मिल सकता है। तो इण्टरमीडिएट पास लड़का जो किन्हीं विषयों में 40 प्रतिशत नहीं पा सका, तो उसको कहीं न कहीं तो शिक्षा की व्यवस्था तो करनी चाहिए। जो शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर सकता है, तो वह जनता के साथ विश्वासघात करता है। यह समाज का दायित्व है। अगर आप इस बात को स्वीकार करते हैं, तो फिर इस पर भी विचार आपको करना पड़ेगा, जिससे सभी बालक अपनी इच्छानुसार शिक्षा प्राप्त कर सकें। सरकार का यह दायित्व होता है कि वह प्रत्येक बच्चे की शिक्षा की व्यवस्था करे। नवोदय विद्यालय खोलकर एक निश्चित वर्ग को लोगों को आगे बढ़ाने के लिए उसको चौड़ा नहीं कर रहे हैं? मैं समझता हूं कि लाल प्रताप सिंह जी इससे सहमत होंगे।

माननीय लाल प्रताप सिंह ज्ञानी हैं, परन्तु ज्ञान जहां पर है, वह उसे कहीं-कहीं पर फिट करने में चूक कर जाते हैं। इस बात पर माननीय शिक्षा मंत्री जी विचार करें कि आपने जो विश्वविद्यालय में बंधन लगा दिया है कि 40 प्रतिशत से कम मार्क्स पाने वाले विद्यार्थियों का प्रवेश नहीं होगा, इस पर आप विचार करें। मैं तो एक बार 18 पेज का ज्ञापन शिक्षा विभाग में दे चुका हूं, जो यह उच्च शिक्षा का अधिनियम है, यह रूल आफ जंगल है, इसीलिए मैंने कहा कि इसे प्रवर समिति में भेजा जाय, जिससे कि जो हमारी सम्पूर्ण शिक्षा व्यवस्था है, वह इंस्टीट्यूट आफ पावर में बंध जाय और सही रूप से शिक्षा प्रणाली चलने लगे।

मैं चाहूंगा कि इस पर चर्चा कराएं और इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दें। आप फोबिया का शिकार न बनें। आप हमारे ऊपर यह जिम्मेदारी दे दीजिए फिर देखिए हम एक महीने में इसको बनाकर फेंक देंगे, आपका निहित स्वार्थ है आप अपने स्वार्थों से हटिए और आप इसको नहीं बना सकते हैं, तो हमसे कहिए हम इसको बना देंगे।

[समय 3.05]

शिक्षा मंत्री (श्री सिब्ते रजी)–

मान्यवर, माननीय गुप्ता जी ने बहुत सी बातें कहीं लेकिन इन्होंने जो आखिरी वाक्य बोला है हमें समय दीजिए एक महीने में परिनियमावली बनाकर फेंक देंगे। अगर फेंकने की ही बात है, तो यह काम तो एक घंटे में किया जा सकता है, किन्तु शासन का तात्पर्य किसी चीज को टालने या फेंकने से नहीं है। परिनियमा-

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

खली के बारे में विश्वविद्यालयों से सूचनाएं प्राप्त की जा रही हैं । इसमें सफलता भी मिली है । विश्वविद्यालय के अधिकारियों द्वारा जो धन और सम्पत्ति की हानि होती है उसमें वसूली की जा सके या कार्यवाही की जा सके इसके भी नियम बनाए गये हैं ।

स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी की एक वर्ष की नियुक्ति के बारे में परिनियम बनाए गये हैं। दिनांक एक जुलाई को जो रिटायर हो रहे हैं उनको पूरे सत्र तक काम करने का मौका दिया है । लखनऊ के परिनियम में टैक्नोलाजी के सृजन के नियम बनाए हैं, तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं । मान्यवर, जहां तक दाखिलों की बात है, दाखिला दिए जाने या न दिये जाने की क्या स्थिति है यह सारे निर्णय विश्व विद्यालय के अधीन होते हैं । इसमें शासन नहीं बोलता है । हमारा सतत प्रयास यही है कि ऊंची शिक्षा पद्धति लागू हो । इसमें मैं चर्चा होने की आवश्यकता नहीं समझता हूं। मैं गुप्ता जी के प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) उच्चतर शिक्षा अनुदान आयोग विधेयक, 1986 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1986 पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 2

2–उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 50 में,– उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 1974 द्वारा यथा संशोधित और पुनः अधिनियमित राष्ट्रपति-अधिनियम सं0 10 सन् 1973 को धारा 50 का संशोधन

(क) उपधारा (1–क) में, शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1985" के स्थान पर शब्द और अंक" 31 दिसम्बर, 1987" रख दिये जायेंगे और सदैव से रखे गये समझे जायेंगे; और

(ख) उपधारा (2) में, शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1985" के स्थान पर शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1987" रख दिये जायेंगे और सदैव से रखे गये समझे जायेंगे ।

श्रीमती सुखदा मिश्रा–

मैं प्रस्ताव करती हूं कि मान्यवर, उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1986 के खण्ड–2 में अंक तथा शब्द "1973 की" के पश्चात अर्द्ध विराम तथा शब्द, "जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है," अढ़ा दिये जांय,

श्री उपाध्यक्ष–

मंत्री जी आपको स्वीकार है ?

श्री सिब्ते रजी–

मान्यवर, स्वीकार है ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 में अंक तथा शब्द "1973 की" के पश्चात अर्द्ध विराम तथा शब्द, "जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है," बढ़ा दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नया खण्ड 3

श्रीमती सुखदा मिश्रा–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करती हूं कि खण्ड 2 के पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात–

निरसन और अपवाद

"3–(1) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1986 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 6 सन् 1986

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा-संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।"

श्री उपाध्यक्ष–

मंत्री जी आपको स्वीकार है ?

श्री सिब्ते रजी–

मान्यवर, स्वीकार है।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 के पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्–

निरसन और अपवाद

"3–(1) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1986 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 6 सन् 1986

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि नया खण्ड 3 इस विधेयक का अंग माना जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 1

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1986 कहा जायगा ।

संक्षिप्त नाम

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करती हुं कि वर्तमान खण्ड 1 में, वर्तमान पार्श्वशीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित पार्श्वशीर्षक रख दिया जाय, अर्थात—

"संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ"

वर्तमान खण्ड 1 को उसके उपखण्ड (1) के रूप में पुनः संख्यांकित कर दिया जाय और इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपखण्ड (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपखण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात—"(2) यह 21 मई, 1986 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा ।"

श्री उपाध्यक्ष—

मंत्री जी, आपको स्वीकार है ?

श्री सिब्ते रजी—

मान्यवर, स्वीकार है ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि वर्तमान खण्ड 1 में, वर्तमान पार्श्वशीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित पार्श्वशीर्षक रख दिया जाय, अर्थात्—"संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ" ।

वर्तमान खण्ड 1 को उपखण्ड (1) के रूप में पुनः संख्यांकित कर दिया जाय और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित उपखण्ड (1) के पश्चात निम्नलिखित उपखण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्—"(2) यह 21 मइ, 1986 से प्रवृत्त हुआ समझा जायगा ?"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि संशोधित खण्ड 1 इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1986 उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के सैंतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री सिब्ते रजी–

मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1986 जैसा सदन द्वारा संशोधित हुआ है, को पारित किया जाय ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । नियमों में और परम्परा यह है कि जो मंत्री विधेयक को पेश करता है, वही उसका अन्तिम उत्तर देता है । मैं समझता हूं कि यह विसंगति हो रही है, इसको देख लिया जाय । माननीय शास्त्री जी ने इसको पेश किया था ।

श्री उपाध्यक्ष–

भारसाधक मंत्री श्री सिब्ते रजी हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

यह पहले कहां थे ?

श्री उपाध्यक्ष–

उन्होंने ही जबाब दिया है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

आपकी व्यवस्था मैं मान लेता हूं । लेकिन मेरी प्रार्थना है कि इसको दृष्टान्त न माना जाय, इसको देख लिया जाय और अन्तिम व्यवस्था आप बाद में दें ।

श्री उपाध्यक्ष–

इसमें कोई विसंगति नहीं है ।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1986 जैसा सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

[समय 3.17]

उत्तर प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1986*

नगर विकास राज्य मंत्री (श्रीमती पद्मा सेठ)–

मैं प्रस्ताव करती हूं कि उत्तर प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1986 पर विचार किया जाय ।

किसी नगर से भिन्न नगरपालिका की दशा में प्रस्तावित कर धारा 128 की उपधारा (1) के खण्ड (1) से (12) के अंतर्गत हो तो विहित प्राधिकारी धारा 132 के उपधारा (4) के अधीन प्राप्त आपत्तियों पर विचार करने के पश्चात् या तो प्रस्ताव को स्वीकृत करने से इन्कार कर सकता है या उन्हें बोर्ड को अग्रसर विचारार्थ लौटा सकता है ।

इसी तरह से जो प्रस्ताव किसी नगरपालिका के सम्बन्ध में प्रेसक्राइब अथारिटी द्वारा राज्य सरकार के विचारार्थ भेजा जाता है । यह अनुभव रहा है कि उसमें काफी समय लग जाता है जिससे कर निर्धारण में काफी समय लगता है और हानि होती है । इस प्रक्रिया में देर लगती है और इसका नगर पालिका की आर्थिक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है । मान्यवर, शासन के विकेन्द्रीकरण की जो नीति है, उसके अधीन धारा 133 की उपधारा (1) में संशोधन करना आवश्यक समझा गया, जिससे कि नगरों के सम्बन्ध में धारा 128 की उपधारा (1) के खण्ड एक से बारह के अधीन करों के प्रस्तावों को स्वीकृत करने के लिये विशेष प्राधिकारी को शक्ति प्रदान

*दिनांक 6 मार्च, 1986 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

की गयी है । मान्यवर, इसीलिये उत्तर प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1986 को पुर:स्थापित किया जाता है ।

*डाक्टर दिनेश जौहरी–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1986 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे ।

मान्यवर, नगरपालिकाओं और महापालिकाओं की उत्तर प्रदेश में स्थिति ऐसी लगती है कि जैसे वे नगर पालिका न होकर नर्क हों । हर जगह गन्दगी का साम्राज्य है । बड़े शहरों का ले लें या चाहे छोटी नगरपालिकाओं को, हर जगर नाले नाली गन्दे हैं, महामारियां फैल रही है, सड़कें टूटी फूटी पड़ी हैं । प्रकाश व्यवस्था का यह हाल है कि एक-एक बल्ब के लिये लोगों को महापालिकाओं और नगरपालिकाओं के सामने जाकर प्रदर्शन करना पड़ता है ताकि प्रकाश उपलब्ध हो सके।

मान्यवर, ये हर वर्ष टैक्स पर टैक्स बढ़ाते चले जा रहे हैं, चाहे वाटर टैक्स हो या हाउस टैक्स हो, सीवर टैक्स हो या चुंगी टैक्स हो । लेकिन उसके अनुपात में नागरिकों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं । आम आदमी मामूली सी सुविधाओं के लिये तरस रहा है, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश का यह विभाग नागरिकों को सुविधाएं देने में अपने को पूर्णतया असमर्थ पाता है । तीन मई से चुंगीकर मनमाने ढंग से बढ़ाया गया है, लेकिन यह विभाग आज तक चुंगी की चोरी को रोक नहीं पाया है, बल्कि मैं कहूंगा कि चुंगी और बढ़ी है । चुंगी की दर बढ़ने के बाद महापालिकाओं की आमदनी और बढ़नी चाहिये थी लेकिन नहीं बढ़ी।

मान्यवर, महापालिकाओं और नगरपालिकाओं में सीवर टैक्स लिया जा रहा है । तो पहले सीवर की सुविधा दीजिये । पहले सीवर लाएं फिर टैक्स की बात कीजिये । आप पहले टैक्स लेने की बात करते हैं और बाद में सुविधा देने की बात करते हैं । मैं बड़े विनम्र शब्दों में कहूंगा कि किसी प्रकार इस चुंगी चोरी को रोक लें । यदि आप इस चोरी को रोकने में सफल हो गये तो यह निश्चित है कि महापालिकाओं और नगरपालिकाओं की आय बढ़ जायगी और टैक्स लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी । मान्यवर, इस वर्ष बिजली की इतनी कमी नहीं रही । हर वर्ष तोहमत लगाई जाती थी कि बिजली के कारण पानी नहीं मिल पा रहा है । लेकिन इस साल से बिजली होते हुए भी पानी नहीं दे पाए ।

पिछले सालों में 3-4 मंजिल तक पानी दिन भर आता था लेकिन इस साल ग्राउन्ड फ्लोर पर भी पानी नहीं पहुंचा । हजारों की संख्या में मीटर खराब पड़े हैं । बिल भेज नहीं पाते हैं तो मिनिमम चार्जेस के बिल भेज देते हैं । इससे आम आदमी जिनके मीटर सही हैं, उसका नुकसान होता है । जब आप आजादी के 39 साल बाद पानी की ही सुविधा नहीं दे सकते हैं तो फिर और क्या सुविधा दे सकते हैं ।

मान्यवर, नगरपालिकाओं ने इस वर्ष बहुत से सफाई अभियान चलाये, लेकिन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वह अभियान कोरे कागजों पर रह जाते हैं। नागरिकों को आज भी उसी गंदगी का सामना करना पड़ता है। मुझे यह कहते हुए बड़ा दुःख है कि आज भी मैला नालियों में बहाया जाता है। किसी भी गली में आप जायें, आप पायेंगे वहां के सफाई कर्मचारी अपनी पूरी की पूरी डलिया नाली में उड़ेल देते हैं। वह मैला थोड़े से पानी में बहा दिया जाता है। वहां के रहने वालों की उस दुर्गन्ध से निकलने में जो परेशानी होती है, उसका पूरी तरह से अंदाजा लगाया जा सकता है।

मान्यवर, नगरपालिकाओं के पार्क बिल्कुल चारागाह की तरह पड़े हुए हैं। उनकी देखभाल के लिये समुचित साधन उपलब्ध नहीं हैं। जो कुछ धन दिया भी जाता है, उसकी चोरी की बात पहले ही कही जा चुकी है। उन पार्कों के लिये जो माली नियुक्त किये गये हैं, वे उन पार्कों में न रहकर, अफसरों की कोठी में रहते हैं और उनके कोठियों के बगीचों को ठीक करते हैं।

जहां तक, बरेली महापालिका का सम्बन्ध है, 3 वर्ष से अधिक हो गये महापालिका बने, लेकिन उसे वह सुविधाएं नहीं मिल पायी जो एक महापालिका बनने के लिये मिलनी चाहिए। डॅन्सिग ग्राउन्ड में एक कालोनी बनायी गयी है, पूरी कीमत पर वह मकान बेचे गये हैं, लेकिन उसके बावजूद भी प्रकाश व्यवस्था के लिये जो महापालिका को व्यवस्था करनी थी, वह नहीं की गयी।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें।

डा0 दिनेश जौहरी–

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आग्रह करता हूं कि इस मामले को प्रवर समिति के सामने पेश कर दिया जाय।

*श्री रघुबर दयाल वर्मा–

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि लोक संस्थाओं का एक बहुत बड़ा महत्व होता है। नगरपालिकाओं के चुनाव होकर, वहां मेम्बर चुनकर आने के बाद, वहां नगरपालिकाओं में कर निर्धारण किस तरह हो, लोक संस्थाओं का यह कार्य है। उनके चुनाव न कराकर, कर निर्धारण की शक्तियां आप किसी व्यक्ति को वहां अधिकारी के रूप में नियुक्त कर उसमें निहित कर रहे हैं। विलम्ब को दूर करने के लिये, प्रक्रिया को सरल बनाने के लिये एक दूसरे अधिकारी की नियुक्ति का जो तरीका अपनाया है और यह माना है कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण हो जाय तो मैं निवेदन करूंगा कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण तब ही सम्भव होगा जब नगरपालिकाओं के चुनाव हो जायं। चुने हुए प्रतिनिधि कर निर्धारण की प्रक्रिया पर कार्यवाही शुरू कर दें।

आज कर निर्धारण की प्रक्रिया जो आपने दी है, 11 साल के बाद एसेसमेंट नगरपालिकाओं में हो रहे हैं, मैं फिरोजाबाद का जिक्र करना चाहता हूं, वहां 31 रजिस्टर बने हैं, लेकिन वह 31 रजिस्टर बनाकर फाड़ दिये गये। आगरा में किसी टाउन एरिया में चले जायें, कर निर्धारण की एसेसमेंट की प्रक्रिया चल रही है, वहां के कर्मचारी उस रजिस्टर को बनाते हैं और फाड़ते हैं। पैसा लेने पर फिर से निर्धारण करने का कार्य करते हैं। गृह कर के मामले को लेकर, जल कर को लेकर, चुंगी के बढ़े हुए रेटों के मामले को लेकर-जन-

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जनमानस को अधिकारियों के हाथों में इस तरह से डाल दिया है कि उनके हाथों में उनके जीवन मरण का प्रश्न सौंप दिया गया है । इस तरह से आप सारे लोक संस्थाओं के महत्व को खत्म करने जा रहे हैं । जब ब्रितानी की हुकूमत थी, उस हुकूमत में भी सोच-विचारने के बाद स्थानीय लोक संस्थाओं को निर्धारण की जिम्मेदारी सौंपने का कार्य दिया गया । उस समय जब यह मसला आया और चुनाव हुए, निर्धारण की प्रक्रिया शुरू हुई तो यह आरोप लगाया गया कि कर की प्रक्रिया को सरल न बनाकर कठिन बना दिया गया है । उस समय इसके लिए एक प्रशासनिक अधिकारी को जांच के लिए नियुक्त किया । उस जमाने में कलेक्टर आई0सी0एस0 हुआ करते थे। जांचोपरांत जब रिपोर्ट प्रकाशित हुई तो उसमें यह कहा गया था कि जो कर निर्धारित किया गया है वह ठीक नहीं है अतएव इसको ठीक करने व इंतजाम करने के लिए प्रशासक को नियुक्त किया जाये । जब इस प्रकार का पत्र उस समय के जिलाधिकारी के पास आया तो उसने एस0 डी0 एम0 को जो कि आई0 सी0 एस0 होता था, बुलाकर डाटा और कहा कि इस प्रकार की रिपोर्ट भविष्य में कभी भी मेरे पास नहीं आनी चाहिए। लोक संस्थाओं के प्रशासक जो जनप्रतिनिधि होते हैं उन्हें ही रहने दिया जाये ।

ब्रितानिया हुकूमत में जो लोग काम करते थे और लोक तन्त्र पर जिनकी आस्था थी वह इस बात को समझते थे कि इस तरह से सीवर, पानी और प्रकाश की व्यवस्था कैसे की जाये । इन सब की व्यवस्था और कर निर्धारण सरकार के चुने हुये जनप्रतिनिधि तय करते थे । यह उनका दायित्व था लेकिन आज हमारी जो सरकार है और जो कहती है कि लोक संस्थाओं और लोकतंत्र में हमारा विश्वास है उसी लोकतंत्र के विश्वास को तोड़कर यह सरकार तानाशाही की तरफ जा रही है । लोक संस्थायें, जो लोकतंत्र की सबसे नीचे की जड़ हैं राजनीति में उन्हें भी इन्होंने प्रशासक के हाथ सौंप दिया है आज यह कह रहे हैं कि हमने कर निर्धारण के लिए उन्हें स्वतंत्र कर दिया है।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार की इस नदी में यह सारे लोग गोता खा गये हैं । आज नगर महापालिकाओं के दफ्तरों में जाकर लोग अपने-अपने भाग्य का फैसला करने के लिए इधर उधर फिरते रहते हैं । इसलिए मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं और मांग करता हूं कि इसे प्रवर समिति को जाना क्योंकि स्थानीय निकायों में चुने हुए लोगों द्वारा जो कर निर्धारण की प्रक्रिया तय की जाती थी उसे आज प्रशासक को दिया जा रहा है । यह सही माने में लोकतंत्र का गला घोटना है, इसका मैं प्रखर विरोध करता हूं । फिरोजाबाद में 23 तारीख को बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ और उस प्रदर्शन के जरिये वहां कर निर्धारण में जो गलतियां थीं उसकी ओर ध्यान दिलाया । आपको ध्यान होगा कि नगर महापालिका में 360 रुपये किराए के जो मकान थे उन्हें पहले कर से मुक्त घोषित किया गया था ।

आज की बढ़ती हुई महंगाई को देखकर पांच सौ रुपये तक किराये के मकान को कर मुक्त किया जाना चाहिए । इसकी पहले आप घोषणा करें । होता यह है कि जो गरीब आदमी है कर एसिसमेन्ट में अनियमितता के कारण जिन मकानों का किराया 200 रुपया है उन्हें 500 रुपया का किराया दिखाकर आठ-आठ, दस-दस गुना कर लगाया जा रहा है। इसलिए मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि यह एक बहुत ही गम्भीर मामला है । लोकतंत्र पर एक बहुत बड़ा प्रहार है । इसलिए इस मामले को

प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये । ताकि जनहित हो सके ।

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मान्यवर, प्रदेश के नगर और कस्बों में रहने वाले करोड़ों लोगों की जिंदगी से जुड़ी हुयी समस्याओं का सम्बन्ध सबसे पहले नगर पालिकाओं और नगर महापालिकाओं से है । माननीय सदस्य श्री दिनेश जौहरी ने जो प्रवर समिति को सुपुर्द किये जाने का प्रस्ताव रक्खा है उसका मैं समर्थन करता हूं और बहुत ही आग्रह पूर्वक यह कहना चाहता हूं कि आज हमारे प्रदेश के कस्बों और नगरों में जो लोग रहते हैं और जो उनके मौलिक अधिकार हैं वह उनको मिलने चाहिए । शासन का भी यह पहला कर्तव्य है कि वह उन्हें दे, जैसे पर्याप्त मात्रा में सफाई स्ट्रीट लाइट तथा सीवर, पानी व सड़कें की व्यवस्था आदि । लेकिन आज नगर पालिकाओं और महापालिकाओं की क्या हालत है । मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, हमारे आगरा में अभी जो वहां नये सचिव गये विकास प्राधिकरण के, उन्होंने अचानक ताजमहल पर छापा मारा और अगले दिन से उसकी आमदनी, जहां 3-3-1/2 हजार रुपये रोज होती थी, वह 10 हजार रुपये रोज हो गई । आगरा नगर महापालिका के बारे में मैंने पहले भी कहा है, वहां एक लाख डेढ़ लाख रुपये रोज तक की चुंगी की चोरी होती है । सारी चुंगी की दरों को 3 से 10 गुना तक बढ़ाया गया है । इतना बड़ा बोझ डाल रही है ये नगरमहापालिकायें और नगरपालिकायें, इससे भ्रष्टाचार बढ़ रहा है । जबकि नागरिकों को सुविधायें नहीं मिल पा रही है न तो सफाई कर्मचारियों के पास हथठेला है और न सफाई के उपकरण हैं । नगरों में, कस्बों में कूड़े के ढेर लगे हुए , कागजों पर सफाई होती है लाखों रुपया में चला जाता है । ऐसा इसलिए हो रहा है कि नगरपालिकाएं, नगरमहापालिकाएं निर्वाचित नहीं हैं, आज उनके चुनाव को टाला जा रहा है। कराधान तभी होना चाहिए जब निर्वाचित नगर महापालिकाएं हों ।

अभी एक महीना पहले पूरे प्रदेश भर में हजारों स्थानों पर लोगों ने बैठकर धरना दिया कि चुनाव कराए जायं और जब तक नहीं होते हैं, कोई नया कर नहीं लगाया जाना चाहिए । इसी सवाल को लेकर 5 सितम्बर को पूरे प्रदेश में "बन्द" किया जा रहा है । नगरपालिकाओं और नगरमहापालिकाओं में नारकीय स्थिति है । उस पर प्रदेश की जनता अपना असंतोष प्रगट करना चाहती है । यह जो संशोधन लाया गया है, इस पर विचार करने के लिए इसको निश्चित रूप से प्रवर समिति में भेजना चाहिए ।

*श्री मुहम्मद मसूद खां–

यह विधेयक देखने के बाद मुझे अपना शहर याद आ गया । जिस मुहल्ले में हम रहते हैं आजमगढ़ में, वहां की पूरी सड़क खोद दी गई दो दिन में । अब अगर आदमी उस सड़क पर पैदल चलना चाहे तो नहीं चल सकता । एक लड़का लगा दिया गया है, वह उसका कंकड़ तोड़ रहा है, दो साल में तोड़ेगा तब बनने की नौबत आयेगी । जितनी गन्दगी और मच्छर हैं, सब शहरों में हैं, लाख कहिए कोई सुनने वाला नहीं है । आजमगढ़ में जहां आदमी नहीं रहते, उन मुहल्लों को खूबसूरत बनाया जा रहा है, लेकिन जहां आदमी रहते हैं वहां कूड़ा-करकट और गन्दगी भरी पड़ी है । जलकल और हाउस टैक्स की दो मिसाल देना चाहता हूं । एक आदमी का मकान एलाटमेंट का है,

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

9 रु0 कुछ पैसे पूरा ही किराया है, जो टैक्स लगा है, उससे 250/- रु0 और पड़ रहा है । अप्रैल के महीने में आजमगढ़ में पानी नहीं मिलेगा और जल वाले टैक्स लगाते चले जा रहे हैं। पहले सुविधाएं तो दें तब टैक्स की सोचें। अगर कहीं टैक्स गलत लगा हो तो अपील भी हो सकती है, लेकिन यहां तो वही है कि—

वही काजी वही मुफ्ती वही मुल्ला ठहरे,
कत्ल की फरियाद भी करें तो किससे ।]

यहां फरियाद सुनने वाला ही कौन है? ऐसी सूरत में वाकया कह रहे हैं कि इसे प्रशासकों के हाथ में न दिया जाय। मैं आपसे पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि आजमगढ़ शहर में जो हो रहा है इसके खिलाफ प्रदर्शन और भूख हड़ताल उसमें मैं शामिल नहीं हो रहा हूं क्योंकि मैं कहता हूं कि यह गूंगी और बहरी सरकार है, इसके सामने चाहे आप प्रदर्शन करें या भूखों मर जायं, कोई सुनने वाला नहीं है। कोई भी जिम्मेदार आदमी आजमगढ़ में चला जाय तो उसे पता चलेगा कि वहां मकान तो मकान मस्जिदों पर, शिवली स्कूल पर भी हाउसिंग टैक्स लगा दिया गया है । (लाल बत्ती होने पर) मान्यवर, आपने तो तेजक लगा दिया ?

श्री उपाध्यक्ष—

नहीं, नहीं तेजक नहीं लगाया है।]

श्री मुहम्मद मसूद खां—

मेरी गुजारिश है आपके माध्यम से कि आजमगढ़ शहर की स्थिति पर अगर सरकार ने फौरन गौर न किया तो हो सकता है कि नाराजगी से बहुत बड़ा नुकसान हो जाय। मौके पर जाकर देखना चाहिये कि जितने टैक्स लगाये गये हैं, उसको स्टे किया जाय और अच्छे अफसरान जाकर देखें वहां के कानून को। अगर इसे अगर प्रवर समिति को नहीं भेजेंगे तो यह अलल्लटप्प पास कर दिया जायेगा, जिसे आप भी समझते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि इसे प्रवर समिति में विचार करने के लिये जरूर भेजा जाना चाहिये।

*श्री सूर्य प्रताप शाही—

मान्यवर, प्रजातांत्रिक प्रणाली के विपरीत उत्तर प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1986 आज यहां लाया गया है जबकि नियमावली में स्पष्ट व्यवस्था है कि चुनी हुई नगरपालिकायें ही नये करारोपण करेंगी । उसके बाद समीक्षा शासन करेगा कि यह ठीक किया गया है या नहीं। लेकिन मान्यवर, यह संशोधन विधेयक लाकर सरकार ने प्रजातांत्रिक प्रणाली को गहरी चोट पहुंचाने की कोशिश की है। 1977 से लेकर आज तक नगरपालिकाओं का इन्होंने चुनाव नहीं कराया है बल्कि उल्टे व्यवस्था कर दिया कि इनका प्रशासन नये करारोपण करे। उच्चतम न्यायालय ने भी इसके विरुद्ध फैसला दिया है, लेकिन प्रदेश की नगरपालिकायें फिर भी हाउसिंग टैक्स जलकर, मलिन बस्ती निस्तारण टैक्स यानी कि जहां पर सीवर नहीं है वहां पर भी नगरपालिकाओं के द्वारा सीवर टैक्स लगाया जा रहा है। यह बड़ी ज्यादती है। इनके विभागों में भ्रष्टाचार व्याप्त है।

प्रदेश के एक वरिष्ठतम अधिकारी, श्री धर्मसिंह रावत को इस भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन पर बैठना पड़ा इनके विभाग से पत्रावलियां ही गायब हो जाती हैं। जब प्रशासन पर बात आती है तो पत्रावलियां गायब कर दी जाती हैं लेकिन जब जनता पर बात आती है तो नये-नये करारोपण कर दिये जाते हैं—जैसे हाउ-

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

सिंग टैक्स, पानी का टैक्स, सड़क का टैक्स, सीवर का टैक्स। इनका विभाग अपनी मनमानी कर रहा है और कोई भी आपत्ति का निस्तारण नहीं हो रहा है। दस-दस गुना टैक्स में वृद्धि इन्होंने की है।

इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो डा0 दिनेश जौहरी इस संशोधन विधेयक को प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव लाये हैं, मैं उससे सहमत हूं। यदि हमारी मंत्री जी फिर भी अपनी हठ-धर्मी करेंगी तो आने वाली 5 सितम्बर को वे देखेंगी कि पूरे उत्तर प्रदेश के बाजार बन्द होने वाले हैं। इससे आपको पता चल जायेगा कि उत्तर प्रदेश की जनता कितनी आपके साथ है, सरकार तो केवल हठधर्मिता ही कर सकती है। इसके साथ ही मैं निवेदन करता हूं कि इस संशोधन विधेयक को विचारार्थ प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय।

डाक्टर दिनेश जौहरी–

मैं अपने बन्धुओं का जिन्होंने मेरे प्रस्ताव का समर्थन किया है, उनका आभारी हूं। मैं एक बार फिर निवेदन करूंगा कि यह बहुत ही अहम मसला है टैक्स का, और अगर एक व्यक्ति को सुपुर्द कर दिया जायेगा, एक अधिकारी को सुपुर्द कर दिया जायेगा, तो भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर पहुंच जायेगा और उसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ेगा और टैक्स मनमाने ढंग से लगा दिये जायेंगे। नागरिक उसके समक्ष चक्कर लगाना शुरु कर देंगे । इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा, यह जो विधेयक आप ला रहे हैं, मेरा अनुरोध है कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये और वह अपनी रिपोर्ट एक मास में दे दें, तब इस पर विचार कर लिया जायेगा।

पानी जैसी चीज जिस पर राजा महाराजाओं के समय में भी टैक्स नहीं लगाया जाता था, पानी मुफ्त दिया जाता था, बिना मूल्य के उपलब्ध कराया जाता था लेकिन अभी तक 25 पैसे का एक हजार लीटर पानी मिलता था और अब आपकी नगर पालिका ने उसे डेढ़ गुना तक बढ़ा दिया है। बरेली में बहुत कहने पर उसे 75 पैसे कर दिया गया है। पानी जैसी चीज के दाम तिगुने कर दिये गये हैं और वह भी आप पानी पूरे समय नहीं देते हैं।

मान्यवर, चुनाव आप टालते जा रहे हैं, वर्षों से टालते जा रहे हैं और सारे अधिकार प्रशासक को दे दिये गये हैं जो कि जनता की किसी बात को सुनने के लिये तैयार नहीं है, केवल अपने ठाट-बाट में और कैसे अच्छा जीवन व्यतीत हो और कैसे पैसा पैदा हो, इसी में लगा रहता है। तो इससे उसको एक अधिकार और मिल जायेगा तो यकीन मानिये कि जो जनता और जनार्दन है, उसको जो कष्ट होने वाला है, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। इसलिये मैं अनुरोध करूंगा कि इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये और आप मेरा अनुरोध स्वीकार कर ले और इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द कर दें ।

श्री राम सरन–

मान्यवर, मुझे भी....

श्री उपाध्यक्ष–

अब तो प्रक्रिया समाप्त हो गयी है, इसके प्रस्तावक बोल चुके हैं, वह तो प्रक्रिया समाप्त हो गयी है। प्रवर समिति का प्रस्ताव रख दिया है, जो उसके प्रस्तावक है, उन्होंने बोल लिया है।

श्री राम सरन–

मेरा भी तो उसमें नाम है ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब कैसे हो सकता है। आप स्पष्टीकरण मांग लें।

श्रीमती पद्मा सेठ–

मान्यवर, नगर पालिका कर निधारण का जो कार्य अधिकार था वह कमिश्नर को था अब जिन शहरों की आबादी एक लाख से ऊपर है, उनके सम्बन्ध में अधिकार शासन को था जैसा मैंने कहा कि उसमें देरी होती थी, तो वह अधिकार भी कमिश्नर को दे दिया गया है। मेरी समझ में मान्यवर, इसको प्रवर समिति में भेजने का कोई औचित्य नहीं है। यह संशोधन शासन की डीसेन्ट्रालाईजेशन नीति के अन्तर्गत बनाया गया है और इसलिये बनाया गया है कि कर निर्धारण के जो काम हो रहे हैं वह तीव्र गति से हों। जैसा कि आपको मालूम है कि किसी नगरपालिका की आर्थिक स्थिति आज अच्छी नहीं है। बहुत ही दयनीय आर्थिक स्थिति है। उसके पास अपने कर्मचारियों की तनख्वाह तक देने के लिये धन नहीं होता है। जिन समस्याओं का जिक्र माननीय सदस्यों ने किया कि कहीं की सड़कें खराब हैं, बिजली की स्थिति ठीक नहीं है। इन सब चीजों के लिये धन की जरूरत पड़ती है। टैक्स में जो वृद्धि हुई थी वह 1982 में शासन द्वारा रोक दी गई थी जो कि दिनांक 1-4-1985 से दुबारा शुरू की गई। वह सिर्फ इसलिये कि नगर पालिकाओं की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी और जो काम उनको पूरे करने चाहिए थे वह उसके लायक नहीं थे कि उनको वे पूरा कर सकें।

इसीलिये यह संशोधन विधेयक लाया जा रहा है कि उनका कार्य तेजी से हो। यह संशोधन जनहित में है क्योंकि जनता को परेशानी होती है और नगरपालिकाओं की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण वे उन कार्यों को पूरा नहीं कर सकते हैं। इसीलिये यह संशोधन लाया जा रहा है।

इसमें भ्रष्टाचार की बात भी कही गई है। जहां-जहां हम भ्रष्टाचार पकड़ पाते हैं, पकड़ लेते हैं उन पर हम सजा भी देते हैं, दोषी अधिकारी को दण्ड मिलता है। जहां से हमारे पास शिकायतें आती हैं, टैक्स ठीक नहीं लगाया गया, उसका भी हम निस्तारण करते हैं और उसको ठीक कराने का प्रयास करते हैं। इसलिये यह संशोधन विधेयक जनहित में लाया गया है। मेरी समझ में इस संशोधन विधेयक को प्रवर समिति में भेजने का कोई औचित्य नहीं है, इसलिये इसको पारित किया जाय।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने उल्लेख भी किया कि 1982 में जब मा0 खन्ना जी नगर विकास मंत्री थे, उन्होंने शासन की ओर से एक निर्देश दिया था। मुझे उसकी भाषा याद है। उसमें लिखा था कि चूंकि अभी तक नगरपालिकाओं के चुनाव नहीं हुये हैं, चुनाव होने वाले हैं। इस लिये जब तक इसमें निर्वाचित सदस्य होकर नहीं आते हैं, तब तक कोई टैक्स नहीं लगाया जायेगा, कोई कराधान नहीं किया जायेगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुये सन् 85 में कराधान बढ़ाने की दृष्टि से मैं अब यह जानना चाहता हूं कि क्या माननीय खन्ना जी के आदेशों को आप पुनर्जीवित करने की कृपा करेंगी कि जब तक नये चुनाव नहीं हो जाते तब तक कोई नया कर नहीं लगाया जायेगा या उसका रेट नहीं बढ़ाया जायेगा, इस पर आप विचार करेंगे?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्रीमती पद्मा सेठ–

मान्यवर, विचार कर लेंगे ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

इसके लिये मैं माननीय मंत्री जी का आभारी हूं । इसी सिलसिले में मैं एक और स्पष्टीकरण उनसे यह भी चाहूंगा कि बिसवां जहां से वे चुनकर आई हैं, वहां पर यह आदेश हो गये हैं कि कोई टैक्स नहीं बढ़ाया जायेगा। तो इसी तरह के आदेश आप सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के लिये करने के आदेश देने की कृपा करेंगी?

श्रीमती पद्मा सेठ–

ऐसा मैंने कोई आदेश नहीं दिया है। जहां जैसी कठिनाई होगी, वैसा देख लिया जायेगा।

श्री राम सरन–

मान्यवर, आप हमारे साथ जास्ती कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि सहारनपुर नगरपालिका में जिस तरह से आपने टैक्स बढ़ाये हैं और यह बात मैं ही नहीं कहता, आज सुबह उनके दल के वहीं से जो चुने हुये सदस्य कपिल जी हैं, उन्होंने नियम 301 में यह मामला उठाया है कि 3 रुपये जिसके ऊपर 60 रुपया कर दिया है, इसको आप किस तरह से रिवाइज करायेंगी?

श्रीमती पद्मा सेठ–

जहां कहीं भी ऐसी अनियमितायें हुई हैं उसको हम देख लेंगे और कर निर्धारण बिल्कुल ठीक होगा।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष–

बहुत बात हो गयी ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

एक बात जानना चाहता हूं । क्या यह विधेयक लाकर सरकार नगर पालिकाओं के चुनाव नहीं करायेगी ।

श्री उपाध्यक्ष–

इसमें कोई बात नहीं पैदा होती कि चुनाव नहीं होंगे ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर, विधेयक लाने का उद्देश्य क्या है । इसका मतलब यह तो नहीं है कि सरकार चुनाव नहीं कराना चाहती है, इसलिये स्थायी रूप से मूल्यांकन कर टैक्स बढ़ाने का प्रबंध वह करना चाहते हैं ।

श्रीमती पद्मा सेठ–

मान्यवर, इस विधेयक को लाने का उद्देश्य नगर पालिकाओं की जो दयनीय स्थिति है उसमें सुधार किया जायेगा ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1986 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अंदर सदन में प्रस्तुत करे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गाा और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1986 पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 2, खण्ड 1, प्रस्तावना एवं शीर्षक

उत्तर प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1986

संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के सैंतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 1986 कहा जायगा ।

संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 2 सन् 1916 की धारा 133 का संशोधन

2–संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 133 में, उपधारा (1) में, शब्द "किसी नगर के भिन्न नगरपालिका की दशा में यदि" के स्थान पर शब्द "यदि" रख दिया जायेगा ।

श्री उपाध्यक्ष –

प्रश्न यह है कि खण्ड 2, खण्ड 1, प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्रीमती पद्मा सेठ –

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करती हूं कि उत्तर प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1986 पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष –

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक 1986 पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा अनुदान आयोग (निरसन) विधेयक, 1986†

[समय 3.55]

शिक्षा मंत्री (श्री सिब्ते रजी)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा अनुदान आयोग (निरसन) विधेयक, 1986 पर विचार किया जाय ।

---

†दिनांक 25 मार्च, 1986 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

मान्यवर, मैं इस संबंध में संक्षेप में कहूंगा इस उच्चतर शिक्षा अनुदान आयोग का कार्य क्षेत्र मुख्यतया वही है जो विश्व-विद्यालय अनुदान आयोग दिल्ली में है और इस प्रकार दो संस्थायें एक ही तरह का कार्य मूलरूप से कर रही हैं । आप जानते हैं कि हमारे प्रदेश में 13 विश्व-विद्यालय हैं शिक्षा विभाग के अंतर्गत और लगभग 4 सौ विद्यालय हैं और उनके विकास कार्यों के लिए हमारा बजट प्रति-वर्ष लगभग एक करोड़ रुपया है और साधारणतया इसका अधिकांश भाग यू0 जी0सी0 की जो मैचिंग ग्रान्ट है उसके शेयर के रूप में खर्च हो जाता है और केवल 25,30 लाख रुपया बच जाता है जो अन्य कार्यों के लिए सरकार की ओर से दिया जाता है । इसमें जो नया आयोग बनाने की बात थी और 25-30 लाख रुपये को बांटने के लिए उसमें नियमों की बात थी तो वास्तव में वह निर्धारण जो है वह करीब-करीब यू0जी0सी0 की तरह ही होता है। इसके लिए आयोग बनाने पर शुरू में लगभग 10 लाख रुपये का खर्च आता है और फिर आगे चल कर 8-10 लाख हर साल खर्च करना पड़ेगा।' तो उसके लिए एक प्रशासनिक तंत्र खड़ा किया जाय और जिस पर 10 लाख रुपया खर्च हो । उसमें जैसा माननीय सदस्य अक्सर चिन्ता व्यक्त करते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में खर्च ज्यादा होना चाहिए और उसमें ज्यादा उपयोगी कार्य होना चाहिए। हमारे सामने बड़े-बड़े प्रश्न हैं । हमारा जो बजट है उसको बढ़ने के बावजूद हमारी प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा में विद्यार्थियों के फायदों के लिए बहुत से काम करने बाकी हैं उसमें काफी धन की हमें आवश्यकता है। तो उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इस निरसन विधेयक को लाने का फैसला लिया गया है। इसलिए इस पर माननीय सदस्यों द्वारा विचार करने के लिए आपकी अनुज्ञा चाहता हूं ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा अनुदान आयोग (निरसन) विधेयक, 1986 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें। (समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे) ।

मान्यवर, जैसा कि पहले विधेयक पर बोलते समय भी मैंने कहा था कि इस सरकार की नीति और कार्यक्रम इस प्रकार के हैं कि शिक्षा के विकास के बारे में उसकी न तो कोई चिन्ता है और न उसके बारे में उसका कोई चिन्तन ही है। अभी माननीय शिक्षा मंत्री जी का प्रस्तावना भाषण मैंने सुना, वह कहते हैं कि केन्द्रीय स्तर पर विश्व-विद्यालय अनुदान आयोग बना ही है, इसकी आवश्यकता नहीं थी। जिस समय 74 में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य स्तर पर इस आयोग को गठित करने का विधेयक पारित किया, तो उस समय भी वह केन्द्र में बना हुआ था, तो इसकी आवश्यकता क्या और क्यों पड़ी। मैंने

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

उस समय के भारसाधक मंत्री का भाषण पढ़ा है। उसमें मात्र वित्तीय सहायता करने का ही इसका उद्देश्य नहीं है। इसके पीछे उच्च शिक्षा के उन्नयन और उसे सुगठित करने का भी उद्देश्य था। यहां यह जो केन्द्रीय स्तर पर अनुदान आयोग है, उसके बारे में आपने स्वयं लिखा है—मूल्यवान वित्तीय सहायता एवं सलाह देना यह कार्य तो राज्य सरकार का कोई सचिव भी कर सकता था।

उच्च शिक्षा को आटोनामस रूप देते हुए उसके विकास का कार्य भी उसको दिया गया था। उस समय बहुगुणा जी यहां मुख्य मंत्री थे, उनके मन में एक सूझबूझ थी, उन्होंने आयोग बनाया, लेकिन उनके जाने के बाद जो लोग आए, उन्होंने इस आयोग को गठित करने का भी प्रयास नहीं किया। तो आज स्थिति हमारे हौच-पौच बनी हुई चली आ रही है। हमारा देश इतना विशाल है कि यहां पर हर प्रदेश की अपनी-अपनी अलग -अलग और विशेष समस्याएं हैं।

नई शिक्षा नीति को हमने पढ़ा है, उसमें आपने पूरे देश के लिए एक पाठ्य-क्रम बनाने का प्रयास किया है, मैं उसका स्वागत करता हूं, फिर भी अलग-अलग प्रदेश में अपनी समस्याओं और वित्तीय स्थिति के अनुसार अलग हमारा अनुदान आयोग रहता तो अच्छा था। इसका मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, अभी मैं शिक्षा सचिव के पास गया था इस मांग को लेकर कि जिन चीजों की आवश्यकता अलग-अलग जिलों में है और वहां पर निजी कोशिश से कोई विद्यालय स्थापित नहीं हो पाया है।

मेरा जिला सीतापुर है, जहां से मैं चुन-कर आता हूं, वहां पर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्तर पर वाणिज्य पढ़ाने की कोई व्यवस्था नहीं है। आज के युग में विज्ञान से अधिक वाणिज्य की ओर छात्र लपक रहे हैं, उसकी पढ़ाई की वहां पर कोई व्यवस्था नहीं है, जो वहां पर होना चाहिए। किन्तु उसके खोलने के लिए 6 एकड़ जमीन चाहिए नये मानक के अनुसार। सचिव महोदय ने भी हमसे इस मांग पर यही कहा कि गुप्ता जी आपके पास 6 एकड़ जमीन की व्यवस्था विद्यालय हेतु है? मैंने कहा नहीं है, तो उन्होंने कहा फिर नमस्कार। 6 एकड़ के अलावा उसमें 200 लाख रुपये की व्यवस्था इनडाउमेंट में चाहिए। होना यह चाहिए कि यदि वह कोई प्राईवेट बाडी नहीं कर सकती है, तो सरकार उसके लिए आगे आ जाए, वरना आप रुपये पर आधारित रहेंगे तो वह विषय जहां पर सम्पन्न लोग नहीं हैं, खुल जाएगा इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। हमारे अम्मार रिजवी राज्य सरकार में एक प्रभावशाली मंत्री थे। मैं इसका विरोध नहीं करता कि महमूदाबाद में यह होना चाहिए। वहां पर खुला है ठीक है, बड़ा अच्छा है, हम इसकी तारीफ करते हैं, लेकिन अगर आप इसकी तुलना करें कि सीतापुर जिले में अगर एक ही स्कूल खोलना था तो सीतापुर शहर ठीक था या महमूदाबाद तो सही स्थिति पता चल जायेगी। महमूदाबाद में जो बच्चे पढ़ रहे हैं क्या वह वहीं आस-पास के हैं। मुझे बताया गया है कि साइंस में वहां केवल 4 लड़कियां पढ़ रही हैं। मैं इसका विरोध नहीं करता कि यह महमूदाबाद में खोला गया, लेकिन जहां पर और आवश्यकता है वहां पर भी राजकीय वित्तीय सहायता देकर कालेज खोले जायें।

आप नयी शिक्षा नीति के अन्तर्गत सामाजिक सहयोग के नाम पर ऐसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं कि शिक्षा

फिर से सामंती हाथों में चली जायगी और जहां पर छोटे लोग रहते हैं, जिनके पास वित्तीय साधन नहीं हैं, वहां पर शिक्षा का विस्तार नहीं होगा और गरीब और अमीर की खाई बढ़ेगी। क्या इसके बारे में यू0 जी0 सी0 विचार करेगी। यह विचार कोई और नहीं करेगा यह विचार राज्य स्तर पर होगा।

आपकी शिक्षा के बारे में आपका जो नीति पत्र है उसको मैंने पढ़ा है। उसके पृष्ठ 53 पर है कि हमारे तकनीकी विशिष्टयों के प्रतीक आई0 टी0 आई0 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मेधावी युवा प्रशिक्षित करते हैं और प्रतिभा पलायन को बढ़ावा देते हैं। यह आप स्वीकार करते हैं, तो इस पर कौन विचार करेगा कि जो हमारी प्रतिभा है उसका पलायन न होने पाये।

आवश्यकता इस बात की है कि हम इसके बारे में विचार करें। तो मूल उद्देश्य को लेकर, आज यू0 जी0 सी0 को ग्रांट मिलती है क्योंकि शिक्षा समवर्ती सूची में है और केन्द्र सरकार भी पैसा खर्च करती है इसलिए यू0 जी0 सी0 का केन्द्रीय स्तर पर होना अनिवार्य है। भाई लाल प्रताप सिंह जी खड़े होंगे और कहेंगे कि मैं शंका करता हूं, लेकिन मैं सिद्धान्त की बात कहना चाहता हूं एक तरफ आप कहेंगे कि 40 प्रतिशत का मानक लगा दिया जाय, मंत्री जी कहेंगे कि विश्वविद्यालय स्वायत्तशासी संस्था है उसकी स्वायत्तता में हम हस्तक्षेप नहीं करना चाहते, हम सिद्धान्त रूप से इससे राहमत हैं लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि चाहे बिजली बोर्ड हो या विश्वविद्यालय हो, उसके द्वारा बनाये गये कोई नियम या किया गया कोई कार्य अगर जनता की भावनाओं के विपरीत परिणाम दे रहा है और जनता पर अत्याचार करने वाला है या भेदभाव, विषमता को बढ़ाने वाला है, तो क्या मंत्री जी उसको स्वीकार करेंगे। मैं समझता हूं कि मंत्री जी उसको स्वीकार नहीं करेंगे।

मैं जानना चाहूंगा कि 40 परसेंट की बंदिश लगाने के बारे में राज्य सरकार की नीति क्या है। आप भी इस बात से सहमत होंगे कि यह बंदिश ठीक नहीं है और मुख्य रूप से यह हमारे ग्रामीण अंचल के लोगों, गरीब लोगों के ऊपर बड़ा भारी अत्याचार है। अभी नवोदय विद्यालय की बात चली, इस विधेयक से उसका संबंध नहीं है लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आपने जो यह कहा है कि 75 फीसदी ग्रामीण क्षेत्रों के लड़के लिए जायेंगे तो देखने में तो यह बात अच्छी है, माल्यार्पण हो जायगा। मेरा बच्चा यदि शहर में पढ़ता है तो मैं गांव का पता लिखवा दूंगा और वह गांव का लड़का मान लिया जायगा।

अगर आप वास्तव में गांव के 75 फीसदी बच्चों को लेना चाहते हैं, तो आप यह व्यवस्था करें कि अभी-अभी जो गांव के प्राइमरी पाठशालाओं से पढ़कर बच्चे आये हैं उनको लिया जायगा। वरना जो लोग शहर के रहने वाले हैं, जिनके बच्चे कान्वेंट में पढ़ते हैं, या मांटेसरी में पढ़ते हैं वह लोग गांव का पता देंगे और उनके बच्चे आपके विद्यालयों में चले जायेंगे। यही बात 40 फीसदी वाली बंदिश पर लागू होती है। 40 फीसदी पाने वाले बच्चे कहां के हैं। जो कस्बों में डिग्री कालेज हैं, यह बच्चे वहां के हैं। वह गरीब बच्चे हैं उनके पास किताबें नहीं होती हैं और वह अपने परिवार के लोगों के साथ खेतों पर कृषि का भी काम करते हैं। उनके पास पढ़ने

के साधन नहीं हैं। 40 परसेन्ट में पास हो गये, तो आगे से आपने भविष्य उनका अवरुद्ध कर दिया कि आगे तुम नहीं पढ़ सकते हो। इस प्रतिभा पलायन को कैसे रोका जायगा? आप मान्यता तो दे देते हैं, लेकिन ग्रान्ट इन एड में उसको लाते नहीं हैं तीन वर्ष तक। जो 200-300 रु0 पाते हैं, उसको आप कैसे रोकेंगे? मान्यता और ग्रान्ट की सूची साथ-साथ होनी चाहिए। यह कमेटी की रिपोर्ट में भी है। तो इन सब बातों पर कौन विचार करेगा?

मैं समझता हूं कि इन्हीं सब बातों पर बिचार करके यह विधेयक पारित हुआ था, जिसे आप आज निरसित करने जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि आज उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि स्वतंत्र रूप से इस बात पर शिक्षा के संबंध में विचार किया जाय और उसके लिए संतुलित रूप से विचार किया जाय और आयोग का गठन किया जाय। इन शब्दों के साथ मैं इस निरसन विधेयक का विरोध करता हूं। उसकी रणनीति के बारे में जो विचार करना होगा, हम उसमें सहमत होंगे। इसको अच्छे क्लेवर के साथ लाकर हम इसको इस्तेमाल करें। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजा जाय।

श्री मैनेजर सिंह–

माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत विधेयक ही इस बात का सबूत है कि जल्दबाजी में यह अधिनियम बना दिया गया। राज्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम को यदि आप अनुचित मानते हैं, तो क्या इसके पूर्व जो शिक्षा मंत्री रहे हैं, वह सब अयोग्य रहे हैं? अदूरदर्शी रहे हैं। उन्होंने क्या ठीक ढंग से सोचा नहीं था कि शिक्षा की प्रगति कैसे होगी और धन का सदुपयोग कम खर्च में कैसे होगा? यह अक्ल की बात माननीय वर्तमान शिक्षा मंत्री ने सोच कर निकाली और इस अधिनियम की समाप्ति के लिए विधेयक प्रस्तुत कर दिया। श्रीमन्, यदि यह बात सही हो कि यह अविवेकपूर्ण था, अनावश्यक था, अनुपयुक्त था, व्यर्थ में धन बरबादी वाला यह अधिनियम बन गया, तो यह कह कर आप अपने सारे पूर्व शिक्षा मंत्रियों की भर्त्सना करते हैं और आप अपनी सरकार की भी भर्त्सना करते हैं। आप ही की कांग्रेसी सरकार ने विधेयक लाकर इस अधिनियम को बनाया था। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी आपसे सदन के माध्यम से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी का संशोधन स्वीकार कर लें। इसको प्रवर समिति में जाने दें।

1974 से 1986 तक उत्तर प्रदेश पर कोई बज्रघात नहीं हुआ, इस अधिनियम के रहते हुए, तो एक साल में, 6 महीने में कोई आसमान फटने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश का कोई अंश धंसने वाला नहीं है। आपका शिक्षा विभाग भी कोई ध्वस्त होने वाला नहीं है। आपका विभाग भी रहेगा और आप भी रहेंगे। आप इसको रहने दीजिए, 6 महीने में प्रवर समिति विचार करे और गम्भीरता से विचार करने के बाद, जो विचार आवे, उसके अनुसार आप इसमें तरमीम करें।

मेरा आपसे आग्रह है कि आप इस पर गम्भीरता से सोचने का अवसर इस

सदन को दें और यदि नहीं देंगे, तो फिर कभी आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि आपकी लाइन में अम्मार रिजवी साहब खड़े हो गये हैं और आपको अपदस्त करने के लिए कोशिशें हो रही हैं । क्योंकि साजिश के वर्तमान जमाने के लायक आप नहीं हैं ।

श्री सिब्ते रजी–

मान्यवर, यह बात है तो मैं रिजवी नहीं रजी हूँ।

श्री मैनेजर सिंह–

रजी की जगह रिजवी को लाने की बात चल रही है। जमाने के लायक आदमी को बिठाने की बात चल रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूं विधेयक यहां स्वीकार भी हुआ था और गम्भीरता से विचार हुआ था । एक नई सोच आई थी कि जो धन है, चाहे वह केन्द्र से आये चाहे अपना धन हो, उसका उपयोग शिक्षा के उन्नयन के लिए कैसे किया जाए । इसलिए इसको जल्दबाजी में करने की आवश्यता मैं नहीं समझता । इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रवर समिति के संशोधन का समर्थन करता हूं ।

*श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, मैं माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने जो संशोधन रखा है कि इसे प्रवर समिति में भेजा जाए, इसका समर्थन करता हूं । मान्यवर, मैं समझता हूं इस समय सरकार के पास बहुत सारे महत्वपूर्ण काम हैं, तो ऐसे समय में छोटे से काम में इतना ज्यादा समय लगाना सरकार के लिए अच्छा नहीं है । सन् 1974 में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और कांग्रेस पार्टी की सरकार ने जिस तरह से केन्द्र में अनुदान आयोग है उसी तरह से राज्य में अनुदान आयोग के गठन की घोषणा की थी और उसके पीछे जो उद्देश्य था वह यह था कि शिक्षा को अधिक से अधिक स्वायत्त बनाया जाए ।

जो केन्द्र स्तर पर अनुदान आयोग कर रहे हैं वह उत्तर प्रदेश में राज्य स्तर पर अनुदान आयोग करें और इसके लिए उत्तर प्रदेश में अनुदान आयोग की स्थापना की गई लेकिन इतनी मेहनत के बाद जिस अनुदान आयोग की स्थापना की गई उसको अमली जामा नहीं पहनाया जाना चाहिए ।

(लाइट चले जाने के कारण ठीक से सुनाई नहीं दे सका ।)

श्री विजय सिंह राणा–

सरकार की बत्ती गुल हो गई है ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

हम समझते थे कि प्रदेश के अन्दर अनुदान आयोग की सार्थकता सामने आएगी कोई शिक्षा विधि इसका नेतृत्व करेगी लेकिन 1976 से 1986 तक यह कागजी गुलदस्ता बनकर रह गया यह अफसोस की बात है । राज्य स्तर पर शिक्षा की स्वायत्तता को बढ़ाया जाता खाली केन्द्रीय आयोग के भरोसे रहने की बात नहीं है ।

उत्तर प्रदेश की सरकार अपने बलबूते पर उच्च शिक्षा के नये मापदंड और विश्व विद्यालय के संचालन की रूप रेखा तैयार करती । विश्व विद्यालय की स्वायत्तता को ध्यान में रखते हुए इसको वापस लिये जा रहे हैं । मैं कहना चाहता हूं कि विश्व विद्यालय की स्वाय-

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

त्ता नाम की कोई चीज नहीं रह गई है । न यह इलाहाबाद विश्वविद्यालय में है न लखनऊ विश्वविद्यालय में है न और कहीं है जिस तरह से कुलपतियों का चयन किया जा रहा है, जिस तरह से प्रशासन में दखल की जा रही है आपने स्वयमेव में खुद मुख्तार का जो जामा पहनाया विश्वविद्यालय के नाम पर, विश्वविद्यालय इस समय किसी भी कीमत पर स्वायत्त नहीं रह गये हैं और सरकार की इच्छा के मुताबिक कुलपतियों की नियुक्ति की जा रही है । उत्तर प्रदेश में एक विश्वविद्यालय ऐसा भी है जहां पर एक आई0 ए0 एस0 कुलपति बनाकर बैठाये गये हैं । वहां की हालत इतनी बिगड़ गयी है कि इस समय पन्तनगर विश्वविद्यालय को अनिश्चितकाल के लिए बन्द कर दिया गया ।

श्री कृपा नारायण श्रीवास्तव जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव रह चुके हैं, इस समय कुलपति के रूप में पीठासीन हैं । तो इसमें जो मुख्तारी की बात है, स्वायत्तता की बात है, मैं समझता हूं कि इस समय किसी भी विश्वविद्यालय में स्वायत्तता के नाम की चीज नहीं रह गयी है । चाहे वह पुलिस प्रशासन हो, जिला प्रशासन हो यह सरकार की साफ-साफ दखलन्दाजी है। खुदमुख्तारी का हनन हो रहा है, तो मैं समझता हूं कि राज्य की स्वायत्तता को देखते हुए, विश्वविद्यालय की स्वायत्तता को देखते हुए इस अनुदान आयोग को कभी भी निरस्त नहीं करना चाहिए था बल्कि स्वायत्तता बनाने की प्रक्रिया को इस अनुदान आयोग को सशक्त करने की आवश्यकता थी ।

इसलिए मैं चाहूंगा कि जितने भी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के हैं सब विश्वविद्यालयों के जो शिक्षाविद हैं, विद्वान हैं सबकी राय ली जाय और इस राय लेने की प्रक्रिया में प्रवर समिति का गठन किया जाय जो सारी राय लेने के बाद इसे सदन में पेश करे ।

*श्री लाल प्रताप सिंह–

माननीय उपाध्यक्ष जी, बहुत छोटा सा यह संशोधन विधेयक है रिपील बिल का । इसमें इतनी चर्चा की आवश्यकता नहीं थी जितनी चर्चा इसमें की गयी । जो इससे सम्बन्धित नहीं है उसकी भी चर्चा की गयी । वास्तव में, 74 की बात कही गयी तो 77 से 79-80 तक आप ही की सरकार थी, आपने क्यों नहीं सोचा ऐसा, आपको इस तरह से सोचना चाहिए था । उस वक्त तो आप खुद इस पोजीशन में थे कि कर सकते थे । विश्वविद्यालय में माननीय उपाध्यक्ष जी, प्रशासन का काम बहुत व्यवहारिक होता है । कभी-कभी कोई बात सोची जाती है और सोचने पर वह बात बहुत बढ़ जाती है और उसको वापस लेना पड़ता है । जैसा कि देखने से लगता है यहां कोई ग्रान्ट कमीशन की आवश्यकता नहीं है सिर्फ मकसद वित्त का था वित्तीय साधन को देने का था वहां ग्रान्ट कमीशन पहले से आलरेडी दे रहा है । यह बात थी कि यू0 पी0 ग्रान्ट कमीशन बना दिया जाय और उससे कुछ बेहतर व्यवस्था हो लेकिन उसको डीपर रिफलेक्शन से सोचने की बात है, इसमें खर्चा बहुत है फायदा नहीं है और इसी लिए इसको रिपील किया गया । उसे व्यवहारिक दृष्टि से इसको मद्दे नजर रखते हुए विचार करना चाहिए ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

बहुत सी बातें आपने कही मान्यवर, आई० ए० एस० आफिसर अच्छे लोग हैं, विद्वान लोग हैं कहीं किसी ऊंचे पद पर जा सकते हैं। यहां पठनपाठन का काम वाइस चांसलर पर ही नहीं डिपेन्ड करता है, वह तो हमारे आपके ऊपर डिपेन्ड करता है। अगर हम आप सहयोग नहीं करेंगे छोटी-छोटी बात का प्रदर्शन करेंगे, तो यह पढ़ाई लिखाई होगी कैसे? माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि दुनियां में कहीं भी विद्यार्थियों ने इस तरह का प्रदर्शन किया जैसा कि हमारे यहां होता है? दुनिया में कहीं भी आप बताइये कि वकीलों ने कभी अपनी अदालत का बायकाट इस तरह किया जैसा हमारे यहां होता है, कभी कर्मचारियों ने ऐसा किया जैसा हमारे यहां होता है हम लोग प्रोत्साहित करते हैं। विद्यार्थी राजनीति में भाग ले रहा है। जब विद्यार्थी राजनीति में हिस्सा लेंगे तो पढ़ाई कैसे होगी। इसी प्रकार से अध्यापक भी राजनीतिज्ञ हो गये हैं। पढ़ाने का जो उद्देश्य है उसको छोड़ दिया है।

बहुत सी बातें हैं। हर आदमी चाहता है कि उसके बच्चे की पढ़ाई अच्छी हो। शरावी से शराबी बाप यह चाहता है कि उसके बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले। हम सबको इस बात का प्रयास करना चाहिए कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। बच्चे राजनीति से दूर रहें। प्रो० लास्की ने कहा था "ए टीचर इज वन हू टीचेज विद फुल माइन्ड एण्ड फुल हार्ट टू रिलीज दि फोर्सेज हिच एजूकेशन हैज लीस" अच्छा टीचर वही है जो अच्छे तथ्य को निकाल कर रख दे और अच्छा विद्यार्थी वही है जो उसका आचरण करे। हम सभी राजनीतिज्ञों का कर्तव्य है कि हम शिक्षा के उद्देश्य को मजबूत करें। जो बिल लाया गया है यह व्यवहारिक दृष्टि से लाया गया है। इसको प्रवर समिति को सुपुर्द करने की आवश्यकता नहीं है। नई शिक्षा नीति आ गई है उस पर विचार होना है।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल दो बातों की ओर आदरणीय सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। अभी श्री लाल प्रताप सिंह ने भाषण दिया। इन्होंने लास्की को कोट किया है। जिस अध्यापक की कल्पना लास्की ने की है, उस अध्यापक के अपने चरित्र निर्माण में शासन किस तरह से दीवाल बनकर खड़ा हुआ है। जो अध्यापकों का द्वितीय आयोग बना था उसने लिखा है कि उच्च शिक्षा में लगे अध्यापकों को प्रशासनिक सेवा से अधिक वेतन मिलना चाहिए। अगर यह स्थिति पैदा कर दें तो सब ठीक हो सकता है। लेकिन सरकार इतना कम वेतन देती है कि प्रतिभावान विद्यार्थी सिविल सर्विसेज में जाना चाहता है। शिक्षा की तरफ उसका ध्यान ही नहीं जाता है। इस भौतिक वादी युग में आप कल्पना तो चाहे वृहस्पति की कर लीजिए लेकिन व्यवहारिक बात यही है कि हर आदमी पेट लेकर चलता है। पेट की उपेक्षा आप नहीं कर सकते हैं। जहां तक सिद्धान्त की बात है, उसमें कोई बहस नहीं है। लेकिन व्यवहारिक दिक्कत जो है उसमें शिक्षा राजनीति से मुक्त कैसे होगी। जैसा मैंने उदाहरण दिया अभी एक आदमी को एक विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी में नामित किया। वह आदमी उसी विश्वविद्यालय में नकल में दो साल के लिए आरोपित रहा। जैसा लाल प्रताप सिंह ने कहा हम लोग शिक्षा में राजनीति पैदा करते हैं। मैं जानना

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चाहता हूं कि सत्ता पक्ष राजनीति पैदा कर रहा है या हम लोग कर रहे हैं ।

मैं माननीय शिक्षा मंत्री से अनुरोध करूंगा कि उन्होंने जनता सरकार की बात कही । सौभाग्य से जनता सरकार के समय में भी मैं इस सदन का सदस्य था। आप पत्रावली मंगा कर देख लें । पत्रावली की गोपनीयता की शपथ हमने नहीं खायी थी जिसने खाई थी उसने खाई थी । लेकिन जो जानकारी मुझे है उसको मैं नहीं कहना चाहता हूं आप पत्रावली मंगा कर देख लें। नाम लिखे जा चुके थे, सरकार खत्म हो गयी, थोड़े दिन की सरकार थी, सरकार क्यों खत्म हुई, कैसे खत्म हुई मैं इस विवाद में नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन मैं यह साफ कह देना चाहता हूं कि उस समय कमीशन एप्वाइन्ट होकर नाम भी लिख दिए गये थे । मुझे नाम भी याद है । मैं केवल आरोप के लिए आरोप नहीं लगाना चाहता । मैं तो इस विषय को राजनीतिक स्तर पर लाना ही नहीं चाहता । हम और आप जिन विचारों से सहमत हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में जो गिरावट आ रही है, उसको रोका जाय और शिक्षा का सम्यक विकास हो और अच्छे चरित्र के बुद्धिमान अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में आएं, इसके लिए आवश्यक है कि इस प्रकार का आयोग बनाया जाय । यह कार्य राजनीति से दूर रहकर ही हो सकता है । इस आयोग की नियुक्ति से शिक्षा में सुधार होगा इन शब्दों के साथ मैं अपने प्रस्ताव पर फिर बल देता हूं।

श्री सिब्ते रजी–

मान्यवर, मैं इस प्रस्ताव को अस्वीकार करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा अनुदान आयोग (निरसन) विधेयक, 1986 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा अनुदान आयोग (निरसन) विधेयक, 1986 पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 2, खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा अनुदान आयोग (निरसन) विधेयक, 1986

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा अनुदान आयोग अधिनियम, 1974 को निरसित करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के सैंतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:–

1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा अनुदान आयोग (निरसन) अधिनियम, 1986 कहा जायगा । संक्षिप्त नाम

2—उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा अनुदान आयोग अधिनियम, 1974 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 1975 का निरसन

श्री उपाध्यक्ष –

प्रश्न यह है कि खण्ड-2, खण्ड-1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री सिब्ते रजी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा अनुदान आयोग (निरसन) विधेयक, 1986 पारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष –

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा अनुदान आयोग (निरसन) विधेयक, 1986 पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

[समय 4.32]

श्री उपाध्यक्ष –

नियम 51 के अन्तर्गत कुल 11 सूचनायें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से श्री हरीशचन्द्र, हरीश जी की राजकीय वाहन चालकों की हड़ताल संबंधी सूचना को वक्तव्य के लिए स्वीकार किया गया और बाकी सबको अस्वीकार किया गया ।

श्री अजीत सिंह सेठी–

मान्यवर, मेरठ में हाईकोर्ट की बेंच की स्थापना के सम्बन्ध में भी सूचना दी गयी थी ।

श्री उपाध्यक्ष –

यह मामला केन्द्र सरकार से संबंधित है, इसलिए अस्वीकार कर दिया गया ।

अभी पांच बजने में आधे घंटे का समय है, अतः मेरा विचार है कि मद संख्या 41 को अभी से ले लिया जाय और बीच में 5 बजे मद संख्या 40 को ले लिया जाय।

सम्पूर्ण प्रदेश में माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में भारी संख्या में छात्रों एवं छात्राओं को प्रवेश न मिल पाने से उत्पन्न समस्या के संबंध में नियम 52 के अन्तर्गत चर्चा

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

माननीय उपाध्यक्ष जी, जिस समय मैंने नियम 52 में इस पर चर्चा कराने की प्रार्थना की थी, इस विषय पर चाहे इधर के लोग हों या उधर के बैठने वाले, सब बिना किसी भेद भाव के इस समस्या से प्रभावित हैं । मान्यवर, मैं अपने जनपद में कक्षा 9 . . .

श्री विजय सिंह राणा –

मान्यवर, शिक्षा मंत्री जी तो यहां हैं नहीं, वे तो उठकर चले गये हैं, यह विषय तो उनसे संबंधित है ।

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री लोकपति त्रिपाठी)–

मान्यवर, संयुक्त उत्तरदायित्व का अर्थ अगर सम्मानित सदस्य नहीं जानते तो फिर तो बात जुदा है, अन्यथा मंत्री मंत्री है ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री राजेन्द कुमार गुप्त –

संयुक्त उत्तरदायित्व के अर्थ को कृपया अनर्थ न करें जो उसका अर्थ है, उसको ही रखें ।

मान्यवर, मैं कह रहा था कि मेरे अपने जनपद में जो बच्चे कक्षा 9 में, कक्षा 11 में प्रवेश लेना चाहते थे, उनकी संख्या का आंकलन किया गया, पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 18 फीसदी बच्चे बढ़ गये हैं। अब एडमीशन के लिए भाग दौड़ स्वाभाविक है। मान्यवर, सीतापुर ही नहीं उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों की स्थिति ऐसी हो सकती है । लेकिन, इसके बावजूद भी राज्य सरकार की ओर से एक नये सेक्शन, एक नये अध्यापक की स्वीकृति नहीं दी गयी । जिस सेक्शन में 45 और अधिकतम 60 की संख्या होनी चाहिए उसमें 80 और 100-100 तक लड़के बैठ रहे हैं, पढ़ रहे हैं ।

आज तमाम बच्चे कक्षा 9 और 11 के प्रवेश के लिए सड़कों पर घूम रहे हैं । यह बच्चों के प्रवेश के लिए समुचित व्यवस्था तो नहीं कर सकते, ऐसा कोई न कोई कानून बना देते हैं ताकि बच्चों की संख्या प्रवेश में अपने आप कम होती चली जाय । जो हाई स्कूल में 2 बार फेल हो गया, आगे उसका एडमीशन नहीं होगा । अगर तीन विषयों में फेल हो गया तो उसे एडमिशन नहीं दिया जायेगा । यह फेल होने वालों की संख्या कितनों की होगी ?

मान्यवर, एकेडमिक स्तर पर तो यह बात कही जा सकती है, परन्तु सिद्धान्त रूप से मैं सरकार से इससे सहमत नहीं हूं । सरकार का यह दायित्व है कि कोई भी लड़का जो पढ़ने के लिए इच्छुक हो, उसे कक्षा में प्रवेश हर कीमत पर मिलना चाहिए । मैं रोज प्रधानमंत्री जी का भाषण देखता हूं, सरकार का भाषण देखता हूं 21वीं सदी की ओर जाने की कल्पना की जा रही है, देश के विकास के लिए कल्पना की जाती है, लेकिन दूसरी तरफ स्थिति यह है कि बच्चे सड़कों पर घूम रहे हैं उनके बैठने के लिए न तो समुचित व्यवस्था है और न ही फर्नीचर है, न कोई भवन है तो कैसे पढ़ाई होगी । सरकार की ओर से आदेश चला गया जहां रीडिंग रूम का 17 पै0 प्रतिमाह पड़ता है, अब 8 रु0 प्रतिवर्ष किया जा रहा है । हाईस्कूल के फार्म 30 रु0 से 40 रु0 किया गया है, इंटर के 40 रु0 से 60 रु0 हो गये हैं । प्राइवेट हाईस्कूल 40 रु0 से 65 रु0 और इंटर के 60 रु0 से 75 रु0 कर दिए गए हैं । मैगजीन शुल्क कक्षा 6 से 8 तक 3 रु0 कक्षा 9 से 12 तक 5 रु0 अनिवार्य रूप से लिया जायेगा । क्या यह पढ़ाई के ऊपर बोझ नहीं पड़ रहा है?

मैं मानता हूं कि मैगजीन छात्रों की रचनात्मक प्रवृत्ति को विकसित करने में सहायक हो सकती है लेकिन जब शुल्क लेने के बाद भी सुविधा न उपलब्ध हो तो उसे क्या कहा जाय? पिछली बार यह आदेश गया था कि किसी बच्चे का एडमिशन रिफ्यूज नहीं किया जायेगा, लेकिन इस बार इस तरह का कोई आदेश अभी तक नहीं गया । जब हम लोग डी0 आई0ओ0एस0 आदि से मिलते हैं तो यही जवाब मिलता है कि हमारे पास कोई जगह नहीं है ।

मैं माध्यमिक शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में, नवोदय विद्यालयों की बात भी कहना चाहता हूं । निकट भविष्य में इसके लिए परीक्षा होने वाली है । न तो कोई विद्यालय है, न पढ़ाई की व्यवस्था है, न पाठ्यक्रम है । सुबह एक प्रश्न के जवाब में एक बिन्दु प्रकाश में आया था कि नियु-

क्तियों की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है। गरीबों को प्रोत्साहन देंगे। गरीबों के प्रोत-साहन के नाम पर, ग्रामीणों को पढ़ाने के नाम पर, 75 फीसदी लिए जाने की बात कही गयी। अगर सही मायने में ग्रामीण लोगों को आपको बनाना है, तो मेरा सुझाव यह है कि गांवों में लोग जो बेसिक शिक्षा परिषद् से कक्षा पांच पास किये हुए हैं, उनकी परीक्षा लेकर उन्हें यहां पर आप लायें। तब तो सतत् अध्ययन और सम्पर्क अध्ययन आदि के आधार पर आप बच्चों को प्रवेश दे रहे हैं लेकिन इस पर खर्चा क्या आ रहा है इसे आप नहीं समझ रहे हैं। अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है, तो इसका मतलब यह है कि या तो पारिवारिक कारणों से नहीं पढ़ रहा है या आर्थिक कारणों की वजह से नहीं पढ़ पा रहा है। अगर भविष्य में वह अग्रसर होना चाहता है, जिस तरीके से आप आर्थिक बोझ बढ़ा रहे हैं, ऐसी स्थिति में वह बच्चा नहीं पढ़ पायेगा ऐसी स्थिति में शासन को इस पर विचार करना होगा।

अध्यापकों को यह नये निर्देश दिये जा रहे हैं मान्यता केवल उन कक्षाओं को देंगे जो वित्त की व्यवस्था स्वयं कर लेंगे। अध्यापक को पैसे देने की व्यवस्था जो विद्यालय स्वयं करेंगे तो इसका परिणाम यह होगा कि ऐसे शहर जहां पर विद्यालय पैसे की व्यवस्था कर सकते हैं वहीं पर मान्यता दी जायेगी और सुदूर ग्रामीण अंचलों में जहां पर आर्थिक स्थिति की व्यवस्था नहीं हो पायेगी, वहां पर किसी भी विद्यालय को मान्यता प्राप्त नहीं हो पायेगी। फर्नीचर की व्यवस्था नहीं हो पायेगी। सरकार की ओर से यह तय किया गया था कि यदि कोई विद्यालय किसी बच्चे से एक नया पैसा भी जबरिया वसूल करता है, तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी लेकिन आज आपने उसे रेगुलराइज कर दिया है। जहां तक गार्जियन्स अध्यापकों का एसोसियेशन्स गठित नहीं हुआ है वहां पर आज रख-रखाव हर लड़के से जबरिया वसूल किया जा रहा है।

क्या इसके बारे में माननीय मंत्री जी को कोई जानकारी है। शिक्षा के समाजीकरण के बारे में जो कहा जा रहा है मेरे मत से तो यह ऐसी प्रतीत होता है कि फिर से शिक्षा को निजी प्रबन्धतंत्र के हाथ में सौंपा जा रहा है। कुल मिलाकर माध्यमिक शिक्षा जो हमारी सम्पूर्ण शिक्षा की रीढ़ है, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। माध्यमिक शिक्षा में बहुत कम बच्चे आ पाते हैं जिस प्रकार प्राथमिक शिक्षा को सफल बनाने, विकास करने व सुदृढ़ करने को प्राथमिकता दी जाती है। उसी प्रकार माध्यमिक शिक्षा को ठीक करना भी हमारा महत्वपूर्ण दायित्व है जब तक इसकी व्यवस्था को हम ठीक नहीं कर पायेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पायेंगे। नयी शिक्षा को रणनीति ठीक न होने के कारण आज यह हौच-पौच की स्थिति पैदा हो गयी है। हमारे संविधान में डायरेक्टरी प्रिंसीपल्स में यह स्पष्ट लिखा गया था कि चौदह वर्ष के बच्चों तक निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा दी जायेगी। चौदह वर्ष का मतलब है कि बच्चा नवीं दसवीं कक्षा में होता है, लेकिन सरकार ने अपने इस कमेन्टमेन्ट का जिक्र नयी शिक्षा नीति में नहीं किया है। यूनीवर्सल एजूकेशन के नाम पर प्रौढ़ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा पर आप जो अपव्यय करने जा रहे हैं,

उस पैसे को आप माध्यमिक शिक्षा पर लगायें । अनौपचारिक शिक्षा के केन्द्र गांव में खोले गये हैं, वह उन भवनों में खोले गये हैं जहां पहले से ही प्राइमरी स्कूल चल रहे थे। थोड़ी बहुत पहले जो वहां पढ़ाई भी होती थी इन केन्द्रों के खुल जाने से वहां की पढ़ाई भी समाप्त हो गयी है।

अनौपचारिक शिक्षा के केन्द्र आपको खोलने ही थे तो आप वहां पर खोलते जहां पहले प्राइमरी स्कूल नहीं थे तब तो कुछ बात समझ में आती। नयी शिक्षा नीति के प्रथम पन्ने पर ही आपने लिखा है कि हम विषमता दूर करना चाहते हैं, हम समानता लाना चाहते हैं, लेकिन माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था आप पूरी नहीं कर पा रहे हैं, इसका कारण यह हो रहा है कि आज निजी प्रयासों से जो स्कूल खोले जा रहे हैं बच्चे उनमें जाने के लिये मजबूर हो रहे हैं। या उनके आकर्षण के कारण खिंचकर अभिजात वर्ग के लोग चले जाते हैं इससे दो तरह की शिक्षा विकसित हो रही है, एक भेदभाव पैदा हो रहा है। खास और आम आदमी के बीच की खाई चौड़ी होती चली जा रही है।

माध्यमिक शिक्षा की ऐसी स्थिति पैदा हो गयी है कि सर्वनाश हो गया है। ऐसे आदेश निर्गत करें कि माध्यमिक शिक्षा में किसी का भी एडमीशन रिफ्यूज नहीं किया जायगा । आज जितने बच्चे शिक्षा के लिये जाते हैं, उनकी आवश्यकता को देखकर अध्यापकों की नियुक्ति की जायगी और फर्नीचर इत्यादि दिया जायगा। संसाधनों की कमी के नाम पर शिक्षा के साथ खिलवाड़ को बर्दाश्त नहीं किया जायगा ।

नई शिक्षा नीति में कहा है कि नेशनल इनकम का इतना प्रतिशत खर्चा है। लोक सभा में एक प्रश्न के उत्तर में बताया गया कि हर पंचवर्षीय योजना में शिक्षा पर प्रतिशत घटता चला जा रहा है। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी आश्वासन दें कि किसी भी बच्चे का एडमीशन रिफ्यूज नहीं किया जायगा। और हर बच्चे की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अध्यापकों को भेजा जायेगा। हाईस्कूल में सामाजिक शिक्षा और विज्ञान अनिवार्य कर दिया गया है, लेकिन क्या अध्यापकों की नियुक्ति हो गयी है ? अभी नहीं हुई हैं, अध्यापकों की कमी है, अभाव है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से स्थिति को स्पष्ट करने के लिये स्पष्ट घोषणा की मांग करता हूं।

श्री सिब्ते रजी–

माननीय सदस्य ने जो प्रश्न यहां पर उठाये हैं और जो इन्होंने नोटिस दी उससे ऐसा लगता था कि भयावह स्थिति प्रदेश में दाखिलों के सिलसिले में हो गयी है। मैंने पत्रावली देखी और माननीय सदस्य का पत्र भी देखा। उसमें कहीं भी दिनांक अंकित नहीं किया है किन्तु मुझे लगता है कि कम से कम एक महीने पहले का पत्र है। मैं यह अनुरोध करना चाहूंगा कि उस पिछले एक महीने की बात छोड़कर वर्तमान में जो स्थिति है उस पर चर्चा करें। प्रदेश में कहीं भी ऐसी भयावह स्थिति नहीं है जहां लड़के सड़कों पर निकल आये हों। मैंने एक शिक्षा मंत्री और एक नागरिक की हैसियत से भी देखने की कोशिश की है, ऐसी स्थिति नहीं आयी है और काफी परिवर्तन इस सिलसिले में आ गया है। जिस तरह से माननीय सदस्य ने बात रखी है प्रदेश की समस्या के सिलसिले में ऐसी समस्या

नहीं है। जो पत्राचार शिक्षा की बात हुई है, यह भी वैकल्पिक व्यवस्था है, इससे भी काफी समाधान हुआ है। इस वक्त कोई ऐसी स्थिति नहीं है जिसके लिये सदन का बहुमूल्य समय लगाया जाए।

श्री मैनेजर सिंह—

माननीय मंत्री जी ने कहा कि शिक्षा मंत्री की हैसियत से और एक नागरिक की हैसियत से देखा है ऐसी समस्या नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि जो प्रश्न माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने उठाया है, वह काफी वजन का है। आज माध्यमिक स्कूलों में छात्रों को प्रवेश नहीं मिल रहा है। हमारे इलाके में विज्ञान शिक्षा के दो इण्टरमीडिएट कालेज हैं, मैं जिसका प्रबन्धक हूं, 120-120 लड़कों को प्रवेश देने के बाद भी लड़के घूम रहे हैं। तीसरा विज्ञान शिक्षा का इण्टरमीडिएट कालेज है, उसमें भी 120 का दाखिला हो चुका है। साइंस के 4 कालेज हैं, किसी में भी स्थान नहीं है। आज भी जब मैं क्षेत्र में जाता हूं तो लड़के आते हैं और 9वें में और 11वें में एडमीशन के लिए दबाव डालते हैं। यही स्थिति बलिया जिले की भी है कि वहां जी0 आई0 सी0 के लड़कों ने अच्छे नंबरों से हाईस्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण किया है लेकिन उनको ग्यारहवीं कक्षा में प्रवेश नहीं मिल पा रहा है उनसे कहा जाता है कि हमारे पास स्थान नहीं है। इस तरह से छात्रों के प्रवेश को लेकर जिलों में विषम परिस्थिति पैदा हो गई है, यदि आपको इसके बारे में पता नहीं है जैसा कि अभी आप कह रहे थे तो कृपया आप इसकी छानबीन कराइये।

मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि दो-तीन साल पहले शासन ने नीतियों के अन्तर्गत हाईस्कूल में विज्ञान विषय को मान्यता दी थी और स्कूलों को आठ-दस हजार रुपये विज्ञान के उपकरण के क्रय करने के लिए भी दिये गये थे। आज उस बात को तीन साल बीत गये, लड़के हाईस्कूल की परीक्षा में बैठ भी चुके लेकिन वहां पर तीन साल में आपने एक भी अध्यापक विज्ञान को पढ़ाने के लिए नहीं दिया। आपकी सरकार ने क्या कभी गौर किया कि तीन साल से जो साईन्स की क्लासेज चल रही हैं उनके लिये जब आपने एक भी अध्यापक नहीं दिया है, तो आखिर वहां कैसे पढ़ाई चल रही है, कैसे वहां के लड़के पढ़ रहे हैं। अब यही हाल प्रवेश की समस्या को ले करके है, इसे आप देखिए, केवल अफसरों के साथ बैठकर बातचीत करने से आपको सही स्थिति का पता नहीं चल सकेगा, वे तो आपको गड्ढे में गिरा देंगे।

अभी यहां एक ही भवन में तीन-तीन बार दिन में क्लास लगाये जाने की बात कही गयी कि सुबह से प्राइमरी स्कूल होगा, दोपहर में अनौपचारिक शिक्षा और रात में प्रौढ़ शिक्षा वहां चलाई जायेगी। यह कितनी कठिन बात है कि छोटा गरीब बालक सुबह कहां से भोजन पायेगा जो कि वह खाकर सुबह-सुबह पढ़ने के लिए चल देगा? अरे, उसकी मां जब दाना पीसेगी और रोटी पकायेगी तब कहीं खाकर वह शिक्षा पाने के लिए स्कूल जा सकेगा। यह जो आई0 ए0 एस0 अफसर बैठ करके आपको रास्ता दिखलाते हैं, यह बहुत ही भयावह रास्ता है। आपको प्राईमरी स्कूल की पढ़ाई सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे तक करनी चाहिए। अनौपचारिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा की क्लासेज आप रात्रि में लगाइये। जब आप एक ही विद्यालय में तीन-तीन तरह की शिक्षा की क्लासेज चलायेंगे तो आपको बच्चों की सुविधा और असुविधा का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा।

इन्हीं सब बातों की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

अभी माननीय मंत्री जी ने अपने संक्षिप्त वक्तव्य में जो कुछ कहा उससे ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरे प्रदेश में छात्रों के प्रवेश को ले करके कोई समस्या है ही नहीं। मान्यवर, जब प्रदेश में इतनी शिक्षा की समस्यायें नहीं थी तो डाक्टर सम्पूर्णानन्द जैसे शिक्षा मंत्री थे और जब आज शिक्षा का विस्तार हुआ तो भीषण समस्यायें हैं। तो मा0 सिब्ते रजी जैसे प्रदेश में शिक्षा मंत्री हैं जिन्हें आज छात्रों के प्रवेश की समस्या कोई विशेष समस्या ही नहीं लग रही है।

मान्यवर, आज प्रदेश में 18 प्रतिशत छात्रों में वृद्धि हुई है जिससे कि प्रवेश की समस्या बढ़ गयी है। हमारे जिला बस्ती में जहां से मैं आता हूं डुमरियागंज में एक ही इंटरमीडियेट कालेज है जहां विज्ञान की शिक्षा दी जाती है। पूरे तहसील का छात्र उसी स्कूल में प्रवेश लेना चाहता है। आपने न वहां भवन का कोई विस्तार किया है और न नये अध्यापक की नियुक्ति ही की है। फिर आप कौन से मानक के आधार पर कह सकते हैं कि छात्रों की संख्या बढ़ी है लेकिन उनके प्रवेश की कोई समस्या नहीं है। तो मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आज छात्रों के प्रवेश को लेकर के समस्या है। तो यह समस्या है, इस पर आप गौर करें। एक कक्षा में 45 बच्चों का मानक रखा गया है, इसको आप बढ़ा कर ज्यादा करें। दूसरी चीज आपको यह करनी पड़ेगी कि शासन स्तर पर जो आपका बजट है शिक्षा का, उसको बढ़ाना होगा। माध्यमिक शिक्षा पर जो कुछ खर्च होता है, केवल अध्यापकों के वेतन का ही सारा भार आप उठाते हैं। भवन निर्माण, फर्नीचर आदि के बारे में कोई धनराशि नहीं दी जाती है और प्रबन्धक को यह अह अधिकार नहीं है कि वह कोई नियुक्ति आदि कर सके, तो उनकी उसमें कोई रुचि नहीं रह जाती है, चाहे छात्रों की संख्या बढ़े या न बढ़े।

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि यह जो प्रौढ़ शिक्षा है और जो औपचारिक शिक्षा है, उसको समाप्त कर दें। जो आंकड़े आपको मिल रहे हैं, वह सब फर्जी तौर से मिल रहे हैं। जिस प्रकार से नसबंदी के आंकड़े आपके पास थे उसी प्रकार के आंकड़े आपके पास इनके बारे में भी अपने बजट का है और आपका पैसा इस मद पर बेकार में खर्च हो रहा है। केरल जैसा छोटा प्रदेश 49 प्रतिशत बजट शिक्षा पर खर्च करता है, लेकिन हमारा बजट अभी तक 25 प्रतिशत भी नहीं पहुंच पाया है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी कहते हैं कि हमारे प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है। वह बच्चे स्कूलों में पढ़ने के लिए जाते हैं, लेकिन शिक्षा पर बजट आप बढ़ाते नहीं हैं, छात्रों की संख्या बढ़ती चली जा रही है, तो मान्यवर, यह एक समस्या है। आप दुहरी शिक्षा प्रणाली को समाप्त करें। ये कानवेंट, लोरेटो और मिशनरी स्कूल हैं, उनको आप समाप्त करें। अल्प संख्यकों के नाम पर वह स्कूल चलाते हैं और एडमिशन में 10-10 हजार रुपए तक का डोनेशन लेते हैं। गोरखपुर में ईसाइयों का एक स्कूल है, वह अल्प संख्यक के नाम पर चलता है और उसमें जो लड़के पढ़ते हैं वह बहुसंख्यक होते हैं। वहां पर लोगों से डोनेशन लेकर एडमीशन किया जाता है। इस प्रकार से वह डोनेशन लेकर अपनी पूंजी बना रहे हैं। तो मेरा निवेदन है कि आप दुहरी शिक्षा को समाप्त करें और एक रुपता

शिक्षा में लायें । मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि स्कूलों मे प्रवेश की समस्या है । प्रवेश की समस्या को ठीक करने के लिए फ्री एजूकेशन करें । जब तक यह आप नहीं करेंगे, तब तक यह समस्या रहेगी । जो स्कूल डोनेशन लेकर प्रवेश करते हैं, उन पर आप प्रतिबन्ध लगावें। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मंत्री जी को भगवान सद्बुद्धि दे और वह प्रदेश को सही दृष्टि से देखें ।

*श्री राम गोविन्द चौधरी–

श्रीमन्, इस प्रदेश में बहुत सी समस्यायें हैं, और उन्हीं में शिक्षा की भी समस्या है । पहले एम0 एल0 ए0 को ट्रान्सफर रुकवाने और करवाने का काम करना पड़ता था परन्तु अब उसको कक्षा 6, 9 और 11 में प्रवेश का काम करना पड़ने लगा है, यह अलग से विधायक का काम हो गया है और शिक्षा विभाग के भ्रष्टाचार का काम हो गया है । जो लड़के पैसा दे देते हैं, उनका एडमीशन हो जाता है और जो नहीं दे पाते हैं, उनका एडमीशन नहीं हो पाता है । जो लड़के पैसा देकर एडमीशन पाते हैं, वही बड़े होकर जब नौकरी करते हैं तो घूस लेना शुरू करते हैं और इस प्रकार से भ्रष्टाचार बढ़ता है। जितना इनका लगाव राजीव गांधी से है, उतना ही लगाव इनका 'बन्दी' से हो गया है । स्वास्थ्य में मंत्री जी का लगाव नसबन्दी से है, शिक्षा मंत्री जी का लगाव प्रवेश बन्दी से है और माननीय मुख्य मंत्री जी का लगाव चीनी मिल बन्दी से है, तो इस प्रकार से इन लोगों का लगाव बन्दी से होता जा रहा है, तो यह कर क्या सकते हैं ।

जब हम पढ़ा नहीं पा रहे हैं तो, कैसे यहां की बेरोजगारी मिटा सकते हैं । मान्यवर, हमारे बलिया में एक सबसे पुराना महाविद्यालय है । उसमें कृषि विभाग के अन्तर्गत 120 सीटें वर्षों से चली आ रही हैं । प्रति वर्ष छात्रों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। इस समय प्रवेश के लिये वहां 400 छात्रों की लम्बी लाइन लगी हुई है कि हमारा प्रवेश होना चाहिए । वे छात्र कहां जायं । वे कहते हैं चाहिए । वे छात्र कहां जांय । वे कहते हैं कि क्या हम कृषि मंत्री से एडमीशन के लिये परमीशन ले आवें । . . .

श्री उपाध्यक्ष–

राम गोविन्द जी 5 बज रहे हैं । पहले अनुपूरक बजट पेश हो जाय । उसके बाद आप अपना भाषण जारी रखें ।

[समय 5.00]

वित्तीय वर्ष 1986-87 के अनुपूरक अनुदान

मुख्य मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से वित्तीय वर्ष 1986-87 के अनुपूरक अनुदानों को प्रस्तुत करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रतियां बांट दी जायं।

(अनुपूरक अनुदानों की प्रतियां बांटी गयी)

सम्पूर्ण प्रदेश में माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में भारी संख्या से छात्रों एवं छात्राओं को प्रवेश न मिल पाने से उत्पन्न समस्या के सम्बन्ध में नियम 52 के अन्तर्गत चर्चा (क्रमागत)

श्री राम गोविन्द चौधरी–

अधिष्ठाता महोदय, मेरे कहने का तात्पर्य यह था कि किसी भी लोक तांत्रिक व्यवस्था में आज शिक्षा का स्तर बढ़ाया जा रहा है । प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम चलाया जा रहा है । बुढ़ापे में साक्षर बनाया जा रहा है, महिलाओं को औपचारिक शिक्षा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दी जा रही है । यहां रेगुलर छात्र कक्षा एक से लेकर उच्च डिग्री शिक्षा तक प्रवेश लेने के लिए परेशान है । अच्छे-अच्छे छात्रों का प्रवेश नहीं हो पा रहा है । आज साइन्स के विद्यार्थी आर्ट में एडमीशन लेने के लिए मजबूर हैं, एग्रीकल्चर के विद्यार्थी आर्ट में प्रवेश लेने के लिये । हमारे बलिया के विद्यार्थी जो कि साइंस और एग्रीकल्चर के हैं, वे आर्ट कालेज में जा रहे हैं और वहां पर भी उनको प्रवेश नहीं मिल पा रहा है । बी0 एड0 में उनका प्रवेश नहीं हो रहा है, एम0 ए0 में उनका प्रवेश नहीं हो पा रहा है । इसलिए मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि कम से कम जो भी छात्र पढ़ना चाहता है, जो उपयुक्त है, जिसने दर्जा 8 पास किया है, 10 पास किया है, 12 पास किया है; बी0 ए0 पास किया है और आगे पढ़ना चाहता है उसको आगे प्रवेश दिया जाय । अन्यथा आप उन्हें रोजगार दिला दीजिए। रोजगार भी नहीं देंगे, प्रवेश भी नहीं दिला रहे हैं तो ऐसी स्थिति में कैसे काम चलेगा । अगर यही आश्वासन हो जाता कि ठीक है हमारी यह समस्यायें हैं, अध्यापकों की नियुक्ति की समस्या है और उसके लिये धन की समस्या है इसलिए लड़कों को एडमिशन नहीं देंगे लेकिन उसके साथ ही ऐसे लड़कों को रोजगार देंगे तो यह बात नहीं होती। आज पढ़े लिखे नौजवान बेकार सड़कों में घूम रहे हैं। उच्च शिक्षा वह पा नहीं सकते हैं, अधकचरी उनकी उम्र है, जिसके कारण अराजकता फैल रही है, इसमें सरकार का दोष है।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सभी कक्षाओं में दाखिला खोल दिया जाय और जिनका एडमिशन नहीं हुआ है उनको रोजगार दिया जाय । एग्रीकल्चरल कालेजेज में और सीटें बढ़ायी जायं जैसे हमारे यहां गोरखपुर में एग्रीकल्चर के लिये 120 सीट हैं उनको बढ़ा कर 200 कर दिया जाय। ताकि लड़के एग्रीकल्चर की शिक्षा प्राप्त कर सकें ।

श्री वीर बहादुर सिंह–

मान्यवर, जहां तक बलिया में शिक्षा का सवाल है यह बात सही है कि वह पिछड़ा हुआ जिला है, हर माने में पिछड़ा जिला है। जाहिर है कि वहां ज्यादा काम होना चाहिये । माननीय रामगोविन्द जी को जो शिकायत है कि कृषि में 120 सीटें हैं मैं उनसे कहना चाहता हूं कि इसे 150 कर दिया गया है। माननीय मैनेजर सिंह जी ने लड़कियों की शिक्षा की बात कही तो उनके यहां लड़कियों की शिक्षा बहुत कम होती है इसलिये वहां इस साल एक लड़कियों का इण्टर कालेज खुल जायेगा।

*श्री गया प्रसाद वर्मा–

माननीय उपाध्यक्ष जी, अभी शिक्षा मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि प्रवेश की कोई समस्या नहीं है। मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश में आज एक समस्या छात्रों के लिये पैदा हो गयी है और कितने ही छात्र जो रेगुलर होना चाहते हैं उनको प्राइवेट के रूप में बैठना पड़ रहा है और उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। अब सवाल इस बात का आता है कि जो छात्र विज्ञान में जूलौजी, बॉटैनी आदि जैसे विषयों को घर में बैठ कर पढ़ रहे हैं उनको अच्छे अंक कैसे मिलेंगे । नतीजा यह होगा कि उनको कम नम्बर मिलेंगे और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

आगे चल कर जो डाक्टरी या इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाहेंगे वे कमजोर साबित होंगे और वे पढ़ नहीं पायेंगे।

इसलिये मेरा अनुरोध है कि विज्ञान वर्ग में तुरन्त अध्यापक दें। आपकी शिक्षा में दोहरी प्रणाली की वजह से एक कठिन स्थिति आ गयी है और पढ़ाई नहीं हो रही है। अध्यापक जब जिला विद्यालय निरीक्षक के पास जाता है तो कहता है कि मैं तो प्रबन्ध समिति के अंडर हूं और जब मैनेजर के पास जाता है तो कहता है कि मैं जिला विद्यालय निरीक्षक के अंडर में हूं जिसके कारण आज कोई काम नहीं हो रहा है।

इसलिये मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से कहूंगा कि दोहरी शिक्षा प्रणाली को समाप्त करिये या तो पूरे तंत्र के अपने अधिकार में ले लीजिये या फिर मैनेजमेन्ट को पूरा कार्य करने का अधिकार दीजिये तभी शिक्षा में सुधार होगा ।

*श्री यदुनाथ सिंह–

मान्यवर, आज आपने हमें बोलने का अवसर दिया है। हमारे देश और प्रदेश में जिस प्रकार की शिक्षा समाजवादी शासन में दी जा रही है, उसे देखकर मुझे बहुत दुःख होता है। 56 बार मुझे इनके जेलों में जाना पड़ा। पता नहीं यह कांग्रेसी हुकूमत के लोग कैसी शिक्षा देना चाहते हैं । जब-जब यह शिक्षा मंत्री रहे, केवल वायदा करते रहे, लेकिन उस ओर किया कुछ नहीं। शिक्षा मंत्री ने अपने व्याख्यान में कहा कि जिसके 33 से 40 प्रतिशत मार्क्स रहेंगे, उसको आगे एडमिशन नहीं मिलेगा। मैं पूछना चाहता हूं फिर 33 से 40 प्रतिशत मार्क्स देने का क्या कारण है।

अभी हमारे माननीय चौधरी साहब कह रहे थे कि इनका बन्दी की तरफ ज्यादा ध्यान रहता है। यह खुली बात नहीं कहते हैं, इनकी कोई खुली नीति नहीं रहती है। जो माध्यमिक शिक्षा है, उसमें ऐसे लोग बैठे हुए हैं–पहले श्रीमन्, आपने देखा नारायण दत्त तिवारी जी के नाम पर प्रमाण पत्र आ गया और बदरूपुर में जो छात्र परीक्षा में बैठा नहीं, उसका भी परीक्षाफल आ गया। जब यह नई शिक्षा नीति पर जोर देते हैं तो मनीषियों को धक्का लगता है, हम सभी को बड़ी ठेस लगती है। ऐसा लगता है कि धर्मनिरपेक्षता के नाम पर कोई शिक्षा नहीं है, नवोदय के नाम पर केवल बिजनेस है। आप पहले पैसा दीजिए इंजीनियरिंग कालेज में शिक्षा लीजिए, आप पैसा दीजिए मेडिकल कालेज में प्रवेश पाइये और पैसा दीजिये तो एम0 एस-सी0, पार्ट-1 में प्रवेश लेकर शिक्षा लीजिए।

मैं एक सबसे आपत्तिजनक बात पर जोर देना चाहता हूं और उसके लिये इलाहाबाद हाईकोर्ट में रिट भी दायर करना चाहता हूं, आप 10 वर्ष तक के बच्चे को पढ़ाने की हिमाकत न करें। उसको पढ़ाने में आज माता पिता का सबसे ज्यादा पैसा व्यय हो रहा है, जबकि इसका आभास नहीं हो पाता। आपमें साहस नहीं कि 10 वर्ष से नीचे के बच्चों को भी अच्छी शिक्षा दे पायें । सबसे ज्यादा प्राइमरी एजूकेशन की अच्छे विद्यालयों में कठिनाई है। जो सरकार इतनी निकम्मी है कि 10 वर्ष से नीचे के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

बच्चों को भी खुली शिक्षा दीक्षा दे पाये, उसको जरा भी अपने पद पर बने रहने का प्रयास नहीं करना चाहिए।

सदन में दर्शक दीर्घा से पर्चे फेंके जाने की घटना

श्री उपाध्यक्ष–

अब मैं एक सूचना सदन में देना चाहता हूं। माननीय सदस्य अभी बैठ जाएं और मुझे सूचना दे लेने दें। आज लगभग 1 बजकर 35 मिनट पर दर्शक दीर्घा नम्बर-1 में बैठे दो व्यक्तियों ने 3 पर्चे विरोधी पक्ष की ओर फेंके तथा नारे भी लगाये। उन दोनों व्यक्तियों को तुरन्त अभिरक्षा में लेकर उन्हें दीर्घा से हटा दिया गया। इन व्यक्तियों के नाम क्रमशः श्री ओम नकाश तिवारी, श्री हनुमान प्रसाद मिश्रा हैं। उन दोनों व्यक्तियों के प्रवेश पत्र श्री रमेश यादव की संस्तुति पर जारी किये गये हैं।

उपरोक्त कार्यों से सदन के कार्य में बाधा पहुंची किन्तु ऐसे गैर जिम्मेदार व्यक्तियों को विशेष महत्व नहीं देना चाहिए।

अतः यदि सदन सहमत हो तो उपरोक्त दोनों व्यक्तियों को सदन के उठने तक मार्शल की अभिरक्षा में रखा जाय और तदुपरान्त उन्हें छोड़ दिया जाय।

(सदन द्वारा सहमति व्यक्त की गयी)

सम्पूर्ण प्रदेश में माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में भारी संख्या में छात्रों एवं छात्राओं को प्रवेश न मिल पाने से उत्पन्न समस्या के सम्बन्ध में नियम 52 के अन्तर्गत चर्चा (क्रमागत)

*श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में आज छात्रों के प्रवेश की जो समस्या है, वह सर्वविदित है। उसके प्रवेश में जो समस्या होती है, वह होती है किन्तु इस संबंध में सबसे बड़ा दुःख का विषय यह है कि मंत्री जी की ओर से यह कह दिया गया कि प्रवेश में कोई समस्या नहीं है। एसे प्रकट सत्य को जिसको सारा प्रदेश जानता है, उसकी सारी जिम्मेदारी से अलग होकर मंत्री जी ने यह कह दिया कि ऐसी कोई समस्या नहीं है। समस्या नहीं है तो वह यह बतायें कि प्रवेश के नाम पर, हर विद्यालय में यह धन की इतनी लूट क्यों हो रही है? हर लड़के से डोनेशन लिया जा रहा है। डोनेशन के नाम पर खुली लूट हो रही है और भ्रष्टाचार का नया आयाम खोला गया है। डोनेशन लिया जाता है और रसीद नहीं दी जाती है। अगर यह बात सही नहीं है, तो दूसरी बात आप बता दें कि यह प्रदेश में मेरिट का क्या मसला है कि इतने अंकों के ऊपर जिनके अंक होंगे उनका सेलेक्शन होगा, उनको प्रवेश दिया जायगा। इसका क्या मतलब है। कहीं पर नौकरी के लिये सेलेक्शन का मामला हो तो मेरिट की बात समझ में आती है लेकिन प्रवेश में मेरिट बन रही है। यह बात अगर है तो फर्स्ट क्लास पास लड़कों को घर पर बैठाकर शिक्षा दी जाय और थर्ड क्लास पास जो लड़के हैं उनको कालेज में एडमीशन दिया जाय तो मैं मानता। लेकिन आप उल्टा कर रहे हैं, जो पढ़ने में कमजोर हैं जो लड़के शोषित समाज से आने वाले हैं, जिनके पास टयूशन पढ़ने की सुविधा गरीबी की वजह से नहीं है, जो स्कूल के बाद पढ़ नहीं सकते हैं और वह लड़के थर्ड डिवीजन में पास होते हैं या फेल होते हैं ऐसे लड़कों को पढ़ने में प्राथमिकता देनी चाहिये।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैं कहना चाहता हूं कि आप दोहरी शिक्षा दे रहे हैं। कुछ ऐसे विद्यालय हैं जिनके पास आर्थिक संसाधन हैं, अच्छा कैम्पस है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है उनमें प्रवेश के लिये मेरिट बनती है और फर्स्ट क्लास लड़के लिये जाते हैं और अगर वह फेल हो जाते हैं तो उनका रेजल्ट तो माइनस परसेंट हो गया। आपने हर विद्यालय का मापदंड बना रखा है कि इतने परसेंट रेजल्ट होगा तो वह अच्छा माना जायगा लेकिन क्या आपने सोचा है कि जिन विद्यालयों में अच्छा रेजल्ट होता है उनमें कैसे लड़कों का एडमीशन होता है। अगर इन विद्यालयों में लड़के फेल होते हैं तो उन विद्यालयों का रेजल्ट माइनस परसेंट में चला गया। इसके विपरीत वह विद्यालय जिनमें फर्नीचर नहीं है, अच्छी बिल्डिंग नहीं है, जहां पर समाज के शोषित वर्ग के, पिछड़े वर्ग के लड़के जाते हैं, जिनके पास स्कूल के बाद पढ़ने के लिये टाइम नहीं है अगर वह फेल हो जाते हैं तो उन का जो भी रेजल्ट है वह सही रेजल्ट है।

इसलिये माननीय शिक्षा मंत्री जी आप अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो प्रवेश के नाम पर मेरिट को कटवा दीजिये, इसको खत्म कर दीजिए। कोई भी लड़का किसी डिवीजन में पास हो उसका एडमीशन लिया जाना चाहिए। मेरिट की जगह पर आप तारीख रख दीजिये कि जिसने पहले फार्म जमा किया है उसका एडमीशन पहले होगा। जिसने बाद में फार्म जमा किया है उसका एडमीशन नहीं लिया जायगा। जितनी संख्या निर्धारित है उतना एडमीशन किया जाय और फर्स्ट कम वाला जो सिद्धांत है वह आप प्रवेश में लागू करें। इसमें मेरिट और डिमेरिट की बात नहीं होनी चाहिये पढ़ने का अधिकार हर एक को है।

न जाने कितनी तरह की शिक्षा आप खोले बैठे हैं। पौढ़ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा के नाम पर बजट फूंक रहे हैं। न कहीं प्रौढ़ शिक्षा है और न कहीं अनौपचारिक शिक्षा है। अगर है तो मंत्रि मंडल के बहुत से साथी जो हैं उनको उन केन्द्रों पर भिजवा दें ताकि कम से कम सही जवाब दे दिया करें। प्रौढ़ शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा के नाम पर अपव्यय हो रहा है।

मेरा सुझाव है कि इस पैसे को शिक्षा पर खर्च करें तो शिक्षा की समस्या का समाधान हो सकता है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि प्रवेश के अंदर जो मेरिट की बात की गई है इसको खत्म करें और सबको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार मिलना चाहिये।

श्री राज किशोर सिंह–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त ने जो प्रस्ताव रखा है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे माननीय मंत्री जी इस बात का एहसास न करें कि प्रवेश की समस्या नहीं है। लेकिन आज प्रवेश की समस्या बहुत ही विकट है। यह कोई हल्की समस्या नहीं है, बल्कि यह बहुत बड़ी समस्या है और दिन प्रति दिन यह समस्या और उग्र होती जा रही है। प्रवेश के सवाल पर भ्रष्टाचार भी बहुत है। अभी हमारे यहां कई ऐसे कालेज हैं, जहां पर प्रवेश के नाम पर लोगों से पैसा लिया गया और प्रवेश उन्हीं लोगों को दिया गया, जिसका बहुत ज्यादा प्रभाव रहा या जिसने बहुत अधिक पैसा खर्च किया। यह स्थिति करीब-करीब हर कालेजों में, हर

बड़े माध्यमिक विद्यालय में और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में है। जो माध्यमिक विद्यालय गांवों में और शहरों में हैं, उनमें भी आज बच्चों के लिए जगह नहीं मिल रही है, बहुत से बच्चे घूम रहे हैं। उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में भी यही स्थिति बनी हुई है, बच्चों के अभिभावक घूम-घूम कर माननीय विधायकों के पास पहुंच रहे हैं। लेकिन प्रवेश नहीं हो रहे हैं। बताया जाता है कि सीटें बहुत कम हैं। सीटों के अभाव में उनका प्रवेश नहीं लिया जाता है।

तो यह समस्या आज पूरे प्रदेश में है, इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए। अभी हाल में बहुत सी जगहों पर अनौपचारिक शिक्षा प्रणाली चल रही है, जहां पर पढ़ने के लिए विद्यार्थियों को स्थान नहीं है। इस पढ़ाई के साथ यह सोचना चाहिए कि उनके लिए भी तो स्थान कहीं पर होना चाहिए। उनके पास भी सीट नहीं है। उनको समायोजित करने के लिए आपके पास कोई उपाय भी नहीं है।

इसलिए प्रवेश की समस्या को हल्के-फुल्के से नहीं लेना चाहिये कि प्रवेश की समस्या है ही नहीं। वह इतनी कठिन समस्या है। जिनके अभिभावक यह चाहते हैं कि उनके बच्चे आगे पढ़ें, वह नहीं पढ़ पा रहे हैं। अधिकांश जो प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं उच्चतर माध्यमिक स्कूल भी चल रहे हैं और माध्यमिक स्कूल भी चल रहे हैं, उसमें प्रवेश की समस्या है। ऐसी स्थिति में जो प्रस्ताव माननीय राजेन्द्र गुप्त जी ने रखा है, उस पर गम्भीरता से मंत्री जी को विचार करना चाहिए और विचार करके वह इस बात पर ध्यान दें कि भविष्य में इस तरह की समस्या न खड़ी हो। जो भी विद्यार्थी अपने प्रवेश के लिए विद्यालय में जायं, उनके नाम लिखे जायं और उन्हें प्रवेश मिलना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष–

अब मैं समझता हूं, अब समय तो रहा नहीं, अब बहुत चर्चा हो चुकी। हमें 5–30 तक समाप्त कर देना है।

श्री विजय सिंह राणा–

यह मान्यवर, शिक्षा का मामला है।

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज प्रत्येक विद्यालयों में प्रवेश की समस्या बनी हुई है। मुझे अफसोस है कि माननीय मंत्री जी इससे सहमत नहीं हैं। मैं मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इधर तीन वर्षों में आपने कितने हायर सेकण्डरी स्कूल और कितने प्राइमरी स्कूल प्रदेश भर में खोले हैं और इस तीन वर्ष में हमारी जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई है ? अगर दोनों की आप तुलना कर लें, तो यह बात साफ हो जायगी कि जितने बच्चे प्राइमरी स्कूलों में पढ़ने के लिए तैयार होते हैं और कितने बच्चे हायर सेकेण्डरी स्कूलों में जाने के लिए तैयार होते हैं, उनकी पढ़ाई की व्यवस्था माननीय मंत्री जी अपने शासन के माध्यम से नहीं कर रहे हैं। शासन या सरकार में बैठे हुए लोग एक षडयंत्र कर रहे हैं। षडयंत्र यह है कि आप देखेंगे कि जब बजट हमारा आया था, और जो आंकड़ा दिया

गया था उसमें उत्तर प्रदेश अन्य प्रदेश की तुलना में सबसे कम था । नीचे से चौथा था । आपने यह भी देखा था कि हिन्दुस्तान में . .

श्री सूर्यप्रताप शाही–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है कुछ लोग बात कर रहे हैं अपना अलग सत्र चला रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप बैठ जायं ।

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

मैं यह बता रहा था कि उत्तर प्रदेश शिक्षा में अन्य प्रदेशों की तुलना में काफी पीछे है । माननीय मंत्री जी विद्यालयों की संख्या नहीं बढ़ा रहे हैं तो स्वभाविक बात है कि विद्यार्थियों की संख्या बढ़ागी और प्रवेश की समस्या उत्पन्न होगी। मान्यवर, एक सेक्शन में चालीस बच्चे पढ़ते थे अब 150 बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं तो हर विद्यालय में प्रवेश की समस्या है, इसको स्वीकार करना चाहिए । एेसी स्थिति में जब ये नये विद्यालय नहीं खोलते हैं तो जो विद्यालय चल रहे हैं उसमें और सेक्शन खोलने की अनुमति देनी चाहिए । इसी तरह से मान्यवर, मैं कहना चाहूंगा कि आपने हर जगह विज्ञान की व्यवस्था की है लेकिन विज्ञान के अध्यापक नहीं दिये हैं । आपने दो गर्ष से पदों के सृजन पर पाबन्दी लगा रखी है तो क्या आप चाहते हैं कि विद्यार्थी पढ़ने न जाएं । माननीय मंत्री जी आप एेसी व्यवस्था करें कि विद्यार्थियों के अनुपात में शिक्षाजयों के सेक्शन बढ़े शिक्षालयों की संख्या बढ़े।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, इस चर्चा में जिन माननीय सदस्यों ने भाग लिया मैं उनका आभारी हूं मैंने कुछ विशेष मुद्दे उठाये थे, लेकिन शिक्षा मंत्री जी का भाषण सुनकर निराशा हुई, उन्होंने कहा कि कोई समस्या नहीं है । मान्यवर, मैं मंत्री से सवाल पूछना चाहूंगा कि लखनऊ के बारे में, एक सीतापुर के बारे में । माननीय मंत्री जी स्वतः इस बात से पता लगा लें। इन्होंने लालबाग गर्ल्स इण्टर कालेज में स्वतः कितनी चिट्ठियां लिखीं अगर कोई समस्या नहीं थी, तो इनके आदेश के लिए लड़कियों के अभिभावक इनके पास क्यों आए कितनी चिट्ठियां इन्होंने लिखी हैं और कितनी लड़कियों के एडमीशन उसमें हुए। मान्यवर, एक लड़की थी अमृता अग्रवाल हाईस्कूल में उसके 616 नम्बर थे, उसका एडमीशन कर लिया गया। और एक इन्जीनियर का लड़का था उसके 417 नम्बर थे उसका एडमीशन नहीं हुआ। इसी तरह से सीतापुर के एक सदस्य हैं वह चिट्ठी लिखाकर हेडमास्टर के पास ले गये, एडमीशन नहीं हुआ आप उनसे खुद पूछ लीजिएगा।

कम से कम आज की चर्चा का इतना तो परिणाम निकलना चाहिए कि आप इस बात का एहसास कर लें कि प्रदेश में हजारों की संख्या में एेसे विद्यार्थी हैं, जिनका एडमीशन नहीं हुआ। मान लीजिए कोई एक लड़का किसी विशेष विद्यालय में जाना चाहता है और वह संभव नहीं हुआ दूसरे विद्यालय में भी एडमीशन नहीं हुआ लेकिन किसी भी विद्यालय में एडमीशन न हो सब विद्यालय में जगह भर जाए, उसके बाद वह क्या करे। वह नगर में लड़कों की टीम बनाकर घूम रहा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

है। यह कितनी बड़ी समस्या है आप कल्पना करें एक सेक्शन में जहां 45 बच्चों की जगह हो वहां 120 बच्चे पहुंच गये और यदि उनका एडमीशन भी हो गया तो जो अध्यापक होगा वह कैसे कापी जांचेगा कैसे पढ़ायेगा। विद्यार्थी को कैसे अच्छे संस्कार मिलेंगे इतनी भीड़ के सामने कैसे पढ़ायेगा वह लाउडस्पीकर नहीं होता है जब टीचर और टाट का सम्बन्ध नहीं रह पायेगा तो क्या पढ़ाई होगी।

आप आंकड़े देखिये रेगुलर स्टूडेंट के मुकाबले में प्राइवेट स्टूडेंट की संख्या कैसे बढ़ती जा रही है। एडमीशन होंगे नहीं, कोचिंग खुली हुई है। एक वक्तव्य मैंने आपका पढ़ा था कि इस तरह से निर्देश दे दिये गये हैं कि कोई विद्यालय उनको रिफ्यूज नहीं करेगा जो उसी विद्यालय में पढ़ते हुए फेल हुए हैं। मैं अपने सीतापुर जिले की बात बताऊं मैं जिला विद्यालय निरीक्षक के पास गया तो उन्होंने कहा कि मेरे पास कोई इस तरह की राजाज्ञा नहीं आई है। तो आप कृपा करके अपने कार्यालय से इसकी पुष्टि करें कि क्या कोई इस आशय की चिट्ठी जिला विद्यालय निरीक्षकों या उनके माध्यम से प्रधानाचार्यों के पास गयी है कि अगर कोई पढ़ता हुआ बच्चा उसी विद्यालय में फेल होगा तो उसके एडमीशन को नकारा नहीं जायेगा। यदि आप चाहते हैं कि सही मायने में शिक्षा का विकास हो जैसा कि माननीय सदस्यों ने मांग की है आप उन विद्यालयों को मान्यता देकर शिक्षा के विकास में सही मायने में भागीदार बनें।

श्री सिब्ते रजी–

मान्यवर, आपके माध्यम से सबसे पहले मैं समस्त सदस्यों के प्रति आभारी हूं कि उन्होंने प्रदेश में जो इस तरह की समस्याओं की बात कही है और उसी के साथ-साथ अच्छे-अच्छे सुझाव भी दिये हैं, किन्तु कुछ सवालात भी मुझसे किये गये हैं। सबसे पहला सवाल यह था कि किस आधार पर एडमीशन के बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि चिन्तनीय स्थिति नहीं है।

मान्यवर, हमारे उप शिक्षा निदेशक, डी0 डी0 आर0 हर डिवीजन में हैं, उनसे इस सम्बन्ध में आख्या प्राप्त की गयी। हमको इस समय 11 डिवीजन के डी0डी0 आर0 की आख्या प्राप्त हुई है, हर डिवीजन की उसमें बात कही गयी है। शुरू में हमारे सामने समस्याएं आईं लेकिन वह विशेष तौर पर जैसा माननीय सदस्यों ने कहा कि कुछ विद्यालयों पर ज्यादा जोर था जैसा हमारे गवर्नमेंट कालेजेज हैं, जी0 आई0 सी0 है, जी0 वी0 आई0 सी0 है, राजकीय कालेज है। दूसरा प्रेशर विषय के सिलसिले में था जैसा कई माननीय सदस्यों ने कहा और विशेष तौर पर गुप्ता जी ने इशारा किया। यह सम्भव नहीं है कि सारे लोगों का प्रवेश एक ही विषय में हो जाय तो जो इस वक्त हमारे पास आख्या आई है जो लोग कोशिश कर रहे थे कि एक ही विषय में प्रवेश हो। उन्होंने अपना एडमीशन दूसरे विद्यालय में करा लिया है। इसी प्रकार जो हमारी सतत पत्राचार और सतत सम्पर्क योजना है उससे भी हमें काफी सहायता मिली है और आशा है कि हम और भी आगे बढ़ेंगे।

मान्यवर, हमने अपने 82 राजकीय विद्यालय, जो प्रदेश के हैं उसमें इस योजना को प्रारम्भ कर दिया है। हमने एक अशासकीय विद्यालय को भी अनुमति दी है। इसके साथ-साथ हमने पहाड़ी क्षेत्रों में भी 9 कालिजों में यह सतत पत्राचार योजना जो तीन-तीन घंटे के क्लास चलते हैं, का भी निर्णय ले लिया है। मान्यवर, जो सूचना प्राप्त हुई है हमारे

पत्राचार और सतत सम्पर्क योजना में गाजियाबाद, आगरा, एटा, इलाहाबाद, वाराणसी, रायबरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत, फतेहपुर, गाजीपुर, लखनऊ, लखीमपुर में हमें जो सूचना मिली है और जो 3 विषय है वाणिज्य विज्ञान और कला उन जिलों में जो हमारे जी0 आई0 सीज0 में चल रहे है वहां 50 से अधिक प्रवेश हो गये है और आशा की जाती है कि आगे भी प्रवेश इसमें बढ़ेगा। सम्प्रति में उसकी तारीख भी बढ़ा दी गयी है और वह 10 सितम्बर, 1986 कर दी गयी है। मान्यवर, जो गुप्त जी ने जो सेक्शन 52 के अन्दर बात कही कि दो विषय में बच्चा फेल हो जाता है, तो उसको प्रवेश लेने का अधिकार नहीं होगा या प्रधानाचार्य मना कर देते हैं। ऐसी बात नहीं है। अगर बच्चा लगातार 2 वर्ष फेल होता है तो तीसरे वर्ष उसी स्कूल में दाखिला नहीं मिलेगा। वह प्राइवेट पढ़ सकता है। उत्तर प्रदेश के 4 मई के गजट में यह बात स्पष्ट कर दी गई थी। ऐसा छात्र जो किसी मान्यता प्राप्त संस्था में संस्थागत परीक्षार्थी के रूप में दो बार अनुत्तीर्ण हो जाता है पुनः उसी संस्था में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।

अब यदि किसी छात्र के साथ अन्याय हुआ है तो मुझे बता दें, उस पर कार्यवाही की जायेगी। जो अध्यापकों के दायित्व को बढ़ाने की बात कही गई है मैं इसका स्वागत करता हूं। पिछले साल इस प्रकार के निर्देश दिये गये थे। माध्यमिक शिक्षा परिषद् से जो पास होने का प्रतिशत है उसको देखा जाय और हर विषय का जनरल प्रतिशत क्या है उसको देखा जाय और इसकी जिम्मेदारी पढ़ाने वाले अध्यापक पर डाली जाय। इस बार फिर हम ऐसे निर्देश भेज रहे हैं। जैसा मैनेजर सिंह ने कहा, मैं बधाई देना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्री से सदन में घोषणा कर दी है, उनके जिले में ऐसा विद्यालय खोला जायेगा, जिससे बच्चों की पढ़ाई का इन्तजाम किया जा सके।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

120 की जगह 150 इसी वर्ष हो जायेगा।

श्री सिब्ते रजी–

निश्चित ही इसी साल हो जायेगा। दूसरी बात मैं सेक्शन खोलने के बारे में कहना चाहता हूं। जिला योजना में जिला स्तर पर लगभग 10 लाख 83 हजार की व्यवस्था की गई। जिला विद्यालय निरीक्षक को यह अधिकार है कि सेक्शन खोल सकता है। जिला योजना में कुछ जिले हैं। उन्हीं जिलों को रखने का प्रयास किया गया है, जहां एहसास किया गया कि ऐसी स्थिति खड़ी हो सकती है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

किन-किन जिलों में यह योजना है?

श्री सिब्ते रजी–

बहुत कम धनराशि रखी गई है, जिलों की सूचना आपको बाद में दे दी जायेगी। गुप्ता जी ने लखनऊ के बारे में कहा। दाखिला करने का अधिकार प्रधानाचार्य का है। मैं समझता हूं कि इस अधिकार को न शासन लेना चाहता है और न आप पसन्द करेंगे कि उस अधिकार को छीना जाय। गुप्त जी ने वाचनालय और बोर्ड की फीस के बारे में कहा। वाचनालय में बच्चों को अच्छी किताबें उपलब्ध कराने का हमारा प्रयास है दूसरी बात जो बोर्ड की फीस की कही गई। मैं कहना चाहता हूं कि अन्य प्रदेशों के मुकाबले में हमारे यहां अब भी फीस कम है। मांडल स्कूल के बारे में सुबह भी गुप्त जी ने कहा और इस समय भी कहा। मैं कहना चाहता हूं कि यह पहला

प्रयास किया जा रहा है कि देहात के मेधावी छात्रों का स्तर कैसे ऊंचा उठाया जाय।

जैसा कि मैं अर्ज कर रहा था, पहली बार यह प्रयास किया गया कि देहाती क्षेत्र में पढ़ने वाले मेधावी बच्चे, जो अच्छे स्कूल नहीं प्राप्त कर सकते उनके जिले में एक ऐसा स्कूल दिया जाय। भारत सरकार ने फैसला किया है कि ऐसा स्कूल हो, जहां स्थानीय प्राइमरी स्कूल से पांचवां दर्जा पास करने वाले विद्यार्थी को अच्छा स्कूल की सुविधा हो। दूसरे हम राष्ट्रीय एकीकरण की बात करते हैं कि पूरे देश में होना चाहिये। लेकिन यदि बच्चों को शुरू से ही दक्षिण भारत और उत्तर भारत की भाषा और संस्कृति को नहीं बताया जायगा तो राष्ट्रीय एकीकरण भाषणों के जरिये से प्राप्त होना सम्भव नहीं होगा। इसलिये विचार किया गया कि उत्तर भारत के स्कूलों में दक्षिण भारत की भाषा पढ़ाई जायगी और दक्षिण भारत के स्कूलों में उत्तर भारत की भाषा पढ़ाई जायगी।

मान्यवर, नयी शिक्षा नीति के बारे में कहा गया कि कोई निर्देश नहीं दिया है, हो इसमें समय आने पर सारी योजना बनाई जायगी और समुचित निर्देश दिये जाएंगे। इसमें 11 एमिनियां परीक्षण कर रही हैं। उसके बाद इसे लागू करेंगे और जो उचित निर्देश हैं, दिये जाएंगे। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि अनौपचारिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा के बारे में बहुत बात कही जाती है। प्राइमरी स्कूलों में पहली दर्जे से जो बच्चे पढ़ना शुरू करते हैं तो पांचवें तक पहुंचते-पहुंचते उनका प्रतिशत 35-40 के बीच ही रह जाता है। यानी 60-65 प्रतिशत पांचवीं कक्षा पास नहीं कर पाते हैं। इसका कारण यह है कि आर्थिक विषमता के कारण कुछ समय के बाद बच्चों को उनके अभिभावक स्कूल इसलिये नहीं भेजते हैं क्योंकि वे बच्चे उनके कामगार साथी बन जाते हैं और उनके काम में हाथ बंटाते हैं। इसीलिये अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र खोले जा रहे हैं कि सुबह शाम जब भी सम्भव हो सके बच्चे शिक्षा प्राप्त कर सकें।

प्रौढ़ शिक्षा के बारे में कहना चाहता हूं कि इसमें ज्यादातर वित्त भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से भी प्रौढ़ शिक्षा में वित्त लगाया जाता है। मा0 सदस्य जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग 11 करोड़ है, लेकिन उसमें पढ़े लिखे लोगों की संख्या केवल 3 करोड़ है। यह जो गैर पढ़े लिखे लोग हैं उनकी ज्यादातर संख्या 15 से 35 वर्ष के बीच के लोगों की है। इसलिये कोई विकल्प नहीं रह जाता है इस एज के लोगों को शिक्षा देने की सुविधा दी जाय कि वे पढ़ सकें। मैं समझता हूं कि प्रौढ़ शिक्षा वे लोग नहीं चाहते हैं, जो यह नहीं चाहते हैं कि प्रदेश के जन मानस में बुद्धि बढ़े, ताकि वे अपने हितों की रक्षा कर सकें। प्रौढ़ होकर वे पढ़ जाएंगे तो फिर खेतों में बेगार नहीं करेंगे। बहुत से लोगों को मुफ्त काम कराने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिये प्रौढ़ शिक्षा जरूर दी जानी चाहिये। जैसा कि अभी कहा गया कि कुछ जगहों पर धन वसूला जा रहा है। इसके लिये अभिभावक अध्यापक संघ बनाया गया है। इस दृष्टिकोण से बनाया गया है कि वह विद्यालयों में हो रहे कार्यों पर निगाह रख सके। अभी सत्र शुरू हुए तो हर स्कूल में संघ की बैठक हुई जिसमें अध्यापक और अभिभावक जमा हुए। उसमें रणनीति बनाई गयी कि क्या-क्या कमियां हैं और उनको कैसे दूर किया जाय।

वे लोग 6 माह के बाद फिर बैठेंगे यह देखने के लिये इसमें कितनी अमल दरामद हुई।

इस तरह अभिभावकों और अध्यापकों के अन्दर एक ताना बाना बनेगा ।

श्री भगौती सिंह–

मान्यवर, इस अभिभावक-अध्यापक संघ के गठन के लिये किन्हीं नियमों का प्राविधान नहीं किया गया है जिससे इस कमी का लाभ उठाया जा रहा है और पैसे का भी दुरुपयोग हो रहा है ।

श्री सिब्ते रजी–

मान्यवर, अभिभावक अध्यापक संघ एक स्टेट्युरी बाडी होगी, उनकी नियमावली तैयार हो रही है । किसी प्रकार से पैसा जमा किया जा रहा है तो इसे दिखलवा लेंगे कि उस कोष का किसी प्रकार से दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है। अगर वहां एकाउंट खुलवाने की बात होगी, तो खुलवा दिया जायेगा ।

मान्यवर, नयी शिक्षा नीति के बारे में तमाम भ्रम व्यक्त किया जा रहा है । मान्यवर, भ्रम मस्तिष्क में होता है । जब दृष्टि संकुचित होती है तो वह व्यक्ति ज्यादा दूर तक देख नहीं सकता है। भ्रम नयी शिक्षा नीति में नहीं है । भ्रम कुछ लोगों के सोचने के ढंग में है । एक तरफ आप कहते है कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार होना चाहिये, सबको शिक्षा का अवसर मिलना चाहिये अच्छे नतीजे और परीक्षाफल निकलने चाहिए ।

श्री कौशिक रमाशंकर–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी से कहें कि वे बच्चों के कक्षा 9 और 11 में प्रवेश की समस्या के निदान के बारे में बतायें । मूल प्रश्न के बारे में जिक्र ही नहीं है ।

श्री सिब्ते रजी–

मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं । मैं इसकी पृष्ठ भूमि बता रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष–

मूल प्रश्न में भी आ रहे हैं । कौशिक जी, आप बैठें ।

श्री सिब्ते रजी–

मान्यवर, सार्वभौमीकरण और सार्वजनीकीकरण की बाबत मैं कहना चाहता हूं कि सन् 1990 तक हम 5वीं कक्षा तक और 1995 तक जूनियर हाईस्कूल की शिक्षा हरेक के लिये उपलब्ध करायेंगे । एक सदस्य ने कहा कि भविष्य के बारे में सोचना चाहिये । 5 साल के बाद सार्वभौमीकरण का लक्ष्य पूरा हो जायेगा तो हायर सेकेण्डरी के ऊपर बड़ी समस्या खड़ी हो जायेगी, मैं कहना चाहता हूं कि शासन सजग है इन सबकी बाबत। सार्वभौमीकरण और सार्वजनीकीकरण का कार्यक्रम प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में लक्ष्य के साथ-साथ हाई स्कूल और इण्टर तक बढ़ाना चाहते हैं । इसमें किस प्रकार की व्यवस्था बनायी जाय निश्चय ही इस बारे में कोई न कोई फ़ैसला करेंगे ।

मान्यवर, मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं कि निश्चय ही हमारी माध्यमिक शिक्षा परिषद् उतनी खराब नहीं है जितना आप सब महसूस कर रहे हैं। आज दूसरे प्रदेशों के सामने पाठ्यक्रम की बात है, परीक्षा संचालित करने की बात है, परीक्षा का रिजल्ट निकालने की बात है हमारा परिषद् एक उदाहरण बन रहा है। केरल के माननीय शिक्षा मंत्री जी आज से लगभग दो महीने पहले मुझसे स्वयं आकर मिले हैं यह जानने के लिये उ0 प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद् किस तरह चलायी जा रही

है, 10+2 के स्तर पर किस तरह से हमने अपनी समस्याओं का निराकरण किया है। 18 लाख 20 लाख विद्यार्थियों की परीक्षा किस तरह संचालित कराते हैं—इस सम्बन्ध में ज्ञान हासिल करने के लिये वे यहां पधारे थे और हमारी उनकी काफी लम्बी बातचीत हुई थी।

श्री सूर्य प्रताप शाही—

मैं यह जानना चाहता हूं कि केरल में साक्षरता प्रतिशत कितना है और उ0 प्र0 में कितना है ?

श्री सिब्ते रजी—

उत्तर प्रदेश का साक्षरता प्रतिशत 27 है और भारत का 37 प्रतिशत है । मान्यवर, अनौपचारिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा एक अहम भाग बनी है हमारी शिक्षा की । केरल का प्रतिशत बहुत अच्छा है। इसलिये अच्छा है कि वहां के लोग जागरूक हैं। जनसंख्या पर उनका कंट्रोल है। मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आपको केरल की जनसंख्या और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या को भी देखना पड़ेगा। दूसरी बात मैं विषयों के बारे में कहना चाहता हूं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, चर्चा का जो विन्दु है, उसके संबंध में हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो इच्छुक अभ्यर्थी हैं, उन सभी को प्रवेश दिलाने के लिए अध्यापकों की व्यवस्था व सैक्सन्स खोलने की व्यवस्था करने के लिए आप घोषणा कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी उसी विषय के सम्बन्ध में बोल रहे हैं।

श्री सिब्ते रजी—

मान्यवर, माननीय गुप्ता जी शिक्षा नीति के बारे में बार-बार कह रहे थे।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, 5 तारीख को मुझे नई शिक्षा नीति के बारे में बहस करनी है। आज तो हम माननीय मंत्री जी से केवल माध्यमिक शिक्षा के बारे में पूछ रहे हैं कि क्या प्रवेश लेने वाले इच्छुक अभ्यर्थियों को प्रवेश दिलाने, अध्यापकों की व्यवस्था करने व सैक्सन्स की व्यवस्था करने की वोषणा कर रहे हैं।

श्री सिब्ते रजी—

बात करनी मुझे ऐसी कभी मुश्किल तो न थी।

(श्री यदुनाथ सिंह के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

आप बाद में पूछ लीजिए।

श्री सिब्ते रजी—

मान्यवर, नई शिक्षा नीति के अन्तर्गत जो हमारी इनस्टाल कैपेसिटी है, उसका भरसक उपयोग किये जाने का हम प्रयास कर रहे हैं, इसलिए हमारी जो प्राइमरी पाठशालायें हैं, वहां पर अनौपचारिक शिक्षा के केन्द्र खोले जा रहे हैं। जिस तरह शिक्षा के प्रति लोगों की आकांक्षायें बढ़ रही हैं, इसकी परिपूर्ति के लिए हमें सतत् शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और ओपेन यूनीवर्सिटीज का सहारा अवश्य लेना पड़ेगा। निश्चित ही हमारी जो वर्तमान समस्या है, उसका इस समय समाधान हो गया है और भविष्य के लिए शासन इस पर अवश्य सोचेगा। जैसी आवश्यकता होगी, वैसा फैसला किया जायेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

माननीय शिक्षा मंत्री जी ने मेरे प्रश्नों

का उत्तर नहीं दिया। इसलिए सरकार की इस नीति के विरोध में मैं अपने दल सहित सदन से बहिर्गमन करता हूं।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मैं भी अपने दल के साथ सदन से बहिर्गमन करता हूं।

(कुंवर रेवती रमण सिंह अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये।)

श्री राम सरन अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)।

(विपक्ष के कुछ अन्य सदस्य भी सदन मे उठकर चले गये)।

श्री कौशिक रमाशंकर–

मान्यवर, प्रश्न में स्पष्ट लिखा हुआ है "सम्पूर्ण प्रदेश में माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में भारी संख्या से छात्रों एवं छात्राओं को प्रवेश न मिल पाने से उत्पन्न समस्या" पर चर्चा होगी। इन सारी बातों पर कोई चर्चा नहीं करायी, निरन्तर भाषण करने के लिए समय देते रहे। चूंकि मूल चर्चा हुई नहीं, इसलिए हम भी बहिर्गमन करते हैं।

श्री कौशिक रमाशंकर अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गए)

(व्यवधान के मध्य)

श्री यदुनाथ सिंह–

मेरे यहां 40 इण्टर कालेज हैं, शायद ही कहीं उत्तर प्रदेश में कोई तहसील हो जिसमें 40 इण्टर कालेज लोगों ने बनवाया हो। फिर भी डिग्री कालेज न होने से पूरे मिर्जापुर में हड़ताल है। अभी बलिया में डिग्री कालेज दिया है। क्या डिग्री कालेज देने के लिए तैयार हैं इसी सत्र से जब कि सदन में आश्वासन हो चुका है?

(श्री उपाध्यक्ष द्वारा कोई संज्ञान न लिये जाने तथा कार्य मन्त्रणा समिति की सिफारिश को पढ़ना प्रारम्भ कर देने पर)।

श्री यदुनाथ सिंह–

मैं सदन त्याग करता हूं।

(श्री यदुनाथ सिंह भी सदन त्याग कर चले गये)।

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष–

विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 1 सितम्बर, 1986 की बैठक में विचारोपरान्त विधान सभा के दिनांक 3 सितम्बर, 1986 के कार्यक्रम को निम्नलिखित रूप में निर्धारित किये जाने की सिफारिश की है :–

1–असरकारी संकल्प (आधा दिन)

2–विधायी कार्य

निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण :–

(क) उत्तर प्रदेश मलिन बस्ती क्षेत्र (सुधार और निपातन) (संशोधन) विधेयक, 1986, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ।

(ख) उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1986, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ।

(ग) उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1986।

3—ग्राम—करहना, थाना मेहदावल, जनपद बस्ती में पुलिस द्वारा 11 व्यक्तियों की हत्या के संबंध में नियम 56 के अन्तर्गत अभिसूचित माननीय श्री माता प्रसाद पाण्डेय आदि की सूचना पर एक घण्टे की चर्चा।

(अपराह्न 4 बजे से)

4—मथुरा, आगरा एवं प्रदेश के अन्य अनेक जिलों में खारे पानी की समस्या के विषय में श्री सरदार सिंह द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर एक घण्टे की चर्चा (पांच बजे अपराह्न के बाद)।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना आज श्री उपाध्यक्ष द्वारा सदन में दी गयी है, सहमत है।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य मन्त्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना आज श्री उपाध्यक्ष द्वारा दी गयी है उससे सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्व-सम्मति से स्वीकृत हुआ)।

श्री उपाध्यक्ष—

अब हम उठते हैं, कल 11 बजे पुनः बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 55 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
1 सितम्बर, 1986

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिए अता0प्र0सं0 12 का उत्तर पीछे पृष्ठ 29 पर।)

परिशिष्ट (क)

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजनान्तर्गत वर्ष 1984–85 के कार्यों का वित्तीय/भौतिक विवरण मार्च, 1986

जनपद बस्ती

क्रम-सं0	योजना का नाम	आकार-लम्बाई कि0मी0संख्या	स्वीकृति धनराशि (लाख रु0)	व्यय राशि (लाख रु0)	अवशेष धनराशि (लाख रु0)	भौतिक प्रगति		
						पूर्ण	अपूर्ण अवशेष विवरण	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	मिट्टी कार्य	.. कि0मी0	88.13	76.94	11.19	458.638	4.582	
2	सोलिंग	,,	38.53	34.25	4.28	43.149	2.841	..
3	पुलिया	... संख्या	44.63	43.35	1.28	273.00	37.00	..
4	गांव पटाई	.. ,,	8.43	7.77	0.66	25.00	..	..
5	बांध निर्माण	.. कि0मी0	41.75	42.916	..	32.43	0.16	..
6	ट्रेन	.. ,,	11.809	4.31	7.499	14.5	..	..
7	नाले की सफाई	.. ,,	0.79	0.62	0.17	6.00	5.00	..
8	सम्पर्क मार्ग	.. ,,	6.16	4.85	1.31	46.728	19.757	..
9	जल निकास	.. ,,	6.61	2.90	3.71	38.512	29.87	..
10	तालाब	.. संख्या	4.00	0.99	3.01	..	6.00	..

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	वनीकरण	संख्या	0.53	0.54	..	..	..	..
12	पक्की गूलों का निर्माण	कि0मी0	11.77	11.77	..	18.462	2.138	..
13	कच्ची गूलों का निर्माण	कि0मी0	1.53	1.53	..	37.32	4.48	..
14	साइफल का निर्माण	संख्या	1.43	1.43	..	31.00	8	..
15	पक्की खराब गूलों का निर्माण/जीर्णोद्धार	कि0मी0	2.15	2.15	..	4.61	0.09	..
16	नलकूप गूलों का सुदृढ़ीकरण	कि0मी0	10.90	10.90	..	31.678	71.035	..
17	बखिरा पम्प नहर का सुदृढ़ीकरण	,,	0.54	0.54	..	11.678	..	
18	वृक्षारोपण वानिकी कार्यक्रम–							
	(क) वृक्षारोपण		..			..		
	(ख) मिट्टी कार्य	,,	..	..				
			..	..	.	..	172.80 हे0	
	(ग) पौध तैयार करना ...	..	25.08	24.71	0.37	405.00 हे0		
	(घ) पुराने पौधों का रख-रखाव	..	..	..	..	34.65 लाख		
						17.13 लाख		
19	खड़ंजा व नाले	कि0मी0	20.00	17.46	2.54	62.249	2.75	
20	पंचायत भवन	संख्या	4 .00	0.53	3.47	8.200	7	
21	कूप मरम्मत	,,	0.19	0.18	0.01	6	1	..
22	हरिजन आवास ..	,,	9.49	9.25	0.24	617	16	..
योग		..	338.449	299.886	39.739	..	..	

परिशिष्ट (ख)

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजनान्तर्गत वर्ष 1985–86 के कार्यों का वित्तीय/भौतिक विवरण मार्च, 1986 तक

जनपद बस्ती

क्रमांक	योजना का नाम	आकार लम्बाई कि0मी0/सं0	स्वीकृत धनराशि	व्यय धनराशि	अवशेष धनराशि	भौतिक प्रगति: पूर्ण	भौतिक प्रगति: अपूर्ण अवशेष का विवरण	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	मिट्टी कार्य ..	कि0मी0	231.18	111.062	120.118	319.188	183.352	..
2	सोलिंग कार्य ..	,,	88.90	53.54	35.36	49.34	24.185	..
3	पुलिया ..	संख्या	26.24	21.07	5.17	76	101	..
4	गांव पटाई कार्य ..	,,	1.03	0.63	0.40	2	2	..
5	बन्धा ..	कि0मी0	49.37	39.39	9.98	16.35	4.65	..
6	नाले को बन्द करना ..	,,	2.20	1.90	0.30	1.50	0.15	..
7	पाइप क्रासिंग ..	संख्या	2.50	1.21	1.29	2	1	..
8	खड़ंजा ..	कि0मी0	24.00	4.24	19.76	11.90	58.10	..
9	मत्स्य पालन हेतु प्रक्षेत्र का सुधार ..	संख्या	0.20	0.05	0.15	..	1	..
10	हरिजन आवास ..	,,	6.70	7.19	1.51	604	36	..
11	जनता बायोगैस ..	,,	12.50	12.12	0.38	482	18	..
12	सामाजिक वानिकी–							
	(क) लगाया गया क्षेत्रफल हे0 ..		54.25	44.68	9.57	855.622	..	..
	(ख) लगाए गए पेड़ों की संख्या		..	..	..	53.97लाख	..	..
13	स्कूल ..	संख्या	34.44	22.69	11.75	20	17	..
योग	..	..	535.51	319.772	215.738	..	..	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

परिशिष्ट (ग)

जनपद बस्ती में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजनान्तर्गत वर्ष 1985–86 के स्वीकृत योजनाओं के विरुद्ध योजनाओं का विवरण, स्थिति दिनांक 31 मार्च, 86 तक प्रारम्भ नहीं हुये ।

क्रमांक	योजना का नाम	स्वीकृत योजनाओं की संख्या	आकार	अन्य
1	सम्पर्क मार्ग (कच्चा) ..	39	64.78 किमी0	
2	खड़ंजा ..	7	10.70 किमी0	
3	पुलिया ..	31	35 संख्या	
4	गांव पटाई ..	1	..	

नत्थी 'ख'

(देखिए अता0प्र0सं0 27 का उत्तर पीछे पृष्ठ 35 पर।)

विद्यालयवार रिक्त पदों की तालिका

क्रम-सं0	इण्टर कालेज का नाम	रिक्त पद का विषय	रिक्त पदों की संख्या
1	2	3	4
1	राजकीय इण्टर कालेज, डीडीहाट	प्रवक्ता (भौतिक विज्ञान)	1
2	राजकीय इण्टर कालेज, डोर	प्रवक्ता (भौतिक विज्ञान)	1
3	राजकीय इण्टर कालेज, मानले	प्रवक्ता (भौतिक विज्ञान)	1
		प्रवक्ता (रसायन विज्ञान)	1
		प्रवक्ता (जीव विज्ञान)	1
4	राजकीय इण्टर कालेज, देवीधुरा	प्रवक्ता (भौतिक विज्ञान)	1
		प्रवक्ता (रसायन विज्ञान)	1
		प्रवक्ता (जीव विज्ञान)	1
5	राजकीय कन्या इण्टर कालेज, पिथौरागढ़	प्रवक्ता (भौतिक विज्ञान)	1
		प्रवक्ता (जीव विज्ञान)	1
6	राजकीय इण्टर कालेज, बांसवगढ़	प्रवक्ता (भौतिक विज्ञान	
		प्रवक्ता (रसायन विज्ञान	
		प्रवक्ता (जीव विज्ञान)	

नत्थी 'ग'

(देखिए अता0प्र0सं0 38 का उत्तर पीछे पृष्ठ 38 पर)

सूची (क)

भवनहीन विद्यालयों की सूची

ब्लाक:--कौडिहारा

1--प्रा0पा0 विवरहा
2--प्रा0पा0 हथिगनी
3--प्रा0पा0 टिकरी
4--प्रा0पा0 बरसौल
5--प्रा0पा0 बेनीपुर
6--प्रा0पा0 एकौनी
7--प्रा0पा0 अकौढा ।।
8--प्रा0पा0 छरी

ब्लाक:--शंकरगढ़

1--प्रा0पा0 करियाकलां
2--प्रा0पा0 करिया खुर्द
3--प्रा0पा0 बेमरा
4--प्रा0पा0 अकौढिया
5--प्रा0पा0 किपधैरा
6--प्रा0पा0 हरौं
7--प्रा0पा0 गरन
8--प्रा0पा0 भदयाकला
9--प्रा0पा0 सलैया परियारी
10--प्रा0पा0 दुबहा
11--प्रा0पा0 डेरादारी
12--प्रा0पा0 बबधर
13--प्रा0पा0 डेरा
14--जूनियर हाई स्कूल बबधर
15--जूनियर हाई स्कूल करियाकलां
16--कन्या जू0 विद्यालय, छतरगढ़

ब्लाक:--जसरा

1--प्रा0पा0 दौना
2--प्रा0पा0 कचरा
3--प्रा0पा0 चामू
4--प्रा0पा0 रैपुरा
5--प्रा0पा0 गौभवारा
6--प्रा0पा0 महेवा
7--प्रा0पा0 वसड़रा सरहार

भवनहीन विद्यालयों की सूची

8--प्रा0पा0 सेहुड़ा
9--प्रा0पा0 भीती
10--प्रा0पा0 असंवा
11--प्रा0पा0 बारा
12--प्रा0पा0 रहे किचला ।।
13--प्रा0पा0 क्रमो0 भानपुर।

ब्लाक:--चाका

1--प्रा0पा0 भोगी
2--प्रा0पा0 सेमरी
3--प्रा0पा0 हरदुआ
4--प्रा0पा0 धूघापुर
5--प्रा0पा0 देवररहा
6--प्रा0पा0 रेही
7--प्रा0पा0 हथिगनी ।।
8--प्रा0पा0 गोती
9--प्रा0पा0 नरसिंहपुर
10--प्रा0पा0 चाका
11--प्रा0पा0 क्रमो0 करछना
12--प्रा0पा0 सेमरी

ब्लाक:--कौड़िहार

1--प्रा0पा0 कुरेसर
2--प्रा0पा0 चमरी
3--प्रा0पा0 पत्तुहर
4--प्रा0पा0 अकबरपुर
5--प्रा0पा0 नवाबगंज
6--प्रा0पा0 कोराली ।।
7--प्रा0पा0 सिहापुर
8--प्रा0पा0 खानाजहांपुर
9--प्रा0पा0 जगापुर
10--प्रा0पा0 पुरेधासी
11--प्रा0पा0 आदमपुर
12--जू0हा0 स्कुल (कन्या) सरस्वतीपुर
13--क्रमो0 विद्यालय नवाबगंज
14--क्रमो0 विद्यालय लालगोपालगंज

सूची (ख)

क्रमांक	एक अध्यापकीय विद्यालय	क्रमांक	एक अध्यापकीय विद्यालय	क्रमांक	एक अध्यापकीय विद्यालय	अन्य विवरण
विकास खण्ड कौधियारा		**विकास खण्ड चाका**		**विकास खण्ड जसरा**		
1	प्रा0पा0 ओसा	1	प्रा0पा0 छिवकी	1	प्रा0पा0 रेही बैजला	
2	प्रा0पा0 धरी	2	प्रा0पा0 कोहरा	2	प्रा0पा0 रही बैजला II	
3	प्रा0पा0 बेलतारा	3	प्रा0पा0 अमिलिया	3	प्रा0पा0 बसहरा	
4	प्रा0पा0 हथिगनी	4	प्रा0पा0 नरसिंहपुर	4	प्रा0पा0 चामू	
5	प्रा0पा0 एकौनी			5	प्रा0पा0 रैपुरा	
				6	प्रा0पा0 लोटागढ़	
				7	प्रा0पा0 मैदा	
				8	प्रा0पा0 कूड़ी	
				9	प्रा0पा0 छिड़ी	
				10	प्रा0पा0 क्रमो0 मानपुर	
विकास खण्ड कौडिहार				**विकास खण्ड शंकरगढ़**		
1	प्रा0पा0 रानीगंज			1	प्रा0पा0 मौढ़िया उपरहार	
2	प्रा0पा0 खानजहांपुर			2	प्रा0पा0 करियाखुर्द	
				3	प्रा0पा0 पहाड़ी	
				4	प्रा0पा0 बसहरा उपरहरा	
				5	प्रा0पा0 आकौरिया	
				6	प्रा0पा0 पहाड़ी गोल	
				7	प्रा0पा0 उडगीतरहार	
				8	प्रा0पा0 गरन	
				9	प्रा0पा0 मवैयाकला	
				10	प्रा0पा0 सनैया परियारी	
				11	प्रा0पा0 असरी समदरिया	
				12	प्रा0पा0 डेरा	
				13	प्रा0पा0 जूही	
				14	प्रा0पा0 जू0हा0 छतरगढ़	
				15	प्रा0पा0 क्रमो0 अमिलियां सरहार	

नत्थी 'घ'

(देखिए अता0प्र0सं0 46 का उत्तर पीछे पृष्ठ 41 पर।

विकास खण्ड सीयर के मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों की सूची
जनपद बलिया

1--विद्या मन्दिर पू0मा0वि0, बिल्थरा रोड
2--नेहरू जियाउल पू0मा0वि0, अठगांवा (वर्तमान में हाई स्कूल है)।
3--निस्दा कन्या जूनियर हाई स्कूल आसपार, बहोरवा।
4--शिवशंकर लघु माध्यमिक विद्यालय, तेलमा जमालुद्दीनपुर।
5--मातेश्वरी सोनकली देवी पू0मा0वि0, चन्दाडीह।
6--रज्जू पू0मा0वि0, कड़सरकुटी ।
7--आदर्श पू0मा0वि0 शीर्षस्थल दोहरीघाट सहायक परियोजना, उभांव।
8--सन्तबन्धु लोहिया जू0मा0विद्यालय, मुबारकपुर।
9--देवरहवा बाबा बाबूरामपुर पू0मा0वि0, घनपुर गुलौरा।
10--कन्या जू0हा0 स्कूल' उठगांवा।
11--संजय गांधी स्मारक बालिका पू0मा0वि0, बहुताचक उपा0।
12--जैबुनिसां निस्वा पू0मा0वि0, इमिलिया सीयर।

अमान्य जूनियर हाई स्कलों की सूची (सीयर)

1--जूनियर हांईस्कूल, सिसयन्ड कला।

विकास खण्ड नगरा के मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों की सूची

1--बाबा गयादास परमहंस विद्यापीठ सप्तर्षिधाम अक्टही।
2--चन्द्रशेखर पूर्व माध्यमिक बालिका विद्यालय भीमपुरा नम्बर-2
3--पूर्व माध्यमिक विद्यालय, करीमपुर।
4--किसान पूर्व माध्यमिक विद्यालय रयकुआ उरैनी।
5--सरस्वती शिशु मन्दिर जू0हा0, नगरा।
6--तिलेश्वरी देवी पूर्व माध्यमिक विद्यालय, गौरा।
7--लाल बहादुर पूर्व माध्यमिक विद्यालय, दुगाईपट्टी।
8--परमहंस पूर्व माध्यमिक विद्यालय, महरी।
9--देवरहवा बाबा पू0मा0 विद्यालय, औराई कलां।
10--कमरिया बाबा पू0मा0वि0, देवलगीर।
11--जैमुनिसिह पू0मा0 विद्यालय, कसौन्डर।
12--ज्ञानबापी पू0 मा0 वि0, सबापार वनक्टा।
13--राधाकृष्ण पू0मा0विद्यालय, सिकन्दरपुर।
14--सुखदेव पू0मा0 विद्यालय अबराई कलां क्रिड़िहड़ापुर।
15--उग्रह बनवारी पू0मा0वि0, निकासी।
16--हाजी नौशे अली, पू0जू0हा0 स्कूल, वाहरपुर।
17--रा0क0 आदर्श शिक्षा निकेतन भीमपुर नम्बर।
18--अम्बदकर पू0मा0वि0, बरौली।
19--रा0क0क0 बालिका वि0, भीमपुरा नम्बर -1 ।
20--कन्या जू0हा0 स्कूल, पाण्डेयपुर।
21--कन्या जू0हा0 स्कूल, नरही।
22--चन्द्रशेखर पू0मा0 विद्यालय, भीमपुरा नम्बर-2।

विकास खंड नगरा के अमान्य जूनियर हाई स्कूलों की सूची
जनपद–बलिया

1––खाकी बाबा पूर्व माध्यमिक विद्यालय, खनंवर ।

2––जूनियर हाई स्कूल, सिसवार कलां ।

3––जूनियर हाई स्कूल, खरुआंवा ।

4––जनता जू0हा0 स्कूल, निकासी ।

5––रामकिशुन पू0मा0वि0, सतहवां वाराडीह ।

6––बाबा कृपानाथ स्मारक विद्यालय, टेकबारी ।

7––जू0 हा0 स्कूल, सन्तनगर डीहवा ।

नत्थी 'ङ'

(देखिए अता0प्र0सं0 55 का उत्तर पीछे पृष्ठ 44 पर।)

संलग्नक

राजकीय महाविद्यालयों के शिक्षणेतर कर्मचारियों की समस्याओं के सम्बन्ध में श्री काशी सिंह ऐरी, सदस्य, विधान सभा के पत्र दिनांक 14-5-85 में उल्लिखित मांगों पर की गयी कार्यवाही का विवरण

मांगों का संक्षिप्त विवरण	कृत कार्यवाही
1--महाविद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों को यू0जी0सी0 वेतनमान दिया जाय ।	1--शिक्षणेतर कर्मचारियों को यू0जी0सी0 वेतनमान अनुमन्य नहीं है ।
2--ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित महाविद्यालयों के कर्मचारियों को भी मकान किराया भत्ता दिया जाय ।	2--शासन की सामान्य नीति के अनुरूप न होने के कारण इस मांग को स्वीकार करना सम्भव नहीं है ।
3--चतुर्थ श्रेणी पदों से तृतीय श्रेणी पदों पर निर्धारित 10 प्रतिशत के मानक के अनुसार प्रोन्नतियां दी जायें ।	3--चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के पदों पर निर्धारित अर्हताओं के पूरी होने पर आरक्षण के अनुरूप पदोन्नतियां दी जाती है ।
4--चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का स्थानान्तरण दूर (मण्डल/जिला) पर कर दिया जाता है ।	4--कतिपय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों ने प्रथम नियुक्ति अपने गृह जनपद अथवा मण्डल के बाहर स्वेच्छा से ली है । अतः ऐसे कर्मचारियों को पहले से ही गृह जनपद में तैनात कर्मचारी को हटाकर ही समायोजित किया जा सकता है । जो सामान्यतः सम्भव नहीं हो पाता ।
5--चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का शोषण अभी तक किया जा रहा है ।	5--मांग अस्पष्ट है । स्पष्ट जानकारी होने पर ही कोई कार्यवाही सम्भव हो सकती है ।
6--पुस्तकालयाध्यक्षों को यू0जी0सी0 वेतनमान नहीं दिया जाता है जैसाकि यू0जी0सी0 की स्पष्ट अनुशंसा है । जबकि शारीरिक शिक्षा निदेशक एवं कार्टोग्राफर को प्रवक्ता वेतनमान प्रदान कर दिया गया है ।	6--इस मांग पर अभी निर्णय नहीं लिया गया है ।
7--महाविद्यालय के शिक्षणेतर कर्मचारियों हेतु आवास की व्यवस्था की जाय ।	7--इस मांग पर अभी निर्णय नहीं लिया गया है ।

सै0 सिब्ते रजी
शिक्षा मन्त्री ।

नत्थी 'च'

(देखिए अता0 प्र0सं0 90 का उत्तर पीछे पृष्ठ 54 पर।

वर्ष 1984-85

स्कूल भवन मरम्मत कार्य — व्यय

क्रमांक	स्कूल भवन का नाम	व्यय (रुपए)
1	प्रा0पा0 कुरकन्दा	22,436.80
2	प्रा0पा तारसी	15,650.00
3	प्रा0पा0 सुजावली	8,500.00

सड़क मरम्मत कार्य

1	गांठोली जतीपुरा मार्ग	6,873.05
2	आंझई फीडर मार्ग	9,711.00

दुकान निर्माण

1	पशुशाला छाता की भूमि पर 14 दुकानों का निर्माण	1,45,082.10
2	पशु चिकित्सालय राया के कम्पाउन्ड में 13 दुकानों का निर्माण (अधूरा कार्य)।	82,450.00

वर्ष 1985-86

1	मरम्मत कार्य प्रा0पा0 बैइन खुर्द	11,654.00
2	कन्या जूनियर हाई स्कूल राल	11,202.00
3	प्रा0 पा0 तारसी	2,294.10
4	प्रा0पा0 भरतिया	9,674.85
5	प्रा0पा0 भद्रवन	11,128.20
6	आंझई	4,789.50
7	प्रा0पा0 समदपुर	1,539.00
8	प्रा0पा0 तोष	8,305.70
9	प्रा0पा0 सुजावली	4,296.90
10	प्रा0पा0 चौमुहां	9,369.80
11	प्रा0पा0 बरौली	8,511.40
12	प्रा0पा0 कामर	14,172.35
13	प्रा0पा0 इरौली जुन्नादार	17,568.15
14	प्रा0पा0 पवीपुर हवीपुर	13,879 60
15	टेटीगांव	11,958 60
16	प्रा0पा0 मुईउद्दीनपुर	18,041.35
17	प्रा0पा0 माधुरी कुण्ड	5,020.00
18	प्रा0पा0 मड़नई	10,144.60
19	प्रा0पा0 तरौली	21,944.00
20	प्रा0पा0 छाता	7,412.00
21	प्रा0पा0 पटलौनी	8,111.65

1	2	3
22	—प्रा0पा0विशम्भरा	5,323.20
23	—प्रा0पा0 जुनसुटी	15,967 00
24	—प्रा0पा0 महुआ	11,827.35
25	—प्रा0पा0 बाटी	17,908.15
26	—प्रा0पा0 उन्दी	15,001.00
27	—प्रा0पा0 नौगांव	23,548.50
28	—प्रा0पा0 तुला गढ़ी	11,921 00
29	—प्रा0पा0 फरह	32,000.00
30	—प्रा0पा0 लोहागढ़	13,486.90
31	—प्रा0पा0 बन्दी	20,978.40
32	—प्रा0पा0 कमई	21,990.00
33	—प्रा0पा0 खायरा	14,271.50
34	—प्रा0पा0 लुहारा	25,258.15
35	—प्रा0पा0 भदाया	6,000.00
36	—प्रा0पा0 कठैला	13,300.00
37	—प्रा0पा0 एदलपुर	11,998.00
38	—प्रा0पा0 राजागढ़ी	11,626.47
39	—प्रा0पा0 बरारी	9,470.85
40	—प्रा0पा0 दलौता	4,100.00
41	—प्रा0पा0 महमदपुर	14,489.68
42	—प्रा0पा0 मौरा	12,926.00
43	—प्रा0पा0 ब्योहई	5,400.00
44	—प्रा0पा0 महरारा	14,604.00
45	—प्रा0पा0 कुडवारा	22,500.00
46	—प्रा0पा0 जमालपुर	11,886.00
47	—प्रा0पा0 नबलपुर	11,259.06
48	—प्रा0पा0 एदलपुर	9,026.75

पक्की सड़कें

1—बठैन खिटाविटा मार्ग पर कि0मी0 1 से 3 तक कुटाई कार्य, पेंटिंग कार्य एवं कि0मी0 4 व 5 पर सप्लाई ग्रिट सप्लाई पर व्यय।	1,66,817.77
2—महावन खानपुर मार्ग कि0मी0 2 व 3 पर मिट्टी एवं खड़ंजा स्तर तक का व्यय।	1,32,197.14
3—भैसा घनगांव मार्ग कि0मी0 1 पर स्टोन ब्लास्ट आपूर्ति एवं कुटाई कार्य पर व्यय।	43,561.40
4—आंझई फीडर मार्ग पर मिट्टी कार्य	7,296.00

दुकान निर्माण पर व्यय

पशु चिकित्सालय राया में 13 दुकानों का निर्माण पूरा कराया गया	79,254.00

नत्थी 'छ'

(देखिए अता0प्र0सं0 91 का उत्तर पीछे पृष्ठ 55 पर।)

विकास खण्डवार विवरण

विका : खण्ड राया

क्रम-सं0	विकास कार्य का नाम	संख्या	धनराशि
1	2	3	4
1	निर्बल वर्ग आवास योजना के अन्तर्गत निर्मित आवास।	29	58,000.00
2	सूखा राहत कार्य के अन्तर्गत स्कूलों की मरम्मत	3	16,153.60
3	आर0एल0ई0जी0पी0 योजना के अन्तर्गत निर्मित आवास।	10	90,000.00
4	बायोगैस संयन्त्र की स्थापना ..	26	1,57,370.00
5	निःशुल्क बोरिंग ..	60	..
6	खड़ंजा निर्माण कार्य (ग्राम सभाओं में) प्राइमरी पाठशाला मरम्मत।	79	2,89,500.00
7	तिलहन फसलों पर अनुदान 50 प्रतिशत	52 गांवों में ..	10,296.00
8	तिलहन फसलों पर अनुदान 100 प्रतिशत	64 ,, ..	7,733.00
9	एकीकृत ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत लाभांवित व्यक्ति।	69 ,, ..	8,33,108.00
10	कृषि निवेशों पर वितरण अनुदान ..	84	51,645.00
	विका : खण्ड मांट		
	विधान सभा क्षेत्र गोकुल के अन्तर्गत विकास खण्ड मांट की न्याय पंचायत पानीगांव आती है।		
1	निर्बल वर्ग आवास ..	1	8,000.00
2	आर0एल0ई0जी0पी0के अन्तर्गत निर्मित आवास।	1	60,000.00
3	एन0आर0ई0पी0 के अन्तर्गत निर्मित आवास कच्ची सड़क।	पानी गांव रोड से पोखर हृदय तक 1-90 कि0मी0	30,900,00
4	एकीकृत ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत स्वीकृत अनुदान।	48	68,745.00
	विकास खण्ड बल्देव		
1	निर्बल वर्ग आवास भवन निर्माण ..	8	34,000.00
2	आर0एल0ई0जी0पी0 के अन्तर्गत इन्दिरा आवास कालोनी।	1	59,000.00

1	2	3	4
3	एन0आर0ई0पी0 के अन्तर्गत सम्पर्क मार्गों का निर्माण। (4-540 किमी0)	3	1,39,370.00
4	बायोगैस सन्यन्त्र निर्माण	17	58,870.00
5	शुद्धीकरण योजना के अन्तर्गत ग्राम सभाओं को दिया गया अनुदान।	20	1,03,000.00
6	निःशुल्क बोरिंग	26	1,25,708.00
7	जिला सेक्टर योजना के अन्तर्गत खड़ंजा निर्माण।	3	12,825.00
8	एकीकृत ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत	354 व्यक्ति	4;11,500.00
9	सूखा राहत कार्यक्रम के अन्तर्गत स्कूल मरम्मत	10	47,750.00

नत्थी 'ज'

(देखिए अता0प्र0सं0 93 का उत्तर पीछे पृष्ठ 55 पर।)

वर्ष 1985-86 में ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, प्रखण्ड मथुरा द्वारा कराए गए विकास कार्यों का विवरण

31-3-1986 तक कराए गए कार्यों का विवरण

क्रम-सं0	विधान सभा क्षेत्र	भौतिक: भवन (संख्या में)	भौतिक: मार्ग किमी0 पुलिया (सं0)	वित्तीय: भवन व्यय (लाख रु0)	वित्तीय: मार्ग व्यय (लाख रु0)	कुल व्यय (लाख रु0 में)	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मथुरा	13/1000 मी0		24.587		24.587	13 भवनों में 1000मी0 बाउन्डरी दीवाल का निर्माण कार्य सम्मिलित है।
2	गोवर्धन		2.30 किमी0	1.250	1.242	2.492	वि0ख0 कार्यालय भवन का निर्माण कार्य प्रगति में है।
3	छाता	3	10.450किमी0 9 पुलिया	0.810	6.540	7.350	
4	मांट	1	3.07 किमी0 7 पुलिया	0.210	1.321	1.531	
5	गोकुल	2	7.035 किमी0 17 पुलिया	0.392	5.686	6.078	
6	सादाबाद	3	2.00 किमी0 2 पुलिया	0.713	1.813	2.526	
	योग	22/1000मी0	24.855 किमी0 35 पुलिया	27.962	16.602	44.564	

नोट---उक्त के अतिरिक्त विभिन्न विधान सभा क्षेत्रों में 26.594 किमी0 मार्गों पर मिट्टी/सोलिंग एवं 23 पुलियों की मरम्मत का कार्य कराया गया जिनपर 1.131 लाख रुपए व्यय किया गया .. + 1.131

महा योग 45.695

नत्थी 'झ'

(देखिए अता0प्र0सं0 95 उत्तर पीछे पृष्ठ 56 पर।)

परिशिष्ट "क"

क्रम-सं0	विभाग का नाम	आवंटित धनराशि एम0आर0ई0पी0।	बाढ़ राहत	योग	कार्य जिसके लिए धन-राशि उपलब्ध कराई गई
1	2	3	4	5	6
1	ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा	11.030	3.490	14.520	सम्पर्क मार्ग निर्माण।
2	सार्व0नि0वि0 प्रान्तीय खण्ड।	11.850	..	11.850	,,
3	सार्व0नि0वि0 अस्थायी खण्ड।	9.040	4.500	13.540	तदैव
4	गन्ना विभाग	13.500	..	13.500	,,
5	खण्ड विकास अधिकारी साबदाबाद।	0.776	..	0.776	,,
6	खण्ड विकास अधिकारी गोवर्धन।	1.000	..	1.000	,,
7	खण्ड विकास अधिकारी बल्देव।	0.804	..	0.804	,,
8	खण्ड विकास अधिकारी नौहझील।	0.150	..	0.150	,,
9	खण्ड विकास अधिकारी फरह।	0.250	..	0.250	,,
10	खण्ड विकास अधिकारी मथुरा।	0.500	..	0.500	,,
11	अपर आगरा कैनाल	1.183	..	1.183	जल निकास हेतु।
12	मांट ब्रांच	2.817	..	2.817	,,
13	लोअर आगरा कैनाल	0.790	1.010	1.800	,,
14	सिंचाई निर्माण खण्ड	—	1.000	1.000	,,
15	भूमि संरक्षण अधिकारी	4.000	..	4.000	भूमि संरक्षण कार्यों हेतु।
16	प्रबन्ध निदेशक वानिकी	11.500	..	11.500	वानिकी कार्यों हेतु।
	योग	69.190	210.000	79.190	

नत्थी 'ङ।'

(देखिए अता0प्र0सं0 134 का उत्तर पीछ पृष्ठ 69 पर ।)

विधान सभा द्वितीय सत्र 1986 के प्रथम सोमवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–134 के उत्तर में सन्दर्भित सूची

31–12–85 तक अमीरुद्दौला पब्लिक लाइब्रेरी में हिन्दी, अंग्रेजी तथा उर्दू भाषा के निम्नलिखित दैनिक पत्र प्राप्त होते रहे हैं :—

हिन्दी	अंग्रेजी	उर्दू
1—स्वतन्त्र भारत	1—पायोनियर	1—कौमी आवाज
2—नवभारत टाइम्स	2—नैशनल हेराल्ड	2—सियासत
3—नवजीवन	3—नार्दन इंडिया पत्रिका	3—प्रताप
4—अमृत प्रभात	4—टाइम्स आफ इंडिया	
5—दनिक जागरण	5—हिन्दुस्तान टाइम्स	
6—आज	6—स्टेट्समैन	
7—हिन्दुस्तान	7—इंडियन इक्सप्रेस	
	8—एकानामिक टाइम्स	
	9—अमृत बाजार पत्रिका	

विधान सभा

पत्रिकाओं की सूचना निम्नवत है

साप्ताहिक			–पाक्षिक			मासिक		
अंग्रेजी	हिन्दी	बंगला	अंग्रेजी	हिन्दी	उर्दू	अंग्रेजी	हिन्दी	उर्दू
करेन्ट सक्सेज मेन्ट न्यूज	दिनमान	देश	कारवन					
	धर्मयुग	..	काम्प्टीशन सक्सेज रिव्यू	सरिता	..	एस्टालाजिकल	कादम्बिनी	बीसवीं
ईव्ज वीकली	रविवार	..	इंडिया	रोजगार डायजेस्ट	..	कैरियर	नवनीत	सदी
इलेस्ट्रेटेड वीकली	साप्ताहिक	..	आनलुकर		..	काम्प्टीशन मास्टर	प्रतियोगिता दर्पण	शमा ..
	हिन्दुस्तान			..	..	इंडिया	..	..
लिक	बिल्ट्स (हिन्दी)	..	बिजनेस इंडिया		..	सनसाइंड	..	..
स्पोर्ट वर्ल्ड	..	..				आउट साईड		
सन	..	..		..	..	लखनऊ ला टाइम्स	..	..
सनडे	..	..	..	..	..	मिरर		
विल्ट्स			..	..		प्रौव	..	..
			..			साइन्स रिपोर्टर		
						साईस टुडे		
						सूर्या		

विधान सभा

उपरोक्त के अतिरिक्त इस पुस्तकालय में बाल विभाग में निम्नलिखित पत्रिकाएं प्राप्त होती है

साप्ताहिक	पाक्षिक		मासिक	
हिन्दी	हिन्दी	अंग्रेजी	हिन्दी	अंग्रेजी
1--लोटपोट	1--चम्पक	1--चम्पक	1--गुडिया	1--चन्दामामा
2--मधु मुस्कान	2--टिंकल	2--टिंकल	2--सम्पा	2--टारगेट
3--किलकारी		3--क्लासिक एवं कामिक	3--पराग	
			4--सुमन सोरव	
			5--चन्दमामा	
			6--नन्दन	
			7--बालक	
			8--बालभारती	

अतारांकित प्रश्न विधान सभा

नत्थी 'ट'

(देखिए अता0प्र0सं0 135 का उत्तर पीछे पृष्ठ . 70. पर।)

केन्द्रीय राज्य पुस्तकालय, इलाहा ाद में उपल ध विधान सभा कार्य ाहियों की प्रतियों की सूचना

वर्ष	प्रतियां
1978	2
1979	1
1980	3
1981	1
1982	14
1983	10
1984	25
1985	7
..	63

राजकीय पब्लिक लाइब्रेरी, इलाहाबाद में उपलब्ध विधान सभा/विधान परि षद् की कार्यवाहियों की सूचना

विधान सभा	विधान परिषद्
1935 से 1939 तक	1921 से 1939 तक
1946 से 1967 तक	1946 से 1967 तक
1969 से 1978 तक	1969 से 1978 तक
1981 से 1983 तक	1982 तथा 1983

नत्थी 'ठ'

(देखिए अता0प्र0सं0 143 का उत्तर पीछे पृष्ठ 72 पर।)

कर्मचारियों की मांग	कृत कार्यवाही
1--राजकीय सेवा से विश्वविद्यालय की सेवा में संविलीयन हुए कर्मचारियों को उनकी पूर्व सेवा अवधि की पेशन एवं ग्रेच्युटी अविलम्ब दी जाय तथा विश्वविद्यालय की सेवा में उनका संविलीयन कर दिया जाय।	राजकीय सेवा के कर्मचारियों का संविलियन विश्वविद्यालय सेवा में कर दिया गया है। उनकी पूर्व सेवा अवधि की पेशन एवं ग्रेच्युटी के भुगतान हेतु कागजात तैयार किए जा रहे हैं।
2--कुमायूं विश्वविद्यालय परिसर, अल्मोड़ा में कार्यरत समस्त दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को बिना शर्त अविलम्ब नियमित नियुक्ति दी जाय।	आवश्यकतानुसार पदों का सृजन कर दिया गया है जिन पर दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों में से नियमित नियुक्ति की गई। शेष दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए नियमित पदों के सृजन का औचित्य नहीं पाया गया है अतः उन्हे नियमित नियुक्ति देने का प्रश्न नहीं उठता।
3--कर्मचारियों में व्याप्त वेतन विसंगतियों को तत्काल दूर किया जाय।	उत्तर प्रदेश द्वितीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर कर्मचारियों के वेतनमान पुनरीक्षित किए जा चुके हैं जिनमें कोई विसंगति नहीं है।
4--कर्मचारियों के लिए आवासीय भवन तत्काल निर्मित किए जायें।	इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय से शासन को अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।
5--जिन पदों पर प्रोन्नति के अवसर शून्य हैं उन्हें समयबद्ध वेतनमान दिया जाय।	समयबद्ध वेतनमान दिया जाना सम्भव नहीं है।

नत्थी 'ड'

(देखिए अता0प्र0सं0 164 का उत्तर पीछे पृष्ठ 78 पर।)

जौनपुर डिपो में मार्गवार संचालित बसों का विवरण

क्रम सं0	मार्ग का नाम	बसों की संख्या
1	जौनपुर–सुल्तानपुर–कानपुर–वाराणसी	2
2	जौनपुर–वाराणसी–जौनपुर–लखनऊ–कानपुर	2
3	जौनपुर–बदलापुर–प्रतापगढ़–रायबरेली–कानपुर	2
4	जौनपुर–वाराणसी–ओबरा–जौनपुर	3
5	जौनपुर––विन्ध्यांचल––जौनपुर–मिर्जापुर––जौनपुर	17
6	जौनपुर–वाराणसी–विंध्याचल–जौनपुर	6
7	जौनपुर–ढकवा–लखनऊ–कानपुर	2
8	जौनपुर–वाराणसी–टांडा–अकबरपुर	4
9	जौनपुर–ढकवा–सुल्तानपुर–जौनपुर	8
10	जौनपुर–शाहगंज–सरायमीर–जौनपुर–वाराणसी	1
11	जौनपुर–गोरखपुर–जौनपुर–इलाहाबाद	5
12	जौनपुर–शाहगंज–वाराणसी	6
13	जौनपुर–टांडा–जौनपुर–मिर्जापुर	2
14	जौनपुर–निगोह–विंध्याचल	1
15	जौनपुर–जफराबाद–आरा–कचवन	2
16	जौनपुर–वाराणसी–फैजाबाद	4
17	जौनपुर–मदराव–जौनपुर	1
18	जौनपुर–बलिया–जौनपुर	1
19	जौनपुर–शाहगंज–सुल्तानपुर–लखनऊ–कानपुर	2
20	जौनपुर–कलापुर–जौनपुर–त्रिलोचन	1
21	जौनपुर–त्रिलोचन–जौनपुर–आजमगढ़–जौनपुर	2
22	जौनपुर–इलाहाबाद–जौनपुर–बादशाहपुर	1
23	जौनपुर–बादशाहपुर–गोरखपुर	1
	योग	76

पी0एस0यू0पी0–एल0 205 विधान सभा (383)--1986--813 ।